पंचम माला, खंड 37, अंक 27, गुरुवार, 28 मार्च, 1974/7 चैत्र, 1896 (शक)

Fifth Series, Vol. XXXVII, No. 27, Thursday, March 28, 1974/Chaitra 7, 1896 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

[दसवां सत्र
Tenth Session]

5th Lok Sabha

सत्यमेव जयते

[खंड 37 में अंक 21 से 30 तक हैं
Vol. XXXVII contains Nos. 21 to 30]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है]

[This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]

17LSS/74—1

विषय सूची/Contents

अंक 27, गुरुवार, 28 मार्च, 1974/7 चैत्र, 1896 (शक)

No. 27, Thursday, March 28, 1974/Chaitra, 7 1896 (Saka)

ता० प्र० संख्या S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
	प्रश्नों के मौखिक उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
486	इंडियन कापर कारपोरेशन के श्रमिकों की मांगें	Demand of Workers of Indian Copper Corporation . .	1
487	पाकिस्तान वापिस भेजे गए युद्ध-बंदियों पर हुआ खर्च	Expenditure on P.O.Ws. Repatriated to Pakistan	3
488	रक्षा पर आधारित उद्योगों की स्थापना करना	Setting up of Defence based Industries	5
489	रडार परियोजना को पुनः आरंभ करने का प्रस्ताव	Proposal to resume Radar Project	8
490	श्रीलंका में बसे भारतीयों के बारे में श्रीमावो-शास्त्री समझौते का क्रियान्वयन	Implementation of Sirimavo-Shastri Pact about Indians in Sri Lanka	9
491	राष्ट्रीय उत्सवों के लिए टिकटों की बिक्री	Sale of Tickets for National Functions	11
492	टेलको एण्ड ट्यूब कम्पनी, जमशेदपुर के बर्खास्त किए गए कर्मचारियों की बहाली	Reinstatement of Workers of TELCO and Tube Company, Jamshedpur .	13
493	बलगारिया के प्रधान मंत्री का दौरा	Visit by Prime Minister of Bulgaria .	20
494	नई दिल्ली तथा केनबरा में भारत-आस्ट्रेलियाई वार्ता	Indo-Australian talks in New Delhi and Canberra	21
495	धातुकर्मक कोयले के मूल्य में वृद्धि	Price Rise in Metallurgical Coal	21
496	बीड़ी कर्मचारियों के लिए सहकारी समितियां और कल्याण निधि	Co-operative Societies and Welfare Fund for Bidi Workers .	22
497	कपड़ा मशीनरी उद्योग की कच्चे माल की आवश्यकताएं	Raw Material requirements of Textile Machinery Industry	22

किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The Sign + marked above the name of a Member indicated that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
498	भारतीय नर्सों को ओमान भेजना	Sending of Indian Nurses to Oman .	23
499	जर्मनी के सहयोग से पोटासियम संयंत्र का निर्माण	Potassium Plant with German Collaboration	23
500	माना शिविर के कर्मचारी संघ द्वारा मांग-पत्र प्रस्तुत किया जाना	Charter of Demands by Employees Association of Mana Camp . .	23
501	मैसज केमीकल्स एण्ड फाइबर्स आफ इण्डिया लिमिटेड को कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के अधीन छूट	Exemption of M/s. Chemicals and Fibres of India Ltd. under E.P.F. Act	24
502	जैसप एण्ड कंपनी को हुआ घाटा	Loss incurred by Jessop and Co..	24
503	राज्यों में सरकारी अस्पताल/औषधालय	Government Hospitals/Dispensaries in States	25
504	आगामी दस वर्षों में नए इस्पात संयंत्रों की स्थापना	Establishment of New Steel Plants in next ten years	26
505	पाकिस्तान से और पत्र	Further Communication from Pakistan	27
अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.			
4918	इंडिया पापुलेशन प्रोजेक्ट, बंगलौर के निदेशक का त्याग-पत्र	Resignation by Director of India Population Project, Bangalore . .	27
4919	बैलाडिला में लौह-अयस्क का उत्पादन	Production of Iron-ore at Bailadilla .	27
4920	भारत में खाद्य प्रयोगशालाएं	Food Laboratories in India	28
4921	ब्रिटेन जाने वाले भारतीय	Indian visitors to Britain	29
4922	कोयले की राज्यवार आवश्यकता	Statewise requirement of Coal	30
4923	आस्ट्रेलिया में भारतीय डाक्टर	Indian Doctors in Australia	30
4924	जापान में भारत मूल के निवासी	Persons of Indian Origin in Japan	30
4925	मध्य प्रदेश में कोयले का उत्पादन	Coal Produced in Madhya Pradesh	31
4926	भिलाई इस्पात संयंत्र के कर्मचारियों को बोनस दिया जाना	Bonus to Bhilai Steel Plant Employees	31
4927	इटंक (भिलाई संयंत्र) के दो वर्गों में प्रतिद्वन्दिता	Rivalry between two Groups of I.N.T.U.C. Bhilai Plant . . .	32
4928	सरगुजा में लो टैम्परेचर कोयला कार्बनीकरण संयंत्र	Low Temperature Coal Carbonisation Plant in Sarguja	32
4929	केरल को एल्यूमीनियम पिण्डों की सप्लाई	Supply of Aluminium Ingots to Kerala	32

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
4930	हिन्दुस्तान लेटैक्स लिमिटेड की उत्पादन क्षमता में वृद्धि	Increase in Production Capacity of Hindustan Latex Limited . .	33
4931	गैर-सरकारी कम्पनियों द्वारा 'निरोध' का थोक-वितरण	Wholesale Distribution of Nirodh by Private Companies . . .	33
4932	अरब रजवाडों के साथ संयुक्त उद्यम लगाने का समझौता	Agreement with Arab Emirates to set up joint Ventures	34
4933	इस्पात के निर्यात से आय	Earning out of Export of Steel .	34
4934	स्कूटरों के आबंटन के बाद उनका चयन	Selection of Scooters on Allotment .	35
4935	बर्मा और श्रीलंका से लौटाए गए लोगों पर व्यय	Expenditure on Burma and Sri Lanka Repatriates	35
4936	सूकिन्दा में निकल-एवं-कोबाल्ट संयंत्र	Nickel-*cum*-Cobalt Plant at Sukinda .	37
4937	राजस्थान में खनिज-निक्षेपों का वाणिज्यिक स्तर पर निकाला जाना	Commercial Exploitation of Mineral Deposits in Rajasthan . . .	37
4938	'इकाफे' में भारतीय राष्ट्रिकों की नियुक्ति	Appointment of Indian Nationals in E.C.A.F.E.	37
4939	पुराने बायलरों को बदलने के बारे में ईंधन नीति संबंधी समिति की सिफारिश	Recommendation of the Fuel Policy Committee for Replacement of Obsolete Boilers	38
4940	दिल्ली विश्वविद्यालय में प्लास्टिक शल्य-चिकित्सा पाठ्यक्रम	Course of Plastic Surgery of Delhi University	38
4941	अफगानिस्तान सरकार से आयोजना और तकनीकी विशेषज्ञों के लिए अनुरोध	Request by Afghanistan Government for Planning and Technical Experts	39
4942	कपड़ा श्रमिकों में निःशुल्क कपड़ा बांटने संबंधी करार	Agreement regarding free distribution of cloth among Textile Workers .	40
4943	कलकत्ता बन्दरगाह पर नौभारकों का नियमानुसार कार्य करना	Stevadores on Work to Rule Basis at Calcutta Port	40
4944	दिल्ली प्रशासन के औषध नियंत्रण विभाग द्वारा हैदरपुर, दिल्ली स्थित मैसर्स युनक्सो लेबोरेटरी पर छापा मारना	Raid by Drug Control Department, Delhi Administration on M/s. Unexo Laboratory at Hyderpur, Delhi	41
4945	उर्वरकों का आयात	Import of Fertilizers	41
4946	उज्जैन में श्री सिंथेटिक नाइलौन फैक्ट्री	Shree Synthetic Nylon Factory in Ujjain	41

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGE
4947	मजूरी बोर्डों के कार्यकरण की समीक्षा करने के लिए विशेष सैल	Special cell for reviewing functioning of wage boards.	42
4948	भारत का क्षेत्रफल	Area of India	42
4949	भारतीय रेलों द्वारा वैगनों का अभिग्रहण	Acquisition of Wagons by Indian Railways	43
4950	उषा आटोमोबाइल एण्ड इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड का स्थानान्तरण	Shifting of USHA Automobile and Engineering Pvt. Limited . .	43
4951	दिल्ली में 13 उद्योगों को जन उपयोगी सेवा घोषित करना	13 Industries in Delhi as Public Utility Service	44
4952	भारत द्वारा शस्त्रास्त्रों की पूर्ति	Replenishment of Arms by India .	44
4953	पाकिस्तान में निष्क्रान्त सम्पत्ति	Evacuee Property in Pakistan . .	44
4954	भारी मशीनों के लिए विदेशों द्वारा दिए गए आदेशों की पूर्ति	Supply of orders placed by Foreign Countries for Heavy Machinery .	44
4955	भारी उद्योगों में लगाई गई पूंजी, उपयुक्त क्षमता और लाभ अथवा हानि की प्रतिशतता	Investment made, Capacity utilized and Percentage of Profit and Loss of Heavy Industries	45
4956	तापीय बिजली घरों को घटिया किस्म का कोयला देना	Poor quality of Coal to Thermal Power Plants	45
4957	प्रसाद खाने के बाद बड़ौदा के 50 लोगों का बीमार होना	Hospitalization of 50 People of Baroda after taking 'Prasad' . . .	46
4958	कारों तथा वाणिज्यिक वाहनों का उत्पादन	Production of Cars and Commercial Vehicles	46
4959	हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची के मजदूर नेताओं पर मुकदमा चलाया जाना	Prosecution of Labour Leaders in H.E.C., Ranchi	47
4960	छावनी बोर्डों द्वारा संचालित मिडल स्कूलों के प्रधानाध्यापकों एवं सहायक शिक्षकों के वेतनमान	Pay Scales of Headmasters and Assistant Teachers of Middle Schools of Cantonment Boards . . .	4
4961	पुनर्वास उद्योग निगम में कथित भ्रष्टाचार	Alleged Corruption in Rehabilitation Industries Corporation . . .	48
4962	लेह-मनाली सड़क का निर्माण	Construction of Leh-Manali Road	48
4963	सेना अधिकारियों द्वारा जीपों की नीलामी	Auction of Jeeps by Army Authorities	48

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
4964	वर्ष 1974-75 के दौरान आयुध कारखाने की स्थापना	Setting up of Ordnance Factory during 1974-75	49
4965	कानून तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए सेना को तैनात करने के संबंध में फील्ड मार्शल मानकशा द्वारा दिए गए वक्तव्य	Statement, made by Field Marshal Manekshaw Re: Deployment of Army for Maintaining Law and Order	49
4966	विभाजन के पश्चात् बर्मा छोड़ने के लिए कहे गए भारतीयों को मुआवजा	Compensation to Indians asked to leave Burma after Partition . . .	49
4967	26 जनवरी के अवसर पर आदिवासी जातियों के मुख्यों को आमन्त्रित किया जाना	Invitation to Adivasi Tribes Headmen on Eve of 26th January . . .	50
4968	चांदी के वर्कों के प्रयोग पर पाबन्दी	Prohibition on use of Silver Leaf	51
4969	बर्मा से स्वदेश लौटने वाले व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए स्थापित किए गए केन्द्र	Centres established for Rehabilitation of Burma repatriates . . .	51
4970	भारत को विश्व स्वास्थ्य संगठन से वित्तीय तथा तकनीकी सहायता	W.H.O. Financial and Technical Assistance to India	53
4971	कोरबा-रीवां कोयला क्षेत्रों में कोयले का लदान	Loading of Coal at Korba-Rewa Coal Fields	54
4972	कोयला खान कार्यकरण की जांच	Probe into working of Coal Mines .	55
4973	खानों आदि में आदिवासियों की भर्ती	Recruitment of Adivasis in Mines etc.	55
4974	भारी उद्योग कारखानों में 1974-75 के लिए उत्पादन लक्ष्य	Production Targets for 1974-75 in Heavy Industrial Undertakings	56
4975	दिल्ली के अस्पतालों में बिस्तरों की कमी	Shortage of Beds in Delhi Hospitals	57
4976	डियेगो गार्शिया क्षेत्र को शांति क्षेत्र बनाने की सोवियत योजना	U.S.S.R. Plan for Peace Zone at Diego Garcia	57
4977	सतर्कता सैलों की स्थापना	Setting up of Vigilance Cells	57
4978	पश्चिम पाकिस्तान से आए विस्थापित व्यक्तियों को फरीदाबाद औद्योगिक क्षेत्र में बसाना	Settlement of West Pakistan Displaced Persons in Faridabad Industrial Area	59
4979	एनक्लेव विस्थापित व्यक्तियों को पुनः बसाना	Rehabilitation of Enclave Displaced Persons	60

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
4980	माना-शिविर में ठेकेदार तथा सप्लाई-कर्त्ता	Contractor and Supplier in Mana Camp	60
4981	शोलापुर स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि की राशि जमा न करना	Non-Deposit of E.P.F. by Sholapur Spinning and Weaving Mills . .	61
4982	इन्टेग्रेटिड मेडिकल प्रेक्टीशनर्ज अधिकारों के संरक्षण के लिए इण्डियन मेडिकल सेन्ट्रल कौंसिल अधिनियम, 1970 में संशोधन	Amendment of Indian Medical Central Act, 1970 to protect Rights of integrated Medical practitioners	61
4983	दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में लौह पिण्डों का जमा हो जाना	Accumulation of Ingots at Durgapur Steel Plant	62
4984	पांचवीं योजना में पश्चिम बंगाल में भारी उद्योगों की स्थापना और उनका विस्तार	Setting up and expansion of Heavy Industries in West Bengal during Fifth Plan Period	63
4985	रेलवे वैगन कारखाने	Railway Wagon Factories . .	63
4986	पश्चिम बंगाल में निर्धारित क्षमता से निम्नस्तर पर काम कर रहे वैगन कारखाने	Wagon Factories in West Bengal working below rated Capacity	64
4987	पश्चिमी घाट में लौह-अयस्क के उपयोग के लिए परियोजना	Project for utilisation of iron ore in Western Ghats	65
4988	कार, ट्रैक्टर तथा ट्रकों का उत्पादन	Manufacture of Cars, Tractors and Trucks	65
4989	एशियाई देशों के बीच गहन सहयोग	Intensive Co-operation among Asian Countries	65
4990	कोयला खान क्षेत्रों की समेकित प्रगति के लिए निकाय	Body for integrated progress of Mine Areas	66
4991	बीड़ी कर्मचारियों की सेवा शर्तों के बारे में सर्वेक्षण	Survey of service conditions of Beedi Workers	66
4992	विदेशों में भारतीय निर्माण श्रमिकों को रोजगार	Employment to Indian Construction Labour in Foreign Countries . .	66
4993	बेरोजगार चिकित्सा स्नातकों की संख्या में वृद्धि	Increase in Unemployed Medical Graduates	67
4994	कोयले के अभाव के कारण दक्षिण में सीमेंट कारखानों का बन्द होना	Closure of Cement Plants in South for want of Coal	68
4995	आन्ध्र प्रदेश में कुष्ठ रोग	Leprosy in Andhra Pradesh	69

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
4997	डाक्टरों को दी गई छात्रवृत्तियों को केन्द्रीय वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् द्वारा वापिस लिया जाना	Withdrawal of Junior Doctors' Scholarships by C.S.I.R.	70
4998	पुनर्वास उद्योग निगम के बन्द करने की धमकी	Threatened closure of Rehabilitation Industries Corporation . . .	70
4999	दुर्गापुर इस्पात संयंत्र का विस्तार	Expansion of Durgapur Steel Plant .	71
5000	अमरीका में एक भारतीय अर्थशास्त्री की पत्नी की मृत्यु	Death of an Indian Economist's wife in U.S.A.	71
5001	महामारी के रूप में मलेरिया का फैलना	Break out of Malaria in Epidemic Form	72
5002	इस्पात नियन्त्रण आदेश में कमियां	Loopholes in Steel Control Order	72
5003	नौसेना अध्यक्ष और स्थल सेनाध्यक्ष तथा वायुसेनाध्यक्ष की सेवा निवृत्ति की आयु	Retirement age of Naval Chief *vis-a-vis* Army and Air Chiefs . . .	73
5004	केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के जरिए घटिया दवाइयों की सप्लाई	Sub-standard Medicines being supplied through C.G.H.S.	73
5005	दिल्ली के केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा औषधालयों के कर्मचारियों को उनके वेतनों के भुगतान में देरी	Late payment of Salaries to staff of C.G.H.S. Dispensaries in Delhi .	74
5006	कर्नाटक के लिये परिवार नियोजन कार्यक्रम हेतु केन्द्रीय सहायता	Central Assistance for Family Planning Programme for Karnataka . .	74
5007	'स्नूपिंग डिवाइसेज' का निर्यात	Export of 'Snooping Devices	76
5008	छम्ब शरणार्थियों के लिये निर्धारित पुनर्वास निधि का कथित गोलमाल	Alleged bungling of Rehabilitation Funds of Chhamb Refugees	76
5009	दक्षिण भारत के सीमेंट कारखानों को बंगाल-बिहार कोयला क्षेत्रों से कोयले की सप्लाई	Coal Supply from Bengal-Bihar Coal Fields to Cement Factories of South	77
5010	स्पंज लोहे का उत्पादन	Production of Sponge Iron.	77
5011	उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के बघेल-ताल में तात्कालिक पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों को आवंटित की गई दलदली भूमि	Marshy land allotted to erstwhile East Pakistan Refugees in Baghel Tal, District Bahraich, U.P	77
5012	भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आए शरणार्थियों के सम्पत्ति संबंधी अधिकार	Property Rights of Refugees from former East Pakistan . . .	78

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
5013	लेटिन अमरीकी देशों में नए मिशनों की स्थापना	Opening of new Missions in Latin American Countries . . .	79
5014	जामनगर जिले में परिवार नियोजन केन्द्र	Family Planning Centres in Jamnagar District	79
5015	1974-75 में स्थापित किये जाने वाले भारी उद्योग कारखाने	Heavy Industries Units proposed to be set up in 1974-75 . . .	79
5016	भारी उद्योगों की स्थापना के लिए मानदण्ड	Criteria for setting up of Heavy Industries	81
5017	लोहे की छीलन का उपलब्ध न होना	Non-availability of Scrap .	81
5019	कोयले का उत्पादन बढ़ाने के लिये द्रुत कार्यक्रम	Crash Programme for increasing Production of Coal	81
5020	इस्पात तथा इसके उत्पादों के उत्पादन के लिये लक्ष्य	Target for Production of Steel and Steel Products	82
5021	बलूचिस्तान की घटनाओं के बारे में ईरान के साथ विचार-विमर्श	Discussions with Iran about Developments in Baluchistan . . .	83
5022	अपने खाद्य पदार्थों के माध्यम से पोषण सम्बन्धी समस्या का हल किया जाना	Solving the Nutrition Problem through own Foods	84
5023	उपदान संदाय अधिनियम, 1972 की क्रियान्विति	Implementation of Payment of Gratuity Act, 1972	85
5024	राजस्थान शिविरों में पाकिस्तान से आये शरणार्थियों का बसाया जाना	Settlement of Refugees from Pakistan in Rajasthan Camps . . .	85
5025	कर्नाटक के दक्षिण कनारा जिले में बाक्साइट के निक्षेप	Bauxite Deposits in South Kanara District of Karnataka . . .	86
5026	अन्तर्राष्ट्रीय प्रक्षेपणास्त्रों से लैस देश	Countries equipped with I.C.B.M. .	86
5027	देश में मानसिक रोगों से पीड़ित व्यक्ति	People suffering from Mental Illness in the Country	87
5028	मशीन निर्माताओं की डिजाइन बनाने की क्षमता	Design Capability of Machine Manufacturers	87
5029	पटसन उद्योग में मजूरी का मानकीकरण	Standardisation of Wages in Jute Industry	88
5030	कोयले के मूल्य में वृद्धि से प्रभावित कोयले पर आधारित उद्योग	Coal-based Industries affected by Coal Price Rise	88
5031	मशीन उद्योगों से उत्पादन के विविधीकारण के लिये प्राप्त आवेदन-पत्र	Applications received for diversification of production by Machinery Industry	88

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
5032	कोयला खान श्रमिकों को सुविधाएं	Facilities for Coal Mine Workers	89
5033	खानों में ठेकेदारी पद्धति	Contract system in Mines .	89
5034	केरल में खनिज पदार्थों का उपयोग	Exploitation of Minerals in Kerala	90
5035	परिवार नियोजन के लिए केरल राज्य को केन्द्रीय सहायता	Central assistance to Kerala for Family Planning	90
5036	केरल के आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य केन्द्र तथा औषधालय	Health Centres and Dispensaries in Tribal areas of Kerala . . .	90
5037	केरल राज्य में आवश्यक औषधियों की कमी	Shortage of necessary Drugs in Kerala State	91
5038	केरल में परिवार नियोजन केन्द्र	Family Planning Centres in Kerala	91
5039	चम्पारन में भूतपूर्व पूर्व पाकिस्तान के शरणार्थियों को काश्तकारी अधिकार	Tenancy Rights to former East Pakistan Refugees in Champaran . .	92
5040	उत्तर बिहार में भारी उद्योगों की स्थापना	Setting up of Heavy Industries in North Bihar	92
5041	दिल्ली में राशन कार्डों पर कोयला मिलना	Coal on Ration Cards in Delhi .	93
5042	केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के क्षेत्राधिकार से बाहर रहने वाले सरकारी कर्मचारियों के चिकित्सा बिलों की प्रतिपूर्ति पर होने वाला व्यय	Expenditure incurred on re-imbursement of Medical Bills to Government employees living outside purview of C.G.H.S.	93
5043	दक्षिण तथा दक्षिण-पूर्व एशिया में भारत के सांस्कृतिक केन्द्र	Indian Cultural Centres in South and South, East Asia	94
5044	छोटी यात्री गाड़ी के निर्माण का प्रस्ताव	Proposal to manufacture Light Passenger Vehicles	94
5045	सरकारी क्षेत्र में भारी गाड़ियों का निर्माण करना	Manufacturing of Heavy Vehicles in Public Sector . . .	95
5046	अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बेरोजगार व्यक्ति	Unemployed Scheduled Castes and Scheduled Tribes	95
5047	आई०आई०एस०सी०ओ० की निर्धारित क्षमता का उपयोग	Utilisation of rated Capacity of I.I.S.C.O.	96
5048	भारी इंजीनियरिंग निगम, रांची में अधिकारी तथा श्रमिक	Officers and Labourers in H.E.C., Ranchi	96

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
5049	भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के कर्मचारियों को 1973 में समयोपरि भत्ते की अदायगी	Payment of Overtime Allowance to Bharat Cokiag Coal Limited employees in 1973	96
5050	1965 की अतिगोपनीय योजना के लापता होने के बारे में जांच कार्य का पूरा होना	Completion of enquiry regarding missing of Top Secret Scheme of 1965 war	97
5051	विस्थापितों को मुआवजे की अदायगी के विचाराधीन मामले	Pending Cases of payment of Compensation to displaced persons . .	97
5052	गर्भ निरोधकों की असफलता के कारण पैदा हुए बच्चों के बारे में विशेष अध्ययन	Special study re. babies born due to Contraceptive failure . .	98
5053	पन्ना से मिले हीरे	Finds of Diamonds from Panna .	98
5054	भारत और कनाडा के बीच समझौता	Agreement between India and Canada	98
5055	फ्रांस द्वारा अणुपरीक्षण	Nuclear Tests by France . .	99
5056	अधिक मुटापे के प्रभावकारी इलाज के लिये स्वदेशी औषधी के बारे में अनुसंधान	Research on indigenous drug effective against fat disorders . . .	99
5057	पंजाब, हरियाणा और चन्डीगढ़ में उत्पादित अपमिश्रित वनस्पति की बिक्री	Sale of Adulterated Vanaspati manufactured in Punjab, Haryana and Chandigarh	100
5058	खाद्य और औषध अपमिश्रण को रोकने के लिए विशेष सैल	Special Cell to tackle Food and Drug adulteration Cases	100
5059	कोकिंग कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत श्रमिकों के दावे	Workers claim under Coking Coal Mines (Nationalisation) Act, 1972	100
5060	सरकारी कोटे के सूची संख्या 2 (कार्यकारी) से स्कूटरों का आवंटन	Allotment of Scooters from Government Quota in list No. II (Executive)	101
5061	दिल्ली/नई दिल्ली में दिल्ली विकास प्राधिकरण की बस्तियों में केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना के नए औषधालयों की स्थापना	Establishment of C.G.H.S. Dispensaries in D.D.A. Colonies in Delhi/New Delhi	101
5062	भारत, बंगलादेश और पाकिस्तान के बीच सम्बन्धों को सुदृढ़ बनाना	Strengthening of Relations between India, Bangladesh and Pakistan	102
5063	भारत-पाकिस्तान सम्बन्ध	Indo-Pak Relations	102

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
5064	राजकोट जिले में परिवार नियोजन केन्द्र	Family Planning Centres in Rajkot District	102
5065	मध्य प्रदेश में बाक्साइट के भण्डार	Bauxite Deposits in Madhya Pradesh	103
5066	हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल द्वारा मशीनों का निर्यात, उत्पादन और बिक्री	Export, Production and Sale of Machinery by Heavy Electricals Ltd., Bhopal	103
5067	इन्दौर शहर में फर्मों द्वारा लाइसेंसों का दुरुपयोग	Misuse of Drug Licences by Firms in Indore City	104
5068	माना शिविर में शरणार्थियों का पुनर्वास	Rehabilitation of Refugees in Mana Camp	104
5069	मध्य प्रदेश में कोयला खानों का उत्पादन	Production of Coal Mines in Madhya Pradesh	105
5070	डाक्टरों की संख्या और नियुक्ति में अन्तर	Imbalance in composition and Deployment of Doctors	105
5071	राज्यों को कारों तथा स्कूटरों का आवंटन	Allotment of Cars and Scooters to States	106
5072	ओमान में भारतीय नर्सों द्वारा किए जाने वाले कार्य की प्रकृति	Nature of work to be done by Indian Nurses in Oman	107
5073	विभिन्न राज्यों में डाक्टरों द्वारा अनशन	Hunger Strike by Doctors in various States	107
5074	प्राइवेट मेडिकल प्रैक्टशनर्ज एसोसियेशन द्वारा वरिष्ठ डाक्टरों को अपनी सेवाओं की पेशकश	Offer of services by Private Medical Practitioners Association to Senior Doctors	108
5075	उपभोक्ताओं द्वारा स्वयं ही कोयले का परिवहन	Transportation of Coal by big consumers themselves	108
5076	इन्दौर राज्य कर्मचारी बीमा कार्यालय में कथित धांधली	Alleged bungling in Indore E.S.I. office	108
5077	दिल्ली में कपड़ा दुकान श्रमिकों द्वारा मजूरी में वृद्धि करने की मांग	Demand for increase in wage by Cloth Shop workers in Delhi . . .	109
5078	इंडियन आक्सीजन लिमिटेड द्वारा त्रिपक्षीय समझौतों का क्रियान्वयन न किया जाना	Non-Implementation of Tripartite Agreements by Indian Oxygen Ltd.	109
5079	अल्जीयर्स में गुंट निरपेक्ष ब्यूरो की बैठक	Meeting of Bureau of Non-Aligned Countries in Algiers . . .	110

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
5080	फैडरेशन आफ प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया एम्प्लाईज यूनियन के साथ बात-चीत द्वारा समझौता करने में प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया की असमर्थता	P.T.I. inability to have a negotiated settlement with Federation of P.T.I. Employees Union	110
5082	अभ्रक खनिकों तथा व्यापारियों का सम्मेलन	Convention of Mica Miners and Traders	110
5083	त्रिपुरा एम्पोरियम कर्मचारियों को रविवार की छुट्टी	Holiday on Sunday to Tripura Emporium Employees	112
5084	त्रिपुरा में हवाई अड्डे के निर्माण का परित्याग करना	Abandonment of Construction of Aerodromes in Tripura . . .	112
5085	रूरकेला इस्पात संयंत्र से स्क्रैप की बिक्री	Sale of Scrap by Rourkela Steel Plant	113
5086	आंध्र प्रदेश में वनस्पति संग्रहालयों की स्थापना	Establishment of Herbaria in Andhra Pradesh	113
	अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance . . .	114
	दिल्ली के अस्पतालों के वरिष्ठ डाक्टरों द्वारा बहिरंग रोगी विभागों में कार्य न करने के निर्णय का समाचार	Reported decision of Senior Doctors in Delhi hospitals not to attend Outpatient Departments . .	114
	श्री प्रसन्न भाई मेहता	Shri P. M. Mohta .	115
	डा० कर्ण सिंह	Dr. Karan Singh .	116
	यू०एन०आई० के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न	Question of Privilege against UNI	119
	लोक लेखा समिति	Public Accounts Committee	120
	102वां और 105वां प्रतिवेदन	Hundred and second and Hundred and fifth Reports	120
	नियम 377 के अन्तर्गत मामला	Matter under Rule 377 . .	120
	बिहार में हाल की घटनाओं के दौरान रेलवे सुरक्षा बल के कर्मचारियों द्वारा किये गये अत्याचारों का समाचार	Reported atrocities committed by R.P.F. Personnel during recent disturbances in Bihar . . .	120
	अनुदानों की मांगे, 1974-75	Demands for Grants, 1974-75 . .	121
	सूचना और प्रसारण मंत्रालय	Ministry of Information and Broadcasting	121
	श्री पीलू मोदी	Shri Piloo Mody	122
	श्री अनन्तराव पाटिल	Shri Anantrao Patil	123
	श्री भान सिंह भौरा	Shri B. S. Bhaura	126

अता० प्र० संख्या विषय U.S.Q. No.	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
श्री शशि भूषण	Shri Shashi Bhushan	127
श्री प्रिय रंजन दास मुंशी	Shri Priya Ranjan Das Munsi	128
श्री ई० आर० कृष्णन्	Shri E. R. Krishnan	129
श्री हरि सिंह	Shri Hari Singh	130
श्री नरेन्द्र कुमार सांघी	Shri N. K. Sanghi	131
श्री एस० ए० शमीम	Shri S. A. Shamim	132
श्री आर० आर० शर्मा	Shri R. R. Sharma	133
श्री पट्टाभिराम राव	Shri Pattabhi Rama Rao	134
श्री बनमाली पटनायक	Shri Banmali Patnaik	135
श्री सुरेन्द्र महन्ती	Shri Surendra Mohanty	136
श्री परिपूर्णानन्द पैन्युली	Shri Paripoornanand Painuli	138
श्री नागेश्वर द्विवेदी	Shri Nageshwar Dwivedi	139
श्री एच० एन० मुखर्जी	Shri H. N. Mukerjee	139
श्रीमती सहोदराबाई राव	Shrimati Sahodrabai Rai	140
श्री बी० वी० नायक	Shri B. V. Naik	140
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye	142
श्री धर्मबीर सिन्हा	Shri Dharam Bir Sinha	143
पांडीचेरी संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा को भंग किये जाने के बारे में वक्तव्य	Statement *re.* Dissolution of Legislative Assembly of Union Territory of Pondicherry	141
श्री राम निवास मिर्धा	Shri Ram Niwas Mirdha .	141
गेहूं की वसूली और मूल्य निर्धारण संबन्धी नीति के बारे में वक्तव्य	Statement *re.* Procurement and Pricing Policy of Wheat	146
श्री फखरुद्दीन अली अहमद	Shri F. A. Ahmed . . .	146

लोक-सभा वाद-विवाद (संक्षिप्त अनूदित संस्करण)
LOK SABHA DEBATES (SUMMARISED TRANSLATED VERSION)

लोक सभा

LOK SABHA

गुरुवार, 28 मार्च, 1974/7 चैत्र, 1896 (शक)

Thursday, March 28, 1974/Chaitra 7, 1896 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजकर पांच मिनट पर समवेत हुई

The Lok Sabha met at Five Minutes past Eleven of the Clock

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Demand of Workers of Indian Copper Corporation

***486. Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether the Indian Copper Corporation Workers Union, Maubhandar, had submitted on the 26th February last a fifteen-point demand letter to the Manager, M/s. Hindustan Copper Ltd., Indian Copper Complex, Maubhandar;

(b) if so, the facts thereof;

(c) whether the Union has also served a notice of strike to the management along with the demand letter; and

(d) if so, Government's reaction in regard thereto ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) से (घ). एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

(क) जी हां ।

(ख) मांगों में निम्नलिखित बातों का समावेश है :—

(1) अखिल भारत मूल्य सूचकांक 200 (आधार 1960) के आधार पर 350 रुपये न्यूनतम वेतन ।

(2) ग्रेडों में संशोधन ।

(3) प्रोत्साहन संबंधी योजनाओं में परिवर्तन ।

(4) वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति ।

(5) ठेका कर्मचारियों की सेवा शर्तों में सुधार ।

(6) इमदादी दरों पर सभी आवश्यक वस्तुओं की सुनिश्चित पूर्ति ।

(7) एक बरख्वास्त कर्मचारी को फिर से काम पर लेना ।

(ग) जी, हां ।

(घ) इण्डियन कापर कारपोरेशन वर्कर्स यूनियन, मऊभंडार मान्यता प्राप्त यूनियन नहीं है । यह यूनियन हाल ही में अर्थात् अगस्त, 1973 में मान्यता प्राप्त यूनियनों अर्थात् मऊभंडार मजदूर यूनियन तथा मोसाबोनी खान श्रमिक यूनियन के साथ मजदूरी तथा सेवा शर्तों के बारे में प्रबंधकों द्वारा किए गए व्यापक समझौते को फिर से करने का प्रयास कर रही है, जो 31 अगस्त, 1975 तक वैध है ।

Shri Ramavatar Shastri : Is it a fact that a worker in M/s. Hindustan Copper Ltd. at Maubhandar in Bihar formerly used to get Rs. 195 where as a worker at Jamshedpur was getting Rs. 200 ? Is it also a fact that now whereas the workers at Jamshedpur are getting Rs. 325 per month, the workers of M/s. Hindustan Copper Ltd. get only Rs. 255 per month i.e. Rs. 70 less ? If so, what is the reason for this disparity ?

श्री सुबोध हंसदा: माननीय सदस्य का यह कहना सही नहीं है कि मऊभण्डार स्थित कारखाने के मज़दूरों को जमशेदपुर स्थित कारखाने के मज़दूरों से कम वेतन मिल रहा है । हालांकि उन्हें वेतन तो 267 रुपये मिल रहा है जोकि फरवरी, 1974 में निश्चित किया गया था परन्तु उन्हें 7 रुपये मकान-किराया भत्ता तथा 36 रुपये भोजन-राजसहायता के रूप में मिलते हैं तथा इस प्रकार कुल राशि 310 रुपये होती है ।

Shri Ramavatar Shastri : The hon. Minister has given wrong answer. Food Subsidy was paid earlier also when they were getting Rs. 5 less. The Government has not done anything new. He has not given a correct answer. Let him do so.

The hon. Minister has stated in his reply that the Government through negotiation with the recognised unions in August had finalised an agreement about the conditions of service and that agreement would remain in force till 1975. And now the Union–Indian Copper Corporation Worker's Union, Maubhandar–which has submitted the demands and served notice for strike is not a recognised union. Is it a fact that a few days ago, after the agreement with the recognised unions was concluded a referendum was conducted among the workers and 74 per cent of the workers voted for this AITUC associated Indian Copper Corporation Workers' Union; if so, will it be worthwhile to impose the minority's verdict on the majority ? If it is not proper, then what is the difficulty in holding talks with Indian Copper Corporation Worker's Union and settle the dispute ?

श्री सुबोध हंसदा : इण्डियन कॉपर कारपोरेशन वर्कर्स यूनियन की मान्यता की जांच वर्ष 1970 में बिहार की स्थायी श्रम समिति द्वारा बिहार के केन्द्रीय स्थायी श्रम सलाहकार बोर्ड के 11 मार्च, 1969 के विनियमों में तय की गई प्रक्रिया के अनुसार की गई थी । जनवरी, 1971 में, बिहार की

संयुक्त श्रम समिति ने सूचना दी थी कि इण्डियन कॉपर कार्पोरेशन वर्कर्स यूनियन श्रमिकों का समर्थन करने में असफल रही है और इस लिये इसे मान्यता न दी जाये और यही कारण है कि मऊ-भण्डार मजदूर यूनियन को ही मान्यता प्राप्त यूनियन समझा जाना चाहिये।

Shri Ramavatar Shastri : The hon. Minister has not replied to the question whether the union associated with AITUC had secured 74 per cent of the votes of the workers. Does he not find any difference between 74 per cent and 26 per cent of votes ? The Union which got 74 per cent votes is being denied recognition whereas that which got only 26 per cent votes has been given recognition. The hon. Minister is holding it as proper. What kind of democracy it is ?

उपाध्यक्ष महोदय : वह इस प्रश्न को पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं। यह काफ़ी है।

श्री सुबोध हंसदा : हमें कोई जानकारी नहीं है कि कब उनके चुनाव हुए ।

श्री जगन्नाथ राव : खेतड़ी तथा हिन्दुस्तान कॉपर कापोरेशन के श्रमिकों के वेतन तथा परिलब्धियों की तुलनात्मक स्थिति क्या है ?

श्री सुबोध हंसदा : दो स्थानों की मजूरी की तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि विभिन्न स्थानों पर जीवन-निर्वाह व्यय भी भिन्न-भिन्न होता है। यह सच है कि खेतड़ी में मऊभण्डार की तुलना में यह खर्च बहुत कम है। इस लिये वहां मऊभण्डार की तुलना में मजूरी कुछ कम है।

पाकिस्तान वापस भेजे गये युद्धबन्दियों पर हुआ खर्च

*487. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाकिस्तान वापस भेजे गये पाकिस्तानी युद्धबन्दियों के वेतन, जेब खर्च और रखरखाव पर सरकार ने प्रत्येक शीर्ष के अन्तर्गत कुल कितनी धनराशि खर्च की है; और

(ख) क्या भारतीय युद्धबन्दियों पर पाकिस्तान द्वारा किये गये इसी प्रकार के आंकड़े भी उपलब्ध हैं ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ला) : (क) पाकिस्तानी युद्धबन्दियों और संरक्षणात्मक हिरासत में असैनिकों और वास्तविक संकलन के अनुसार, 31 जनवरी, 1974 तक किया गया कुल व्यय लगभग 32,36,92,000 रुपये हैं। इस व्यय का विभिन्न मदों के अधीन ब्यौरों का विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। तथापि, केवल उन पाकिस्तानी युद्धबन्दियों पर किए गए व्यय के अलग से आंकड़े नहीं रखे जा रहे हैं जिन्हें पहले ही पाकिस्तान को वापस भेज दिया गया है।

(ख) जी नहीं, श्रीमन्। पाकिस्तान से हमें ऐसे कोई आंकड़ें प्राप्त नहीं हुए हैं।

विवरण

	रुपये
1. वेतन का अग्रिम	3,59,02,000
2. संचालन	24,63,000
3. वस्त्र	23,43,000

		रुपये
4.	आर्डनेंस स्टोर	3,63,000
5.	राशन . .	12,33,25,000
6.	चिकित्सा स्टोर और उपस्कर	45,96,000
7.	सुविधायें	1,34,000
8.	युद्धबन्दी शिविरों में एम० ई० एस० द्वारा किया गया निर्माण	4,55,58,000
9.	किराया और सह खर्च	55,63,000
10.	फोटोग्राफी .	1,74,000
11.	निजी पत्र . . .	12,61,000
12.	वेतन और भत्ते तथा कर्मचारियों पर अन्य खर्च	9,08,78,000
13.	अन्य मदें	1,11,32,000
	जोड़ :	32,36,92,000

श्री नरेन्द्र कुमार सांधी : क्या जनेवा अभिसमय के प्रावधानों के अधीन पाकिस्तान सरकार से इस खर्च का दावा किया जा सकता है? मैं यह भी जानना चाहूंगा कि हमारी सरकार पाकिस्तान सरकार से किन-किन मदों के अधीन इस राशि का दावा करने पर विचार रखती है? उन्होंने मुख्यतः 13 मदों का निवारण किया है। इनमें से किन मदों के लिये दावा किया जायेगा और क्या राशि के भुगतान के लिये औपचारिक रूप से पाकिस्तान सरकार के पास दावा भेजा गया है?

श्री विद्याचरण शुक्ल : तीसरे जनेवा अभिसमय के अनुच्छेद 15 के अनुसार, तीन प्रकार के खर्चों के बारे में मूल देश तथा बन्दी बनाने वाले देश के बीच परस्पर समझौते के आधार पर व्यवस्था होती है। पहले तो अनुच्छेद 60 के अनुसार बन्दी बनाये गये युद्धबन्दियों को अग्रिम वेतन अदायगी का खर्च है। दूसरा खर्च, अभिसमय के अनुच्छेद 63 के अधीन मूल देश में युद्ध-बन्दियों को की गई वह अदायगी है जो कि बन्दी बनाने वाले देश के पास उनके लेखे से निकाली जाती है। तीसरा खर्च बन्दी बनाने वाले देश द्वारा अनुच्छेद 68 के अधीन कार्य आदि करते समय आई चोट अथवा असमर्थता के लिये की गई अदायगियां हैं। अंतिम दोनों प्रकार के खर्चों के लिये हमें पाकिस्तान सरकार से कोई सूचना नहीं मिली है। जहां तक पहले प्रकार के खर्च का संबंध है, युद्धबन्दियों को दिये गये वेतन तथा भत्तों की कुल राशि हमारी 31 जनवरी, 1974 तक की गणना के अनुसार 3,59,02,000 रुपये होती है। हमने यह मामला पाकिस्तान के साथ उठाया है और इस संबंध में पत्र-व्यवहार हो रहा है।

श्री नरेन्द्र कुमार सांधी : क्या मंत्री महोदय को पाकिस्तान के विदेश राज्य मंत्री श्री अजीज अहमद द्वारा हाल ही में दिये गये इस वक्तव्य की जानकारी है कि पाकिस्तान 195 युद्धबन्दियों के मामले में अतिरिक्त अन्य किसी मामले पर चर्चा करने को तैयार नहीं है और क्या हमारी सरकार ने इस बारे में कोई निश्चय किया है?

उपाध्यक्ष महोदय : यह असंगत प्रश्न है। यह बात इस प्रश्न के अधीन नहीं आती।

प्रो० मधु दण्डवते : यह तो बिल्कुल संगत प्रश्न है। यदि यह तय हो जाये तो खर्च कम हो जाता है।

श्री नरेन्द्र कुमार सांघी : इस पृष्ठभूमि में, क्योंकि पाकिस्तान भारत को विभाजन से पहले का अपना ऋण भी अदा नहीं कर सका है, यदि पाकिस्तान इससे भी इंकार कर दे तो भारत सरकार क्या कार्य वाही करेंगी ? क्या ऐसी स्थिति में सरकार अन्य अन्तर्राष्ट्रीय निकायों से इस संबंध में सम्पर्क करेंगी ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : श्री अजीज अहमद द्वारा व्यक्त किये गये विचार उनके निजी विचार हो सकते हैं। वे भारत सरकार के तो विचार नहीं हैं। हमने अपने विचार बता दिये हैं। हमने इस मामले में पाकिस्तान सरकार से पत्र-व्यवहार किया है। हम विशिष्ट रूप से कहते हैं कि पाकिस्तान सरकार भारत में बन्दी युद्धबन्दियों के वेतन तथा भत्तों की अदायगी करने को कर्त्तव्यबद्ध है। इसलिये हमने यह मामला पाकिस्तान सरकार के साथ उठाया है।

Shri Madhu Limaye : I would like to know from the hon. Minister whether he has tried to find out through the International Red Cross or the United Nations as to how much money has been spent by Pakistan on Indian prisoners of War ? His figures show an expenditure of Rs. 1.74 lakhs on photography. What are the details thereof ? Actually, this expenditure has been sheer wastage and could have been avoided had you released this earler. Would this amount be deducted from the pay and allowances of the hon. Minister ?

प्रो० मधु दण्डवते : क्या ये चित्र रंगीन थे क्योंकि जो खर्चा दिखाया गया है वह अत्याधिक है।

Shri Vidya Charan Shukla : We have no information about the expenditure incurred on our very small number of prisoners in Pakistan but I would collect that and lay that on the Table of the House.

As regards photography, I do not know at the moment whether it was a coloured photography or it was in black and white. But certainly we have incurred this expenditure on the type of photography we needed for our purpose................

Shri Madhu Limaye : You please give the details of Rs. 1.74 lakh.

Shri Vidya Charan Shukla : I will certainly give that to you.

श्री एम० रामगोपाल रड्डी : युद्धबन्दियों की वापसी के बारे में मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या युद्धबन्दियों पर हुए खर्च के बारे में बंगला देश और भारत के बीच कोई बातचीत हुई है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : हम बंगला देश सरकार को इन सब बातों की जानकारी देते रहे हैं।

रक्षा पर आधारित उद्योगों की स्थापना करना

*488. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वित्तीय वर्ष 1974-75 में विभिन्न राज्यों में रक्षा पर आधारित उद्योगों की स्थापना के लिये कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना को कब तक अंतिम रूप दे दिया जायगा; और

(ग) इस योजना की रूपरेखा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) से (ग) रक्षा उत्पादन की बढ़ी हुई आवश्यकता को पूरा करने के लिए सरकार का इटारसी में एक प्रणोदी फैक्ट्री स्थापित करने का प्रस्ताव है। ऐसी संभावना है कि यह 1979 में उत्पादन आरंभ कर देगी।

रक्षा उत्पादन के लिये विशेष इस्पात की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कानपुर में विशेष इस्पात संयंत्र स्थापित करने का एक अन्य प्रस्ताव है। तथापि, यह प्रस्ताव पुनरीक्षण अधीन है और इसके वित्तीय अनुमान तैयार किए जा रहे हैं।

विमान, विमान इन्जन, राकेट, प्रक्षेपणास्त्र इलैक्ट्रानिक्स और इन्स्ट्रूमेंट उद्योग के लिए आवश्यक विशेष धातुओं के कतिपय वर्ग के निर्माण के लिए सरकार ने एक संयंत्र स्थापित करने का निर्णय किया है। यह संयंत्र हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश में स्थित होगा। उत्पादन प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के लिए तीन प्रसिद्ध विदेशी फर्मों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए गये हैं। इस संयंत्र द्वारा 1978 में उत्पादन आरंभ कर दिए जाने की संभावना है।

रक्षा के अधीन उत्पादन यूनिटों के आस-पास सहायक उद्योग स्थापित करने की एक योजना है। भारत इलैक्ट्रांनिक्स, बंगलौर और हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लि० हैदराबाद प्रभाग द्वारा पहले ही ऐसे उद्योग स्थापित किए जा चुके हैं। हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स के बंगलौर, नासिक, कोरोपुट और लखनऊ प्रभागों, भारत अर्थ मूवअर्स लिमिटेड बंगलौर, गार्डन रीच वर्कशाप, कलकत्ता और आर्डनेंस फैक्टरी जबलपुर द्वारा ऐसी यूनिटें स्थापित करने में प्रगति हो रही है। तथापि, इन यूनिटों में से किसी एक की भी 1974-75 में स्थापित होने की संभावना नहीं है।

श्री नारायण चन्द पराशर : मेरे राज्य की दृष्टि से मंत्री महोदय का विवरण बहुत ही निराशाजनक है। रक्षा मंत्री श्री जगजीवन राम ने मेरे पत्र के उत्तर में अपने 1 मई, के पत्र में मुझ लिखा था कि :

> "भविष्य में नयी यूनिटों के बारे में निर्णय लेते समय अन्य के साथ हिमाचल प्रदेश के दावों पर भी ध्यान दिया जायेगा, मैं आपको आश्वासन देता हूं।" मध्य प्रदेश में इटारसी के लिए और कुछ अन्य स्थानों के लिए नयी यूनिटों का प्रस्ताव किया गया है। ऐसा लगता है कि हिमाचल प्रदेश के दावे की इस बार भी उपेक्षा कर दी गई है।

श्री विद्याचरण शुक्ल : रक्षा-आधारित उद्योगों के लिए किसी राज्य का इस प्रकार का दावा नहीं है, क्योंकि उनके स्थापना-स्थलों का निर्णय करते समय सुरक्षा आदि जैसे पहलुओं पर भी विचार करना होता है। रक्षा मंत्री ने अपने पत्र में जो लिखा है, वह सही है। रक्षा कारखाने के स्थापना-स्थलों का निर्णय करते समय हम माननीय सदस्य के विचारों और हिमाचल प्रदेश को ध्यान में रखेंगे। जहां तक इटारसी में प्रोपेलैंट फैक्टरी लगाने का संबंध है, इसका निर्णय चार वर्ष पूर्व ही ले लिया गया था।

प्रो० नारायण चन्द पराशर : क्या माननीय मंत्री पांचवीं पंचवर्षीय योजना के आरम्भ में हिमाचल को इस दृष्टि से ध्यान में रखेंगे, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की 5 प्रतिशत जनसंख्या सशस्त्र सेना में है और यह प्रदेश औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। साथ ही ऐसे उद्योगों से भूतपूर्व सैनिकों को सहायता मिलेगी। इस प्रदेश का अपना सामरिक महत्व भी है क्योंकि इसकी सीमाएं चीन से लगती हैं।

श्री विद्या चरण शुक्ल : मैं माननीय सदस्य के विचारों से पूर्णतः सहमत हूं और जब भी ऐसे किसी मामले पर निर्णय किया जायेगा, तो हिमाचल प्रदेश के दावे को ध्यान में रखा जायेगा। हिमाचल प्रदेश के किसान इस बात के लिए प्रशंसा के पात्र हैं कि उनमें से बहुत से सशस्त्र सेना में हैं और वहां अच्छा काम कर रहे हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : हैदराबाद में प्रस्तावित कारखाने के लिए जिन तीन विदेशी फर्मों से तकनीकी जानकारी खरीदी जा रही है, वे किस देश की हैं और इस पर कितनी विदेशी मुद्रा व्यय होने का अनुमान है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : सम्बद्ध देश फ्रांस और पश्चिम जर्मनी हैं। इस कारखाने के लिए कुल अनुमानतः 25 करोड़ रुपये की राशि रखी गई है और उसमें विदेशी मुद्रा का अंश अनुमानतः 16 करोड़ रुपये है। चूंकि मेरे पास आंकड़े नहीं हैं, इसलिए यदि आंकड़े गलत हुए तो मैं उन्हें ठीक कर दूंगा।

श्री वीरभद्र सिंह : मुझे माननीय मंत्री के उत्तर से दुख हुआ है और इस बात पर भी दुख है कि हिमाचल प्रदेश में कोई भी रक्षा-कारखाना नहीं है। क्या रक्षा मंत्री द्वारा हिमाचल प्रदेश को दिया गया आश्वासन पूरा किया जायेगा ?

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय इसके लिए आश्वासन दे चुके हैं।

श्री वीरभद्र सिंह : क्या भविष्य में रक्षा कारखानों की स्थापना करते समय हिमाचल प्रदेश को ध्यान में रखा जायेगा ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं माननीय सदस्य का ध्यान विवरण के अन्तिम पैराग्राफ की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। सरकार न केवल रक्षा-उद्योग स्थापित कर रही है बल्कि वह सहायक उद्योग स्थापित करने की योजनाओं को भी क्रियान्वित करना चाहती है और ये उद्योग रक्षा-औद्योगिक क्षेत्र में लगाये जायेंगे। हिमाचल प्रदेश के उद्यमकर्ताओं और निवासियों का मैं स्वागत करता कि वे इस ओर रुचि लें। मैं आश्वासन देता हूं कि उनको इस मामले में पूरा सहयोग दिया जायेगा और योजना के अन्तर्गत उनकी हर सम्भव सहायता की जायेगी। इस योजना के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश में रक्षा उद्योगों के कई सहायक उद्योग स्थापित किये जा सकते हैं।

श्री सी० टी० दन्डपाणि : किसी क्षेत्र विशेष में रक्षा उद्योग स्थापित करते समय सरकार क्या मानदन्ड अपनाती है ? क्या तमिलनाडु की सरकार से केन्द्रीय सरकार को कोई ऐसा अनुरोध प्राप्त हुआ है कि राज्य में कोई नया रक्षा उद्योग स्थापित किया जाये; और यदि हां तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है।

श्री विद्याचरण शुक्ल : सुरक्षा सम्बन्धी पहलुओं को ध्यान में रखा जाता है, जिनका विवरण मैं देना नहीं चाहता। इसके अलावा, अन्य रक्षा सम्बन्धी पहलुओं और सामान्य बातों पर भी ध्यान दिया जाता है जैसे कच्चे माल, भूमि, जनशक्ति और विद्युत की उपलब्धता, परिवहन सुविधाएं, जल की सुविधा तथा क्षेत्र का पिछड़ापन आदि। जहां तक दूसरे प्रश्न का सम्बन्ध है, मुझे मालूम नहीं है कि तमिलनाडु सरकार ने कोई ऐसा औपचारिक प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार को भेजा है अथवा नहीं।

प्रो० मधु दन्डवते : क्या यह सच है कि कुछ गैर-सरकारी उद्योग जो रक्षा उत्पादन में काम आने वाली चीजें बनाते हैं, 70-75 प्रतिशत लाभ कमा रहे हैं; यदि हां, तो क्या उनके लाभ की अधिकतम सीमा 10 से 15 प्रतिशत निर्धारित की जायेगी अथवा क्या उनसे यह उत्पादन बन्द करने के लिए कहा जायेगा ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : जहां तक मुझे ज्ञान है, किसी भी उद्योग को 70 या 75 प्रतिशत लाभ नहीं हो रहा है। यदि कुछ उद्योग इतना अधिक लाभ कमा रहे हैं, तो माननीय सदस्य तत्सम्बन्धी जानकारी मुझे दें और मैं इसकी अवश्य ही जांच करूंगा।

प्रो० मधु दन्डवते : मैं इससे सम्बन्धित उपलब्ध जानकारी आपको भेजूंगा।

रडार परियोजना को पुनः आरम्भ करने का प्रस्ताव

*489. **श्री फतहसिंह राव गायकवाड़** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार रडार परियोजना को, जो 1962 में निलम्बित कर दी गई थी, पुनः आरम्भ करने का है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) ऐसा दिखाई देता है कि यह प्रश्न हमारे रेडार बेसों को वायु रक्षा नियंत्रण केन्द्रों के साथ जोड़ने के लिए ट्रोपो स्केटर संचार प्रणाली स्थापित करने की योजना से सम्बन्धित है। अमेरिका द्वारा दिसम्बर 1971 में लगाए गए निर्यात नियंत्रण से इस योजना पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। इस नियंत्रण को अब अप्रैल, 1973 में उठा लिया गया है और इस समय यह कार्यान्वित की जा रही है।

श्री फतहसिंह राव गायकवाड़ : पहले मैं यह स्पष्टीकरण चाहूंगा कि उत्तर में 'अफैक्टिड' शब्द होना चाहिए, न कि 'इफैक्टिड'।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री बतायें कि शब्द क्या है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : शब्द ठीक से नहीं लिखा गया है। शब्द 'अफेक्टिड' है।

श्री फतहसिंह राव गायकवाड़ : श्रीमन्, दिसम्बर 1971 से बाद काफी समय बीत चुका है और यह योजना हमारी वायु सेना के लिए काफी महत्व रखती है इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस योजना को पूरा करने के लिए किसी अन्य देश से सहायता क्यों नहीं मांगी ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : इस योजना को स्वदेशी जानकारी से पूरा करने के लिए हमने प्रबन्ध कर लिए थे। इसी बीच अमरीका ने प्रतिबन्ध उठा लिया, और हमने इस पेशकश से लाभ उठाने का निर्णय किया। अतः इस परियोजना को पूरा करने के लिए हमने पुनः अमरीका से मामला तय करना शुरू कर दिया हैं।

श्री फतहसिंह राव गायकवाड़ : यह योजना कब तक पूरी होगी और उस पर कुल कितनी लागत आयेगी ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : जब प्रतिबन्ध लगाया गया था, उस समय उक्त योजना का प्रथम चरण पूरा किया जा रहा था। अब वह पुनः लिया गया है। इस परियोजना के पूरा होने की निर्धारित तारीख का मुझे पता नहीं है। उस पर कितनी राशि खर्च होगी, इसके आंकड़े सभा-पटल पर रख दिये जायेंगे।

श्री बी० वी० नायक : क्या डिएगो गार्शिया में बनाये जा रहे अमरीकी अड्डे की पृष्ठभूमि में इस परियोजना की महत्ता और अधिक नहीं बढ़ जाती है, विशेषकर जबकि विमान उत्तर की ओर उड़ने

लगेंगे ? क्या इस परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए किसी अन्य स्रोत से तकनीकी जानकारी और उपकरण लिये जायेंगे जैसा कि माननीय सदस्य ने विचार व्यक्त किया है, चाहे डिएगो गार्शिया में रुचि रखने वाला अमरीका इसके लिए उपकरण दे अथवा न दे ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : वास्तव में यह परियोजना हमारी उत्तरी सीमाओं की रक्षा के लिए है और इसका डिएगो गार्शिया से कोई सीधा सम्बन्ध नहीं होगा। किन्तु यह मामला भारत की सुरक्षा से संबंधित है इसलिए इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए इस परियोजना को यथासंभव शीघ्र पूरा किया जायेगा।

श्रीलंका में बसे भारतीयों के बारे में श्रीमावो-शास्त्री समझौते का क्रियान्वयन

*490 **डा० हरि प्रसाद शर्मा :**

श्री आर० वी० स्वामीनाथन :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्रीलंका में बसे भारतीयों के बारे में श्रीमावो-शास्त्री समझौते के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में नवीनतम स्थिति क्या है;

(ख) भारतीय मूल के कितने निवासी दोनों प्रधान मंत्रियों की हाल की वार्ता के पश्चात् भारत आये हैं; और

(ग) अभी तक श्रीलंका में ऐसे कुल कितने भारतीय मूल के निवासी शेष हैं जिन्हें भारत वापस आना है ?

विदेश मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (ग) एक विवरण जिसमें वांछित सूचना दी गई है संलग्न है।

विवरण

1964 के भारत-श्रीलंका करार के अनुसार 15 वर्ष की अवधि में यानी 1979 तक समरूप गति से, भारत को 5,25,000 व्यक्तियों का प्रत्यावर्तन उनकी संतति के साथ करेगा और श्रीलंका 3,00,000 व्यक्तियों को उनकी संतति के साथ नागरिकता प्रदान करेगा। विभिन्न प्रशासनिक कठिनाइयों के कारण 1970 तक इस करार पर अमल की गति बहुत धीमी रही। अप्रैल 1973 में, हमारी प्रधान-मंत्री जब श्रीलंका की यात्रा पर गई थीं उस समय यह निर्णय किया गया कि 1964 के करार में प्रतिवर्ष 35,000 व्यक्तियों के प्रत्यावर्तन की जो बात तय की गई थी उसमें 10 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी। दिसम्बर 1973 के अन्त तक 1,20,023 व्यक्तियों, जिनमें उनकी संतति भी सम्मिलित है और जिसकी संख्या 16,185 है, को भारत प्रत्यावर्तित किया जा चुका था। उसी अवधि में, भारत मूल के 71,983 व्यक्तियों को, जिसमें उनकी संतति भी शामिल है जिनकी संख्या 12,652 है, श्रीलंका की नागरिकता प्रदान की गई थी। 1 जनवरी से 16 मार्च, 1974 तक 9,555 व्यक्तियों को, जिनमें उनकी संतति भी सम्मिलित है, भारत में प्रत्यावर्तित किया गया। इस अवधि में जितने लोगों को श्रीलंका की नागरिकता प्रदान की गई, उनकी संख्या अभी उपलब्ध नहीं है।

जनवरी 1974 के अन्तिम सप्ताह में भारत की प्रधानमंत्री और श्रीलंका की प्रधानमंत्री के बीच हुई बातचीत के बाद 16 मार्च 1974 तक 6,337 व्यक्ति (जिसमें उनकी संतति सम्मिलित है) भारत आ गये थे।

1964 के करार के अधीन लगभग 4,13,000 व्यक्तियों को उनकी संतति सहित अभी भारत प्रत्यावर्तित किया जाना है। इसके अतिरिक्त, 1974 के भारत-श्रीलंका करार के अधीन 75,000 और व्यक्ति भी, संतति सहित प्रत्यावर्तित किये जायेंगे।

डा० हरि प्रसाद शर्मा : 1964 के करार के अनुसार भारत ने 5,25,000 लोगों को वापस लेना स्वीकार किया है। इनमें से 1,20,000 लोग वापस आ गये हैं। परन्तु मूल कठिनाई को जो उपरोक्त करार को कार्यान्वित करने में आई है हल नहीं किया गया है। वह कठिनाई यह है कि केवल 4,00,000 लोगों ने आवेदन-पत्र भेजे हैं जबकि 5,25,000 लोगों ने आवेदन-पत्र भेजने थे। सरकार इन 1,25,000 लोगों के बारे में अनिश्चितता की स्थिति का समाधान करने के लिये क्या कार्यवाही करेगी?

श्री स्वर्ण सिंह : अब अनिश्चितता की कोई बात नहीं क्योंकि 1964 के करार और 1974 के करार दोनों में संयुक्त रूप से भारतीय मूल के लोगों के जो श्रीलंका में हैं, भविष्य के बारे में निर्णय किया गया है। विवरण में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि भारतीय मूल के कितने व्यक्ति वापस लिये जायेंगे और कितने लोगों को श्रीलंका की नागरिकता मिल जायेगी। अतः अनिश्चितता की कोई बात नहीं है। क्रियान्विति के सम्बन्ध में प्रक्रिया में कुछ कठिनाइयां हो सकती हैं। हम श्रीलंका सरकार के साथ सम्पर्क बनाये हुए हैं और प्रक्रिया सम्बन्धी मामलों को हल करने में कोई कठिनाई नहीं होगी।

डा० हरि प्रसाद शर्मा : कठिनाई तो अब भी है। केवल 4,00,000 लोगों ने आवेदन-पत्र भेजे हैं। क्या भारत सरकार शेष 1,25,000 लोगों को भारतीय नागरिका प्राप्त करने हेतु आवेदन-पत्र भेजने के लिये मजबूर करेगी?

श्री स्वर्ण सिंह : वापस लिये जाने वाले लोगों की अन्तिम संख्या का 8 या 10 वर्ष की अवधि में पता चलेगा जितने लोगों ने वास्तव में आवेदन-पत्र भेजे हैं उतने ही प्रत्यावर्तन के स्तर को और अनेक वर्षों तक नागरिकता दिये जाने के स्तर को बनाये रखने के लिये काफ़ी हैं। अतः जब यह स्थिति आयेगी तभी उसका समाधान करने की बात सोची जायेगी अभी नहीं।

डा० हरि प्रसाद शर्मा : क्या इस करार को क्रियान्वित करने में शेष 75,000 लोगों के भाग्य का निर्णय करने के बारे में भी कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है?

श्री स्वर्ण सिंह : वर्ष 1974 के करार में उल्लिखित 75,000 लोगों के सम्बन्ध में क्रियान्विति की प्रक्रिया तब आरम्भ होगी जब हम पहले किये गये करार को पूरी तरह क्रियान्वित कर लेंगे मैं इतना बता देना चाहता हूं कि 75,000 लोगों का प्रत्यावर्तन होगा और 75,000 लोगों को समानता के आधार पर श्रीलंका की नागरिका दी जायेगी।

श्री पी० जी० मावलंकर : मंत्री महोदय ने विवरण में बताया है कि विभिन्न प्रशासनिक कठिनाइयों के कारण प्रगति धीमी रही है। क्या वह उन महत्वपूर्ण कठिनाइयों का उल्लेख करेंगे जिनके कारण यह समस्या इतने अर्से से हल नहीं हो पाई है?

श्री स्वर्ण सिंह : श्रीलंका की ओर से कुछ कठिनाइयां थीं। उन्होंने एक कानून बनाना था और इस प्रक्रिया में कुछ समय लग गया। परन्तु अब वह अवस्था समाप्त हो गई है और क्रियान्विति सुनिश्चित करने की आवश्यक कार्यवाही की गई है। मुझे आशा है कि अब सुचारू रूप से काम चलेगा।

Sale of Tickets for National Functions

*491. **Shri Lalji Bhai :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether Government propose to review the question of continuing the sale of tickets for the national functions like the "26th January" parade; and

(b) if so, the facts in this regard ?

The Minister of State (Defence Production) in the Ministry of Defence (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b) Admission to the seating enclosures at Rajpath for witnessing this year's Republic Day Parade was regulated partly by invitation/admit cards and partly by priced tickets. There is at present no proposal to discontinue the system of priced tickets for the Republic Day Parade, in future, as this arrangement has been found satisfactory. However, based on this year's experience, efforts will be made to make improvements in this arrangement in future.

Shri Lalji Bhai : How many people witnessed the parade this year after the introduction of the ticket system and how many people used to come in previous years ? I want to know the figures of both the years separately.

Shri Vidya Charan Shukla : The number of seats was increased from 40,000 to 58,400 in 1973 and this number is increasing. The tickets were introduced this year and the number of seats were not reduced. As the hon'ble Member is aware, separate arrangements were made for the ticket holders and there was sufficient space for the people who had not purchased tickets. We had raised the number of seats to 58,500 and the entire space was fully utilised for the parade this year.

Shri Lalji Bhai : The number of seats were increased but I wanted to know the comparative figures of the people who came to see parade for this year as well as previous years.

Shri Vidya Charan Shukla : I have stated that there were two categories. One was of the ticket holder and the other was the general public having no pass or ticket. The number of seats meant for ticket holders was increased and the same was fully utilised. In view of this, we can say that the number had increased and not decreased.

श्री के० मालन्ना : क्या मैं मंत्री महोदय से पूछ सकता हूं कि इस प्रकार के राष्ट्रीय समारोह के लिये टिकट व्यवस्था लागू करने का क्या प्रयोजन या उद्देश्य है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : इस बात को सभा में स्पष्ट किया जा चुका है। इसका उद्देश्य यह है कि अधिक से अधिक ऐसे लोग परेड देखने आ सकें जिनका संसद सदस्यों सहित अन्य प्रभावशाली लोगों (वी०आई०पी०) से मेलजोल नहीं है। इससे पहले स्थिति यह थी कि जिन लोगों का संसद सदस्यों, मंत्रियों या अन्य प्रभावशाली लोगों के साथ मेलजोल होता था वे अनेक पास प्राप्त कर लेते थे और केवल ऐसे ही लोग परेड देख सकते थे। अब कोई भी व्यक्ति जो टिकट खरीद लेता है, परेड देखने आ सकता है। उसे पास लेने के लिये किसी प्रभावशाली व्यक्ति के पास जाने की आवश्यकता नहीं रही। इसलिये इस व्यवस्था से जन-साधारण राष्ट्रीय समारोह देखने आ सकता है।

श्री राम सहाय पांडे : क्या नागरिकों द्वारा इस व्यवस्था की आलोचना किये जाने के कारण रक्षा मंत्रालय टिकट व्यवस्था में परिवर्तन करने पर विचार करेगा ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं ने अपने मूल उत्तर में बता दिया है कि हम परिवर्तन नहीं कर रहे हैं।

Shri Bhagirath Bhanwar : I would like to know the amount of expenditure incurred on arrangements made for the current year and previous year, when ticket system was not there ? Has the expenditure also been increased **vis-a-vis** the number of seats ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : व्यवस्था करने में होने वाले खर्च में कुछ अन्तर हो सकता है। परन्तु व्यवस्था बदलने में कोई बड़ी धनराशि खर्च नहीं हुई।

Shri Nawal Kishore Sharma : May I know whether facilities will be provided to the persons who are not in a position to spend money and who used to get passes through M.Ps. or VIPs on restricted basis ?

Shri Vidya Charan Shukla : The question of restricting or abolishing the passes was considered but the price of a ticket was fixed at such a low level i.e., Rs. 2/- per seat, that any hon'ble Member or Minister, if he so desires, could purchase tickets quite conveniently for his relatives or guests and we had made arrangements with this factor in view. No body has been given any concession. I think that the new system introduced by us is satisfactory and it has enabled a good number of people to see the parade who had not been able to see it earlier.

Shri Shanker Dyal Singh : Sir, I do not think the new system of sale of tickets for festivals of national importance i.e. 26th January and 15th August, is proper. The hon. Minister is aware of the criticism made in the press. Members of Parliament abstained from going to witness the parade. In this context, I would like to know whether Government would consider to give any concessions to the students on foreign toursists next year as is done in other cases ?

Shri Vidya Charan Shukla : I have already stated that tickets are sold for the entire space. Tickets are sold for a limited space and students and other persons, who do not want to purchase tickets, can see the parade from rest of the space .

Shri Shanker Dayal Singh : If they want to purchase tickets, will any concession be given or not ?

Shri Vidya Charan Shukla : Rs. 2/- per ticket is in itself a concession. The prices of tickets range from Rs. 2/- to Rs. 100/- per seat. We get Rs. 100/- from the well-to-do persons and others can purchase a ticket for Rs. 2/-.

Shri A. P. Sharma : I want to know whether hon'ble Minister think that the new system has worked satisfactorily; if so, how ?

Shri Vidya Charan Shukla : We are satisfied because it is the first time that all the persons, who wanted to see the parade, purchased the tickets of various amounts and witnessed the parade without any recommendations. The rates were not fixed for any commercial gain. The new system has enabled common man to see the parade. It was

not necessary to go to any influencial person to get a pass to see the parade. So many persons of Delhi do not know us and it was not possible for them to see the parade hithertofore. We have considered this aspect thoroughly and now any person who desires to see the parade can purchase a ticket and see the parade. It is not necessary for him to be acquainted with any one.

टेलको एंड ट्यूब कम्पनी, जमशेदपुर के बर्खास्त किये कर्मचारियों की बहाली

*492. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या श्रम मंत्री टेलको एण्ड ट्यूब कम्पनी, जमशेदपुर के बर्खास्त किये गए कर्मचारियों की बहाली के बारे में 28 फरवरी, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1303 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रबन्धकों को क्या प्रस्ताव भेजे गये थे और क्या उन्होंने उन प्रस्तावों पर इस बीच विचार विमर्श कर लिया है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) यदि नहीं, तो उसके लिए समय-सीमा क्या है; और

(ग) किसी के विरुद्ध दमनकारी कार्यवाही करने सम्बन्धी संसद् में दिये गये आश्वासन को पूरा करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोबिन्द वर्मा) : (क) से (ग) बिहार सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, प्रबन्धकों द्वारा पदच्युत किए गए श्रमिकों को बहाल करने में असमर्थता व्यक्त करने पर, श्रम मंत्री ने उनसे अनुरोध किया कि वे कम से कम, उच्च न्यायालय में अनिर्णीत पड़ी रिट को वापस ले लें ताकि श्रम न्यायालय उन मामलों में कार्यवाही शुरू कर सके जो उसे न्याय-निर्णयन के लिए भेजे गए हैं। प्रबन्धकों ने तब से इन प्रस्तावों के बारे में सलाह मश्विरा पूरा कर लिया है या नहीं इस बारे में सूचना अभी तक उपलब्ध नहीं है। राज्य सरकार से अपेक्षित सूचना यथा-शीघ्र भेजने के लिये प्रार्थना की गई है।

श्री भोगेन्द्र झा : यह इस सभा में दिये गये आश्वासन के उल्लंघन का एक गम्भीर मामला है और......

श्री ए० पी० हांमी : किसके द्वारा ?

श्री भोगेन्द्र झा : तत्कालीन मंत्री श्री जगजीवन राम के द्वारा और श्रम मंत्रालय में तत्कालीन राज्य मंत्री श्री भागवत झा आज़ाद के द्वारा इसका सम्बन्ध उस हड़ताल से है जो वर्ष 1969 में लगभग 40 दिन तक रही थी। इस सभा में 3 जनवरी, 1970 को दिये गये आश्वासन के बाद जिसे रेडियो पर दोहराया भी गया था, कर्मचारियों ने 5 जनवरी, 1970 को अपनी हड़ताल समाप्त की थी। स्पष्ट-रूप से आश्वासन दिया गया था कि किसी भी कर्मचारी को परेशान नहीं किया जायेगा। जब हड़ताल समाप्त हो गई तब 23 या 24 अप्रैल को तत्कालीन श्रम मंत्री श्री जगजीवन राम ने स्वयं इस सभा को आश्वासन दिया था कि सरकार इस बात का ध्यान रखेगी कि किसी को परेशान न किया जाये। उस समय बिहार में राष्ट्रपति का शासन था और 40 से अधिक व्यक्तियों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था। इन चार वर्षों में मैंने 25 बार यह प्रश्न पूछा है और मुझे निरन्तर संघर्ष करना पड़ा रहा है।

अतः मैं पूछना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार द्वारा दिये गये आश्वासन का, जब टाटा और बिड़ला बन्धुओं जैसे लोगों का प्रबन्ध हो तो कोई अर्थ है या नहीं और क्या सरकार देश में शासन चला रही है या टाटा बन्धु सरकार चला रहे हैं....

कुछ माननीय सदस्य : दोनों।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : इसमें कोई सन्देह नहीं है। टाटा बन्धु शासन कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : उनको उत्तर देने दीजिये।

श्री भोगेन्द्र झा : समुचय उत्तर यह था कि प्रबन्धक सहमत नहीं हो रहे और सरकार उनसे अनुरोध कर रही है। यह एक विशिष्ट प्रश्न है क्योंकि राष्ट्रीय उत्पादन रुक गया है। मेरे प्रश्न के भाग (ख) का कोई उत्तर नहीं दिया गया। जब प्रबन्धक अधिक समय लेने के बाद विलम्ब कर रहे हैं तो उनको उनके पहले पदों पर बहाल करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है और क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

श्री बालगोबिन्द वर्मा : मैं वास्तव में इस बात पर हैरान होता हूं कि बार-बार 'आश्वासन' शब्द का उपयोग किया जाता है। सरकार गैर-सरकारी उद्योगों के बारे में कोई आश्वासन कैसे दे सकती है? ...... (व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यह सरकार की समस्या है। परन्तु सभा में आश्वासन क्यों दिया गया था? आप कार्यवाही वृतांत देखें...... (व्यवधान)

श्री ए० पी० शर्मा : मंत्री महोदय को उत्तर पूरा करने दिया जाये...... (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब प्रश्न यह है कि क्या सरकार ने सभा को आश्वासन दिया था कि किसी को परेशान नहीं किया जायेगा? यह एक बात है। यदि अब आप यह कहते हैं कि सरकार आश्वासन किस प्रकार दे सकती है जब सरकार सदन में आश्वासन दे चुकी है, तो उसमें विरोधाभास प्रतीत होता है और सदस्यों का इस बारे में भड़कना स्वाभाविक है।

श्री बालगोबिन्द वर्मा : यदि आप मेरे उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं तो मुझ से प्रश्न पूछ सकते हैं। अब मुझे अपनी बात कहने दीजिये। हड़ताल के इस समय राज्य में राष्ट्रपति शासन था। मंत्री महोदय ने मामलों को तय करने की अपनी उत्कट इच्छा अभिव्यक्त की। उन्हें आशा थी कि वे गैर सरकारी उद्यमियों पर सीधे मार्ग का अनुसरण करने के लिये दबाव डाल सकते हैं। मंत्री महोदय ने अपनी उत्कट इच्छा अभिव्यक्त की......

श्री दीनेन भट्टाचार्य : कोई उत्कट इच्छा नहीं थी......

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया शांति रखिये।

श्री बालगोबिन्द वर्मा : मैं इसके सम्मुख झुकने वाला नहीं हूं। मुझे अपनी बात कहने दी जानी चाहिये। मुझे इस मामले में अपने विचार व्यक्त करने हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न काल है। इसमें विचार व्यक्त करने का प्रश्न नहीं है। प्रश्न पूछे जाते हैं और आपको उनका उत्तर देना है।

श्री बालगोबिन्द वर्मा : मेरा तात्पर्य भी यही है। लोकप्रिय सरकार के बनने के पश्चात् और क्योंकि मंत्री ने मामले को तय करने की इच्छा व्यक्त की, अतः भारत सरकार ने सदन की इच्छानुसार मामला राज्य सरकार के साथ उठाया। हम राज्य सरकार पर इस बात के लिये बल दे रहे हैं कि मामलों का निर्णय सदन की इच्छानुसार ही किया जाये। जैसे कि मंत्री महोदय ने इस सदन में इच्छा व्यक्त की बिहार सरकार ने उच्च स्तर पर मामलों के निर्णयों के लिये प्रयास किये परन्तु असफल रही। बिहार के मंत्री की उपस्थिति में 15 अक्तूबर, 1973 को एक बैठक बुलाई गई सभी पक्षों को उसमें बुलाया

गया। मंत्री ने सभी पक्षों तथा उद्यमियों से अनुरोध किया कि वे कर्मचारियों को बहाल कर दें परन्तु वे सहमत नहीं हुए। वे मंत्री महोदय के विचारों से सहमत नहीं हुए। यह मामला न्याय निर्णय के लिये रांची न्यायालय में भेजा गया। इस बीच उन्होंने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर दी।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : क्या सरकार टाटा बन्धुओं के कहने पर चलती है अथवा सरकार की अपनी कोई नीति है? यह क्या है? **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया शांति रखिये।

श्री बालगोबिन्द वर्मा : जैसा कि मैंने बताया है, इस बीच उद्योगपतियों ने पटना उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर कर दी। और जब वे मंत्री के प्रस्ताव से सहमत नहीं हुए तो मंत्री महोदय ने उनसे अनुरोध किया......

उपाध्यक्ष महोदय : अब मामले की यही स्थिति है। आप विस्तार में न जाइये।

श्री बालगोबिन्द वर्मा : मंत्री महोदय ने उनसे अनुरोध किया कि वे कम से कम रिट याचिका वापस ले लें ताकि न्यायालय मामले में कार्यवाही कर सके। उन्होंने इस बात पर भी ध्यान नहीं दिया। नबीनतम स्थिति हम नहीं जान सके हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आपका दूसरा प्रश्न क्या है? आपका दूसरा अनुपूरक क्या है?

श्री भोगेन्द्र झा : श्रीमन्, मंत्री महोदय को वास्तविक आश्वासन को स्मरण कराने के लिये मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता। दिनांक 15 मार्च, 1973 के मेरे अतारांकित प्रश्न संख्या 3524 के उत्तर में मंत्री महोदय ने बताया है:

> "(क) राज्य सरकार के प्रयासों तथा श्रम मंत्रालय के तत्कालीन राज्य मंत्री के अनुरोध के परिणामस्वरूप हड़ताल वापस ले ली गई। तत्कालीन श्रम मंत्री और श्रम मंत्रालय में तत्कालीन राज्य मंत्री ने 23 अप्रैल, 1970 को लोक सभा में कहा था कि हड़ताल के समाप्त होने के बाद किसी को परेशान नहीं किया जायेगा।"

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया, अब आप प्रश्न पूछिये।

श्री भोगेन्द्र झा : उक्त उत्तर दिया गया था। मैं अब एक बात जानना चाहता हूं क्योंकि मंत्री महोदय अपमानजनक भाषा में बोल रहे हैं क्योंकि सरकार टाटा बन्धुओं से मामले को वापस लेने का अनुरोध कर रही है। इसमें बहुत गम्भीर मामले अन्तर्निहित हैं। एक मामला यह है। मैं इसका स्पष्टीकरण चाहता हूं। सदन में एक आश्वासन दिया गया था और उसके अनुसार हड़ताल वापस लेली गयी। क्या उस पर निर्भर नहीं करना चाहिये था? मैं भी हड़ताल वापस लेने के लिये कर्मचारियों को सहमत कराने जैसलमेर गया था क्योंकि हड़ताल से उत्पादन बन्द हो गया था। अतः मैं यह बात जानना चाहता हूं कि क्या मंत्रिमन्डल के उच्च स्तर के मंत्री द्वारा सदन में दिये गये आश्वासन का विश्वास किया जाये अथवा नहीं। यदि गैर-सरकारी उद्योगपति ने आश्वासन भंग किया और वह न्यायालय में गया तो सरकार ने कम्पनी को ही अपने अधिकार में क्यों नहीं लिया?

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें उत्तर देने दीजिये। अभी पर्याप्त समय हैं।

श्री भोगेन्द्र झा : मज़दूरों को बहाल क्यों नहीं किया जाता? इसका उत्तर नहीं दिया गया है।

श्री बालगोबिन्द वर्मा : माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा है मैं उससे सहमत हूं। हड़ताल तत्कालीन केन्द्रीय श्रम मंत्री के अनुरोध पर वापस ली गई थी। सदन में जो आश्वासन दिया गया हम उससे पीछे नहीं हट रहे हैं। उस उद्देश्य को दृष्टि में रखते हुये हम राज्य सरकार पर दबाव डाल रहे हैं कि वे उस आश्वासन को पूरा करें।

श्री भोगेन्द्र झा : श्रीमन् उन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। इसके लिये क्या कोई समय-सीमा निर्धारित है?

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्नकाल समाप्त होने वाला है। मंत्री महोदय ने बताया है कि कोई समय-सीमा नहीं है। श्री शर्मा, संक्षेप में अपनी बात कहिये।

श्री ए० पी० शर्मा : मैं संक्षेप में अपना प्रश्न पूछूंगा। मंत्री महोदय ने बार-बार यह आश्वासन दिया कि यदि हड़ताल वापस ले ली गई तो किसी को भी तंग नहीं किया जायेगा।

क्या सदन में कोई आश्वासन दिया गया था? मैं स्पष्ट उत्तर चाहता हूं। सरकार का इस बात से क्या तात्पर्य है कि किसी भी कर्मचारी को तंग नहीं किया जायेगा? मंत्री महोदय को इसका स्पष्टीकरण करना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : संक्षेप में कहिये। अब प्रश्न काल समाप्त होने जा रहा है।

श्री बालगोबिन्द वर्मा : मैंने बताया है कि जो आश्वसान सदन में दिया गया, हम उससे पीछे नहीं हट रहे हैं। हम इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि मामले तय हो जायें और लोगों को वापस ले लिया जाये। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हम बिहार सरकार पर दबाव डाल रहे हैं क्योंकि मामलों के निर्णय के लिये वहां की सरकार को ही उपयुक्त समझा गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम अल्प सूचना प्रश्न लेंगे।

श्री ए० पी० शर्मा : मैंने एक स्पष्ट प्रश्न पूछा था। मैंने पूछा था कि क्या कोई आश्वासन दिया गया था। सरकार का इस बात से क्या तात्पर्य था कि किसी भी कर्मचारी को तंग नहीं किया जायेगा?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं विशिष्ट उत्तर देने के लिये मंत्री महोदय को विवश नहीं कर सकता।

अल्प सूचना प्रश्न
SHORT NOTICE QUESTION

सेलम इस्पात कारखाने पर परिव्यय

अ०सू०प्र० संख्या 4. श्री के० गोपाल : क्या इस्पत और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेलम इस्पात कारखाने के वर्ष 1974-75 के लिये योजना परिव्यय में भारी कमी कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) इसमें कितनें मिश्रित उत्पाद (प्रोडक्ट मिक्स) का उत्पादन करने की योजना है और इस कारखाने की कितनी क्षमता होगी; और

(घ) वह कारखाना कब तक चालू हो जाएगा ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) संसाधनों की सीमित उपलब्धि को देखते हुए वर्ष 1974-75 के लिये इस्पात विभाग के मूल योजना कार्यक्रम के प्रस्तावित परिव्यय को कम करना पड़ा है, और ऐसा इसलिये किया गया है कि समस्त योजना पर होने वाला खर्च निर्धारित सीमा से बढ़ने न पाए। इसलिये सलेम इस्पात कारखाने के लिये की गई व्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ा है।

(ग) सेलम इस्पात प्रायोजना में प्रतिवर्ष 1,95,000 टन विशेष इस्पात के चपटे उत्पादन तैयार किये जाएंगे जिनमें 70,000 टन बेदाग इस्पात की चादरें 75,000 टन विद्युत् इस्पात की चादरें तथा 50,000 टन साधारण इस्पात तथा अन्य विशेष इस्पात की चादरें होंगी।

(घ) सेलम इस्पात कारखाने के पांचवीं योजनावधि के अन्त में प्रावस्थाभाजित कार्यक्रम के अनुसार चालू किये जाने की सम्भावना है।

श्री के० गोपाल : अपने उत्तर में मंत्री महोदय ने बताया है कि उपलब्ध सीमित संसाधनों को ध्यान में रखते हुए उन्हें सेलम इस्पात सयंत्र के वर्ष 1974-75 के परिव्यय में कटौती करनी पड़ी। यह तथ्य सर्वविदित है कि सरकार बहुत से सयंत्रों की व्यवस्था करती है परन्तु उनके लिये निर्धारित राशि में से अधिकांश राशि वर्ष के पश्चात् वापस लौटा दी जाती है क्योंकि वह राशि कम नहीं की गई। अतः यह तर्क उपयुक्त नहीं है कि पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं हैं।

मंत्री महोदय ने बताया है कि वर्ष 1974-75 के नियतन में भारी कटौती की गई है। मैं यह जानना चाहता हूं कि वर्ष 1974-75 के लिये कितनी धनराशि की व्यवस्था की गई। इस सम्बन्ध में मैं मद्रास में उद्योग मंत्री श्री माधवन के वक्तव्य की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं जिन्होंने तमिलनाडु विधानसभा में कहा कि 7500 मजदूरों को रोजगार से निकाला जा रहा है और वहां के मुख्य मंत्री ने भी इस पर गहरी चिंता व्यक्त की। अतः मैं यह जानना चाहता हूं कि वर्ष 1974-75 के लिये कितनी धनराशि का आवंटन किया गया।

श्री सुबोध हंसदा : इस्पात संयंत्रों के कुल परिव्यय में से 38 करोड़ रुपये की राशि की कटौती की गई और इससे सभी वर्तमान इस्पात संयंत्र तथा चालू होने वाले नए इस्पात संयंत्र प्रभावित हुए हैं। सेलम इस्पात संयंत्र के बारे में, मूलरूप से 10 करोड़ की राशि का आवंटन किया गया और इसमें कटौती करके 3 करोड़ कर दिया गया।

श्री के० गोपाल : क्या कहा जाए ! सभी नए इस्पात संयंत्र उपलब्ध कराने का श्रेय स्वर्गीय मोहन कुमारमंगलम की दूरदर्शिता तथा विचारधारा को जाना चाहिये। गत वर्ष सरकार ने 4½ करोड़ रुपये की राशि व्यय की थी परन्तु इस वर्ष सरकार 3 करोड़ रुपये की राशि खर्च करने की बात कहती है। इसका क्या कारण है?

मूल प्रश्न के भाग (घ) के उत्तर में मंत्री महोदय ने बताया है कि सेलम इस्पात संयंत्र पांचवीं योजना अवधि के अन्त से कई चरणों में आरम्भ होगा। मूल रूप से यह निर्णय किया गया था कि वर्ष 1976-77 के दौरान सरकार 'हॉट रोल्ड कायल्स' से 'कोल्ड रोल्ड शीट्स' तैयार करना आरम्भ

17 LSS/74—3.

करेगी जिसके लिये तकनीकी ज्ञान की मांग की गई है और कुछ व्यक्ति संयंत्र पर गए भी हैं। मंत्री महोदय ने जो यह उत्तर दिया है कि संयंत्र पांचवीं योजना अवधि के अन्त में कई चरणों में आरम्भ होगा, यह बड़ा भ्रमात्मक है। ये चरण क्या है और वास्तविक उत्पादन कब से आरम्भ होगा ?

श्री सुबोध हंसदा : कुछ प्रगति की जा चुकी है और यह सच है कि इस संयंत्र का कार्य निर्धारित समयसूची से पीछे नहीं चल रहा है और विभिन्न कार्यों पर 4 करोड़ रुपये की राशि व्यय की जा चुकी है।

मैं बता चुका हूं कि यह संयंत्र कई चरणों में आरम्भ होगा। वास्तव में इसके तीन चरण हैं। प्रथम चरण में कोल्ड रोल मिल स्थापित की जाएगी जिसमें 30,000 मीटरी टन स्टेनलैस स्टील की चादरों का उत्पादन होगा।

श्री के० गोपाल : कब ?

श्री सुबोध हंसदा : पांचवीं योजना के अन्त तक।

श्रीमती पार्वती कृष्णन : मैं मंत्री महोदय से दो प्रश्न पूछना चाहती हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : केवल एक।

श्रीमती पार्वती कृष्णन : क्या पुनर्नियतन से पूर्व इस्पात प्राधिकरण से परामर्श किया गया था? क्या सरकार से परामर्श दात्री फर्म को जुर्माना देने के लिये कहा जाएगा क्योंकि सरकार कार्य का पुन-र्नियतन कर रही है और अपने कार्यक्रम में परिवर्तन कर रही है क्योंकि सहकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति ने आयोजन तथा दूरदर्शिता के अभाव के कारण दुर्गापुर के सम्बन्ध में 60 लाख रुपयों की राशि के ऊट-पटांग जुर्माने के बारे में दोषारोपण किया है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : 15 करोड़ से कम करके बजट में जो 3 करोड़ की राशि का नियतन किया गया है, यदि उत्पादन कार्यक्रम में आशाजनक प्रगति होती है जैसी की चल रही है तो हम इसी राशि के व्यय तक ही सीमित नहीं रहेंगे। मैं सदन को इतना ही आश्वा-सन दे सकता हूं कि हम इस्पात प्राधिकरण के निर्णय के अनुसार उत्पादन कार्यक्रम का अनुसरण करते हुए इस संयंत्र को शीघ्र ही पूरा करना चाहते हैं। हम इसे पूरा करने का प्रयास करेंगे। यह सच है कि व्यय में चारों ओर से कटौती की जा रही है। आर्थिक संकट के सन्दर्भ में ऐसा करना ही पड़ेगा। अतः यह बजट में समायोजन करने की बात है, जानबूझ कर व्यय तथा उत्पादन कार्यक्रम में कटौती करने की बात नहीं है। सरकार इस बात का ध्यान रखेगी कि सेलम इस्पात संयंत्र, जो तीनों संयंत्रों में सबसे बड़ा है, के कार्य में निर्धारित समयानुसार प्रगति होती रहे।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या परामर्शदात्री फर्म को कोई जुर्माना दिया जाएगा?

श्री के० डी० मालवीय : इस बारे में अभी मुझे पता नहीं है। इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्री बी० वी० नायक : पहले उत्तर में मंत्री महोदय ने बहुत स्पष्ट रूप से यह कहा है कि संसा-धनों की कमी के कारण कार्यक्रम में परिवर्तन किया जाएगा। यह बात सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री डा० मिनहास की विचारधारा की पुष्टि करती प्रतीत होती है कि पांचवीं योजना कभी आरम्भ होने वाली नहीं है।

चाहे जो हो, यदि संसाधन सीमित हैं तो एक साथ तीन संयंत्र स्थापित करने में क्या तर्क है? विज़ाग सेलम, हास्पेट तीनों संयंत्रों को एक साथ आरम्भ न करके क्या केवल हास्पेट को ही आरम्भ करना उचित नहीं है क्योंकि इसके आरम्भ करने से सभी लाभ उपलब्ध होते हैं।

श्री के० गोपाल : हम कहते हैं कि केवल सेलम का कार्य ही आरम्भ किया जाए।

श्री बी० वी० नायक : फिर से नीति क्यों नहीं बना लेते ?

श्री सुबोध हंसदा : यह कार्यक्रम देने के लिये सुझावमात्र है।

श्री बी० वी० नायक : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है।

श्रीमती टी० लक्ष्मीकान्तम्मा : नहीं, तीनों संयंत्रों का कार्य एक साथ चलना चाहिये।

श्री एम० कतामुतु : स्वर्गीय श्री कुमारमंगलम ने कई बार आश्वासन दिया था कि संयंत्र को निश्चित तिथि पर चालू किया जाएगा। परन्तु अब यह असम्भव है। तिथि में परिवर्तन कर दिया गया है। इसका क्या कारण है?

श्री के० डी० मालवीय : आज सरकार तथा देश के सम्मुख जो स्थिति है उससे विवश होकर हमें समूचे कार्यक्रम का पुनर्विलोकन करना पड़ रहा है। यह केवल सेलम संयंत्र का तो प्रश्न नहीं है, सीमित तथा अनुपलब्ध संसाधनों को दृष्टि में रखते हुए समूची योजना का पुनरीक्षण किया जा रहा है।

श्री बी० के० दास चौधरी : मंत्री महोदय के वक्तव्य तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि इस समय संसाधनों की कमी है, यह बात जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय ने सेलम में बनाए जाने वाले तथा अन्य इस्पात संयंत्रों में बनाए जाने वाले स्टेनलैस स्टील के मूल्यों का तुलनात्मक अध्ययन किया है? यदि हां तो कितना अन्तर है?

उपाध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न संगत नहीं है।

श्री बी० के० दास चौधरी : मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। कृपया (ग) भाग का उत्तर देखिये। बताया गया है कि इस संयंत्र से कई हजार टन स्टेनलैस स्टील तथा अन्य मदों का उत्पादन होगा और सेलम इस्पात संयंत्र की विशेष इस्पात की 95,000 मीटरी टन की क्षमता होगी।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न का मूल्य से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री ए० के० एम० इसहाक : देश की अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में सेलम में नया इस्पात संयंत्र स्थापित करने का क्या औचित्य है?

उपाध्यक्ष महोदय : यह नीति का प्रश्न है।

श्री सी० टी० दंडपाणि : जहां तक सेलम इस्पात कारखाने का सम्बन्ध है तमिलनाडु में द्रुमक द्वारा बड़ा संघर्ष किये जाने पर यह उपलब्ध हुआ है। इन मंत्रीमहोदय की अनुचित कार्यवाही से जानबूझ कर अन्याय किया जा रहा है। दो मंत्रियों ने दो उत्तर दिये हैं। एक मंत्री महोदय ने कहा है कि संसाधन नहीं हैं और दूसरे ने कहा है कि संसाधन न होने पर भी वे भविष्य में सेलम इस्पात संयंत्र के संतोष-जनक कार्यक्रम तथा कार्यकरण पर विचार करेंगे। क्या सरकार ने भिलाई, बोकारो तथा अन्य इस्पात कारखानों के नियतन में भी कोई कटौती की है, क्योंकि मंत्री महोदय ने आज उत्तर दिया है कि पांचवीं पंचवर्षीय योजना में लक्ष्य 89 लाख मीटरी टन से 151 लाख मीटरी टन तक का होगा? यदि ऐसा है तो सरकार ने सेलम इस्पात संयंत्र की राशि में कटौती क्यों की है?

श्री के० डी० मालवीय : मैंने यह नहीं कहा है कि संसाधन नहीं हैं अथवा सेलम इस्पात संयंत्र द्रुमक के संघर्ष के परिणामस्वरूप उपलब्ध कराया गया है। देश की इच्छा तथा आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इस कारखाने की व्यवस्था की गई है। मैंने यह तो नहीं कहा है कि संसाधन नहीं है अतः इसके नियतन में कटौती की गई है। मैंने केवल इतना कहा है कि जो परिस्थितियां बनाई जा रही हैं और जिनके बारे में सदन में इस ओर बैठे हुए सदस्य भली भांति अवगत हैं उन के कारण संसाधनों पर बड़ा भार है।

श्रीमती टी० लक्ष्मीकान्तम्मा : बहुत बड़े आन्दोलन के बाद सरकार ने दक्षिण के लिये तीन इस्पात कारखाने मंजूर किये जिनके महत्त्व को बताने की हमें आवश्यकता नहीं है। अब तीन कारखानों के नियतन में कटौती की गई है। मेरे विचार से विज़ाग में प्रगति बड़ी धीमी है और पता नहीं इन कारखानों को उत्पादन आरम्भ करने में कितना समय लग जाएगा। यह बात अविवादास्पद है कि इस्पात, कृषि, उद्योग तथा प्रत्येक अन्य पहलू का आधार है। क्या इस्पात मंत्रालय योजना आयोग पर इस बात के लिये दबाव डालेगा कि इन इस्पात परियोजनाओं के नियतन में कोई कटौती न की जाए?

श्री के० डी० मालवीय : हम दबाव डालने का प्रयास करेंगे।

श्री ज्योतिमय बसु : इस्पात कारखानों के लिये धनराशि के नियतन में इस कटौती से इस कारखाने के कार्य में निःसंदेह विलम्ब होगा। दूसरी ओर हम देखते हैं कि कारखाने के लिये आवश्यक सभी वस्तुओं के मूल्य बढ़ रहे हैं। क्या मंत्री महोदय यह बताएंगे कि इस विलम्ब के कारण इन परियोजनाओं के पूरा होने में कितनी अतिरिक्त लागत आएगी?

श्री के० डी० मालवीय : कुछ अतिरिक्त लागत आएगी परन्तु निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

बलगारिया के प्रधान मंत्री का दौरा

*493. **श्री पी ए० स्वामीनाथन** :

श्री निहार लास्कर :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और बलगारिया के प्रधान मंत्रियों के बीच नई दिल्ली में 5 मार्च, 1974 को विचार-विमर्श हुआ था;

(ख) यदि हां, तो किन-किन विषयों पर विचार-विमर्श हुआ था और क्या निर्णय लिये गए; और

(ग) क्या उनके बीच कोई समझौता हुआ है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) इस बातचीत में भारत-बलगारियाई संबंधों के सभी पहलुओं तथा समान हित के सभी प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्नों पर विचार-विमर्श हुआ। यात्रा की समाप्ति पर जारी की गई भारत-बलगारियाई संयुक्त विज्ञप्ति की एक प्रति सभा-पटल पर रख दी गई है। **[ग्रंथालय में रखी गयी देखिये संख्या एल० टी० 6569/74.]**

(ग) इस यात्रा के दौरान जिन करारों और प्रोतोकोलों पर हस्ताक्षर हुए थे वे 7 मार्च, 1974 को ही सभा-पटल पर रखे जा चुके हैं :—

(1) आर्थिक, तकनीकी एवं वैज्ञानिक सहयोग के बारे में प्रोतोकोल।

(2) दीर्घावधि व्यापार और अदायगी करार; और

(3) परस्पर वीसा समाप्ति के बारे में पत्रों का आदान-प्रदान।

नई दिल्ली तथा केनबरा में भारत आस्ट्रेलियाई वार्ता

*494. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली तथा केनबरा में भारत और आस्ट्रेलिया के बीच हाल में हुई वार्ता के कितने दौर चले;

(ख) भारत की ओर से किसने भाग लिया; और

(ग) वार्ता का प्रत्येक दौर कितने समय तक चला ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ग) भारत-आस्ट्रेलिया वार्ता का हाल का दौर 27 फरवरी से 1 मार्च, 1974 तक कैनबरा में चला। इससे पहले, वार्ता आस्ट्रेलिया के प्रधान मंत्री ने 3 से 6 जून, 1973 तक की भारत-यात्रा के दौरान नई दिल्ली में हुई थी।

(ख) आस्ट्रेलिया के प्रधान मंत्री की भारत यात्रा की समाप्ति पर जारी की गई संयुक्त विज्ञप्ति सदन की मेज़ पर रखी जा रही है। अधिकारियों की वार्ता की समाप्ति पर जारी की गई प्रेस-विज्ञप्ति पहले ही 21 मार्च, 1974 को सदन के समक्ष रख दी गई थी। **[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 6570/74.]** इनमें संगत तथ्य दिये गए हैं।

धातुकर्मक कोयले के मूल्य में वृद्धि

*495. **श्री रण बहादुर सिंह** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या स्टील आथोरिटी आफ इंडिया लिमिटेड ने भारत कोकिन्ग कोल लि० को धातुकर्मक कोयले के मूल्य में वृद्धि करने की मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि हां, तो "लोह ऐश" मिश्रण करने योग्य तथा "डायरेक्ट सीड कोकिंग" कोयले के लिये प्रति टन वृद्धि की रूपरेखा क्या है तथा कोयला धोने वाले कारखानों को कितना कोयला सप्लाई किया जाता है; और

(ग) क्या इससे इस्पात के मूल्य में वृद्धि की मांग किये जाने की सम्भावना है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) जी, हां।

(ख) स्टील आथारिटी आफ इंडिया लि० ने अपने पूर्ण स्वामित्व की सहायक कम्पनी भारत कोकिंग कोल लि० को कोयला शोधनशालाओं को सप्लाई किये जाने वाले कोककर कोयले के मूल्य में 16 रुपये प्रति टन की वृद्धि करने की अनुमति दे दी है। इस्पात कारखानों को सप्लाई किये जाने वाले कम राख की मात्रा वाले कोककर कोयले के मामले में 36 रुपये प्रति टन की वृद्धि करने की अनुमति दी गई है। कोयला शोधनशालाओं को सप्लाई किये जाने वाले कोककर कोयले के मूल्य में वृद्धि के कारण शोधनशालाओं ने इस्पात कारखानों को सप्लाई किये जाने वाले शोधित कोयले के मूल्य में अस्थाई तौर पर 22 रुपये प्रति टन की वृद्धि कर दी है। ये वृद्धियां 15-11-1973 से लागू की गई हैं और द्विपक्षीय समझौते के फलस्वरूप कामगारों के वेतन में की गई वृद्धि के लिये भारत कोकिंग कोल लि० को प्रतिपूर्ति करने के लिये की गई हैं। भारत कोकिंग कोल लि० के प्रबन्ध के अधीन शोधनशालाओं को अप्रैल, 1973 से फरवरी, 1974 की अवधि में प्रेषित किये गए कोयले की मात्रा 36.9 लाख टन है।

(ग) इस समय इस्पात के उत्पादों के विक्रय मूल्य में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

बीड़ी कर्मचारियों के लिये सहकारी समितियां और कल्याण निधि

*496. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में बीड़ी कर्मचारियों के लिये सहकारी समितियां गठित करने और कल्याण निधि स्थापित करने के निर्णय के बारे में क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है ?

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : बीड़ी श्रमिकों के लिये कल्याण निधि स्थापित करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। सहकारी समितियां गठित करने के प्रश्न की जांच की जा रही है।

कपड़ा मशीनरी उद्योग की कच्चे माल की आवश्यकतायें

*497. **श्री जगन्नाथ मिश्र** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने कपड़ा मशीनरी निर्माता उद्योग से कहा है कि चालू वर्ष के लिये कच्चे माल की अपनी आवश्यकताएं बताएं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने कपड़ा मशीनरी के निर्माण का पर्याप्त विस्तार और नए एककों की स्थापना के लिये आवेदनपत्रों की जांच करने के बारे में क्या मानदण्ड अपनाए?

भारी उद्योग मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी, हां।

(ख) विस्तार के लिये आवेदनों की जांच करने के मानदण्ड इस प्रकार हैं :—

(1) मांग की प्राथमिकता और इसकी मात्रा;

(2) गति एवं लागत के रूप में विस्तार करने के लिये तुलनात्मक अर्थव्यवस्था;

(3) कम्पनियों के संचालन के वित्तीय पहलुओं के बारे में विस्तार पर स्थाई प्रभाव होगा। मांग और वह समय जिसमें यह मांग पैदा हुई हो, आन्तरिक बकाया और परियोजना की यथार्थता के रूप में प्रस्ताव के गुण, परियोजना की वित्तीय और प्रबन्धकीय शाख और स्थान भी नए एककों के लिये आवेदनों पर विचार करने के मानदण्ड हैं।

भारतीय नर्सों को ओमान भेजा जाना

*498. **श्री आर० एन० वर्मन :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ओमान के अस्पतालों में काम करने के लिये 100 नर्सें भेजने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो ये नर्सें वहां कब तक ड्यूटी पर उपस्थित हो जाएंगी; और

(ग) इनके चयन की कसौटी और वहां उनका भविष्य क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) से (ग) ओमान के अस्पतालों में कार्य करने के लिये भारतीय नर्सों की भरती के लिये ओमान की सरकार की प्रार्थना पर सरकार विचार कर रही है।

जर्मनी के सहयोग से पोटाशियम संयंत्र का निर्माण

*499. **श्री एम० एस० संजीवी राव** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एक जर्मन फर्म के साथ पोटासियम संयंत्र के निर्माण के लिये समझौता किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर कितनी लागत आने का अनुमान है और संयंत्र की क्षमता कितनी होगी और इसकी स्थापना कहां की जाएगी ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) सरकार को ऐसे किसी प्रस्ताव की जानकारी नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

माना शिविर के कर्मचारी संघ द्वारा मांग पत्र प्रस्तुत किया जाना

*500. **श्री बी० के० दास चौधरी** : क्या **पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माना विस्थापित व्यक्ति शिविर के कर्मचारी संघ ने उनके मंत्रालय को एक मांग-पत्र प्रस्तुत किया था और उसके बाद उप-मंत्री की उपस्थिति में कर्मचारी संघ और उनके मंत्रालय के बीच मामला तय हो गया था; और

(ख) यदि हां, तो निर्णय की शर्तें क्या थीं और क्या इन सब निर्णयों को उचित रूप से क्रियान्वित किया गया है?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख) संघ द्वारा प्रस्तुत मांगों पर पुनर्वास उप-मंत्री की अध्यक्षता में 14 जून, 1973 को हुई बैठ में चर्चा की गई थी। अन्य बैठक 29 जनवरी, 1974 को हुई थी जबकि मांगों की स्थिति तथा उन पर की गई कार्यवाही के बारे में चर्चा की गई थी।

मैसर्ज केमीकल्स एण्ड फाइवर्स आफ इन्डिया लिमिटेड को कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के अधीन छूट

*501. **श्री मधु दण्डवते** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने मैसर्ज केमीकल्स एंड फाइवर्स आफ इंडिया लिमिटेड को कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम की धारा 17 के अधीन छूट दिये जाने सम्बन्धी दावे को कम्पनी के इस तर्क के बावजूद अस्वीकार कर दिया है कि उसकी अपनी भविष्य निधि योजना सरकारी योजना की अपेक्षा कर्मचारियों के लिये अधिक लाभदायक है ;

(ख) यदि हां, तो इसे अस्वीकार करने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या केमिकल्स एंड फाइवर्स आफ इंडिया के कर्मचारी संघ ने भी सरकार की कर्मचारी भविष्य निधि योजना की अपेक्षा कम्पनी की योजना का पक्ष लिया है ?

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : भविष्य निधि प्राधिकारियों ने निम्न प्रकार सूचित किया है:—

(क) और (ख) कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952 की धारा 17(1) के उपबन्धों के अन्तर्गत, महाराष्ट्र की राज्य सरकार इस मामले में छूट स्वीकृत करने के लिये समुचित सरकार है। राज्य सरकार ने कम्पनी के छूट सम्बन्धी आवेदन पत्र को अस्वीकार कर दिया है क्योंकि उनके अनुसार, कम्पनी के भविष्य निधि नियमों के अन्तर्गत उपलब्ध लाभ कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के अन्तर्गत लाभों की अपेक्षा कम हितकर हैं।

(ग) जी हां, परन्तु सूचना मिली है कि अन्य संघों ने छूट सम्बन्धी अनुरोध का विरोध किया है।

जैसप एंड कम्पनी को हुआ घाटा

*502. **श्री शक्ति कुमार सरकार** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जैसप एंड कम्पनी को 1 अप्रैल, 1973 से सरकारी क्षेत्र की कम्पनी बन जाने के बाद 1458 लाख रुपये का घाटा हो चुका है;

(ख) यदि हां, तो इस कारखाने को लगाई गई पूंजी की तुलना में कितना घाटा हुआ है और वहां स्थापित क्षमता के कितने प्रतिशत का उपयोग हो रहा है;

(ग) सरकारीकरण के छः माह पहले और छः महीने बाद उसका मासिक उत्पादन कितना-कितना था; और

(घ) निर्धारित क्षमता का पूरा उपयोग करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

भारी उद्योग मंत्री (श्री टी० ए० पाई०) : (क) 1 अप्रैल, 1973 से जैसप एंड कम्पनी एक सरकारी कम्पनी बन गई थी। 1973-74 में कम्पनी द्वारा समग्रता अलाभकर आर्डरों के जमाव के कारण लगभग 432 लाख रुपये की हानि उठाये जाने की आशा है।

(ख) (i) 224.00 लाख रुपये की चुकता पूंजी में से सरकारी निवेश 114.33 लाख रुपये का है। (ii) अधिष्ठापित क्षमता के उपयोग का वर्तमान स्तर लगभग 70 प्रतिशत है।

(ग) उत्पादन (लाख रुपये में)

अप्रैल 1973 से पूर्व		अप्रैल 1973 के पश्चात्	
1		2	
अक्तूबर, 72 . .	111	अप्रैल, 73 . . .	102
नवम्बर, 72 . .	136	मई, 73	201
दिसम्बर, 72 . .	152	जून, 73	178

1		2	
जनवरी, 73	156	जुलाई, 73	183
फरवरी, 73	174	अगस्त, 73	152
मार्च, 73	178	सितम्बर, 73	137
	907		953

(घ) अभी तक मजदूरों द्वारा कम उत्पादन करना, बिजली की अनियमित सप्लाई, कच्चे माल और पुर्जों की नियमित और समय से सप्लाई न होना, अलाभकर आर्डरों के जमाव से उत्पन्न हानि और कार्यकारी पूंजी के अत्यधिक कमी के बेहतर उपयोग करने में आड़े आती रही है। सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से जसप कम्पनी को पर्याप्त और नियमित रूप से बिजली देने की व्यवस्था पर विचार किया है। कच्चे माल तथा पुर्जों की समय से सप्लाई सुनिश्चित करने हेतु भी कदम उठाये गये हैं। कम्पनी की कार्यकारी पूंजी की स्थिति में सुधार लाने के प्रयास भी किये जा रहे हैं।

Government Hospitals/Dispensaries in States

***503. Shri Jagannath Rao Joshi :** Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) the number of persons after whom there is a Government Hospital in every State;

(b) the number of persons after whom there is a Government dispensary similarly; and

(c) the information in regard to (a) and (b) at the commencement of the first Five Year Plan ?

The Minister of Health and Family Planning (Dr. Karan Singh) : (a) & (b) A statement giving the information as on 1-1-1973 is placed on the table of the Sabha.

(c) There was a total of 8600 hospitals and dispensaries at the commencement of the First Five Year Plan. Information in regard to the population served per hosptial/dispensary Statewise is not readily available.

STATEMENT

as on 1-1-73

Sl. No.	Name of the State/U.T.	Total No. of		Population served (in lakhs)	
		Hospitals	Dispensaries.	Per Hospital	Per Dispensary
1	2	3	4	5	6
1.	Andhra Pradesh	417	691	1.08	0.65
2.	Assam	244	429	0.65	0.37
3.	Bihar	139	1049	4.18	0.55
4.	Gujrat	136	1466	2.05	0.19

1	2	3	4	5	6
5.	Haryana	76	160	1.36	0.65
6.	Himachal Pradesh	39	425	0.89	0.08
7.	Jammu & Kashmir	34	603	1.41	0.08
8.	Kerala	119	433	1.86	0.51
9.	Madhya Pradesh	203	142	2.14	3.06
10.	Maharashtra	414	997	1.26	0.52
11.	Manipur	13	61	0.85	0.18
12.	Meghalaya	10	+	1.02	+
13.	Karnataka	190	1021	1.60	0.30
14.	Nagaland	29	79	0.18	0.07
15.	Orissa	214	331	1.06	0.69
16.	Punjab	117	335	1.19	0.42
17.	Rajasthan	423	352	0.63	0.76
18.	Tamilnadu	326	536	1.30	0.79
19.	Tripura	13	100	1.24	0.16
20.	Uttar Pradesh	842	438	1.08	2.08
21.	West Bengal	293	435	1.58	1.06
22.	A & N Islands	12	52	0.10	0.02
23.	Arunachal Pradesh	17	—	0.27	—
24.	Chandigarh	2	12	1.33	0.22
25.	Dadra & Nagar Haveli	1	2	0.77	0.38
26.	Delhi	55	248	0.80	0.18
27.	Goa	48	31	0.19	0.29
28.	Lakshadweep Islands	2	—	0.17	—
29.	Mizoram	3	27	1.09	0.12
30.	Pondicherry	8	22	0.61	0.22
	INDIA (TOTAL)	4439	10477	1.28	0.54

NOTE : + = Information not available

आगामी दस वर्षों में नये इस्पात संयंत्रों की स्थापना

*504. **श्री पी० आर० शिनाय :**

डा० कर्णी सिंह :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगामी दस वर्षों में देश में नये इस्पात संयंत्रों की स्थापना के लिये कोई योजना बनाई गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं?

इस्पात और खान मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) और (ख) पांचवीं पंचवर्षीय योजना में इस्पात विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1978-79 तक इस्पात कारखानों की इस्पात उत्पादन की वर्तमान 89 लाख टन क्षमता को बढ़ाकर 151.5 लाख टन पिण्ड करने की परिकल्पना की गई है, और इसे प्राप्त करने के

लिये भिलाई इस्पात कारखाने की क्षमता को 25 लाख टन पिण्ड से बढ़ाकर 40 लाख टन पिण्ड करना और वर्ष 1978-79 तक बोकारो इस्पात कारखाने का विस्तार कार्य जारी रखना और वर्ष 1978-79 तक इस कारखाने की क्षमता 47.5 लाख टन पिण्ड करना था। इसके अलावा सलेम, विशाखापत्तनम तथा विजयनगर में स्थापित किये जाने वाले तीन नये इस्पात कारखानों की स्थापना का कार्य भी चलता रहेगा।

छटी योजना में इस्पात के विकास के लिये विस्तृत प्रस्ताव अभी तैयार नहीं किये गये हैं।

पाकिस्तान से और पत्र

*505. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत को पिंडी से कोई नवीनतम पत्र मिला है;

(ख) क्या यह पत्र भी उतना ही अस्पष्ट है जितना कि 21 जनवरी, 1974 का पत्र था; और

(ग) क्या भारत ने पाकिस्तान से और स्पष्टीकरण मांगा है?

विदेश मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (ग) बाद में 12 फरवरी, 1974 के पत्र में पाकिस्तान ने अपनी उस पूर्व स्थिति पर फिर से विचार करने की इच्छा प्रकट नहीं की कि संचार के केवल कुछ स्वरूपों को फिर से आरम्भ करने तक वार्ता को सीमित रखा जाये। 25 फरवरी, 1974 के अपने जवाब में सरकार ने दोहराया है कि शिमला करार में निहित समूची संचार व्यवस्था पर, जिसमें वैमानिक तालमेल और ऊपरी उड़ानें शामिल हैं, बातचीत करना वांछनीय होगा और दोनों देशों के लोगों की कठिनाइयां दूर करने के लिये यात्रा पुनः आरम्भ करने पर भी विचार विमर्श किया जायेगा।

इंडिया पापुलेशन प्रोजेक्ट, बंगलौर के निदेशक का त्याग-पत्र

4918. **श्री के० लकप्पा** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडिया पापुलेशन, प्रोजेक्ट, बंगलौर के निदेशक ने अपना त्यापत्र भेज दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उसे स्वीकार कर लिया गया है; और

(ग) इस परियोजना के लक्ष्य प्राप्त करने में अब तक कितना धन खर्च हुआ है?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री कोंडाजी वासप्पा) : (क) जनसंख्या परियोजना (पापुलेशन प्रोजेक्ट) के निदेशक ने त्यागपत्र नहीं दिया है।

(ख) उन्होंने जनसंख्या केन्द्र के निदेशक के रूप में अपने कर्त्तव्यों से मुक्त किये जाने के लिये अनुरोध किया था ताकि वे कर्नाटक विश्वविद्यालय, धारवाड़ (अपने मूल विभाग) को वापस जा सकें किन्तु बाद में उन्होंने अपने अनुरोध पत्र को वापस ले लिया और इस समय वे जनसंख्या केन्द्र के निदेशक के पद पर कार्य कर रहे हैं।

(ग) लगभग 50 लाख रुपये।

बैलाडिला में लौह अयस्क का उत्पादन

4919. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान को 612.6 लाख टन अयस्क सप्लाई करने के दीर्घावधि ठेके का दायित्व पूरा करने के लिये बैलाडिला में लौह अयस्क का उत्पादन समुचित रूप से नहीं बढ़ रहा है;

(ख) क्या इसके परिणाम स्वरूप 1971-72 और 1973-74 में 150 लाख टन का निर्यात लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकेगा;

(ग) यदि हां, तो कितनी कमी रह जायेगी और क्यों; और

(घ) प्रत्येक वर्ष के लिये बनाये गये कार्यक्रम के अनुसार भविष्य में पूरी मात्रा में निर्यात सुनिश्चित करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं।

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) :(क) दीर्घावधि करार के अनुसार 612.6 लाख टन लौह अयस्क की सप्लाई 30 अप्रैल, 1980 तक पूरी की जानी है। वार्षिक प्रेषण अनुसूची, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम की बैलाडिला की खान के अनुमानित उत्पादन तथा रेलवे द्वारा ढुलाई के लिये दिये गये आश्वासनों के आधार पर तैयार की जाती है।

(ख) जी, हां।

(ग) अनुमान लगाया गया है कि वार्षिक लदान अनुसूची के अनुसार अप्रैल, 1971 से मार्च, 1974 की अवधि में लगभग 37 लाख टन की कमी रह जायेगी। यह कमी उत्पादन में हुई कमी के कारण आई है। उत्पादन में हुई कमी होने के कारण निम्नलिखित है:—

(1) बैलाडिला निक्षेप संख्या 14 से लौह अयस्क के डलें उतनी मात्रा में नहीं निकाले गये जितनी मात्रा में विस्तृत प्रायोजना प्रतिवेदन में परिकल्पना की गई थी।

(2) क्रसिंग और स्क्रीनिंग संयंत्र के लिये आयात किये जाने वाले फालतू पुर्जों तथा प्रायोजना के लिये आयात की जाने वाली मशीनरी की प्राप्ति में देरी;

(3) 1971 में कन्वेयर सिस्टम में बड़ी खराबी हो जाना तथा 1971-72 में उपस्करों की अनुपलब्धि;

(4) भारी वर्षा होना जिसके कारण रिक्लेमेशन सुरंग में पानी भर गया जिसके परिणाम स्वरूप जुलाई, 1972 में कारखाने का उत्पादन रुक गया, क्रासिंग और स्क्रीनिंग संयंत्र में खराबी आना, और कन्वेयर बेल्ट में आग लगना जिसके परिणामस्वरूप कारखाने को बन्द करना पड़ा।

(5) बैलाडिला निक्षेप संख्या 5 के पूर्ण होने में विलम्ब।

(घ) कमी को पूरा करने के लिये निम्नलिखित योजनायें विचाराधीन है।

(1) बैलाडिला निक्षेप संख्या 5 में उत्पादन आरम्भ होने से ही तीन पारी चलाना।

(2) अर्द्ध यंत्रीकृत खनन के साथ-साथ फ्लोट और निकालने का काम भी जारी रखना।

भारत में खाद्य प्रयोगशालाएं

4920. **श्री मार्तण्ड सिंह** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाद्य अपमिश्रण अधिनियम के अन्तर्गत भारत में राज्यवार कितनी खाद्य प्रयोगशालायें हैं;

(ख) क्या खाद्य विश्लेषण के लिये अपेक्षित नवीनतम उपकरणों से ये सभी प्रयोगशालायें लैस हैं; और

(ग) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) एक विवरण संलग्न है ।

(ख) और (ग) खाद्य पादार्थों के विश्लेषण के लिये जो नवीनतम संयंत्र आवश्यक हैं उनसे प्रयोगशालायें इस समय अच्छी तरह से सुसज्जित नहीं हैं। वैसे, इन प्रयोगशालाओं के विकास के लिये राज्यों और स्थानीय निकायों को केन्द्रीय सहायता देने के लिये पांचवीं पंचवर्षीय योजना में एक योजना शामिल की गई है।

विवरण

राज्यों के नाम	खाद्य प्रयोग-शालाओं की कुल संख्या
1. आन्ध्र प्रदेश	2
2. असम	1
3. बिहार	2
4. गुजरात	5
5. हरियाणा	1
6. जम्मू व कश्मीर	2
7. हिमाचल प्रदेश	1
8. केरल	1
9. तमिलनाडु	3
10. मध्य प्रदेश	12
11. महाराष्ट्र	6
12. मैसूर	4
13. उड़ीसा	1
14. पंजाब	4
15. राजस्थान	14
16. उत्तर प्रदेश	1
17. पश्चिम बंगाल	8
18. दिल्ली	1
19. गोआ	1
20. पांडिचेरी	1
	71

ब्रिटेन जाने वाले भारतीय

4921. **श्रीमती कृष्णा कुमारी** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ब्रिटेन जाने वाले भारतीयों की वार्षिक संख्या क्या है और उनमें से कितने प्रतिशत वहां स्थाई रूप से रहना चाहते हैं;

(ख) क्या भारत और ब्रिटेन की सरकारों में इस सम्बन्ध में कोई बातचीत हुई थी और यदि हां, तो उसके परिणाम क्या हैं; और

(ग) क्या ब्रिटेन और भारत के बीच दर्शकों के लिये 'बीजा' प्रणाली लागू करने का प्रस्ताव सरकार के सक्रिय विचाराधीन है; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) 1972 में लगभग 60,000 भारतीय नागरिकों ने यूनाइटेड किंगडम की यात्रा की जिनमें से 8000 व्यक्ति किंगडम में रहने वाले लोगों के आश्रितों के रूप में गये। शायद इन 8,000 में से बहुत से लोग वहीं रह गये।

(ख) यूनाइटेड किंगडम में भारतीय यात्रियों के प्रश्न पर कई स्तरों पर और कई अवसरों पर दोनों सरकारों के बीच बातचीत हो रही है।

(ग) भारत सरकार यूनाइटेड किंगडम और भारत के बीच बीजा प्रणाली आरम्भ करने के प्रश्न के विभिन्न पहलुओं पर विचार कर रही है।

कोयले की राज्यवार आवश्यकता

4922. **श्री मार्तण्ड सिंह :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्यवार कोयले की आवश्यकता पूरी करने के लिये कोई कार्यवाही की है; और

(ख) यदि हां, तो उनकी आवश्यकताओं सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं और इस सम्बन्ध में सरकार की नीति क्या है?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) इस्पात संयंत्रों, रेलवे, बिजलीघरों, सीमेंट, कारखानों, कागज कारखानों आदि जैसे मुख्य उपभोक्ताओं को कोयला सम्बन्धी मांग का निर्धारण किया जाता है और उन्हें एकक बार कोयला सप्लाई की जाती है। छोटे उद्योगों, ईंट भट्टों, घरेलू उपभोक्ताओं आदि की कोयला मांग इस समय राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित तथा प्रायोजित की जाती है। कोयला नियंत्रक से कहा गया है कि वह राज्य सरकारों के परामर्श से इन छोटे उपभोक्ताओं की राज्य-वार कोयला मांग का निर्धारण करें। कोयला टाल योजना, जो इस समय सरकार के विचाराधीन है, के अन्तर्गत राज्य सरकारों से अपेक्षा की जाती है कि वे इन उपभोक्ताओं के लिये थोक रूप में कोयला लेंगे और अपने द्वारा नामित एजेंसियों के माध्यम से उसका वितरण करेंगे।

Indian Doctors in Australia

4923. **Shri Hukum Chand Kachwai :** Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state whether Government would ascertain from the Indian Embassy in Australia the present number of Indian doctors in Australia ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri A. K. Kisku): Yes, Sir.

Persons of Indian Origin in Japan

4924. **Shri Hukum Chand Kachwai :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government propose to collect information through the Indian Embassy in Japan regarding the number of persons of Indian origin in Japan at present; and

(b) if so, the facts thereof ?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra pal Singh) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Coal produced in Madhya Pradesh

4925. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) the quantity of coal produced in the Madhya Pradesh coal mines during the last three years, year-wise ; and

(b) the percentage of increase or decline in coal production during the said period, year-wise ?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Subodh Hansda) : (a) & (b). The required information is given below :

Year	Production (Million tonnes)	Increase(+)/decrease(—)% with reference to production in the previous year.
1971-72 .	13.91	
1972-73 .	14.92	(+) 7.26%
1973-74 . (Estimated)	15.74	(+) 5.50%

Bonus to Bhilai Steel Plant Employees

4926. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether bonus is being paid to the employees of the Bhilai Steel Plant ; and

(b) if so, the amount of bonus paid to them annually and the rate thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Subodh Hansda) : (a) Yes, Sir. Profit sharing bonus is being paid to the employees of Bhilai Steel Plant in accordance with the Payment of Bonus Act, 1965.

(b) Amount of bonus paid annually and rate are as under :—

Year	Rate of Annual Bonus	Amount (Rupees in Lakhs)
1965-66	4%	43
1966-67	4%	57
1967-68	4%	56
1968-69	4%	56
1969-70	4%	59
1970-71	8.33%	141
1971-72	8.33%	157
1972-73	8.33%	179

Rivalry between two Groups of I.N.T.U.C. Bhilai Plant

4927. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether negotiations were deadlocked and the work of the blast funaces came to a standstill on account of rivalry between two groups of I.N.T.U.C. (Bhilai Plant) Unions;

(b) if so, the extent of loss suffered on account of the work in blast furnaces and rolling mills coming to a standstill ; and

(c) the steps taken by Government to thrash out the issues involved ?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Subodh Hansda) : (a) to (c). There was some disturbance in Bhilai affecting the operation of the blast furnaces and the rolling mills mainly as a result of some intra-union rivalries but the loss of production on this account was small. Fuller information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Low Temperature Coal Carbonisation Plant in Sarguja

4928. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether the Union Government propose to conduct a survey through the Ministry of Steel of the Low Temperature Coal Carbonisation Plant Project already decided to be set up in Sarguja District of Madhya Pradesh by the Central Fuel Research Institute; and

(b) if so, the facts thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Subodh Hansda) : (a) and (b). At the instance of the Government of Madhya Pradesh, the Central Fuel Reseach Institute, Dhanbad, prepard in 1969 a Feasibilty Report recommending setting up of a Low Temperature Carbonisation Plant in Sarguja District, at a capital cost of Rs. 10.40 crores for an annual processing of 4,95,000 tonnes of coal, for production of 1,39,000 tonnes per annum of LTC Coke for domestic use, 1,70,000 tonnes of formed coke and 40,500 tonnes of ferro-alloys coke. The report was forwarded by the State Government to Central Government in April, 1973 and is under consideration.

केरल को एल्यूमिनियम पिण्डों की सप्लाई

4929. **श्री वयालार रवि** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि केरल में एल्यूमिनियम पर आधारित बहुत से उद्योगों को एल्यूमिनियम पिण्ड न मिलने तथा एल्यूमिनियम कम्पनियों की उनके आवंटित कोटे की सप्लाई करने की अनिच्छा के कारण गम्भीर संकट का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इन औद्योगिक एककों को बन्द होने से बचाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) और (ख) : चालू वर्ष में विभिन्न राज्य बिजली बोर्डों द्वारा एल्यूमिनियम प्रदावकों पर लगाई गई भारी बिजली कटौतियों के कारण एल्यूमिनियम के उत्पादन में काफी कमी हुई है। इसका केरल सहित सभी उपभोक्ता इकाइयों को

धातु की उपलब्धि पर प्रभाव पड़ा। एल्यूमिनियम के प्राथमिक उत्पादकों को कहा गया है कि वे चालू वर्ष में धातु की संभावित उपलब्धि को ध्यान में रखकर किये गये संशोधित ग्राबंटन के ग्राधार पर विभिन्न राज्यों में लघु उद्योगों सहित सभी इकाइयों को पूर्ति का सुनिश्चिय करें।

हिन्दुस्तान लेटैक्स लिमिटेड की उत्पादन क्षमता में वृद्धि

4930. **श्री वयालार रवि :** क्या **स्वास्थ्य ग्रौर परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान लैटैक्स लिमिटेड, त्रिवेंद्रम द्वारा किये गये विकास कार्यों की रूपरेखा क्या है ग्रौर उनमें ग्रब तक कितनी प्रगति हुई है; ग्रौर

(ख) क्या सरकार इस कारखाने की उत्पादन क्षमता बढ़ाने जा रही है ग्रौर यदि हां, तो उसका ब्यौरा ग्रौर की गई कार्यवाही क्या है?

स्वास्थ्य ग्रौर परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री कोंडाजी बासप्पा) : (क) हिन्दुस्तान लेटैक्स लिमिटेड निरोध तैयार करने तथा इसे पैक करने ग्रादि के लिए उपयोग की जाने वाली विदेशी सामग्री ग्रौर मशीनों के स्थान पर देसी सामग्री ग्रौर मशीनों का उपयोग करने की दिशा में निरन्तर कार्य करता रहा है। यह कम्पनी 12 विदेशी रसायनों के स्थान पर देसी रसायन का उपयोग करने तथा एक स्ट्रिप पैकिन्ग मशीन देश में ही बनाने में सफल रही है। इस मशीन को बनाने के लिए ग्राविष्कार संवर्धन बोर्ड ने कम्पनी को कांस्य की शील्ड प्रदान की है। कम्पनी ने मौसम संबंधी ग्रनुसंधान प्रयोजनों के लिए ग्रपेक्षित कतिपय प्रकार के मौसम सूचक गुब्बारे भी तैयार किये हैं।

(ख) सरकार ने कम्पनी के त्रिवेन्द्रम, स्थित संयंत्र की 14-40 करोड़ निरोधों की वर्तमान वार्षिक क्षमता को दुगुना करने की स्वीकृति दे दी है।

गैर-सरकारी कम्पनियों द्वारा 'निरोध' का थोक वितरण

4931. **श्री वयालार रवि :**

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन :

क्या **स्वास्थ्य ग्रौर परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान लेटैक्स लिमिटेड नाम के सरकारी क्षेत्र के कारखाने में उत्पादित 'निरोध' का थोक वितरण कुछ गैर-सरकारी कम्पनियों को क्यों सौंपा जा रहा है ;

(ख) इस उत्पाद के वितरण के लिये चुनी गई कम्पनियों के नाम क्या हैं ग्रौर बिक्री संवर्धन के लिये राज सहायता के रूप में सरकार ने उन्हें कुल कितना धन दिया है; ग्रौर

(ग) क्या इस उत्पाद का थोक वितरण स्वयं हिंदुस्तान लेटैक्स लिमिटेड को सौंपने का कोई प्रस्ताव है, ग्रौर यदि हां , तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं?

स्वास्थ्य ग्रौर परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री कोंडाजी बासप्पा) : (क) ग्रौर (ख) : हिन्दुस्तान लेटैक्स लिमिटेड द्वारा तैयार किये गए निरोध की सम्पूर्ण मात्रा सरकार मुफ्त तथा व्यावसायिक वितरण के लिये खरीद लेती है। व्यावसायिक वितरण योजना के ग्रन्तर्गत देश में उपभोक्ता वस्तुग्रों को बेचने वाली सबसे बड़ी तथा ग्रत्यधिक ग्रनुभवी छः कम्पनियां ग्रौर एक सरकारी उपक्रम निरोध के वितरण का कार्य कर रहे हैं। ये कम्पनियां हैं: ब्रुक बांड इंडिया लिमिटेड, हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड, लिप्टन इंडिया लिमिटेड, इंडिया टोबैको कम्पनी लिमिटेड, टाटा ऑयल मिल्स कम्पनी लिमिटेड, यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड जोकि निजी क्षेत्र में हैं तथा इंडियन ग्रॉयल कार्पोरेशन लिमिटेड जोकि सरकारी क्षेत्र में हैं।

इंडियन ऑयल कार्पोरेशन ने प्रयोगात्मक आधार पर नवम्बर, 1973 के मध्य से ही निरोध वितरण आरम्भ किया है। विभाग ने इन कम्पनियों का चुनाव मुख्यतः इसी बात को ध्यान में रखते हुए किया था कि जो लोग निरोध प्राप्त करना चाहते हैं वे इसे बिना किसी असुविधा के तथा अपने काम करने के स्थान/निवास स्थान से यथासंभव निकटवर्ती स्थान पर प्राप्त कर सकें। यह उद्देश्य इन विक्रेता कम्पनियों को शामिल करने से अच्छी तरह पूरा किया जा सकता था क्योंकि उनके पास वितरण के व्यापक साधन हैं तथा वे चाय, सिगरेट, साबुन, आदि दैनिक आवश्यकता की चीजों के साथ-साथ जिसे वे बेचते हैं, निरोध भी उपलब्ध करा सकते हैं। प्राप्त सूचना के अनुसार इस समय ये कम्पनियां 2.20 लाख से अधिक खुदरा दुकानों को निरोध वितरण करती हैं। बिक्री संवर्धन कार्य-कलापों के लिये सरकार इन कम्पनियों को कोई आर्थिक सहायता नहीं देती। तथापि निरोध के वितरण पर किये जाने वाले खर्च को पूरा करने के लिये इन कम्पनियों को बिक्री पर कमीशन दिया जाता है। 1972-73 में करीब 7.80 करोड़ निरोध बेचने का इन्हें करीब 5.3 लाख रुपये कमीशन के रूप में दिये गये। इस राशि का हिसाब कम्पनियों द्वारा अपने खर्चे पूरे करने के लिये अपने पास रखी गयी मार्जिन की वास्तविक राशि के आधार पर लगाया गया है। मार्जिन की यह राशि हर कम्पनी के लिये अलग अलग है।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। हिन्दुस्तान लेटैक्स लिमिटेड द्वारा निरोध का वितरण अत्यधिक महंगा होने के अतिरिक्त इससे इस योजना का पिछले पैराग्राफ में उल्लिखित वह बुनियादी उद्देश्य पूरा नहीं हो पायेगा जिसके अनुसार निरोध आसानी से तथा व्यापक रूप में उपलब्ध होना चाहिये। तथापि इस योजना के अन्तर्गत बेचे जाने वाले निरोध केवल हिन्दुस्तान लेटैक्स द्वारा ही निर्मित नहीं होते अपितु इस में वे निरोध भी शामिल होते हैं जो विदेश से मुफ्त उपहार के तौर पर आयात किये जाते हैं और सरकार द्वारा भारत की अन्य कम्पनी से भी खरीदे जाते हैं।

अरब रजवाड़ों के साथ संयुक्त उद्यम लगाने का समझौता

4932. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तनम :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संयुक्त अरब रजवाड़ों के साथ संयुक्त उद्यम लगाने संबंधी समझौता किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख). संयुक्त अरब अमीर राज्य के विदेश मंत्री जब भारत आये थे और 25 फरवरी, से 28 फरवरी, 1974 तक यहां ठहरे थे उस समय इस बात पर सहमति हुई कि विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाएं हैं। संयुक्त अरब अमीर राज्य में जिन संयुक्त उद्यमों की सम्भावना है उन्हें--एक इस्पात मिल जिसके लिये कच्चा लोहा भारत से भेजा जायेगा, प्राकृतिक गैस पर आधारित उर्वरक संयंत्र और एक सीमेंट संयंत्र जो पूरी तरह तैयार हो जाने पर उन्हें सौंप दिये जायेंगे। भारत में संभावित संयुक्त परियोजनाएं हैं--तेल साफ करने का कारखाना और एक उर्वरक संयंत्र। इस बात पर सहमति हुई कि दोनों देशों के विशेषज्ञ इन प्रस्तावों का अध्ययन करेंगे और इन्हें आगे बढ़ायेंगे।

इस्पात के निर्यात से आय

4933. **श्री अम्बेश :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस्पात के निर्यात से गत तीन वर्षों में कितनी आय हुई ;

(ख) कौन-कौन से देश भारत से इस्पात खरीद रहे हैं; और

(ग) किन-किन देशों ने गत एक वर्ष में इस्पात के व्यापार के लिये समझौतों पर हस्ताक्षर किये हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) इस्पात के निर्यात से वर्ष 1971-72, 1972-73 तथा 1973-74 (अप्रैल '73 से जनवरी '74 तक) विदेशी मुद्रा के रूप में क्रमशः 18.05 करोड़ रुपये 6.45 करोड़ रुपये और 3.99 करोड़ रुपये की आय हुई ।

(ख) भारत से इस्पात खरीदने वाले देशों में बंगला देश, बर्मा, अल्जीरिया, अर्जनटाइना, श्रीलंका, हांगकांग, ईरान, इंडोनेशिया, कीनिया, कुवैत, मलयेशिया, सूडान, सिंगापुर, थाइलैंड, सोवियत रूस, संयुक्त अरब गणराज्य, अमेरिका, युनाइटेड किंगडम, बैल्जियम, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ईराक, बैहरीन, दुवाय, जोरडन, साउदी अरब, कतार, मस्कट, अदन, सीरिया, तथा दमाम शामिल हैं ।

(ग) रुपये में भुगतान के आधार पर सोवियत रूस, हंगरी, यूगोस्लाविया, जर्मन लोकतन्त्रीय गण-राज्य, रूमानिया, चैकोस्लोवाकिया, बल्गारिया, पोलैंड तथा उत्तरी कोरिया के साथ किये गये व्यापार समझौतों में इस्पात भी शामिल है । पिछले एक वर्ष में हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड ने ईरान तथा इंडो-नेशिया को इस्पात का निर्यात करने के लिये भी करार किये हैं ।

स्कूटरों के आबंटन के बाद उनका चयन

4934. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला :** क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रचलित प्रथा के अन्तर्गत खुले बाजार और केन्द्रीय सरकार के कोटे से बजाज स्कूटर के 'एलाटी' को उसकी पसन्द के अनुसार उसे उसका वाहन चुनने नहीं दिया जाता है तथा उसे कम्पनी द्वारा दिये जाने वाला वाहन स्वीकार करने को बाध्य किया जाता है;

(ख) क्या खरीदार को वारंटी अवधि के अन्दर-अन्दर वाहन कम्पनी को वापिस करने का विकल्प है, यदि वह सन्तोषजनक ढंग से न चले तो ;

(ग) यदि नहीं, तो क्या कम्पनी को निदेश दिया जाएगा कि वह ग्राहक को अपनी पसन्द का वाहन चुनने का अवसर दें; और

(घ) अन्य मेक के स्कूटरों की क्या स्थिति है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (घ). बजाज और लैम्ब्रेटा स्कूटरों के विक्रेता अपने पास उपलब्ध स्टाक में से ग्राहक की पसन्द के अनुसार उसे गाड़ी चुनने की छूट अवश्य देते हैं । एक बार गाड़ी खरीद लेने पर खरीदार को गाड़ी वापिस करने का कोई विकल्प नहीं है। किन्तु यदि वारंटी की अवधि में ग्राहक की गाड़ी में निर्माण संबंधी स्वाभाविक खराबी पाई जाती है तो इस प्रकार की खरावी को, यदि आवश्यक हुआ तो कुछ शर्तों के अधीन हिस्से-पुर्जों को निःशुल्क बदल कर ठीक किया जाता है ।

बर्मा और श्रीलंका से लौटाए गए लोगों पर व्यय

4935. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला :** क्या **पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बर्मा और श्रीलंका से लौटाये गये लोगों के पुनर्वास पर अलग-अलग कितना वार्षिक व्यय होता है; और

(ख) 1974 और 1975 में इन देशों से आने वाले लोगों की संख्या का अनुमान क्या है?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) बर्मा तथा श्रीलंका से लौटे प्रत्यावासियों के पुनर्वास पर किये गये वर्ष-वार व्यय को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) आशा है कि 1974 तथा 1975 के दौरान बर्मा तथा श्रीलंका से लौटने वाले प्रत्यावासियों की संख्या निम्न होगी :—

	लौटने वाले प्रत्यावासी		
	बर्मा से	श्रीलंका से	
1974	लगभग 6,000	लगभग 42,000	इसके अलावा 1964 से हुई प्राकृतिक वृद्धि
1975	लगभग 6,000	लगभग 46,000	,,

विवरण

अवधि	पुनर्वास पर किया गया व्यय			
	बर्मा से लौटे प्रत्यावासियों पर		श्रीलंका से लौटे प्रत्यावासियों पर	
	ऋण	अनुदान	ऋण	अनुदान
	(रुपये लाखों में)			
31-3-1965 तक	41.40	10.00	—	—
1965-66	91.01	13.769	—	—
1966-67	150.15	28.819	—	—
1967-68	74.81	35.024	18.72	—
1968-69	88.86	30.22	53.54	—
1969-70	161.67	39.352	117.62	—
1970-71	175.78	26.962	213.76	—
1971-72	236.02	39.455	185.44	1.16
1972-73	160.65	54.126	161.42	6.20
1973-74 25-3-1974 तक	87.07	16.598	247.21	7.08
	1,267.42	294.325	997.71	14.44

सुकिन्दा में निकल एवं कोबाल्ट संयंत्र

4936. **डा० हरि प्रसाद शर्मा :**

श्री पी० गंगादेव :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने उडीसा में सकिन्दा में पहला निकल-एवं-कोबाल्ट संयंत्र स्थापित करने की योजना पर मुंजूरी दे दी है ; और

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बाते क्या हैं तथा इसकी लागत, उत्पादन क्षमता, कच्चे माल की उपलब्धता और परियोजना के लिए यदि कोई विदेशी सहायता/सहयोग मांगा गया है तो वह क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) जी हां ।

(ख) सरकारी क्षेत्र में स्थापित किए जाने वाले संयंत्र से 4,800 टन निकल और 200 टन कोबाल्ट धातुओं का प्रतिवर्ष उत्पादन होगा । उपोत्पाद के रूप में 17,000 टन उर्वरक ग्रेड अमोनिया सल्फेट का भी उत्पादन किया जाएगा । संयंत्र के 1978 में चालू हो जाने की आशा है । इस पर कुल 39.50 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश होगा । इस स्तर पर किसी प्रकार के विदेशी सहयोग का विचार नहीं है । उड़ीसा के कटक जिले के कांसा (सुकिंदा) क्षेत्र में अब तक प्रमाणित 1.2% औसत निकल वाले 106 लाख टन निकल अयस्क भंडार प्रस्तावित संयंत्र की 20 वर्ष तक की जरूरत को पूरा करने के लिए काफी है । समीप के इलाकों में अतिरिक्त भंडारों की पुष्टि के लिए समन्वेषण कार्य चल रहा है ।

राजस्थान में खनिज-निक्षेपों का वाणिज्यिक स्तर पर निकाला जाना

4937. **श्री कर्णी सिंह :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में राजस्थान में बोलेस्टोनाइट तथा केल्साइट खनिज़ों के विशाल निक्षेपों का पता लगा है; और

(ख) क्या उनके वाणिज्यिक स्तर पर निकाले जाने के लिये कोई योजना तैयार की गई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) जी हां, हाल ही में राजस्थान कें पाली और सिरोही जिलों के खेड़ा उपरला और बैल्का के मध्यवर्ती क्षेत्रों में बोलेस्टोनाइट और कैल्साइट के विशाल निक्षेपों का पता चला है। भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था द्वारा बोलेंस्टोनाइट कें लगभग 560 लाख टन भंडारों का अनुमान लगाया गया है । कैल्साइट के भंडारों का अभी अनुमान नहीं लगाया गया है ।

(ख) इन खनिजों की निजी क्षेत्र के खनन पट्टे देकर निकालने के लिये कार्यवाही की जा रही है।

"इकाफे" में भारतीय राष्ट्रिकों की नियुक्ति

4938. **श्री नवल किशोर सिंह :**

श्री राम कंवर :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "इकाफे" सचिवालय में और अधिक भारतीयों की नियुक्ति पर रोक लगाने संबंधी संयुक्त राष्ट्र-संघ सचिवालय के निर्णय की सरकार को जानकारी है ;

(ख) "इकाफे" सचिवालय में इस समय कुल कितने भारतीय काम कर रहे हैं और उनमें से ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है जो कुछ वर्षों के अन्दर सेवा-निवृत्त हो जायेंगे ; और.

(ग) संयुक्त राष्ट्र-संघ सचिवालय के इस निर्णय के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) भारत सरकार को उपलब्ध सूचना के अनुसार संयुक्त राष्ट्र सचिवालय ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है ।

(ख) इकाफे सचिवालय में 16 भारतीय कार्य कर रहे हैं । इनमें से 13 अगले दो वर्षों में सेवा-निवृत्त हो जायेंगे ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता । फिर भी 1974-75 के वर्षों में चूंकि बहुत से भारतीय सेवा-निवृत्त हो रहे हैं इस कारण, सरकार इकाफे सचिवालय में नये रिक्त स्थानों के लिये सुयोग्य भारतीयों की नियुक्ति के मामलों को जोरदार तरीके से अग्रेसित कर रही है।

पुराने बायलरों को बदलने के बारे में ईंधन नीति संबंधी समिति की सिफारिश

4939. **श्री बंसत साठे :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईंधन नीति संबंधी समिति ने पुराने बायलरों को बदलने की तुरन्त आवश्यकता के बारे में सरकार से सिफारिश की है क्योंकि उनमें मूल प्रौद्यौगिकीय त्रुटियों के कारण अधिक ईंधन की खपत होती है;

(ख) क्या बायलर उद्योग ने अधिकांश मामलों में 25 साल से अधिक समय से अपनी प्रौद्यौगिकी व्यवस्था में सुधार नहीं किया है ;

(ग) क्या कोयले की खपत में भारी बचत करने के लिये 40 प्रतिशत ईंधन क्षमता वाले बायलरों को बदलने का प्रस्ताव है ; और

(घ) उक्त समिति की सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की गई है?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) ईंधन नीति समिति ने उद्योग के लिये ईंधन क्षमता सेवा की व्यवस्था हेतु अन्य बातों के साथ-साथ, वर्तमान ईंधन क्षमता संगठन को सुदृढ़ करने की अनुशंसा की है । समिति ने कुछ ऐसे क्षेत्रों का निर्धारण किया है जिनमें ईंधन क्षमता की गुंजाइश है । ऐसा ही एक क्षेत्र प्रावस्थाक्रम से लंकाशायर बायलर के स्थान पर सुपरइकनामिक तथा होरिजेन्टल रिर्टन ट्यूब बॉयलरों के अपनाने का है।

(ख) अधिकांश, बॉयलर निर्माता विख्यात विदेशी फर्मों के तकनीकी सहयोग से बॉयलरों का निर्माण कर रहे हैं और ये निर्माता अपने उन विदेशी सहयोगकर्ताओं से तकनीकी ज्ञान प्राप्त करते हैं जो करार के अनुसार, देसी फर्मों को नूतन प्रौद्योगिकी की जानकारी देने के लिए बाध्य हैं।

(ग) सरकार ने इस संबंध में कोई प्रस्ताव तैयार नहीं किया है तथापि यह उद्योगों के ही हित में है कि वे अधिक क्षमता वाले बायलर प्राप्त करें ।

(घ) विभिन्न सम्बद्ध मंत्रालयों को सलाह दी गई है कि वे अपने अधीन संगठनों/उद्योगों आदि को ईंधन नीति समिति द्वारा दिये गये सुझाव के अनुसार ईंधन क्षमता में सुधार के उपाय अपनाने हेतु समुचित अनुदेश जारी करें।

दिल्ली विश्वविद्यालय में प्लास्टिक शल्य-चिकित्सा पाठ्यक्रम

4940. **श्री फूल चन्द वर्मा :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय के कैलेंडर में पृष्ठ 450 पर पैरा (4) में यह प्रावधान है कि किसी विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त किसी शिक्षा संस्थान/अस्पताल में काम करते हुए किसी

उम्मीदवार को एक सुपरवाइज़र के अधीन एक पूर्ण कालिक छात्र के रूप में एक या अधिक संस्थानगत कार्य सौंपा जा सकता है ;

(ख) उन उम्मीदवारों के क्या नाम हैं जिन्हें सेवा में रहते हुए तथा विशेषकर प्लास्टिक शल्य चिकित्सा विषय में स्नात्कोत्तर अध्ययन करते हुए पहले भी ऐसी सुविधा का लाभ उठाने की अनुमति दी गई है; और

(ग) उन उम्मीदवारों के नाम क्या हैं जिन्हें उक्त सुविधा देने से इन्कार किया गया है तथा ऐसे प्रत्येक मामले में क्या कारण रहे ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) और (ख) दिल्ली विश्वविद्यालय कैलेंडर के पृष्ठ 450 पर अध्यादेश की धारा (4) में यह दिया हुआ है कि एम०सी० एच० (प्लास्टिक सर्जरी कोर्स) की डिग्री के लिये रजिस्टर्ड विद्यार्थी को बोर्ड आफ रिसर्च स्टडीज़ इन मैडिकल साइन्सेज एकाधिक मान्यता प्राप्त संस्थाओं में एक निर्धारित अवधि तक कार्य करने के लिये नियुक्त करे । वहां पर वह पूर्ण कालिक छात्र के रूप में काम करे और उसके काम की देख-रेख उक्त बोर्ड द्वारा नियुक्त कोई सुपरवाइज़र करे । सफदरजंग अस्पताल का प्लास्टिक सर्जरी विभाग ही दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा इस विषय में स्नातकोत्तर अध्ययन के लिये मान्यता प्राप्त संस्था है । इसलिये, विगत काल में इस बोर्ड द्वारा किसी भी उम्मीदवार को इस कोर्स के लिये किसी अन्य संस्था में नहीं भेजा गया । हां, एक उम्मीदवार ने जिसे सफदरजंग अस्पताल के प्लास्टिक सर्जरी विभाग में 1967 में दो वर्ष तक काम करने के लिये रजिस्टर किया गया था, सही सूचना को छिपा कर विश्वविद्यालय के नियमों का उल्लंघन किया था जिसके लिये विश्वविद्यालय अधिकारियों द्वारा उसके खिलाफ कदाचार संबंधी अनुशासनिक कार्यवाही की गई है ।

(ग) सफदरजंग अस्पताल के प्लास्टिक सर्जरी विभाग में एम०सी०एच०(प्लास्टिक सर्जरी) कोर्स के लिये किसी भी पात्र उम्मीदवार को दाखिला देने से इन्कार नहीं किया गया है। वैसे, डा० वी०एन० गुप्त नामी एक उम्मीदवार के इर्विन अस्पताल में काम करते रहने के दौरान सफदरजंग अस्पताल में इस कोर्स के लिये पंजियन हेतु आवेदन को मंजूर नहीं किया गया । सफदरजंग अस्पताल के प्लास्टिक सर्जरी विभाग के अध्यक्ष ने डा० गुप्त को यह सुझाव दिया था कि वे उक्त परीक्षा की तैयारी हेतु उसी अस्पताल में प्लास्टिक सर्जरी में नौकरी कर लें किन्तु उन्होंने इस सुझाव को नहीं माना ।

अफ़गानिस्तान सरकार से आयोजना और तकनीकी विशेषज्ञों के लिये अनुरोध

4941. **श्री एम० एस० संजीवी राव : क्या विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अफगानिस्तान सरकार ने भारत सरकार से आयोजना और तकनीकी विशेषज्ञ भेजने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां तो यह विशेषज्ञ किन क्षेत्रों के लिए मांगे गये हैं और इस संबंध में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री : (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) यह संभावना है कि भारत-अफगान संयुक्त आयोग की शीघ्र ही जो बैठक होने वाली है उसमें अफगानिस्तान सरकार-योजना, कृषि सामुदायिक विकास, मत्स्य उद्योग, कपड़ा उद्योग, विद्युत उत्पादन एवं संचार, सिविल इंजीनियरिंग, जन-स्वास्थ्य, शिक्षा एवं सांख्यिकी के क्षेत्र के विशेषज्ञों के लिए निवेदन करेगा । इन प्रार्थनाओं पर विचार किया जायेगा और यथा संभव स्वीकार किया जाएगा ।

कपड़ा श्रमिकों में निःशुल्क कपड़ा बांटने संबंधी करार

4942. **श्री मधु लिमये :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अहमदाबाद मजूर महाजन तथा अहमदाबाद मिल ग्रानर्स एसोसिएशन के बीच कपड़ा श्रमिकों में 1.25 करोड़ रुपये का कपड़ा निःशुल्क बांटने संबंधी करार हुआ है ;

(ख) यदि हां तो उक्त समझौते की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) क्या उक्त समझौते के अन्तर्गत बांटें जाने वाले कपड़े की किस्म का ब्यौरा दिया गया है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) मिल श्रमिकों की कपड़े का मुफ्त वितरण करने के बारे में अहमदाबाद मिल ग्रोनर्स एसोसीएशन ने दिसम्बर 1973 में कपड़ा श्रमिक संघ से एक करार किया । करार के अनुसार बांटे जाने वाले कपड़े की लागत के संबंध में सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(ख) करार की मुख्य-मुख्य बातें जैसा कि इसमें तत्पश्चात् 2 जनवरी 1974 को थोड़ा सा संशोधन किया गया निम्न प्रकार है :—

(i) कर्मचारियों को 31-12-1973 से पहले एसी निर्दिष्ट राशि की कीमत का कपड़ा मुफ्त दिया जायगा जो उत्पाद शुल्क के साथ एक्स मिल दर पर परिगणित की जायगी ।

(ii) दी जाने वाले कपड़े की लागत की अनुसूची निम्न प्रकार है :—

वर्ष 1972 के दौरान कुल उपलब्धियां	कपड़े की लागत
501 से 1000 तक	25 रु० (दिये जाने की अन्तिम तारीख 10 जनवरी 1974) ।
1001 से 2400	50 रुपये
2401 से 3400 तक	85 रुपये
3401 से 4600	100 रुपये
4601 और अधिक	110 रुपये

(iii) दो सदस्य मिलों को जो अहमदाबाद मिल ग्रोनर्स एसोसीएशन के सदस्य हैं जो केवल स्पीनिंग मिल हैं को इस करार में शामिल नहीं किया गया ।

(iv) इस करार से उत्पन्न किसी भी प्रश्न के बारे में दो सदस्यों की एक समिति द्वारा निर्णय लिया जायेगा ; जिसमें मिल ग्रोनर्ज एसोसिएशन और कपड़ा श्रमिक संघ का एक-एक सदस्य होगा ।

(v) यह समझौता भविष्य के लिये पूर्वोदारण नहीं बनेगा ।

(ग) बांटे जाने वाले कपड़े की किस्म के बारे में करार में कोई ब्यौरा नहीं दिया गया है ।

कलकत्ता बन्दरगाह पर नौभारकों का नियमानुसार कार्य करना

4943. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता बन्दरगाह पर नौभारक नियमानुसार काम कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उनके साथ बातचीत करने का निर्णय किया है; और

(ग) क्या इस कारण पत्तन को हानि हो रही है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

दिल्ली प्रशासन के औषध नियंत्रण विभाग द्वारा हैदरपुर, दिल्ली स्थित मैसर्स युनेक्सो लेबोरेटरी पर छापा मारना

4944. **श्री श्रीकिशन मोदी :**

श्री पी० गंगा देव :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन के औषध नियंत्रण विभाग ने 19 दिसम्बर 1973 को हैदरपुर स्थित मैसर्ज युनेक्सो लेबोरेटरी के प्रांगण में छापा मारा था;

(ख) यदि हां, तो क्या गैर-लाइसेंस शुदा फर्म को नकली दवायें बनाते पाया गया था; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) जी हां । इस फर्म को आयुर्वेद की अनेक किस्म की दवाइयां बनाते हुए पाया गया था जिनके नाम एलोपैथिक दवाइयों से मिलते-जुलते थे । परीक्षण तथा विश्लेषण के लिये ऐसी सात दवाइयों के नमूने लिये गये । लेबलों, पैकिंग सामान तथा बोतलों आदि के साथ-साथ इन दवाइयों के स्टाक पकड़े गये । पुलिस स्टेशन किंगजवे कैम्प दिल्ली में एक मामला दर्ज किया गया है और इस मामले की छान-बीन की जा रही है ।

उर्वरकों का आयात

4945. **श्री राम कंवर** : क्या **पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में विभिन्न स्त्रोतों से कुल कितनी मात्रा में उर्वरकों का आयात करने का प्रस्ताव है;

(ख) वास्तव में कुल कितनी मात्रा में उर्वरकों का आयात किया गया; और

(ग) क्या आयातित उर्वरकों की उपलब्धता में इस समय वस्तुतः गतिरोध उत्पन्न हो गया है ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) चालू केलेन्डर वर्ष में विभिन्न स्त्रोतों से आयात की जाने वाले विभिन्न उर्वरकों की कुल मात्रा लगभग 31.60 लाख मीट्रिक टन है ।

(ख) कुल 4.31 लाख मीट्रिक टन (जनवरी 1974 से 5–3–74 तक) के लिये ठेके दिये जा चुके हैं ।

(ग) हाल के तेल संकट के कारण उर्वरक की सप्लाई में कुछ कठिनाइयां पैदा हो गई हैं । कुछ सप्लायरों ने मूल्य वृद्धि के साथ-साथ माल सुपुर्दगी की अवधि को बढ़ाने की मांग की है । ठेकों के अनुसार सप्लाई सुनिश्चित करने के लिये सप्लायरों से समय-समय पर बातचीत की जाती है ।

Shree Synthetic Nylon Factory in Ujjain

4946. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the **Minister of Labour** be pleased to state:

(a) whether 'Shree Synthetic Nylon Factory' was set up in East Ujjain Madhya Pradesh, recently;

(b) whether the labourers of the factory are treated as textile labourers or as Chemical labourers in the matter of providing facilities to them as also the total number of labourers in the factory and the number of temporary and permanent ones among them;

(c) whether the said factory has recently retrenched some labourers, and if so, the reasons therefor; and

(d) the minimum and maximum pay of the employees of the said factory?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour (Shri Balgovind Verma): Subject matter of the Question concerns the State Government of Madhya Pradesh and according to them the requisite information is as under:—

(a) Yes,

(b) Under the Factories Act Shree Synthetics has been classified under the head Chemicals-man made fibres including regenerated Cellulose Rayon Nylon, and the like. Total number of workers employed is 510 out of which 442 are permanent and the remaining 68 are on probation.

(c) Though there has been no retrenchment in the strict sense of the term, yet the services of 15 temporary employees were terminated w.e.f. 11-1-1974 on account of completion of the work for which they were employed.

(d) Wage structure of the workers has been settled through an award of the Industrial Court dated 7-2-74. The minimum wage is Rs. 214.56 and maximum pay is Rs. 504.56.

मजूरी बोर्डों के कार्यकरण की समीक्षा करने के लिये विशेष सैल

4947. **श्री डी० बी० चन्द्र गौडा :**

श्री जगन्नाथ मिश्र :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने मजूरी बोर्डों की कार्यकरण समीक्षा करने और उन के ढांचे का पुनर्गठन करने के लिये सुझाव देने हेतु एक विशेष सैल स्थापित किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सैल ने अब तक क्या कार्य किया है ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) मजदूरी संबंधी आंकड़े एकत्र करने एवं उनका विश्लेषण करने तथा अन्य एसे सम्बद्ध मामलों के लिये जो नीतियों के निर्माण और निर्धारण में उपयोगी होंगे, श्रम मंत्रालय में हाल ही में एक मजदूरी सेल स्थापित की गई है ।

Area of India

4948. **Shri Atal Bihari Vajpayee:** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) the area of India as on 15th August, 1947, January, 1963 and January, 1973; and

(b) the reasons for variation, if any?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs: (Shri Surendra Pal Singh): (a) The total area of India as on 15th August 1947 was 32,63,395 sq. kms. The total area of India on 1st January 1963 was 32,68,090 sq.km. According to the latest available information, the total area of India as calculated in 1971 was 32,80,483 sq. kms.

(b) The area as on 1st January 1963 included the area of French and Portuguese possessions which became united with India.

The increase in area as in 1971, is due to more precise assessment resulting from improved techniques of survey and inclusion of areas of certain gulfs and bays as inland waters.

भारतीय रेलों द्वारा वैगनों का अभिग्रहण

4949. **श्री रण बहादुर सिंह :** क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग द्वारा वित्तीय कठिनाइयों के परिणामस्वरूप भारतीय रेलों के वैगन अभिग्रहण कार्यक्रम को सीमित करने के निर्णय के कारण वैगन उद्योग में मन्दी की आशंका होने लगी है;

(ख) क्या यह सम्भावना है कि 4 पहियों वाले डिब्बों की प्राप्ति के पहले के लक्ष्य में लगभग 12000 डिब्बों की कमी रह जायगी; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या नीति है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) : 1974-75 की आर० एस० पी० अवधि में 4 पहियों वाले लगभग 2,000 वैगनों के आर्डर निर्माताओं को दिये जा रहे हैं। वैगन निर्माताओं के पास चार पहियों वाले पूर्व के पड़े हुये लगभग 3,72,285 वैगनों का निर्माण बहुत पिछड़ जाने से आशा है उद्योग की क्षमता का उपयोग कम से कम दो और वर्ष तक ही किया जा सकेगा। अतएव वैगन निर्माताओं के पास पढ़े आर्डरों के संदर्भ में मन्दी की आशंका का कोई कारण नहीं है। फिर भी अधिकांश वैगन निर्माताओं को भय है कि पूर्व के आर्डरों के कार्यान्वयन के विषय में उन्हें भारी हानि उठानी पड़ेगी क्योंकि ये आर्डर अलाभकर मूल्य की स्थिति में स्वीकार किये गये थे किन्तु उन्हें अब वर्तमान लागत ढांचे में निबटाना पड़ेगा। सरकार इस समस्या के प्रति सजग है और सभी संबंधितो के लिये उचित समाधान खोजने का प्रयास कर रही है।

उषा आटोमोबाइल एण्ड इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड का स्थानान्तरण

4950. **श्री रानेन सेन :** क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उषा आटोमोबाइल एण्ड इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड ने अपना निर्माण एकक कलकत्ता से हरियाणा स्थानान्तरित करना आरम्भ कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या पश्चिम बगाल से किसी इंजीनियरिंग एकक का स्थानान्तरण किया गया है; और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) सरकार को हाल ही में इस प्रकार की घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

13 Industries in Delhi as Public Utility Service

4951. **Shri Phool Chand Verma:** Will the Minister of **Labour** be pleased to state:

(a) whether the Lieutenant Governor of Delhi declared on the 1st February, 1974, 13 industries as public utility service; and

(b) if so, the facts in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour (Shri Balgovind Verma) :(a) and (b): A copy of the notification dated the 4th February, 1974 issued by the Delhi Administration in the matter is placed on the Table of the House. [Placed in Library, See No. L.T.6571/74]

भारत द्वारा शस्त्रास्त्रों की पूर्ति

4952. **श्री सी० जनार्दनन :**

श्री विभूति मिश्र :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री ने अपने चुनाव अभियान के दौरान यह कहा था कि भारत को अपने शस्त्रास्त्रों की पूर्ति करनी है क्योंकि कुछ पड़ौसी देश अपने आपको शस्त्रास्त्रों से लैस कर रहे हैं; और

(ख) इस बात को ध्यान में रखते हुये इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां, श्रीमन् ।

(ख) हमारे प्रति शत्रुता रखने वाले पड़ोसी देशों द्वार सैन्य सामग्री प्राप्त करने और सशस्त्र सेनाओं की शक्ति में वृद्धि के ऊपर ध्यानपूर्वक नजर रखी जाती है । हमारे रक्षा उपायों की योजना बनाते समय ऐसी गतिविधियों पर विचार किया जाता है । इस बारे में हमारे द्वारा उठाये गये कदमों के ब्यौरे प्रकट करना लोक हित में नहीं होगा ।

पाकिस्तान में निष्क्रांत संपत्ति

4943. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या **पूर्ति और पूनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाकिस्तान में छोड़ी गई निष्क्रान्त सम्पत्ति का मूल्य वसूल करने के लिये क्या प्रयास किये जा रहे हैं;

(ख) पाकिस्तान से कितनी राशि वसूल की जानी है; और

(ग) इस सम्बन्ध में पाकिस्तान सरकार द्वारा क्या रुकावट डाली जा रही हैं ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) से (ग) विस्थापित व्यक्तियों द्वारा पास्कितान में छोड़ी गई अचल सम्पत्ति 500 करोड़ रुपये की है इसके अलावा 90 लाख एकड़ कृषि भूमि है । भारत सरकार द्वारा विगत में किये गये निरन्तर प्रयत्नों के बावजूद भी पाकिस्तान इस दावे के निपटान के लिए सहमत नहीं हुआ ।

Supply of Orders placed by Foreign Countries for Heavy Machinery

4954. **Shri Shankar Dayal Singh:** Will the Minister of **Heavy Industry** be pleased to state:

(a) the value of supply orders placed by foreign countries for heavy machinery pending with Government and the time by which supplies will be made against these orders; and

(b) the name of the country with whom the biggest order is pending indicating the articles to which it relates and the value thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Heavy Industry (Shri Dalbir Singh): (a) & (b): The information is being collected and will be laid on the Table of the House shortly.

Investment made, capacity utilised and Percentage of Profit and Loss of Heavy Industries

4955. **Shri Atal Bihari Vajpayee:**
Shri Shankar Narayan Singh Dev:

Will the Minister of **Heavy Industry** be pleased to state:

(a) the capital investment in each of the public sector heavy industries;

(b) the total loss suffered or profit earned to-date during the last three years, year-wise together with the percentage thereof;

(c) the percentage capacity of the industry utilized during this period; and

(d) Government's reaction in regard thereto?

The Deputy Minister in the Ministry of Heavy Industry (Shri Dalbir Singh): (a) to (d) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

तापीय बिजली घरों को घटिया किस्म का कोयला देना

4956. **श्री आर० एन० बर्मन :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के कुछ तापीय बिजली घरों ने कोयले की अपर्याप्त और घटिया किस्म की सप्लाई की शिकायत की है जिससे उनके उत्पादन में कमी हुई है ;

(ख) क्या उन्हें सप्लाई किये गये घटिया किस्म के कोयले को न स्वीकार करने से कुछ कोयला धोने के कारखानों में काफी कोयला जमा हो गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) से (ग) : यद्यपि चालू वर्ष में कोयले का उत्पादन पिछले कसी भी वर्ष के उत्पादन से अधिक रहा है, तथापि कुछ बिजली घरों से कोयले की अपर्याप्त पूर्ति की शिकायतें मिली हैं जो मुख्यतः विभिन्न रेल कर्मचारियों द्वारा की गई हड़तालों के फलस्वरूप यदा-कदा रेलों के बंद हो जाने के कारण हुआ। कोयले की किस्म के बारे में शिकायतें अधिकतर दो उत्पाद वाली प्रक्षालनशालाओं में तैयार मिडलिंग्स से संबंधित थी जिनमें अधिक मात्रा में राख और छीजन थी, जिससे बिजली घरों की कार्य प्रणाली में रूकावट आ जाती है। बिजली घरों को ऐसी मिडलिंग्स की पूर्ति बंद कर दी गई है और अब इन प्रक्षालनशालाओं को तीन-उत्पादों वाली बनाने का प्रस्ताव है। इससे मिडलिंग्स की किस्म में सुधार होगा और शिकायतों का कोई कारण नहीं रहेगा।

प्रसाद खाने के वाद बड़ौदा के 50 लोगों का बीमार होना

4957. **श्री प्रसन्न भाई मेहता** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान समाचार पत्रों में छपे इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि गुजरात राज्य में बड़ौदा में 50 व्यक्तियों को, जिनमें से अधिकांश बच्चे थे, प्रसाद खाने के बाद विषाक्त आहार लेने के संदेह में उपचार के लिए अस्पताल में दाखिल किया गया ;

(ख) क्या इसकी जांच की गई ; और

(ग) यदि हां, तो उसका निष्कर्ष क्या है और दोषी पाये गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है।

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) से (ग) : गुजरात-सरकार से आवश्यक सूचना मांगी गई है और इसके प्राप्त होते, ही भेज दी जायेगी।

Production of Cars and Commercial Vehicles

4958. **Shri Shrikrishna Agarwal:** Will the Minister of **Heavy Industries** be pleased to state:

(a) whether during the last three years, production of passenger cars has far exceeded the target fixed whereas production of commercial vehicles such as buses, trucks etc. has been far less the target fixed;

(b) if so, the target fixed, both for cars and commercial vehicles and the actual production thereof;

(c) the reasons for this difference; and

(d) the efforts being made to make up this difference during the next Plan period?

The Deputy Minister in the Ministry of Heavy Industry (Shri Dalbir Singh): (a) (b) & (c): While no target was fixed for production of passengers cars in the Fourth Fire Year Plan, the production target fixed for commercial vehicles was 85,000 nos. by the year 1973-74. The actual production of cars and commercial vehicles in 1971-72, and 1972-73 and the estimated production in 1973-74 are as under:—

	1971-72 (nos.)	1972-73 (nos.)	1973-74 (nos.)
Passenger Cars	40,561	38,290	44,000
Commercial Vehicles	39,667	38,374	43,000

The reasons for shortfall in production of commercial vehicles are:—

(i) Under utilisation of capacity of two units due to consumer resistance in one case and inadequate supplies of engines in the other.

(ii) The heavy power cuts imposed on industry throughout the country in the last two years.

(d): With a view to stepping up production of commercial vehicles, three existing units have been permitted to set up additional capacity to the extent of 24,600 nos. per annum. In addition several parties have been granted letters of intent for setting up new indusrtial undertakings for a total capacity of 1,04,000 nos. per annum. It is also proposed to expand the facilities at the Jabalpur Vehicle factory to produce vehicles for the civilian market.

Prosecution of Labour Leaders in H.E.C., Ranchi

4959. **Shri Ramavatar Shastri:** Will the Minister of **Heavy Industry** be pleased to state:

(a) whether some of the labour leaders in the Heavy Engineering Corporation Ranchi have been arrested, put into jail and are being prosecuted at the instance of the Management of the Corporation;

(b) if so, the reasons for their arrest;

(c) whether there is great resentment among the labourers due to the arrest of their leaders which can culminate into explosion at any time; and

(d) if so, the action taken by Government to remove the causes of their resentment?

The Deputy Minister in the Ministry of Heavy Industry (Shri Dalbir Singh) :(a) & (b) No Sir, no arrests have been made at the instance of the management. On the day of the Bihar Bundh, the District authorities made some arrests to restore law and order in the township areas of HEC.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

Pay Scales of Headmaster and Assistant Teachers of Middle Schools of Cantonment Boards

4960. **Shri Ramavatar Shastri:** Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) the pay scales of the Headmasters and Assistant Teachers in the Middle Schools run by the Cantonment Boards;

(b) Whether as per rules, their Headmasters and Assistant Teachers should get the pay scales at per with B.A. trained and I.A. trained respectively;

(c) if so, whether Assistant Teachers of Turahatoli Middle School run by Danapur Cantonment Board are not being given the pay-scale of I.A. trained; and

(d) if so, the reasons therefor ad whether Government propose to help the teachers by removing this anomaly?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram): (a) and (b): Headmasters and Assistans Teachers in the Middle Schools run by Cantonment Boards are given the same pay scale, as prescribed by he Government of the State in which the Cantonment Boards are situated for corresponding categories of teachers employed by the State Government.

(c) and (d): The proposal for granting the I.A. trained pay scale to Assistant Teachers of Turahetoli Cantonment Board Middle School, Danapore, is being examined in con-

sultation with the Cantonment Board, Danapore, by the Geneal Officer Commanding-in Chief, Central Command, who is the competent authority for according the necessary sanction.

पुनर्वास उद्योग निगम में कथित भ्रष्टाचार

4961. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी** : क्या **पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान टैक्सी सहकारिताओं को कबाड़ में बदलने के समाचार और पुनर्वास उद्योग निगम में कुप्रबन्ध तथा व्याप्त भ्रष्टाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें केन्द्र ने विस्थापितों को रोज़गार देने हेतु 9 करोड़ रुपये लगा रखे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके आरम्भ से विस्थापितों को रोज़गार देने के वार्षिक लक्ष्य क्या थे और ये कहां तक प्राप्त हुए हैं; और

(ग) क्या इसके लेखे में गम्भीर वित्तीय कुप्रबन्ध है और नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कार्यालय के अधिकारी वापस बुला लिये गए हैं और यदि हां, तो क्यों और निगम को लक्ष्य प्राप्ति के योग्य बनाने हेतु क्या कदम उठाए जाएंगे?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) से (ग) : जानकारी पुनर्वास उद्योग निगम लिमिटेड, कलकत्ता से एकत्रित की जा रही है और सभा की मेज़ पर रख दी जाएगी।

लेह-मनाली सड़क का निर्माण

4962. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा सड़क डिवीजन के अधीन बनाई गई लेह-मनाली सड़क को पक्का बना दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त सड़क के निर्माण पर कुल कितना व्यय हुआ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) लेह से उपशी और केलोंग से मनाली तक के मार्ग को पक्का कर दिया गया है।

(ख) इस सड़क के निर्माण की कुल लागत लगभग 17.4 करोड़ रुपये है।

सेना अधिकारियों द्वारा जीपों की नीलामी

4063. **श्री नारायण चन्द पराशर :**

श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने भकी कृपा करेंगे कि :

(क) वित्तीय वर्ष 1973-74 में 28 फरवरी, 1974 तक सेना अधिकारियों ने कितनी जीपों की पुरानी जीपों के रूप में नीलामी की;

(ख) इन जीपों को नीलाम करने के लिये क्या प्रक्रिया अपनाई गई; और

(ग) नीलामी से कुल कितनी धनराशि प्राप्त हुई?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) . सेना प्राधिकारियों द्वारा अधिशेष जीपों का सीधे ही नीलाम नहीं किया जाता । पूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय को उनका विवरण दे दिया जाता है जो सार्वजनिक नीलाम/टेंडर द्वारा उनके निपटान का प्रबन्ध करता है । इस प्रकार से 28-2-74 तक 1973-74 वित्तीय वर्ष के दौरान पूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय के माध्यम से 981 जीपों का विक्रय किया गया था ।

(ग) 68,00,401 रुपये ।

वर्ष 1974-75 के दौरान आयुद्ध कारखाने की स्थापना

4964. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वित्तीय वर्ष 1974-75 के दौरान कोई आयुध कारखाना स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख) रक्षा उत्पादन की बढ़ी हुई आवश्यकता को पूरा करने के लिये सरकार का इटारसी में एक प्रणोदी फैक्टरी स्थापित करने का प्रस्ताव है । ऐसी सम्भावना है कि यह 1979 में उत्पादन आरम्भ कर देगी ।

रक्षा उत्पादन के लिये विशेष इस्पात की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये कानपुर में विशेष इस्पात संयंत्र स्थापित करने का भी एक प्रस्ताव है । तथापि, यह प्रस्ताव पुनरीक्षण अधीन है और इसके वित्तीय अनुमान तैयार किये जा रहे हैं ।

कानून तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए सेना को तैनात करने के संबंध में फील्डमार्शल मानकशा द्वारा दिए गए वक्तव्य

4965. **श्री नारायण चन्द पराशर :**

श्री पी० जी० मावलंकर :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिये बार-बार सेना को तैनात करने के सम्बन्ध में फील्डमार्शल मानकशा द्वारा हाल ही में दिये गए वक्तव्य की ओर सरकार को ध्यान दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस वक्तव्य पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) विभिन्न समाचार पत्रों द्वारा प्रकाशित समाचारों को सरकार नें देखा है । इस वक्तव्य के सही ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं ।

(ख) सेवानिवृत्त सेनाध्यक्ष द्वारा प्रकट किये गए विचारों पर सरकार को टिप्पणी नहीं करनी है ।

विभाजन के पश्चात् बर्मा छोड़ने के लिये कहे गए भारतीयों को मुआवजा

4966. **श्री आर० बी० स्वामीनाथन** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बर्मा सरकार ने भारत को सूचित किया है कि वे उन भारतियों को मुआवजा देने के लिये तैयार ने जिन्हें विभाजन के पश्चात् बर्मा छोड़ने के लिये कहा गया है;

(ख) क्या भारत ने इस मामले पर बर्मा सरकार के साथ बातचीत की है;

(ग) बर्मा सरकार द्वारा अभी ऐसे कितने व्यक्तियों के दावों पर निर्णय नहीं किया गया है; और

(घ) सरकार के साथ सम्पत्ति के मामलों पर तुरन्त निर्णय करने के लिये क्या कदम उठाए जा रहे हैं।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख). 6 दिसम्बर, 1973 को बर्मा सरकार ने एक अधिसूचना जारी की जिसमें कहा गया कि 1963 के व्यापार राष्ट्रीयकरण कानून तथा 1965 के समाजवादी आर्थिक प्रणाली स्थापना कानून के आधीन राष्ट्रीयकृत राष्ट्रीय तथा विदेशी उद्यमों को मुआवजा दिया जाएगा। भारतीय प्रत्यावर्तितों द्वारा छोड़ी गई परिसम्पत्तियों के सम्बन्ध में भारत सरकार बर्मा सरकार से बराबर सम्पर्क बनाए हुए हैं।

(ग) और (घ) : बर्मा सरकार ने सम्बन्धित सम्पत्तियों के मूल्य-निर्धारण के लिये एक बोर्ड की स्थापना की है। दावा की स्वीकार्यता तथा मुआवजा की अदायगी का प्रश्न बोर्ड के निर्णय के बाद ही उठ सकता है। इसलिये मुआवजा पाने वाले या न पाने वाले भारतियों की संख्या तथा वह राशि क्या होगी अभी तक मालूम नहीं हो सका है।

Invitation to Adivasi Tribes Headmen on Eve of 26th January

4967. **Shri Lalji Bhai:** Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) whether the headmen of some of the Adivasi Tribes were invited on the eve of 26th January by his Ministry;

(b) the names of the States from which the headmen of Advasi Tribes were included;

(c) whether no such person was invited from Rajasthan State; and

(d) if so, the reasons therefor?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) and (b). Tribal representatives from the following States/Union Territories were invited to Delhi for witnessing the Republic Day Celebrations 1974:—

Andhra Pradesh
Assam
Bihar
Gujrat
Himachal Pradesh
Jammu & Kashmir
Karnataka
Kerala
Madhya Pradesh
Maharashtra
Manipur
Meghalaya
Nagaland
Orissa
Rajasthan

Tamil Nadu
Tripura
Uttar Pradesh
West Bengal
Arunachal Pradesh
Andaman & Nicobar Islands
Dadra & Nagar Haveli
Lacadivies, Minicoy/Aminidive
Mizoram.

(c) One Tribal representative was invited from Rajasthan State who attended the celebrations.

(d) Does not arise.

Prohibition on Use of Silver Leaf

4968. **Shri Lalji Bhai:** Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1398 on the 28th February, 1974 regarding Prohibition on use of Silver leaves and state:

(a) whether Government have got tested the silver leaves from time to time; and

(b) if so, the results thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri A. K. Kisku): (a) Yes.

(b) 11 samples of Silver leaves were taken in Delhi by the Municipal Corporation of Delhi and the Central Food Squad of the Ministry of Health, during the year 1973, out of which 3 samples were found to be adulterated.

बर्मा से स्वदेश लौटने वाले व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए स्थापित किए गए केन्द्र

4969. **श्री बी० एस० मूर्ति** : क्या **पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बर्मा से स्वदेश लौटने वाले व्यक्तियों के पुनर्वास के लिये कितने केन्द्र स्थापित किये गए हैं; और

(ख) पांचवीं योजना के दौरान इन व्यक्तियों की और सहायता करने की, यदि कोई योजनाएं हैं, तो वे क्या हैं?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) बर्मा से लौटे प्रत्यावासियों के पुनर्वास के लिये कोई विशेष केन्द्र स्थापित नहीं किये गए हैं यद्यपि कुछ परिवारों को भूमि उपनिवेशन योजनाओं तथा उन औद्योगिक यूनिटों में बसाया गया है जिन्हें वित्तीय सहायता दी गई है।

मुख्य क्षेत्र जिस में बर्मा से लौटे प्रत्यावासियों को बसाया गया है उसमें लघु व्यापार तथा व्यवसाय प्रमुख है और बर्मा से लौटे प्रत्यावासियों को उनकी इच्छानुसार स्थानों के बारे में, जहां वे बसना चाहते हैं, इस योजना के अधीन सहायता उपलब्ध की गई है।

बर्मा से लौटे प्रत्यावासियों के लिये स्वीकृत योजनाओं तथा उनके अन्तर्गत मिलने वाली सुविधाओं के विवरण सलंग्न हैं।

(ख) प्रत्यावासियों को इस समय मिलने वाले लाभ तथा सुविधाएं पांचवीं योजना की अवधि में भी मिलती रहेंगी।

विवरण

बर्मा से लौटे प्रत्यावासियों के पुनर्वास के लिये स्वीकृत योजनाओं का विवरण

(I) **व्यवसाय ऋण**

व्यापार और व्यवसाय के लिये प्रति परिवार अधिक से अधिक 5000 रु० तक ऋण मंजूर किये जाते हैं।

(II) **आवासीय ऋण**

प्लाट खरीदने तथा घर बनाने के लिये निम्नलिखित ऋण दिये गते हैं:—

	शहरी क्षेत्र	ग्रामीण क्षेत्र
	रु०	रु०
(क) प्लाट की लागत . . .	600/—(ऋण)	200/—(ऋण)
(ख) गृह निर्माण की लागत . .	2000/—(ऋण)	1250/—(ऋण)
(ग) भूमि सुधार . . .	1500/—(ऋण)	600—/(अनुदान)
(घ) कारोबार स्थल के लिये . .	500/—(ऋण)	200/—(ऋण)

(III) **प्रत्यावासी सहकारी वित्त और विकास बैंक**

प्रत्यावासी सहकारी वित्त और विकास बैंक, जिसका मुख्यालय मद्रास में है, दक्षिणी राज्यों में बसाए गए प्रत्यावासियों को लघु उद्योगों, व्यवसाय और अन्य योजनाओं के लिये भी क्षृण सुविधाएं देता है।

(IV) **कृषि में पुनर्वास**

प्रत्यावासियों को भूमि उपनिवेशन योजनाओं के अन्तर्गत तमिलनाडु (श्रीलंका तथा बर्मा से लौटे प्रत्यावासियों के लिये सामान), कर्नाटक में सिंधनूर परियोजना (भूतपूर्व पाकिस्तान से आए प्रवासियों तथा बर्मा और श्रीलंका से लौटे प्रत्यावासियों के लिये समान), मध्य प्रदेश में बेतुल परियोजना (भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आए प्रवासियों तथा बर्मा से लौटे प्रत्यावासियों के लिये समान) में कृषि पर बसाया गया है। उत्तर प्रदेश तथा बिहार में केवल बर्मा से लौटे प्रत्यावासियों के लिये कुछ कृषि योजनाएं मंजूर की गई हैं।

(V) **उद्योगों में रोजगार**

प्रत्यावासियों के लिये कुछ औद्योगिक योजनाओं में रोजगार उपलब्ध किये गए हैं जिन्हें भारत सरकार द्वारा वित्तीय सहायता दी गई है अर्थात् आंध्र प्रदेश में रामागुन्दम टैक्सटाइल केन्द्र, नेलोर तथा राजामुन्द्री कताई मिलें और तमिलनाडु में नजेरथ तथा सिरिविल्लीपुथुर कताई मिलें।

(VI) **स्वीकृत अन्य योजनाएं**

बर्मा से लौटे प्रत्यावासियों के बच्चों के लिये माथुर (तमिलनाडु) में विशेष रिहायशी स्कूल, माथुर (तमिलनाडु) में अनाश्रित महिलाओं के लिये विशेष गृह तथा प्रत्यावासियों के लिये कंचरापलेम (आंध्र प्रदेश) में एक स्थाई दायित्व गृह स्थापना की गई है। विभिन्न राज्यों में प्रशिक्षण योजनाएं भी मंजूर की गई हैं।

(VII) **शैक्षिक रियायतें**

(क) दिन में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को 5 रु० से लेकर 100 रु० प्रति वर्ष पुस्तक अनुदान।

(ख) अंकों सम्बन्धी कुछ शर्तों पर हाई स्कूलों और कालेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को 40 रु० से 60 रु० तक प्रति माह वजीफा यदि वे अपने परिवार से दूर होस्टल में रहते हों।

उपर्युक्त रियायतें तभी दी जाती हैं यदि मां-बाप की आय 250 रु० प्रति माह से अधिक न हो।

भारत को विश्व स्वास्थ्य संगठन से वित्तीय तथा तकनीकी सहायता

4970. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन भारत को 1972 और 1973 में कोई वित्तीय विशेषज्ञीन तथा तकनीकी सहायता देता रहा है;

(ख) यदि हां, तो सहायता का स्वरूप क्या है;

(ग) ऐसी सहायता के आश्वासन तथा सहायता प्राप्त होने पर सरकार ने कोनसी चिकित्सा तथा स्वास्थ्य परियोजनाएं आरम्भ की हैं; और

(घ) उक्त परियोजनाओं से अब तक क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) जी हां।

(ख) विश्व स्वास्थ्य संगठन ने विभिन्न स्वीकृत परियोजनाओं के लिये परामर्शदाताओं, शिक्षा-वृत्तियों, सामग्रिया और उपकरणों के रूप में सहायता दी।

(ग) विश्व स्वास्थ्य संगटन की सहायता से चिकित्सा और स्वास्थ्य क्षेत्रों में निम्नलिखित परि-योजनाएं और कार्यक्रम शुरू किये गए:—

1. **स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करना** :— चिकित्सीय पुनर्वास, उपचर्या, प्रशासन, क्लिनिकी विशिष्टताओं की उपचर्या, उपचर्या प्रशासन के परिवार नियोजन पहलुओं का सवलीकरण।
2. **स्वास्थ्य प्रयोगशाला सेवा** :— चेचक की सूखी दवा और बी० सी० जी० वैक्सीन का उत्पादन।
3. **पारिवारिक स्वास्थ्य** :—प्रसूति और बाल स्वास्थ्य बालरोग शिक्षा, प्रसूति और बाल स्वास्थ्य सेवाओं को सामान्य स्वास्थ्य सेवाओं में मिलाना।

4. **पोषण** :—व्यावहारिक पोषण कार्यक्रम, पोषण प्रशिक्षण।

5. **स्वास्थ्य शिक्षा** :—स्कूलों में स्वास्थ्य शिक्षा जिस में पारिवारिक जीवन और परिवार नियोजन में स्वास्थ्य शिक्षा को आंकना और उसका प्रसार करना शामिल हैं।

6. **स्वास्थ्य जनशक्ति विकास** :—चिकित्सा शिक्षा, बुनियादी उपचर्या के बाद की शिक्षा, बुनियादी स्वास्थ्य कार्यकत्ताओं के चिकित्सा अधिकारियों और प्रशिक्षणार्थियों के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम। चिकित्सा शिक्षकों का प्रशिक्षण।

7. **मानव प्रजनन के शिक्षण का प्रसार** :—उपचर्या और धात्री शिक्षा में जन संख्या गति विज्ञान और परिवार नियोजन।

8. **रोग निवारण और नियंत्रण, संचारी रोग निवारण** :—संचारी रोगों का महामारी वैज्ञानिक सर्वेक्षण और अन्य परजीवी रोग, फाइलेरिया नियंत्रण, चेचक उन्मूलन।

9. **माईक्रोवैक्टीरियल रोग**:—कुष्ठ नियंत्रण, राष्ट्रीय टी० बी० नियंत्रण कार्यक्रम।

10. **पशु चिकित्सा, जन स्वास्थ्य का प्रशिक्षण**

11. **असंचारी रोग** :—कैंसर का निवारण और नियंत्रण हृदवाहिका रोग, दन्त शिक्षा का सुधार।

12. **औषधि प्रयोगशाला विधियां और जैव मानकीकरण**

13. **पर्यावरण स्वास्थ्य में सुधार** :— ग्राम जलपूर्ति, भूमि जल प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, ठोस दूषित सामग्री का निकास, जल दूषण का निवारण और नियंत्रण, वायुदूषण का नियंत्रण।

14. **व्यावसायिक स्वास्थ्य**

15. **आयनीकारी विकिरण के जीवचिकित्सा संबंधी और पर्यावरणिक स्वास्थ्य** :—विकिरण आयुर्विज्ञान केन्द्र, बम्बई में रेडियोग्राफरों का प्रशिक्षण, अस्पताल भौतिकी, जन स्वास्थ्य इन्जीनियरी शिक्षा में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम।

16. **स्वास्थ्य सांख्यिकी सेवाओं का विकास और सुदृढ़ीकरण**

(घ) विश्व स्वास्थ्य संगठन की मदद से हमें परामर्शदाताओं के रूप में, जहां अनिवार्य समझा गया, विदेशी विशेषज्ञों की सेवाएं तथा सामग्री और उपकरण प्राप्त करने में और चिकित्सा एवं गैर-चिकित्सा कार्मिकों को उपर्युक्त क्षेत्रों में प्रशिक्षण देने में सहायता मिली है जो उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित विभिन्न कार्यक्रमों की क्रियान्विति के लिये महत्त्वपूर्ण है।

कोरबा-रीबां कोयला क्षेत्रों में कोयले का लदान

4971. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरवरी तथा मार्च, 1974 में कोरबा-रीबां कोयला क्षेत्रों में कोयले के लदान कार्य में बहुत कमी हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उक्त कोयले की कमी का अहमदाबाद, गुजरात के सूती कपड़ा उद्योग तथा अहमदाबाद विद्युत गृह पर बुरा प्रभाव पड़ा जिसके फलस्वरूप बिजली में कटौती हुई औद्योगिक एककों के काम की गति कम हुई और फिर श्रमिकों को जबकि छुट्टियां दी गई; और

(घ) यदि हां, तो इस बिगड़ती हुई स्थिति को सुधारने के लिए सरकार द्वारा तुरन्त ही क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) फरवरी 1974 में कोरबा रीवां कोयला क्षेत्रों से कोयले के लदान पर भरे हुए रेल डिब्बों के बड़ी संख्या में खाली न किए जाने के कारण मध्य और पश्चिमी रेलवे से खाली डिब्बों की कम वापसी, तथा गुजरात राज्य में जन विद्रोह, कर्फ्यू और शाहडोल इलाके में खाद्य आंदोलन आदि के कारण संचलन न हो पाने का विपरीत प्रभाव पड़ा। मार्च में 10 और 19 मार्च के बीच शाहडोल में गार्डों शन्टमैन और केबिन मैन द्वारा की गई हड़ताल के कारण कोयले का लदान बिल्कुल रुक गया।

(ग) और (घ) गुजरात में विभिन्न उद्योगों को कोयले की कमी की रिपोर्ट मिली है। तथापि वहां कोयले की पूर्ति बढ़ाने हेतु परिवहन स्थिति में सुधार हेतु हर संभव उपाय किए जा रहे हैं।

कोयला खान कार्यकरण की जांच

4972. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में कोयला खानों के कार्यकरण के बारे में जांच कराने का है; और

(ख) यदि हां, तो कोयला खानों के कार्यकरण में सुधार करने के लिये हाल ही बैठक में सरकार द्वारा किये गये निर्णयों की मोटी रूपरेखा क्या है?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता

खानों आदि में आदिवासियों की भर्ती

4973. **श्री रण बहादुर सिंह** :

श्री गजाधर मांझी :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिलों, कारखानों और खानों में आदिवासियों और हरिजनों को अधिकांशतया मजदूरों के रूप में भर्ती किया जाता है;

(ख) क्या अशिक्षित होने के नाते सरकार का विचार उन्हें आयु के मामले में कुछ रियायतें देने का है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने राष्ट्रीयकृत खानों को इस बारे में निर्देश जारी कर दिये हैं?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) से (ग) आदिवासियों, हरिजनों आदि को रोजगार देने के सम्बन्ध में इस मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीयकृत कोयला खानों को किसी प्रकार के विशिष्ट निर्देश जारी नहीं किए गए हैं। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए सामान्य मार्ग निदेशक सिद्धांत राष्ट्रीयकृत कोयला खानों पर भी लागू होते हैं।

भारी उद्योग कारखानों में 1974-75 के लिए उत्पादन लक्ष्य

4974. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के भारी उद्योग कारखानों में 1974-75 में क्या उत्पादन लक्ष्य प्रस्तावित हैं; और

(ख) क्या सरकार ने प्रत्याशित लाभ का भी अनुमान लगाया है और यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) भारी उद्योग मंत्रालय के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का उत्पादन लक्ष्य 1974-75 में अनन्तिम रूप से 548.50 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है। अलग-अलग एककों का लक्षित उत्पादन निम्नलिखित सारणी में दिया गया है :—

	1974-75 में लक्षित उत्पादन (रुपये करोड़ में)
1. भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड . .	281.50
2. हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन . . .	73.80
3. माइनिंग एण्ड अलाइड मशीनरी कारपोरेशन .	25.00
4. भारत हेवी प्लेट एण्ड वेसल्स .	20.00
5. त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लिमिटेड	7.02
6. तुंगभद्रा स्टील प्रोजेक्ट . .	2.48
7. भारत पम्प एण्ड कम्प्रेशर्स लिमिटेड	6.11
8. जेसप एण्ड कम्पनी	32.17
9. ब्रेथवेट्स .	13.47
10. ग्रेशम एण्ड क्रेवन .	1.55
11. रिचार्डसन एण्ड कुड्डास .	9.00
12. मशीन टूल कारपोरेशन आफ इण्डिया	2.87
13. हिन्दुस्तान मशीन टूल्स	65.53
14. स्कूटर्स (इण्डिया) लिमिटेड	6.00
	548.50

(ख) भारी उद्योग मंत्रालय के अधीन सरकारी क्षेत्र के सभी उपक्रमों के लाभ/हानि के प्रारम्भिक अनुमानों से पता चलता है कि इनमें 1974-75 में 25 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ होने की संभावना है। भारी इंजीनियरी निगम के लाभ-हानि रहित स्थिति में पहुंचने की आशा है। अन्य एककों के जिन्हें इस समय घाटा हो रहा है या तो लाभ-हानि रहित स्थिति में पहुंचने या कुछ मामलों में लाभ-कमाने की आशा है। इस अवस्था में एकक-वार ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं।

दिल्ली के अस्पतालों में बिस्तरों की कमी

4975. **श्री आर० एन० बर्मन :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में अन्तरंग रोगियों के लिये बिस्तरों की भारी कमी है;

(ख) यदि हां, तो प्रतीक्षा सूचियों में साधारण तथा कितने रोगी होते हैं;

(ग) क्या इर्विन अस्पताल और बाड़ा हिन्दू राव अस्पताल में ऐसे रोगियों की संख्या बहुत अधिक है;

(घ) बिस्तरों की कमी को दूर करने हेतु, यदि आवश्यक हो तो अस्थायी तौर पर निर्माण करने के बारे में क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) क्या उप-कर लगा कर अथवा अन्यथा स्थानीय जनता से धनराशि प्राप्त करने का कोई प्रस्ताव है जिससे रोगियों को होने वाली कठिनाइयों को दूर किया जा सके ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) जी नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) जनसंख्या के अनुपात के आधार पर मौजूदा पलंग बनाये रखने के लिये पांचवीं पंच वर्षीय योजना के दौरान 2,585 अतिरिक्त पलंगों की व्यवस्था करने का विचार है।

(ङ) जी नहीं।

डियेगो गार्शिया क्षेत्र को शान्ति क्षेत्र बनाने की सोवियत योजना

4976. **श्री आर० एन० बर्मन :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में सोवियत संघ ने डियेगो गार्शिया क्षेत्र को शांति क्षेत्र बनाने की किसी योजना का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) प्रभावित देशों की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) दीगो गार्शिया क्षेत्र को शांति क्षेत्र बनाने के सम्बन्ध में सोवियत संघ द्वारा हाल में प्रस्तावित किसी योजना की सरकार को जानकारी नहीं है। परन्तु, 29 नवम्बर, 1973 की भारत-सोवियत संयुक्त घोषणा में यह कहा गया था कि 'दोनों देश इस बात की पुनः पुष्टि करते हैं कि हिन्द महासागर को "शांति क्षेत्र" बनाने के प्रश्न का कोई उचित हल निकालने में वे संबद्ध अन्य देशों के साथ मिलकर, समान आधार पर, सहयोग करने के लिए तैयार हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

सतर्कता सैलों की स्थापना

4977. **श्री आर० एन० बर्मन :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रम मंत्रालयाधीन विभिन्न सम्बद्ध, अधीनस्थ और सांविधिक संगठनों में भ्रष्टाचार की गुंजाइश है;

(ख) क्या इन सभी कार्यालयों में एसे मामलों को निपटाने के लिए सतर्कता सल बनाने का प्रस्ताव है; और

(ग) ये सैल किन कार्यालयों में बना दिए गए हैं और किन में बनायें जायेंगे ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) प्रत्येक संगठन में भ्रष्टाचार की गुंजाइश हो सकती है, जो उस संगठन द्वारा किए जाने वाले काम के स्वरूप और उस काम को निपटाने वाले कार्मिकों की सच्चरित्रता की सीमा पर निर्भर है।

(ख) और (ग) श्रम मंत्रालय के लगभग सभी संगठनों में सतर्कता सेल पहले ही से विद्यमान हैं। एक विवरण संलग्न है जिसमें उन कार्यालयों के नाम दर्शाए गए हैं जिनमें यें सैल स्थापित किए गए हैं।

विवरण

1. रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय, नई दिल्ली ।
2. मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) का कार्यालय, नई दिल्ली।
3. कारखाना सलाह सेवा और श्रम संस्थान महानिदेशालय, बम्बई-22 (डी० डी०)।
4. निदेशक, श्रम ब्यूरों का कार्यालय, शिमला ।
5. खान सुरक्षा महानिदेशक का कार्यालय, धनबाद ।
6. कोयला खान कल्याण आयुक्त का कार्यालय, धनबाद।
7. अभ्रक खान कल्याण आयुक्त का कार्यालय, धनबाद।
8. अभ्रक खान कल्याण आयुक्त का कार्यालय, भीलवाड़ा (राजस्थान)।
9. अभ्रक खान कल्याण आयुक्त का कार्यालय, नेल्लोर (आन्ध्र प्रदेश)।
10. लौह अयस्क खान कल्याण आयुक्त का कार्यालय, बंगलौर।
11. लौह अयस्क खान कल्याण आयुक्त का कार्यालय, पटना।
12. लौह अयस्क खान कल्याण आयुक्त का कार्यालय, इन्दौर (मध्य प्रदेश)।
13. लौह अयस्क खान कल्याण आयुक्त का कार्यालय, फाजी (गोवा)।
14. लौह अयस्क खान कल्याण आयुक्त का कार्यालय, भुवनेश्वर (उड़ीसा)।
15. लौह अयस्क खान कल्याण आयुक्त का कार्यालय, नागपुर (महाराष्ट्र)
16. लौह अयस्क खान कल्याण आयुक्त का कार्यालय, हैदराबाद।
17. मैसूर के लिए लौह अयस्क खान उपकर आयुक्त का कार्यालय, बंगलौर-20।
18. बिहार के लिए लौह अयस्क खान उपकर आयुक्त का कार्यालय, जमशेदपुर।
19. मध्य प्रदेश के लिए लौह अयस्क खान उपकर आयुक्त का कार्यालय, इन्दौर।
20. गोवा के लिए लौह अयस्क उपकर आयुक्त का कार्यालय, पानाजी (गोवा)।
21. उड़ीसा के लिए लौह अयस्क खान उपकर आयुक्त का कार्यालय, भुवनेश्वर।
22. महाराष्ट्र के लिए लौह अयस्क खान उपकर आयुक्त का कार्यालय, नागपुर।
23. आंध्र प्रदेश के लिये लौह अयस्क खान उपकर आयुक्त का कार्यालय, हैदराबाद।

24. केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण-एवं-श्रम न्यायालय सं० 1, धनबाद।

25. केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण-एवं-श्रम मंत्रालय सं० 1, बम्बई।

26. केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त का कार्यालय, नई दिल्ली।

27. कोयला खान भविष्य निधि आयुक्त का कार्यालय, धनबाद।

28. कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली।

29. अध्यक्ष, राष्ट्रीय खान सुरक्षा परिषद का कार्यालय, धनबाद।

30. केन्द्रीय कोयला खान बचाव केन्द्र समिति, धनबाद।

31. अध्यक्ष, कलकत्ता गोदी श्रम बोर्ड का कार्यालय, कलकत्ता-1।

32. अध्यक्ष, मद्रास गोदी श्रम बोर्ड का कार्यालय, मद्रास-1।

33. अध्यक्ष, कोचीन गोदी श्रम बोर्ड का कार्यालय, कोचीन-3।

34. अध्यक्ष, विशाखापत्तनम गोदी श्रम बोर्ड का कार्यालय, विशाखापत्तनम-1।

35. अध्यक्ष, बम्बई गोदी श्रम बोर्ड का कार्यालय बम्बई-1।

36. अध्यक्ष, मोमुंगाओ गोदी श्रम बोर्ड का कार्यालय मोमुंगाओ (गोआ)।

37. केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, नागपुर।

पश्चिम पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों को फरीदाबाद औद्योगिक क्षेत्र में बसाना

4978 **श्री बी० के० दासचौधरी :** क्या **पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों को पुनः बसाने के कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल कितने अलाटियों को भूमि देकर फरीदाबाद औद्योगिक क्षेत्र में बसाया गया है;

(ख) फरीदाबाद औद्योगिक क्षेत्र में ऐसे प्लाटों की संख्या और आकार कितना-कितना है जिन को अभी निबटाया जाना है यद्यपि विस्थापित व्यक्तियों ने उन पर कब्जा किया हुआ है; और

(ग) पश्चिम पाकिस्तान से आये उन विस्थापित व्यक्तियों को फरीदाबाद औद्योगिक क्षेत्र में बसाने में विलम्ब करने के क्या कारण हैं जो अनेक वर्षों से भूमि पर कब्जा किये बैठे हैं ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) फरीदाबाद औद्योगिक टाउनशिप में लघु उद्योगों की स्थापना के लिए विस्थापित व्यक्तियों को 37 छोटे औद्योगिक प्लाट एलाट किए गए थे तथा रिहायश के लिए एक विस्थापित व्यक्ति को एक बंगले का प्लाट एलाट किया गया था। फरीदाबाद औद्योगिक क्षेत्र में 128 बड़े औद्योगिक प्लाटों में से 123 प्लाट उद्योगपतियों को इस शर्त पर एलाट किए गए हैं कि विस्थापित व्यक्तियों में से वे सभी अकुशल कामगारों को तथा अधिक से अधिक अर्ध-कुशल तथा कुशल कामगारों को रोजगार पर लगा लेंगे।

(ख) लगभग 2500-3000 व्यक्तियों ने फरीदाबाद औद्योगिक क्षेत्र में इस विभाग की भूमि पर अनाधिकृत कब्जा किया हुआ है। विस्थापित व्यक्तियों की संख्या तथा उनके द्वारा किए गए क्षेत्र के कब्जे के बारे में जानकारी इस समय उपलब्ध नहीं है।

(ग) इन अनाधिकृत कब्जों के सम्बन्ध में विवरण एकत्रित कर लिए जाएंगे विस्थापित व्यक्तियों या अन्य द्वारा किए गए इन अनाधिकृत कब्जों के सम्बन्ध में कार्यवाही करने के प्रश्न को एकत्रित सूचना को ध्यान में रखते हुए उठाया जायेगा ।

एनक्लेव विस्थापित व्यक्तियों को पुनः बसाना

4979. **श्री बी० के० दासचौधरी :** क्या **पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा एनक्लेव विस्थापित व्यक्तियों को पुनः बसाने के प्रश्न की नीति के रूप में मान लेने के बाद उनके पुनर्वास के लिए वर्षवार कुल कितनी धनराशि दी गई;

(ख) अब तक कितने एनक्लेव विस्थापित व्यक्तियों को इससे लाभ हुआ और कितने व्यक्तियों को जिलेवार बसाया गया; और

(ग) वर्ष 1973-74 और 1974-75 में एनक्लेव विस्थापितों को पुनः बसाने के लिए कितनी धनराशि की व्यवस्था की गई है ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) एनक्लेव विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए 1969-70 के दौरान पश्चिम बंगाल सरकार को 23.28 लाख रुपये की धनराशि दी गई थी ।

(ख) जानकारी पश्चिम बंगाल सरकार से एकत्रित की जा रही है और सभा की मेज पर रख दी जाएगी ।

(ग) 1973-74 तथा 1974-75 के वर्षों में एनक्लेव विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए कोई धनराशि नहीं दी गई है क्योंकि पहले दी गई राशि का राज्य सरकार ने अभी पूर्ण उपयोग नही किया है ।

माना-शिविर में ठेकेदार तथा सप्लाई-कर्त्ता

4980. **श्री बी० के० दासचौधरी :** क्या **पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विस्थापित व्यक्तियों के माना-शिविर में एक ऐसा ठेकेदार तथा सप्लाई-कर्ता है जो पहले पुनर्वास मंत्रालय के अन्तर्गत एक कर्मचारी था तथा जिसे विभिन्न त्रुटियों के कारण सेवा से निकाल दिया गया था;

(ख) क्या इस व्यक्ति को माना-शिविर के कमान्डेंट की सांठ-गांठ से बहुत बड़ी राशि का ठेका तथा अन्य सुविधायें दी गयी थीं; और

(ग) मामले के तथ्य क्या हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) स (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा की मेज पर रख दी जाएगी ।

शोलापुर स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि की राशि जमा न करना

4981. **श्री मधु दण्डवते** : क्या **श्रम** मंत्री* यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शोलापुर स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल ने कर्मचारियों के भविष्य निधि के अंशदान को गत 12 वर्षों से भविष्य निधि खाते में जमा नहीं किया है; और

(ख) यदि हां, तो भविष्य निधि अधिनियम का उक्त उल्लंघन किये जाने पर मिल के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : भविष्य निधि प्राधिकारियों ने निम्न प्रकार सूचित किया है :—

(क) जी नहीं । यह मिल 13-2-1962 से बन्द कर दी गई थी और उच्चन्यायालय द्वारा 22-4-1964 से इसे समाप्त करने का आदेश दिया गया था । दिवालिया होने के समय, इसके निम्न-प्रकार भविष्य निधि की बकाया राशियों का भुगतान करना था :—

पिछली जमा धन राशि	नियोजकों का भाग	कर्मचारियों का भाग	प्रशासनिक खर्च
रु०	रु०	रु०	रु०
2,09,492.79	15,61,844.00	13,12,015.47	78,851 .55

(ख) कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952 की धारा 14 के अन्तर्गत, कम्पनी और निदेशकों पर अभियोजन चलायें गए । कम्पनी पर 8500/- रुपए का जुर्माना लगाया गया था और निदेशकों को न्यायिक मैजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, शोलापुर द्वारा दोषमुक्त किया गया था । कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने निदेशकों की दोषमुक्ति के खिलाफ अपील दायर की और अन्त में उच्च न्यायालय ने मामले को निपटाया जिसके फलस्वरूप दोषमुक्ति के आदेशों को परिपुष्ट किया गया । कम्पनी के दिवालिया हो जाने के कारण, कम्पनी के खिलाफ आरंभ की गई वसूली की कार्य-वाहियां प्रवर्तनशून्य हो गईं । 41,38,838.42 रुपये का एक दावा, जिसमें अंशदान के बकाये और प्रशासनिक खर्चों के अलावा हर्जाना की राशि तथा ऋण-पत्रों का व्याज शामिल है, सरकारी समापक के पास दायर किया गया था । यह उनके पास लंबित है और मामले की क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा सरकारी समापक के साथ पैरवी की जा रही है ।

इन्टेग्रेटिड मेडिकल प्रेक्टीशनर्ज अधिकारियों के संरक्षण के लिये इंडियन मेडिकल सेन्ट्रल कौंसिल अधिनियम, 1970 में संशोधन

4982. **श्री मधु दण्डवते** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन मेडिकल सेन्ट्रल कौंसिल विधेयक (1970), पर संसद में वाद-विवाद के समय यह आश्वासन दिया गया था कि इन्टेग्रेटिड मेडिकल अर्हता को सरकार की नियम बनाने की शक्ति के अधीन एक अलग अनुसूची में सम्मिलित किया जायेगा;

(ख) यदि हां, तो इसे कार्यान्वित न करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इन्टेग्रेटिड मेडिकल प्रैक्टिशनर्ज के अधिकारों की रक्षा के लिए इंडियन मेडिकल सेन्ट्रल कौंसिल अधिनियम, 1970 का संशोधन करने का है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त अधिनियम के संशोधन के लिये कब कार्यवाही की जायेगी ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) और (ख) जी नहीं । फिर भी भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद विधेयक (1970) पर संसद में हुए विचार-विमर्श के दौरान यह उल्लेख किया गया था कि नियम बनाने वाली शक्ति के अन्तर्गत दूसरी अनुसूची को दो भागों में बांटा जायेगा —

(1) जिन संस्थाओं को राज्य अथवा केन्द्रीय सरकार के कानून के अधीन मान्यता प्राप्त हैं; (2) अन्य। चूंकि दूसरी अनुसूची को सरकार की नियम बनाने वाली शक्ति के अन्तर्गत विभाजित करना संभव नहीं पाया गया है, अतः निकट भविष्य में इस आशय का एक विस्तृत विधेयक प्रस्तुत करने का विचार है ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता ।

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में लौह पिण्डों का जमा हो जाना

4983. **श्री मधु दण्डवते** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में लौह पिण्ड जमा हो गये हैं

(ख) यदि हां, तो ये कब से जमा हो रहे हैं; और

(ग) इस्पात रोलिंग मिलों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये लोह पिण्डों के जमा स्टाक को हटाने के लिये क्या कार्यवाही की जाती है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) वर्ष 1973-74 के आरम्भ से दुर्गापुर इस्पात संयंत्र कारखाने में पिण्डों का स्टाक जमा हो गया था । इसका मुख्य कारण बिजली तथा कोक ओवन गैस की कम उपलब्धि थी । इससे पिण्डों के उत्पादन तथा मिलों के बेलन में असंतुलन पैदा हो गया था ।

(ग) दिसम्बर, 1973 में यह फैसला किया गया कि पिण्डों का और स्टाक इकट्ठा होने से रोकने के लिए विक्रेय कच्चे लोहे का अधिकाधिक उत्पादन किया जाए और उपलब्ध बेलन क्षमता को देखते हुए उसी के अनुसार पिण्डों का उत्पादन किया जाए । इसके अलावा पिण्ड दूसरे कारखानों को भेजें जाएं जैसा कि हमेशा किया जाता रहा है । जमा हुए स्टाक को निकालने में रेल परिवहन की अपर्याप्त उपलब्धि के कारण बाधा आई । इस पर काबू पाने के लिए सभी सम्भव उपाय किए जा रहे हैं ।

पांचवीं योजना में पश्चिम बंगाल में भारी उद्योगों की स्थापना और उनका विस्तार

4984. **श्री शक्ति कुमार सरकार :**

श्री एस० एन० सिंह देव :

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवीं योजना में पश्चिम बंगाल में नये भारी उद्योगों की स्थापना और वर्तमान भारी उद्योगों के विस्तार के लिये सरकार कौन सी योजनाएं आरम्भ करने का विचार है;

(ख) क्या पश्चिम बंगाल सरकार से इस बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क) पांचवीं योजना में मुख्यतः रोलिंग मिल उपकरणों का निर्माण करने के लिए सरकारी क्षेत्र में एक भारी मशीन निर्माण संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। जब तक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट नहीं मिलती है तब तक इसके स्थापना-स्थल के बारे में स्पष्ट रूप से बताना संभव नहीं है।

पांचवीं योजना में विविधीकरण कार्यक्रम के लिए जेसप एण्ड कम्पनी के संबंध में 15 करोड़ रु० का प्रावधान किया जा रहा है।

(ख) भारी उद्योग मंत्रालय को पश्चिम बंगाल सरकार से कोई प्रस्ताव नहीं मिला है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

रेलवे वैगन कारखाने

4985. **श्री शक्ति कुमार सरकार :**

श्री एस० एन० सिंह देव :

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे वैगन कारखाने निर्धारित क्षमता से कम उत्पादन कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक की स्थापित क्षमता और गत तीन वर्षों में वास्तविक उत्पादन क्या है; और

(ग) प्रत्येक कारखाने में कितनी पूंजी लगाई गई है और उसके मुकाबले अब तक कितना घाटा हुआ है और प्रत्येक में स्थापित क्षमता का कितने प्रतिशत उपयोग हो रहा है ?

भारी उद्योग मंत्रावय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 6572/74]

(ग) चूंकि बहुत से वैगन निर्माताओं का विविधीकृत उत्पाद-मिश्र है, इसलिए यथार्थतः यह गणना करना सम्भव नहीं है कि वास्तविक पूंजी कितनी लगाई गई है और केवल वैगन निर्माण कार्यों के कारण कितनी हानि हुई है। सामान्यतः इस उद्योग में अधिस्थापित क्षमता के उपयोग का प्रतिशत लगभग 35-40 रहा है।

पश्चिम बंगाल में निर्धारित क्षमता से निम्न प्रकार पर काम कर रहे वैगन कारखाने

4986. **श्री शक्ति कुमार सरकार** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में अनेक वैगन कारखाने क्रयादेशों की कमी के कारण निर्धारित क्षमता से निम्न स्तर पर काम कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त कारखानों को गत तीन वर्षों में कितने वैगनों के क्रयादेश प्राप्त हुए और कितने वैगन सप्लाई किये गये; और

(ग) इस समय कारखाना-वार कितने वैगनों के क्रयादेश प्राप्त हैं और पांचवीं योजना के दौरान कितने वैगनों के क्रयादेश प्राप्त होने की सम्भावना है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) पश्चिम बंगाल के वैगन बनाने वाले उद्योग ने पिछले तीन वर्षों में उपयुक्त क्रयादेश प्राप्त किये हैं जो उनके वास्तविक उत्पादन के अनुरूप हैं और निम्नलिखित आंकड़ों से जिसका पता लगता है :—

(आंकड़े चार पहियों के वैगन के)

वर्ष	वर्ष के शुरू में बकाया क्रयादेशों की संख्या	वर्ष में प्राप्त नये क्रयादेश	वर्ष में कुल क्रयादेश	वर्ष में उत्पादन
1	2	3	4	5
1970-71	7,913	3742.5	11,315.5	5,128
1971-72	6,187.5	10,344.5	16.532	4,236
1972-73	12,296	11,560	23.354	6,235

(ग) पश्चिम बंगाल में वैगन बनाने वाले उद्योग के पास 1-3-74 को 4 पहियों के 24,282.6 वैगनों के लिए क्रयादेश हैं जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

क्र० संख्या	फर्म का नाम	4 पाहियों वाले वैगनों की संख्या
1	2	3
1.	मे० ब्रिज एण्ड रूफ कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता . . .	1822.2
2.	मे० ब्रेथवेट्स एण्ड कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता	5830.6
3.	मे० वर्न एण्ड कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता	3250.0
4.	मे० इण्डियन स्टैंडर्ड वैगन कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता . . .	3142.0
5.	मे० जेसप एण्ड कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता . . .	2257.0
6.	मे० टेक्सटाईल मशीनरी कारपोरेशन लिमिटेड, 24, परगना, कलकत्ता .	7980.8
		24282.6

2800 लाख मी० टन की पांचवीं योजना प्रशुल्क प्रत्याशा के आधार पर, जो योजना आयोग ने अनन्तिम रूप से मंजूर की है, 4 पहिए वालों के अनुसार वैगनों की आवश्यकता एक लाख अर्थात् प्रनिवर्ष 20,000 होने का अनुमान लगाया गया है । पश्चिम बंगाल में पांचवीं योजनावधि में वैगन निर्माण उद्योग को आर्डर किए जाने वाले संभावित वैगनों की संख्या अलग से नहीं बताई जा सकती है क्योंकि यह अनेक बातों पर निर्भर करता है ।

पश्चिमी घाट में लौह-अयस्क के उपयोग के लिए परियोजना

4987. **श्री पी० आर० शिनाय :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम घाटों में लौह-अयस्क का उपयोग करने के लिये एक परियोजना तैयार की गई है; और

(ख) यदि हां, तो परियोजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) जी, हां । कुद्रेमुख लौह खनिज निक्षेपों के जो कर्नाटक राज्य में पश्चिमी घाट का भाग है, समन्वेषण के लिए एक विस्तृत प्रायोजना प्रतिवेदन तैयार किया गया था । इस प्रतिवेदन में लगभग 200 लाख टन प्राकृत खनिज के खनन की परिकल्पना की गई थी जिससे परिष्करण के पश्चात् 75 लाख टन बिक्री योग्य कन्संट्रेट प्राप्त होना था ।

मूल योजना में इसका गारे के रूप में जापान को निर्यात करने की परिकल्पना की गई थी । जापान में दूषण की समस्याओं के कारण इस प्रस्ताव को कार्यान्वित नहीं किया जा सका । कुद्रेमुख से खनिज की निकासी के विकल्प पर विचार किया जा रहा है ।

कार, ट्रैक्टर तथा ट्रकों का उत्पादन

4988. **श्री बी० आर० शुक्ल :** क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पेट्रोल मोबाइल आयल तथा डीजल की कमी को ध्यान में रखते हुए सरकार ट्रैक्टर, कार, ट्रक तथा ऐसे तेलों से चलने वाली अन्य मशीनों के उत्पादन में कमी करने की बात सोच रही है; और

(ख) यदि नहीं, तो शक्ति उत्पादन करने वाली ऐसी वस्तुओं की बढ़ती हुई मांग को सरकार का विचार किस प्रकार पूरा करने का है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) पेट्रोल और सम्बद्ध पदार्थों की कमी होने से इन महत्वपूर्ण उद्योगों में नीतियों और लक्ष्यों के संबंध में पुनर्विचार और पुनर्निर्धारण करना स्वाभाविक रूप से आवश्यक हो गया है ।

एशियाई देशों के बीच गहन सहयोग

4989. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत एशियाई देशों के बीच गहन सहयोग करने के लिये तैयार है;

(ख) क्या भारत एशिया के अन्य विकासशील देशों से तकनीकी जानकारी आदान-प्रदान भी करेगा; और

17 LSS/74—6

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) जी हां ।

(ग) द्विपक्षीय आधार पर और कोलम्बो योजना जैसे बहुपक्षीय प्रबंधों के अधीन भी तकनीकी सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत एक हजार से अधिक भारतीय विशेषज्ञ एशिया के विकासशील देशों में कार्य कर रहे हैं । इसके अलावा, इन देशों को 450 से अधिक विशेषज्ञों की सेवाएं संविदा के आधार पर भी उपलब्ध की गई हैं । तकनीकी सहायता कार्यक्रम के अधीन भारत में 330 से अधिक प्रशिक्षणार्थियों को तकनीकी क्षेत्रों में प्रशिक्षण सुविधा दी जा रही है। इन देशों के लिए आर्थिक सर्वेक्षण करने और व्यवहार्यता-अध्ययन करने के अलावा भारत में प्रशिक्षण सुविधाओं की व्यवस्था करने और विशेषज्ञों को प्रति-नियुक्ति पर भेजने से सम्बन्धित तकनीकी सहायता के विकासशील एशियाई देशों के अनुरोधों को भारत यथा शक्ति स्वीकार करता है। अफ़गानिस्तान, ईरान, इराक और श्रीलंका के साथ हमारे जो संयुक्त आयोग हैं, वे भी अन्य बातों के साथ-साथ तकनीकी जानकारी का आदान-प्रदान बढ़ाते हैं।

कोयला खान क्षेत्रों की समेकित प्रगति के लिए निकाय

4990. **श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :**
श्री पी० गंगादेव :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कोयला खान क्षेत्रों की समेकित प्रगति के लिये उनका विचार राज्य सरकारों के सहयोग से एक निकाय की स्थापना करने की है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : जी नहीं ।

बीड़ी कर्मचारियों की सेवा शर्तों के बारे में सर्वेक्षण

4991. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में बीड़ी कर्मचारियों की सेवा शर्तों के बारे में हाल ही में सर्वेक्षण किया है और सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी कार्य-स्थितियों में सुधार करने के बारे में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) श्रम ब्यूरो के निदेशक ने 1965-66 के दौरान बीड़ी श्रमिकों की श्रम-दशाओं की जांच की और 'भारत के बीड़ी कारखानों में श्रम-दशाओं का सर्वेक्षण (1965-66)' नामक एक रिपोर्ट प्रकाशित की।

(ख) बीड़ी और सिगार श्रमिक (रोजगार की शत) अधिनियम, 1966 जो कि एक केन्द्रीय विधान है, बीड़ी और सिगार श्रमिकों के कल्याण की व्यवस्था करता है और उनकी कार्यदशाओं को विनियमित करता है।

विदेशों में भारतीय निर्माण श्रमिकों को रोजगार

4992. **श्री डी० बी० चन्द्रगौड़ा**: क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या किसी देश ने भारत के निर्माण श्रमिकों को अपने यहां रोजगार पर लगाने की इच्छा व्यक्त की है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे देशों के नाम क्या हैं और इस सम्बन्ध में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) : जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बेरोज़गार चिकित्सा स्नातकों की संख्या में वृद्धि

4993. **श्री डी० बी० चन्द्रगौड़ा : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत दो, वर्षों के दौरान बेरोजगार चिकित्सा स्नातकों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार उसके आंकड़े क्या हैं; और

(ग) इस बारे में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) तथा (ख) 1971, 1972 तथा 30 जून, 1973 के अंत तक प्रत्येक राज्य/संघशासित क्षेत्र के रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टरों में चिकित्सा स्नातकों (जिनमें स्नातकोत्तर भी शामिल हैं) की संख्या से सम्बन्धित एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

(ग) कुछ राज्य सरकारों ने चिकित्सा स्नातकों के लिये विशेष रोजगार कार्यक्रम चलाये हैं, जिनमें ग्रामीण औषधालयों को खोलना, जनजातीय और अन्य क्षेत्रों में काम करने के लिये छात्र वृत्तियां देना, सेवा पूर्व प्रशिक्षण देना, रोजगार प्राप्त करने के लिये वित्तीय सहायता देना आदि शामिल हैं।

विवरण

क्रम संख्या राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	चालू रजिस्टरों पर चिकित्सा स्नातकों (जिनमें स्नातकोत्तर भी शामिल हैं) की संख्या		
	1971	1972	*1973 (30-6-73 तक)
1	2	3	4
1. आन्ध्र प्रदेश	1400	1355	1329
2. असम	10	39	42
3. बिहार	208	374	372
4. चण्डीगढ़	—	—	—
5. दिल्ली	440	626	761
6. गोआ	21	31	60
7. गुजरात	23	64	69
8. हरियाणा	60	146	283

1	2	3	4
9. हिमाचल प्रदेश	4	14	20
10. जम्मू और कश्मीर	1	1	2
11. केरल	415	573	829
12. लक्षद्वीप	2	3	5
13. मध्य प्रदेश	42	93	87
14. महाराष्ट्र	108	187	239
15. मणिपुर	—	—	—
16. कर्नाटक	380	840	680
17. उड़ीसा	443	396	505
18. पांडिचेरी	30	36	32
19. पंजाब	22	97	99
20. राजस्थान	184	294	270
21. तमिलनाडु	109	144	240
22. त्रिपुरा	—	—	—
23. उत्तर प्रदेश	15	60	57
24. पश्चिम बंगाल	36	51	53
25. मेघालय	—	—	—
26. मिजोरम**	—	—	—
27. नागालैंड	*	*	*
28. अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह†	*	*	*
29. अरुणाचल प्रदेश	*	*	*
30. दादर और नगर हवेली*	*	*	*
सम्पूर्ण भारत कुल :	3953	5424	6034

टिप्पणी : *i. इन राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में कोई रोजगार कार्यालय कार्य नहीं कर रहा है।

**ii. दिल्ली और जामिया मिलिया विश्वविद्यालयों को छोड़कर इसमें अन्य विश्वविद्यालय रोजगार सूचना तथा निर्देशन व्यूरो के आंकड़े सम्मिलित नहीं हैं।

†iii. चूंकि पंजीकरण स्वैच्छिक है इसलिये सभी बेरोजगार डाक्टर रोजगार कार्यालयों में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते दूसरे बहुत से रोजगार प्राप्त व्यक्ति भी अपने उज्ज्वल भविष्य के लिये रोजगार कार्यालयों में अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं।

कोयले के अभाव के कारण दक्षिण में सीमेन्ट कारखानों का बन्द होना

4994. **श्री डी० बी० चन्द्रगौड़ा** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयले के अकाल का दक्षिण में लघु संयंत्रों पर भी प्रभाव पड़ा है ;

(ख) यदि हां, तो कोयले के अभाव के कारण सीमेन्ट के कितने लघु संयंत्र बन्द हो गये हैं; और

(ग) क्या उद्योग ने कोयले की बचत करने और उत्पादन बढ़ाने के लिये कुछ अत्यावधि उपाय किये हैं और यदि हां, तो उनकी मुख्य बात क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) :(क) और (ख) रेलों के आवा-गमन में रुकावटों के कारण दक्षिणी क्षेत्र के कुछ इस्पात कारखानों को कोयले की नियमित और पर्याप्त पूर्ति नहीं हो पा रही है । इसके फलस्वरूप उनमें से कुछ न कुछ समय के लिए भट्ठियों के आंशिक रूप से बन्द हो जाने की शिकायत की है । बन्द भट्ठियों की संख्या और बन्द रहने की अवधि कोयले की प्राप्ति के आधार पर हर मास अलग-अलग है । फरवरी, 1974 में दक्षिण के 12 सीमेंट कारखाने विभिन्न अवधियों पर थोड़े-थोड़े समय के लिए आंशिक रूप से बन्द रहे । कोयला मिलते ही भट्ठियां पुनः चालू होती रही हैं ।

(ग) सीमेंट उद्योग द्वारा उत्पादन बढ़ाने और कोयले की बचत करने के लिए कोई अल्पकालीन या दीर्घकालीन उपाए नहीं किए गए हैं ।

आन्ध्र प्रदेश में कुष्ठ रोग

4995. **डा० कर्ण सिंह** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में कुष्ठ रोगियों की संख्या बहुत अधिक है ;

(ख) यदि हां, तो अन्य राज्यों के साथ साथ आन्ध्र प्रदेश में कुष्ठ रोगियों की प्रतिशतता कितनी है ;

(ग) क्या इस राज्य की इस भयंकर रोग से पीड़ितों की इतनी अधिक संख्या के कारणों का पता लगाने के लिए कोई अनुसंधान किया गया है ; और

(घ) इस पर काबू पाने और इसके उन्मूलन के लिए क्या प्रयास किए गये हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) और (ख) : जी हां, । 1971 की जन गणना के अनुसार यहां की कुल जन संख्या के आधार पर कुष्ठ रोगियों की प्रतिशतता तथा अन्य राज्यों की स्थिति इस प्रकार है :–

राज्य	कुल जन संख्या के आधार पर कुष्ठ रोगियों की प्रतिशतता ।
1. आन्ध्र प्रदेश	1.44%
2. तमिलनाडु	1.90%
3. बिहार	0.60%
4. महाराष्ट्र	0.56%
5. कर्नाटक	0.59%
6. उड़ीसा	1.08%
7. उत्तर प्रदेश	0.19%
8. पश्चिम बंगाल	0.86%
9. शेष राज्य और संघ शासित क्षेत्र (न्यून स्थानिकमारी क्षेत्र)	0.13%

(ग) आन्ध्र प्रदेश में इस रोग के इतने व्यापक रूप में फैलने के कारणों का पता लगाने के लिए कोई अनुसंधान कार्य नहीं किया गया है क्योंकि यह जानते हुए कि यह रोग कीटाणुओं के कारण होता है, अन्य स्थानों की अपेक्षा यह किसी स्थान विशेष में अधिक व्यापक रूप में क्यों फैल जाता है इस बात का पता लगाने के लिए अध्ययन करने का कुष्ठ रोग विशेषज्ञों के मत में सम्भवतः कोई वैज्ञानिक तर्क उपलब्ध नहीं है।

(घ) इस रोग पर नियंत्रण करने की दृष्टि से भारत सरकार ने राज्यों के सहयोग से पहली पंचवर्षीय योजना के बीच 1954-55 में राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम चलाया था। इस कार्यक्रम को चालू करने से लेकर अब तक आन्ध्र प्रदेश में जहां जहां और जो जो काम हुआ है, उसका विवरण इस प्रकार है :–

1. कुष्ठ नियंत्रण एकक	32
2. एस०ई० सैंटर	192
3. जिन स्वैच्छिक संगठनों को सहायक अनुदान दिया गया	7
4. अन्तर्राष्ट्रीय संघटनों द्वारा खोली गयी नियंत्रण परियोजनाएं	1
5. प्रशिक्षण केन्द्र	2
6. अब तक आंध्र प्रदेश में जितनी आबादी में यह कार्यक्रम चलाया गया	168.20 लाख
7. आंध्र प्रदेश में चिकित्सा हेतु अब तक कुल जितने रोगियों के नाम दर्ज किये गये	2.10 लाख

डाक्टरों को दी गई छात्रवृत्तियों को केन्द्रीय वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् द्वारा वापिस लिया जाना

4997. **श्री यमुना प्रसाद मण्डल :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हड़ताल कर रहे कनिष्ठ डाक्टरों को दी गई छात्रवृत्तियां वापिस ले लेने के लिए केन्द्रीय वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् को कहा गया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने ऐसा करने से इंकार कर दिया था ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या वैकल्पिक कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) : ये प्रश्न नहीं उठते।

पुनर्वास उद्योग निगम के बन्द करने की धमकी

4998. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की करेंगे कि

(क) क्या पुनर्वास उद्योग निगम लिमिटेड, बंद होने की स्थिति में है ;

(ख) क्या सरकार द्वारा इसके बन्द किये जाने के निर्णय से इस सरकारी उपक्रम के 5525 कर्मचारी बेरोजगार हो जाएंगे ; और

(ग) यदि हां, तो निगम में वास्तव में क्या स्थिति विद्यमान है ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) :(क) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) पुनर्वास उद्योग निगम 1959 से ही, जब इसकी स्थापना की गई थी, घाटे में चल रहा है। 31-3-1973 तक इसे हुई कुल हानि 4.13 करोड़ रुपए थी।

पांचवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के अंतर्गत, निगम की कुल आय और व्यय को ध्यान में रखते हुए सरकार निगम में पूंजी लगाने के प्रश्न पर विचार कर रही है। पांचवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में निगम के लाभ तथा हानि का अनुमान लगाने तथा निगम की यूनिटों का सुचारू प्रबंध करने तथा इसके भविष्य के बारे में सुझाव देने के लिए अधिकारियों की एक समिति स्थापित कर दी गई है।

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र का विस्तार

4999. **श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पांचवीं योजना अवधि के दौरान दुर्गापुर इस्पात संयंत्र का विस्तार करने की कोई योजना तैयार की है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) जी, नहीं। फिर भी कारखाने का विस्तार करने की संभावनाओं पर विचार किया जा रहा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

अमरीका में एक भारतीय अर्थशास्त्री की पत्नी की मृत्यु

5000. **श्री ज्योतिर्मय बसु :**

कुमारी कमला कुमारी :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में रोज़गार प्राप्त भारतीय अर्थशास्त्री की पत्नी बेथेसड़ा, मेरीलैंड (अमरीका) स्थित अपने निवास स्थान पर मरी हुई पाई गई थी जिससे लगता था कि उन्हें पीट कर मारा गया है ;

(ख) क्या सरकार ने इस घटना की जांच की है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और इस मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) वाशिंगटन स्थित भारत के राजदूतावास ने सूचना दी है कि वाशिंगटन डी०सी० स्थित अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में नियुक्त अर्थशास्त्री श्री मोहन खंब कोणे की पत्नी श्रीमती ललिता मोहन खंबकोंणें 18 जनवरी 1974 को मेरीलैंड राज्य में वाशिंगटन के उपनगर के अपने घर 7806

आइवी टेरेस में मृत पायी गयीं। जांच के बाद ग्रांड जूरी ने खंबकोर्णे परिवार के भारतीय घरेलू नौकर रामचन्द्र ज्ञानु मल्लेकर पर मानव हत्या आक्रमण तथा प्रहार का अभियोग लगाया। मामला निर्णयाधीन है और राजदूतावास संबंधित अधिकारियों से संपर्क बनाए हुए हैं।

शव-परीक्षा के बाद श्रीमती खंबकोर्णे के शव का 21 जनवरी 1974 को दाह-संस्कार कर दिया गया।

महामारी के रूप में मलेरिया का फैलना

5001. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक सेवामुक्त वैज्ञानिक डा० सी० जी० पंडित ने पूना में विशेषज्ञों की बैठक में हाल में यह चेतावनी दी है कि देश के बहुत से भागों में महामारी के रूप में मलेरिया फैलने की आशंका है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) महामारी रोगों की निगरानी हेतु वाइरस विज्ञान संबंधी अंतर्राष्ट्रीय कोर्स के उद्घाटन समारोह के अवसर पर डा० सी०जी० पंडित ने संचारी रोगों की वैज्ञानिक ढंग से निगरानी करने के महत्व पर बल देते हुए यह संकेत दिया कि मलेरिया के पुनः महामारी के रूप में फैल जाने की संभावना है।

(ख) सरकार को इस स्थिति का पता है और मलेरिया के रोगियों को ढूंढ़ निकालने तथा उन का उपचार करने के अभिप्राय से राज्य सरकारों से यह अनुरोध कर दिया गया है कि वे बुखार के रोगियों की निगरानी के काम को तेज कर दे।

इस्पात नियंत्रण आदेश में कमियां

5002. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई ओर से यह आरोप लगाया गया है कि बेईमान व्यापारियों ने इस्पात नियंत्रण आदेश की कमियों का लाभ उठा कर लोह तथा इस्पात के उत्पादों को जमा कर लिया है और जमा कर रहे हैं।

(ख) यदि हां, तो सरकार के पास इस प्रवृत्ति के संबंध में कोई विशिष्ट रिपोर्टें हैं ; और यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या इन कमियों को दूर करने की दृष्टि से सरकार इस्पात नियंत्रण आदेश में संशोधन करने पर विचार कर रही है ; और

(घ) यदि हां, तो प्रस्तावित संसाधनों की मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) से (घ) लोहा तथा इस्पात (नियंत्रण) आदेश, 1956 में कमियों के बारे में ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। फिर भी, समय समय पर इस्पात वितरण प्रणाली की ध्यानपूर्वक समीक्षा की जाती है और यथा समय, इसमें परिवर्तन किये जाते हैं जिनमें लोहा तथा इस्पात (नियंत्रण) आदेश में संशोधन करना भी शामिल है।

नौसेनाध्यक्ष और स्थल सेनाध्यक्ष तथा वायुसेनाध्यक्ष की सेवानिवृत्ति की आयु

5003. **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौसेनाध्यक्ष की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष है जबकि स्थलसेनाध्यक्ष और वायुसेनाध्यक्ष की सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : : (क) जी हां, श्रीमन्।

(ख) यह अंतर विभिन्न सेवा आवश्यकताओं के कारण है।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के जरिये घटिया दवाइयों की सप्लाई

5004. **श्री विक्रम महाजन** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना के अधीन रोगियों को दी जा रही दवाओं की सूची में से बहुत सी स्टैंडर्ड एवं पेटेन्ट दवाइयों का नाम निकाल दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त दवाओं के नाम क्या हैं ; सूची में से उनका नाम कब निकाला गया और उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार को केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत घटिया दवाओं की सप्लाई के संबंध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं ; और

(घ) सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है और इस बात को सुनिश्चित करने के लिये क्या प्रयत्न किये गये हैं कि रोगियों को स्टैन्डर्ड एवं पेटेन्ट दवाइयां मिलें ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) और (ख) केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना भेषज संहिता की जिसमें लगभग 400 दवाइयां हैं, समय-समय पर एक समिति द्वारा समीक्षा की जाती है जिसमें केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के निदेशक और वरिष्ठ विशेषज्ञ शामिल हैं। भेषज संहिता से हाल ही में निकाली गई दवाइयों तथा इनके कारणों की एक सूची संलग्न है।

(ग) और (घ). 1973 के दौरान दो शिकायतें मिली थीं। जब शिकायतें मिलती हैं उनकी जांच की जाती है और उन पर आवश्यक कार्यवाही की जाती है।

विवरण

भेषज संहिता से निकाली गई अप्रचलित दवाइयों की सूची

1. **कैप्सूल नियोमाइसन सल्फेट** : यह दवा अस्पताल में भरती किये गये रोगियों को ही दी जाती है और इसे एस० जे० अस्पताल को दे दिया गया है।

2. **टेबलेट माइकोस्टेटिन ओरल** : विरल रोगियों को ही दी गई ।

3. **पोट पेनसिलिन ग्रेन्यूल्स** : टेबलेट पोट पेनिसिलिन-V सूची में पहले ही से है।.

5. **टेबलेट्स थालाजोल** : इसके स्थान पर ग्राई० डी० पी० एल० की सल्फागुनिडाइन टेबलेट्स रख दी गई हैं।

6. **टेबलेट्स बुटाजोलिडीन ए०एल०के०ए०** : हमारे यहां सूची में बुटाजोलिडीन है और अन्य एण्टासिड्स अलग से हैं।

8. **कैप्स्यूल डिस्साइल** : हमारे यहां सूची में एनजाइम दवाई अर्थात् यूनिएन्जाइम है।

9. इंजेक्शन त्रि-रेडिसोल-एच जो इंजेक्शन बी० 1, बी० 12 और बी० 6 से तैयार किया जाता है। इसे सूची से निकाल दिया गया है क्योंकि सूची में इंजेक्शन बेविडोज़ और इंजे० न्यूरोबिग्रन पहले से ही है।

10. **कैप्स्यूल साइक्रोल फ़र्ट** : सूची में पहले ही दो दवाइयां अर्थात् कैप्स्यूल रेडीसाइट और ग्राईवेरोल हैं।

दिल्ली के केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा औषधालयों के कर्मचारियों को उनके वेतनों के भुगतान में देरी

5005. **श्री विक्रम महाजन** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली और नई दिल्ली में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा औषधालयों के कर्मचारियों को उनके वेतन महीने के पहले दिन न देकर, जैसे कि पहले दिया जाता था, पांचवें, छठे और सातवें दिन दिया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं तथा यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है कि केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा औषधालयों के कर्मचारियों को उनका वेतन प्रत्येक महीने की पहली तारीख को मिले ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) और (ख) चिकित्सा अधिकारी संघ की मांगों को स्वीकार करते हुए दिसम्बर, 1973 से वेतन भुगतान प्रणाली में परिवर्तन कर दिया गया है जिसके अनुसार 76 केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के औषधालयों को चार क्षेत्रों में बांटा गया है और काम करने के पहले चार दिनों में अर्थात् महीने की पांचवीं तारीख तक क्षेत्र-वार वेतन का भुगतान किया गया। अप्रैल, 1974 से औषधालयों का फिर से ग्रुप बनाकर महीने के पहले दो कार्य दिवसों में वेतन का भुगतान किया जायेगा।

कर्नाटक के लिये परिवार नियोजन कार्यक्रम हेतु केन्द्रीय सहायता

5006. **श्री एस० बी० पाटिल** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972-73 और 1973-74 में कर्नाटक को परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिये कितनी केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई है ;

(ख) क्या यह राशि भारत जनसंख्या परियोजना के माध्यम से दी गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो भारत जनसंख्या परियोजना का वास्तविक कार्य क्या है और उसे इसमें अब तक क्या सफलता मिली है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री कोंडाजी बासप्पा) : (क) 1972-73 : 393.38 लाख रुपये जिनमें सामान के रूप में दी गई वस्तुओं की लागत भी शामिल है।

1973-74 : फरवरी, 1974 तक 264 लाख रुपये।

(ख) जी नहीं, राज्य सरकार को भारत जनसंख्या परियोजना के लिये भी अनुदान दिया जाता है।

(ग) अपेक्षित सूचना का एक विवरण संलग्न है।

विवरण

भारत जनसंख्या परियोजना

भारत जनसंख्या परियोजना एक प्रयोगात्मक परिवार नियोजन योजना है जो कि अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (आई०डी०ए०) तथा स्वीडन राज्य की आर्थिक सहायता से पांच वर्षों की अवधि के लिए उत्तर प्रदेश के 6 जिलों और कर्नाटक के 5 जिलों में आरंभ की गई है।

कर्नाटक में इस परियोजना की संक्षिप्त भूमिका इस प्रकार है :—

(1) भारत सरकार के वर्तमान पैटर्न के अनुसार पांच परियोजना जिलों (जैसे बंगलौर, टुमकौर शिमोगा, कोलार और चित्रदुर्ग) में संपूर्ण आधारभूत ढांचा, सुविधाएं तथा प्रसाधन प्रदान करके नगरीय तथा ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में प्रसूति पर आधारित परिवार नियोजन कार्यक्रम को गहन रूप से क्रियान्वित करना।

(2) इस बात का पता लगाने के लिए कि प्रत्यक्ष रूप से प्रोत्साहन के तौर पर तथा अप्रत्यक्ष रूप से इसके प्रभाव का परिणाम जानने के लिए कि कम बच्चों की इच्छा के संबंध में शिशुओं की मृत्यु दर में कमी होने का क्या असर पड़ता है और अतिरिक्त साधन प्रदान करके पोषण कार्यक्रम की क्रियान्विति के साधनों का परीक्षण करने के लिए एक जिले में एक विशेष पूरक पोषण कार्यक्रम क्रियान्वित करना।

(3) उन्नत प्रकार की प्रबंध सूचना तथा मूल्यांकन पद्धति का परीक्षण करने और सुझाव देने, क्षेत्रोन्मुखी अनुसंधान की रूपरेखा तैयार करने और अनुसंधान करने तथा परियोजना का निरंतर मूल्यांकन करने के लिये बंगलौर में एक जनसंख्या केन्द्र स्थापित करना ताकि इसके परिणाम का भारत के संपूर्ण परिवार नियोजन कार्यक्रम में सुधार करने के लिये प्रयोग किया जा सके। जनसंख्या केन्द्र के कार्य में एक विशेषज्ञ प्रबंध संस्थान इसकी सहायता करेगा और मार्ग दर्शन करेगा।

2. **प्रगति** : परियोजना की पांच वर्षों की अवधि 1 अप्रैल, 1973 से आरंभ हुई थी। परियोजना की क्रियान्विति की वर्तमान स्थिति इस प्रकार है :—

(1) एक प्रबंध मंडल पहले ही स्थापित किया जा चुका है। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री इसके अध्यक्ष तथा मुख्य सचिव सह अध्यक्ष हैं। परियोजना की क्रियान्विति के लिए नीति संबंधी निर्णय करने और की गई प्रगति की समीक्षा करने के लिए प्रबंध मंडल को सरकार के सभी अधिकार प्राप्त हैं।

(2) वे विभिन्न प्रशासनिक कार्यालय/एकक जोकि परियोजना की क्रियान्विति के लिए पूर्वापेक्षित हैं, जैसे परियोजना समन्वयकर्ता, परियोजना कार्यान्वियन अधिकारी, पोषण अधिकारी, निर्माण खंड तथा जनसंख्या केन्द्र के कार्यालय पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं।

(3) परियोजना में जिन विभिन्न प्रकार के भवनों के निर्माण की व्यवस्था है, वे निर्माणाधीन हैं।

(4) प्रत्येक परियोजना जिले में एक सहायक नर्सधात्री स्कूल स्थापित किया गया है। बहुत सी गाड़ियां भी खरीदी जा चुकी हैं।

(5) प्रसूति-गृह, नगरीय परिवार नियोजन केन्द्र, जिला तथा तालुक अस्पतालों में नसबंदी उप भवन, चुनिंदा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में प्रसूतिका-नसबंदी खंड तथा सचल दल स्थापित करने और सर्वेक्षण प्रसाधन प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार ने पहले ही आदेश जारी कर दिए हैं।

(6) बंगलौर के क्षेत्रीय परिवार नियोजन के साथ संलग्न सचल प्रशिक्षण दल ने प्रशिक्षण अपेक्षाओं का मूल्यांकन पूरा कर लिया है और प्रशिक्षण का कार्यक्रम भी तैयार कर लिया गया है।

(7) राज्य सरकार ने पूरक पोषण कार्यक्रम क्रियान्वित करने के लिए पहले ही योजनाएं तैयार कर ली हैं। ग्रामवार प्रत्येक परिवार से संबंधित जन्म-मरण के आंकड़े एकत्रित करने के लिये प्रबंध किए गए हैं और आवश्यक सर्वेक्षण कार्यक्रम आरंभ किया जा चुका है।

(8) जनसंख्या केन्द्र ने परियोजना क्षेत्र में प्रशासकों, चिकित्सा तथा पराचिकित्सा कार्मिकों के प्रशिक्षण के लिये पहले ही तीन कार्यशालाएं आयोजित की जा चुकी हैं।

'स्नूपिंग डिवाइसेज' का निर्यात

5007. **श्री राम सहाय पांडे :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारे देश ने 'स्नूपिंग डिवाइसेज' का हाल में निर्यात करना आरंभ किया है;

(ख) यदि हां, तो किन देशों को ; और

(ग) इस से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की जा रही है?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी नहीं, श्रीमन्।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उटते।

छम्ब शरणार्थियों के लिये निर्धारित पुनर्वास निधि का कथित गोलमाल

5008. **श्री राम सहाय पांडे :**

चौधरी राम प्रकाश :

क्या **पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छम्ब शरणार्थियों के लिये निर्धारित पुनर्वास निधि के कथित गोलमाल के बारे में कोई शिकायत प्राप्त हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) और (ख) जम्मू और काश्मीर सरकार ने सूचित किया है कि कोई विशिष्ट शिकायत प्राप्त नहीं हुई है किंतु इस सम्बन्ध में छम्ब विस्थापित व्यक्तियों के एक समूह द्वारा सामान्य शिकायत की गई है।

दूसरा और राशन कार्ड जारी करने में पाई गई कुछ अनियमितताओं के बारे में राज्य सरकार ने कार्यवाही की है और पचहत्तर राशन कार्ड, जो जाली पाए गए थे, रद्द कर दिए गए थे।

दक्षिण भारत के सीमेंट कारखानों को बंगाल-बिहार कोयला क्षेत्रों से कोयले की सप्लाई

5009. **श्री सी० के० जाफर शरीफ :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश स्थित सिंगरेनी कोयला खानों से कोयला लेने वाले दक्षिण भारत के सीमेंट कारखानों से कोल लिंकेज कमेटी ने पश्चिम बंगाल और बिहार के कोयला क्षेत्रों से आवश्यक कोयला लेने के लिये कहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस परिवर्तन से इन सीमेंट कारखानों के उत्पादन कार्यक्रम में व्यवधान आया है ; और

(ग) क्या रेल माल डिब्बों की कमी तथा बुकिंग सम्बन्धी प्रतिबन्धों के कारण पश्चिम बंगाल और बिहार की कोयला खानें आवश्यक कोयला सप्लाई करने में असमर्थ हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) दक्षिण क्षेत्र के दो सीमेंट कारखाने, जो अपनी कोयलें की जरुरत के लिए पहले पूर्णतया सिंगरेनी से सम्बन्ध थे, बाद में उन्हीं के अनुरोध पर, अपेक्षित कोयले की किस्म को ध्यान में रखते हुए उनकी आंशिक जरूरत हेतु तालचर तथा बंगाल-बिहार कोयला-क्षेत्रों के साथ जोड़ दिये गये । दक्षिण क्षेत्र के दो अन्य सीमेंट कारखानों को, जो अपनी कुछ पूर्ति बंगाल-बिहार कोयला क्षेत्र से तथा कुछ पूर्ति सिंगरेनी से प्राप्त करते थे, पूर्णतया बंगाल-बिहार क्षेत्र के साथ जोड़ दिया गया परन्तु बाद में सिंगरेनी वाली पूर्ति को फिर से बरकरार कर दिया गया।

(ख) सरकार को, इन सीमेंट कारखानों के उत्पादन कार्यक्रम में किसी प्रकार की रुकावट की जानकारी नहीं है, किन्तु बंगाल-बिहार और तालचर से कोयले का संचलन लिंकेज मात्रा से कम रहा है।

(ग) काफी अधिक फासला तथा अन्य परिचालन कठिनाइयों और वाल्टेयर के रास्ते भारी ढुलाई के कारण रानीगंज कोयला क्षेत्रों से दक्षिण को कोयले की ढुलाई के लिए वैगनों की उपलब्धि संतोषजनक नहीं है ।

स्पंज लोहे का उत्पादन

5010. **श्री सी० के० जाफर शरीफ :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में स्पंज लोहे का कितना उत्पादन होता है और क्या लघु इस्पात संयंत्रों में स्पंज लोहे की कोई मांग है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला, जमशेदपुर ने प्रायोगिक संयंत्र स्तर पर स्पंज लोहे का उत्पादन किया है । तथापि इस समय देश में उसका वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन नहीं हो रहा है । 8 राज्य उद्योग विकास निगमो को कुल मिलाकर 11.4 लाख टन स्पंज लोहे के उत्पादन के लिए आशय पत्र दिए गए हैं ।

विद्युत चाप भट्टियों में कुछ हद तक रद्दी लोहे के स्थान पर स्पंज लोहे का इस्तेमाल किया जा सकता है । जब वह इकाइयां जिनकों आशय पत्र दिए गए हैं, स्थापित हो जाएगी और वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन करना आरम्भ कर देगी तब इसकी मांग में अवश्य वृद्धि होगी ।

उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के बघेलताल में तात्कालिक पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों को आवंटित की गई दलदली भूमि

5011. **श्री बी० आर० शुक्ल :** क्या **पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तात्कालिक पूर्वी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों की जिला बहराइच (उत्तर प्रदेश) के बघेलताल में अथवा उसके निकट बसाया गया था;

(ख) क्या उनको वह भूमि आवंटित की गई जो बघेलताल के पानी से भरे होने के कारण कृषि के लिये अनुपयुक्त है; और

(ग) क्या उक्त झील के पानी निकालने का कार्य आरम्भ किया गया था किन्तु पूर्णतया निष्प्रभावी रहा ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). राज्य सरकार ने सूचित किया है कि 1959-61 में बसाए गए प्रवासियों को आवंटित भूमि का कुछ अंश निचले क्षेत्र में था और 1962-63 तथा 1963-64 के दौरान भारी तथा लगातार वर्षा से उसमें पानी भर गया और परिणामस्वरूप उस पर खेती न की जा सकी । इसलिए जल-निकास योजना मंजूर कर दी गई थी और 1965 में कार्य शुरू किया गया था जिसका पर्याप्त कार्य 1966 में पूरा हो गया था । राज्य सरकार ने सूचित किया है कि अभी कुछ सुधार करने आवश्यक हैं किन्तु इसके लिए राज्य सिंचाई विभाग द्वारा विस्तृत सर्वेक्षण की प्रतीक्षा है । फिर भी, चूंकि जल-निकास योजना के पूरा होने में कुछ समय लगेगा, इसलिए राज्य सरकार ने कुछ प्रभावित परिवारों को वैकल्पिक भूमि पर बसा दिया है ।

भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आए शरणार्थियों के सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार

5012. **श्री समर गुह** : क्या **पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व पश्चिम पाकिस्तान के शरणार्थियों के प्रतिकूल भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों को निष्क्रांत सम्पत्तियों के लिए मुआवजे का लाभ दिलाने का आश्वासन नहीं दिया गया था;

(ख) क्या 1950 के नेहरू-लियाकत समझौते के अनुसार भूतपूर्व पाकिस्तान से आये शरणार्थियों को उनके भूतपूर्व देश में छोड़ी गई सम्पत्तियों पर उनका अधिकार दिलाये जाने का आश्वासन दिया गया था;

(ग) यदि हां, तो भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों को ऐसे अधिकार दिलाये जाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(घ) इस समय इनकी सम्पत्तियों के लिये उनके अधिकारों के बारे में तथ्य क्या हैं;

(ङ) क्या भारत सरकार तथा भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान सरकार द्वारा बहुत से प्रतिबन्ध लगाये गये थे; और यदि हां, तो किस प्रकार के तथा कितने प्रतिबंध लगाये; और

(च) क्या सरकार ने बंगला देश सरकार के साथ इन समस्याओं पर बातचीत करने के लिए कोई कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है, और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) और (ख). 1950 के नेहरू-लियाकत समझौते के अधीन, भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आए प्रवासी उनके द्वारा छोड़ी गई सम्पत्तियों के मालिकाना अधिकार रखते थे और वे जिस रीति से चाहें अपनी सम्पत्तियों को बेच, बदल या निपटा सकते थे । इसलिए उन्हें कोई मुआवजा नहीं दिया गया ।

(ग) से (च). भारत सरकार पाकिस्तान सरकार से करार को लागू करने तथा उसका पालन करने के लिए अनुरोध करती रही थी किंतु उस सरकार का उत्तर उत्साहवर्धक नहीं था ।

उनकी सम्पत्तियों के अधिकार के प्रश्न को बंगला देश सरकार के साथ उठाने के लिए उपयुक्त समय पर विचार करना होगा ।

लेटिन अमरीकी देशों में नए मिशनों की स्थापना

5013. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लेटिन अमरीकी देशों में सरकार का नए मिशन स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

जामनगर जिले में परिवार नियोजन केन्द्र

5014. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य के जामनगर जिले में कुल कितने परिवार नियोजन केन्द्र कार्य कर रहे हैं;

(ख) वर्ष 1973–74 में प्रत्येक केन्द्र के लिए कुल कितनी धनराशि निर्धारित की गई; और

(ग) इस अवधि में कुल कितनी राशि खर्च की गई ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री कोंडाजी बासप्पा) : (क) 31 मार्च, 1973 को जिला जामनगर में 10 ग्रामीण परिवार कल्याण नियोजन केन्द्र, 63 उप-केन्द्र तथा 8 नगरीय परिवार कल्याण नियोजन केन्द्र कार्य कर रहे थे ।

(ख) और (ग) राज्य सरकार को परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिए केन्द्रीय सहायता पूरे राज्य की विभिन्न योजनाओं और केन्द्रों के लिए दी जाती है । धन राशि का केन्द्र-वार आबंटन और खर्च का ब्यौरा राज्य सरकार द्वारा स्वयं ही रखा जाता है ।

1973–74 में ग्रामीण परिवार कल्याण नियोजन केन्द्रों, उप-केन्द्रों तथा नगरीय केन्द्रों पर आने वाले खर्च को पूरा करने के लिए गुजरात को कुल 92.17 लाख रुपये आबंटित किये गये हैं । प्राप्त हुई सूचना के आधार पर अप्रैल से दिसम्बर, 1973 की अवधि में 119.58 लाख रुपये खर्च किए गए हैं ।

1974-75 में स्थापित किये जाने वाले भारी उद्योग कारखाने

5015. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1974–75 में कितने भारी उद्योग कारखाने स्थापित किये जाने की संभावना है ;

(ख) ये कारखाने कहां-कहां स्थापित किए जाएंगे ; और

(ग) तत्सम्बन्धी रूपरेखा क्या है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) पांचवीं योजना में मुख्य रूप से रोलिंग मिल उपकरणों का निर्माण करने हेतु सरकारी क्षेत्र में एक भारी मशीन निर्माण संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है । विस्तृत परियोजना रिपोर्ट मिलने तक इसके स्थापना स्थल के बारे में स्पष्ट रूप से बताना संभव नहीं है । इस समय यह कहना भी संभव नहीं है कि क्या संयंत्र का निर्माण 1974–75 में प्रारम्भ होगा।

1974–75 में बी० एच० ई० एल० के अंतर्गत दो भारी उद्योग एकक अर्थात झांसी (उ० प्र०) में ट्रांसफार्मर कारखाना और हरिद्वार (उ० प्र०) में सेन्ट्रल फाउंड्री फोर्ज संयंत्र स्थापित करने के लिए काम प्रारम्भ करने हेतु निर्णय भी ले लिया गया है । बस्ती सहित ट्रांसफार्मर कारखाने की अनुमानित लागत 17.17 करोड़ रु० होगी और सेन्ट्रल फ़ाउंड्री फोर्ज संयंत्र की अनुमानित लागत 22.40 करोड़ रु० होगी । ट्रांसफार्मर कारखाने में प्रतिवर्ष 14.95 करोड़ रु० और सेन्ट्रल फाउंड्री फोर्ज संयंत्र में प्रतिवर्ष 13 करोड़ रु० के मूल्य का उत्पादन होने की संभावना है ।

गैर-सरकारी क्षेत्र में अनेक आशय पत्र/लाइसेंस जारी किये गये हैं किन्तु इस अवस्था में यह बताना संभव नहीं है कि इनमें से कितने 1974–75 में वास्तविक रूप से उद्योग स्थापित कर सकेंगे और कहां स्थापित करेंगे ।

(क) 1 अप्रैल, 1973 से जैसप एण्ड कम्पनी एक सरकारी कम्पनी बन गई थी । 1973–74 में कम्पनी द्वारा समग्रता अलाभकर आर्डरों के जमाव के कारण लगभग 432 लाख रुपये की हानि उठाये जाने की आशा है ।

(ख) (1) 224.00 लाख रुपये की चुकता पूंजी में से सरकारी निवेश 114.33 लाख रुपये का है । (2) अधिष्ठापित क्षमता के उपयोग का वर्तमान स्तर लगभग 70 प्रतिशत है ।

(ग) उत्पादन (लाख रुपये में)

अप्रैल 73 से पूर्व		अप्रैल 73 के पश्चात्	
अक्तूबर, 72	111	अप्रैल, 73	102
नवम्बर, 72	136	मई, 73	201
दिसम्बर, 72	152	जून, 73	178
जनवरी, 73	156	जुलाई, 73	183
फरवरी, 73	174	अगस्त, 73	152
मार्च, 73	178	सितम्बर, 73	137
	907		953

(घ) अभी तक मजदूरों द्वारा कम उत्पादन करना, बिजली की अनियमित सप्लाई, कच्चे माल और पुर्जों की नियमित और समय से सप्लाई न होना, अलाभकर आर्डरों के जमाव से उत्पन्न हानि और कार्यकारी पूंजी की अत्यधिक कमी के बहतर उपयोग करने में आड़े आती रही हैं सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से जैसप कंपनी को पर्याप्त और नियमित रूप से बिजली देने की व्यवस्था पर विचार किया है । कच्चे माल तथा पुर्जों की समय से सप्लाई सुनिश्चित करने हेतु भी कदम उठाये गये हैं । कंपनी की कार्यकारी पूंजी की स्थिति में सुधार लाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं ।

भारी उद्योगों की स्थापना के लिये मानदण्ड

5016. **श्री ए० के० एम० इसहाक** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारी उद्योगों की स्थापना के बारे में सरकार ने क्या मानदंड अपनाया है;

(ख) क्या उत्तरी बंगाल को इसमें शामिल किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो वहां कौन-कौन से उद्योग स्थापित करने का प्रस्ताव है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) एक विशेष क्षेत्र में भारी उद्योग स्थापित करने पर निर्णय परियोजना के लिए संभाव्यता अध्ययन जिसमें विभिन्न तकनीकी-आर्थिक बातें शामिल होती हैं जैसे भूमि, श्रमिक, बिजली, कच्चा माल, परिवहन तथा अन्य अवस्थापना सुविधाओं का उपलब्ध होना, पर विचार कर लेने के पश्चात् किया जाता है ।

भारत के किसी भी भाग में जिसमें पश्चिम बंगाल या इसका कोई एक भाग शामिल है, भारी उद्योग स्थापित करने में उपर्युक्त बातें लागू होती हैं ।

अगामी कुछ वर्षों में पश्चिम बंगाल के उत्तरी भाग में भारी उद्योग स्थापित करने का अभी ऐसा कोई भी प्रस्ताव नहीं है ।

लोहे की छीलन का उपलब्ध न होना

5017. **श्री ए० के० एम० इसहाक** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशेषकर लघु क्षेत्र में बड़ी संख्या में पुनर्बेलनों को लोहे की छीलन उपलब्ध न होने से हानि हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसका मुख्य कारण यह है कि एस० आर० एम० ए० के 96 छीलन पुनर्बेलनों को अधिकांश लोहे की छीलन प्राप्त हो जानी है और अन्य 1000 पुनर्बेलनों की उपेक्षा कर दी जाती है; और

(ग) इस स्थिति का मुकाबला करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) इस समय पुनर्बेलन योग्य स्क्रैप की उपलब्धि मांग से कम है और हो सकता है इस्पात पुनर्बेलकों पर इसका प्रभाव पड़ रहा हो ।

(ख) और (ग) यह कहना ठीक न होगा कि ऐसा मुख्यतः एम० आर० एम० ए० (स्टील री-रोलर्स मिल्स एसोसिएशन) के स्क्रैप पुनर्बेलकों को स्क्रैप की अधिक मात्रा मिलने के कारण हैं ।

कोयले का उत्पादन बढ़ाने के लिये द्रुत कार्यक्रम

5019. **श्री मधु लिमये** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोयले के उत्पादन में वृद्धि किये जाने के लिये द्रुत कार्यक्रम उनके मंत्रालय द्वारा बनाया गया है;

(ख) क्या प्रस्तावित वृद्धि पांचवीं योजना के प्रारूप में निर्धारित वृद्धि से अधिक है ; और

(ग) पूंजी निवेश, खनन व्यवस्था के स्वदेशी उत्पादन में वृद्धि, मशीनों के आयात और खानों के मुहानों से बड़े स्टेशनों तक रेल लाइनों के विस्तार आदि के बारे में क्या उपाय किये जाने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) तथा (ख) पांचवीं योजना के मसौदे में सम्मिलित कोयला कार्यक्रम में चालू वर्ष में प्राप्त हो जाने वाले 790 लाख टन कोयला उत्पादन को 1978–79 तक बढ़ाकर 1350 लाख टन करने की परिकल्पना की गई है। चालू तेल संकट के सन्दर्भ में योजना आयोग इस कार्यक्रम पर पुनः विचार कर रहा है। पुनर्विचार होने तक, कोयले के उत्पादन को बढ़ाकर 1974–75 में 950 लाख टन तक करने का प्रस्ताव है।

(ग) कोयला कार्यक्रम के लिए पांचवीं पंचवर्षीय योजना के मसौदे में 737 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त कोयला क्षेत्र में फार्म्ड-कोक के उत्पादन हेतु एक केन्द्रीय खान आयोजन और डिजाइन संस्थान तथा अनुसंधान कार्यक्रमों के लिए एक परियोजना की स्थापना की भी व्यवस्था है जो कि इस विभाग के विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी सम्बन्धी कार्यक्रमों की 29 करोड़ रुपये की समग्र व्यवस्था में सम्मिलित है। हां, कोयला कार्यक्रम में अन्ततः किए जाने वाले परिवर्तन के आधार पर इस व्यवस्था में परिवर्तन हो सकता है।

सरकारी क्षेत्र के कोयला उत्पादक संगठनों ने विस्तार से अपनी मशीनरी की मांग निश्चित कर ली है और हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लि०, माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन लि० तथा भारत अर्थ मूवर्स लि०, आदि के परामर्श पर अपेक्षित उपकरणों का यथासम्भव मानकीकरण कर लिया है। अन्य घरेलू स्त्रोतों से अपेक्षित उपकरणों का भी विस्तार से निर्धारण किया जा रहा है। खनन उपकरणों के निर्माण में देसी क्षमता का पूरा उपयोग किया जायेगा और जो उपकरण देश में उपलब्ध नहीं होंगे, उनका आयात किया जायेगा।

पांचवीं योजना में प्रत्याशित कोयला-उत्पादन में बढ़ोतरी के लिये रेल परिवहन की आवश्यकता का रेलवे बोर्ड द्वारा गठित दो "कोयला परिवहन आयोजन अध्ययन दलों" (बंगाल-बिहार तथा बहिर्वर्ती क्षेत्र) ने विस्तार से अध्ययन किया है। इन अध्ययन दलों ने कुछ तात्कालिक और दीर्घकालीन उपायों की अनुशंसा की है। तात्कालिक उपायों को लागू करने के लिये कार्यवाई आरम्भ कर दी गई है। दीर्घकालीन उपाय, जो कोयला खानों के प्रत्याशित विकास से सम्बद्ध है, कोयला उत्पादकों के विचाराधीन है।

इस्पात तथा इसके उत्पादों के उत्पादन के लिये लक्ष्य

5020. **श्री मधु लिमये** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्तीय वर्ष 1973–74 के लिये हिन्दुस्तान स्टील के इस्पात तथा इस्पात उत्पादों के उत्पादन के लिये क्या लक्ष्य थे;

(ख) क्या निर्धारित उत्पादन में काफी कमी होगी;

(ग) यदि हां, तो कितनी कमी होगी; और

(घ) उत्पादन लक्ष्य प्राप्त न किये जाने के मुख्य कारण क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) हिन्दुस्तान स्टील लि० के अधीन इस्पात कारखानों के वर्ष 1973-74 के उत्पादन लक्ष्य निम्नलिखित हैं:—

(हजार टन)

कारखाना	इस्पात पिण्ड	विक्रय इस्पात
भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला	4,550	3,438
मिश्रित इस्पात कारखाना, दुर्गापुर	82	46.1

(ख) जी, हां ।

(ग) अनुमानित वास्तविक उत्पादन नीचे दिया गया है:—

(हजार टन)

कारखाना	इस्पात पिण्ड	विक्रय इस्पात
भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला इस्पात कारखाना	3,772	2,781
मिश्रित इस्पात कारखाना, दुर्गापुर	56.1	36.2

(घ) चालू वित्त वर्ष में उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के दो मुख्य कारण हैं । पहला कारण, बिजली में कमी, विशेषतया अप्रैल-नवम्बर, 1973 की अवधि में बिजली सप्लाई में भारी कटौती और रुकावट होना था । भिलाई को छोड़कर सभी इस्पात कारखानों के उत्पादन पर इसका सीधा प्रभाव पड़ा । इसका प्रभाव समस्त झरिया कोयला क्षेत्र पर भी पड़ा और परिणामस्वरूप कोयला शोधनशालाओं और कोयला खानों में काम कम हुआ, जिससे सभी कारखानों में कोयले की अपर्याप्त उपलब्धि के कारण इस्पात के उत्पादन पर प्रभाव पड़ा । दूसरा कारण रेलवे में मालिक मजदूर संबन्ध अच्छे न होने के कारण, विशेषतया अगस्त, 1973 और नवम्बर, 1973 के अन्त से लेकर दक्षिण-पूर्वी और पूर्वी रेलवे में औद्योगिक सम्पर्क अच्छे न होने के कारण रेलवे परिवहन में गम्भीर रुकावट आई जिससे कारखानों को कोयला और दूसरा कच्चा माल ले जाने और कारखानों से तैयार उत्पादों के प्रेषणों पर भी प्रभाव पड़ा और कच्चे मालों की कम आवक को ध्यान में रखकर उत्पादन में भारी कटौती करनी पड़ी ।

बलूचिस्तान की घटनाओं के बारे में ईरान के साथ विचार-विमर्श

5021. **श्री मधु लिमये** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिसम्बर, 1973 में भारत के दौरे के समय ईरान के विदेश मंत्री के साथ विचार-विमर्श के दौरान बलूचिस्तान में विद्रोह को दबाने के लिये पाकिस्तान को सैनिक सहायता देने के प्रश्न पर भी चर्चा हुई थी;

(ख) क्या सरकार का ध्यान पाकिस्तान के प्रधान मंत्री श्री भुट्टो के इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि बलूचिस्तान के एक छोटे बंगलादेश बन जाने का खतरा पैदा हो गया है;

(ग) बलूचिस्तान में होने वाली घटनाओं का पाकिस्तान के साथ लगी भारतीय पश्चिमी सीमा की शांतिपूर्ण स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है;

(घ) क्या यह सच है कि ईरान के विदेश मंत्री ने हमारे देश के अधिकारियों को बताया था कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान सरकार की सहायता के लिये ईरानी सेना नहीं भेजी गई है; और

(ङ) यदि हां, तो बलूचिस्तान में विद्रोह के बारे में ईरान द्वारा पाकिस्तान को कैसी सहायता दी गई है और इससे भारत तथा पाकिस्तान के बीच शांतिपूर्ण संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क), (घ) और (ङ) ईरान के विदेश मंत्री के साथ बातचीत गोपनीय थी। लेकिन यह कहा जा सकता है कि 'टाइम्स आफ इंडिया', नई दिल्ली के विशेष संवाददाता को दी गई विशेष इन्टरव्यू में, जो 14-12-73 को समाचार-पत्र में छपी थी, ईरान के विदेश मंत्री को इससे इन्कार करते हुये बताया गया था कि ईरानी सेनायें बलूचिस्तान में कबाइली उपद्रव को दबाने में पाकिस्तानी सेना की सहायता करती रही हैं। उसी इन्टरव्यू में यह कहा गया था कि कुछ ईरानी हैलीकाप्टर बलूचिस्तान में लगाये गये थे लेकिन वे शस्त्र-सज्जित नहीं थे और उन्होंने सेनिक कार्यवाई में कभी हिस्सा नहीं लिया। ईरान, पाकिस्तान को सीमेंट संयंत्र और दो मेडिकल तथा इंजीनियरी कालेज भी स्थापित करने में सहायता दे रहा था।

(ख) सरकार ने उस वक्तव्य की प्रेस रिपोर्ट देखी है जिसके बारे में कहा गया है कि वह प्रधान मंत्री भुट्टो ने दिसम्बर, 1973 में विदेशी संवाददाताओं के समक्ष दिया था।

(ग) इन घटनाओं से भारत-पाकिस्तान सीमा पर शांतिपूर्ण स्थिति पर प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

अपने खाद्य पदार्थों के माध्यम से पोषण सम्बन्धी समस्या का हल किया जाना

5022. **श्री डी० डी० देसाई** :

श्री श्रीकिशन मोदी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में उपलब्ध खाद्य-संसाधनों में लोगों के पोषण संबंधी स्तर के लिये पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत अपने खाद्य-पदार्थों के माध्यम से अपनी पोषण संबंधी समस्या को हल कर सकता है; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस संबंध में उचित उपाय किये गये हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) जी हां, किन्तु उपलब्ध होना ही काफी नहीं है, खाद्य पदार्थों का उचित वितरण और उनका ठीक-ठीक उपयोग करना भी उतना ही आवश्यक है।

(ख) आत्म निर्भरता की बात पर जोर देते हुये अपने ही संसाधनों के माध्यम से देश में पोषण संबंधी समस्याओं को हल करने के प्रयत्न किये जाते हैं।

(ग) पोषण संबंधी समस्याओं को हल करने का कोई एक तरीका नहीं है वरन् लोगों के पोषण संबंधी स्तर में सुधार करने के लिये सुधरे हुये तरीकों से कृषि उत्पादन बढ़ाना, उपलब्ध सामग्री का सही ढंग से वितरण करना, उपलब्ध खाद्य संसाधनों के समुचित उपयोग के माध्यम

से आहारों की अदला-बदली, कीमतों का उचित स्तर बनाये रखना, तथा उनकी छीजन को रोकना, तथा समाज के जरूरतमन्द लोगों के लिये पूरक भोजन कार्यक्रम चलाना, पोषण तथा आहार संबंधी उचित आदतों के बारे में जानकारी देना और खाद्य पदार्थों को सफाई से रखने और पकाने जैसे विभिन्न उपाय बरते जा रहे हैं ।

Implementation of Payment of Gratuity Act, 1972

5023. **Shri M.C. Daga:** Will the Minister of **Labour** be pleased to state:

(a) the names of the States which have framed rules to enforce the payment of Gratuity Act, 1972 after it was passed; and

(b) the number of employees who have benefited in the public and private undertakings after the passing of this Act, the names of these undertakings and the number of employees benefited in each of them?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour (Shri Balgovind Verma) (a): The Governments of Bihar, Andhra Pradesh, Maharashtra, West Bengal, Madhya Pradesh, Tamil Nadu, Rajasthan, Gujrat, Haryana, Himachal Pradesh and the Union Territories of Andaman & Nicobar Islands, Delhi, Pondicherry and Chandigarh have framed Rules under the Payment of Gratuity Act, 1972 after it was passed. The Governments of Nagaland, Mizoram and Arunachal Pradesh do not consider it necessary to issue rules at this stage. The matter is under consideration of other state Governments.

(b) Information is being collected. It will be laid on the Table of the House in due course.

Settlement of refugees from Pakistan in Rajasthan Camps

5024. Shri M.C. **Daga** : Will the Minister of **Supply and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the number of refugees, out of those 51359 refugees who came to Rajasthan from Pakistan as a result of 1971 Indo-Pak war, living in camps today with dates since when and the total expenditure incurred on them so far; and

(b) whether these refugees will go back to Pakistan and if so, by what time and if not, the reasons and how they will be settled permanently ?

The Deputy Minister in the Ministry of Supply and Rehabili tation (Shri G. Venkatswamy) :

(a) According to the information received from the Government of Rajasthan, 60248 Pakistan nationals had come to Rajasthan, and 46689 persons are living in Camps as on 12-2-1974. Total expenditure on the provision of relief assistance to these persons is reported as Rs. 276 lakhs (from January, 72 upto February, 1974).

(b) These Pakistani nationals are expected to go back to Pakistan and Government of Pakistan had informed that they are willing to take them back. Although there are reports about the return of some of the Pak nationals to Pakistan, most of them at present seem reluctant to return to Pakistan because of the apprehensions entertained by them about their well-being after return. Government consider this essentially a human problem and hope that the Pakistan Government will take appropriate measures to create necessary conditions to enable these persons to return to their homes in safety and honour. Till then, these persons are being given relief assistance in camps on humanitarian grounds.

कर्नाटक के दक्षिण कनारा ज़िले में बोक्साइट के निक्षेप

5025. **श्री टी० वी० चन्द्रशेखरप्पा वीरवासप्पा** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक के दक्षिण कनारा जिले में वोक्साइट के विशाल निक्षेपों का सर्वेक्षण किया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या मंत्रालय लाभप्रद परियोजना में तैयार करने के लिये उनका सर्वेक्षण करेगा ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) जी हां, कर्नाटक सरकार के भूतत्व और खनन विभाग ने कर्नाटक के दक्षिणी कनारा जिले के अदुबारे, नगनकलवरे, मुडुगल, दोधारा और गुप्पीपाड़ा पठार स्थानों में बाक्साइट के लगभग 82.60 लाख टन भंडारों का अनुमान लगाया है। भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था ने भी 1971–72 और 1972–73 के क्षेत्रगत-सत्रों के दौरान बाक्साइट के लिये सर्वेक्षण किया था। चालू (1973–74) के क्षेत्रगत-सत्र के दौरान भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण संस्था द्वारा उक्त जिले के बाडागमीजार, मुदबीदरी, सम्पैय्या और इन्डोट्टू इलाकों में भी बड़े पैमाने पर मानचित्रण, छिद्रण व खंदक कार्य द्वारा प्रारम्भिक खोज कार्य किया गया था।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

अन्तर्राष्ट्रीय प्रक्षेपणास्त्रों से लैस देश

5026. **श्री शंकर राव सावंत** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व के किन देशों के पास परमाणु हथियारों से युक्त अन्तर्राष्ट्रीय प्रक्षेपणास्त्र हैं;

(ख) प्रत्येक देश के मामले में इस प्रक्षेपणास्त्रों की मार करने की दूरी क्या है; और

(ग) इन प्रक्षेपणास्त्रों का निशाना कितना सही है तथा इनसे कितना संहार हो सकता है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) अमेरीका और रुस।

(ख) और (ग) प्रकाशित सूचना के आधार पर एक विवरण संलग्न है।

विवरण

देश का नाम	नामावली	परास	संहार	लक्ष्य भेद
1	2	3	4	5
अमेरीका	(क) मिनटमैन-1	6,250 मील	1 मैगाटन	
	मिनटमैन–11	7,000 मील से अधिक	1-2 मैगाटन	
	मिनटमैन-111	7,050 मील से अधिक	3 × 200 किलोटन	
	(ख) टीटन ॥	6,300 मील	6 मैगाटन	सफलतापूर्वक
	(ग) वुलकन			छोड़े गये अन्त-

1	2	3	4	5
	(यह नाम अमेरीकी वायु सेना के विचाराधीन नये अन्तर्राष्ट्रीय प्रक्षेपणास्त्रों की परियोजना को दिया जाता है)।			राष्ट्रीय प्रक्षेप-णास्त्र का अग्र भाग 5,000 मील अथवा 0.05 प्रतिशत के परास के लक्ष्य के अनु-सार 5 मील के व्यास में पड़ेगा।
रुस	(क) सैंडलर (एस० एस०-7)	6,250 मील	5-10 मैगाटन	
	(ख) सासिन (एस० एस०-8)	6,250 मील	5-10 मैगाटन	
	(ग) स्कप (एस० एस०-9)	9,375 मील	20 मैगाटन	
	(घ) स्क्रज (एस० एस.-10)	5,000 मील	20—50 मैगाटन	
	(ङ) एस० एस० –11	5,000 मील-6000 मील	1-2 मैगाटन	
	(च) सवेज (एस० एस०-13)	5,000 मील 6250 मील	1 मैगाटन	

देश में मानसिक रोगों से पीड़ित व्यक्ति

5027. **श्री के० मालन्ना** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री देश में मानसिक रोगों से पीड़ित व्यक्तियों के बारे में 14 मार्च, 1974 के तारांकित प्रश्न संख्या 320 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि इस संबंध में हमारे चिकित्सा विशेषज्ञों ने कितनी सफलता प्राप्त की है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : स्वास्थ्य राज्य का विषय है। मानसिक रोगों से पीड़ित रोगियों के लिये इलाज की सुविधाओं को बढ़ाना तथा उनका अस्पतालों में इलाज करना संबंधित राज्य सरकारों का ही काम है। लोगों को मनश्चिकित्सा संबंधी सुविधायें देने के मामले में भारत सरकार भी राज्य सरकारों की मदद कर रही है। वित्तीय संसाधनों की कठिनाई के कारण इस रोग के इलाज तथा नियंत्रण के क्षेत्र में पर्याप्त काम नहीं हो सका है।

मशीन निर्माताओं की डिजाइन बनाने की क्षमता

5028. **श्री के० मालन्ना** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डिजाइन बनाने की क्षमता में विकास के लिए मशीन निर्माताओं द्वारा अब तक किये गए कार्य से सरकार संतुष्ट है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में हमारी तकनीकी जानकारी में विकास करने तथा प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने क्या प्रोत्साहन दिए हैं?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) मशीन निर्माताओं द्वारा डिजाइन क्षमता का विकास हाल ही में किया गया हैं और अब तक का कार्य सामान्यतः पर्याप्त नहीं है। सरकार ने एक विशद तथा प्रोद्योगिक योजना बनाई है जिसके अधीन लागत प्रोत्साहन के साथ-साथ इस तरह की क्षमताओं के विकास के लिए सक्रिय सहायता दी जाती है।

पटसन उद्योग में मजूरी का मानकीकरण

5029. **श्री वी० मायावन** :

श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पटसन उद्योग में मजूरी उद्योग के मानकीकरण पर विचार करने के लिय उनके मंत्रालय ने एक त्रिपक्षीय बैठक बुलाई थी।

(ख) यदि हां, तो इसमें किन विषयों पर विचार विमर्श किया गया था; और

(ग) इसमें क्या निर्णय किये गये?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) से (ग) बदली श्रमिकों को राहत की मजूरी और मजूरियों के मानकीकरण की मांगों के सम्बन्ध में 4 मार्च, 1974 को एक बैठक आयोजित की गई थी। नियोजकों और श्रमिकों के प्रतिनिधियों द्वारा व्यक्त किये गये विचारों को नोट किया गया।

कोयले के मूल्य में वृद्धि से प्रभावित कोयले पर आधारित उद्योग

5030. **श्री प्रसन्नभाई मेहता** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेल भाड़े में वृद्धि के कारण लगभग सभी राज्यों में कोयले के मूल्यों में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो कब से;

(ग) क्या कोयले के मूल्यों में वृद्धि का कोयले पर आधारित उद्योगों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) से (घ) कोयला समेत सहित वस्तुओं के लिये संशोधित रेल भाड़ा दरें 1-4-1974 से लागू होंगी। इस तारीख के बाद, कोयले की ढुलाई पर रेल भाड़े में 40 कि० मीटर की दूरी पर 25 पैसे प्रति टन से लेकर 2500 कि० मी० की दूरी पर 23.30 रुपये प्रति टन की वृद्धि होगी।

मशीन उद्योगों से उत्पादन के विविधीकरण के लिए प्राप्त आवेदनपत्र

5031. **श्री धामनकर** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मशीन उद्योगों को कुल लाइसेंस क्षमता के अन्दर उत्पादन के विविधीकरण की अनुमति देने के लिये निर्णय किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रयोजन हेतु कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) अब तक कोई प्रस्ताव नहीं मिला है।

Facilities for Coal Mine Workers

5032. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Labour** be pleased to state :

(a) Whether Government have not made any proper arrangements to provide housing, water, medical, educational and recreational facilities to coal mine workers :

(b) whether the Department of Labour Welfare has huge amount for labour welfare;

(c) wether Government propose to formulate any scheme for the welfare of coal mine workers; and

(d) if so, the outlines thereof and the steps proposed to be taken by Government for the welfare of labourers in the future ?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour (Shri Balgovind Verma) : (a) The primary responsibility in these matters is that of the Employers and the State Governments. The Coal Mines Labour Welfare Organisation, however, supplements their efforts out of the cess collected on despatches of coal/coke and has made adequate efforts to provide these facilities within its permissible resources.

(b) The General Welfare Account of the Coal Mines Labour Welfare Fund is in deficit. Adequate funds are, however, available in the Housing Account.

(c) & (d) No new scheme is under consideration at present.

Contract System in Mines

5033. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether there is a threat of exploitation of labour in the prevailing contract system in mines; and

(b) if so, whether Government propose to abolish contract system in mines or else, the policy in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Subodh Hansda)

(a) and (b) The Government is aware of the demand for abolishing the system of contract labour in mines. The matter was discussed in the 2nd meeting of the Central Advisory Contract Labour Board held on 12-7-1973. One of their recommendations was that the contract system in certain categories of jobs in Coal Mines Industry may be abolished as recommended by the Second Court of Enquiry. The matter is under Consideration.

केरल में खनिज पदार्थों का उपयोग

5034. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल राज्य में खनिज पदार्थों के उपयोग के लिये कोई योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी रूपरेखा क्या है?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) और (ख) केरल राज्य सरकार ने पांचवीं पंचवर्षीय योजना में खनिज समुपयोजन के लिये निम्नलिखित योजनायें बनाई हैं :—

(1) खनिज अन्वेषण, जिसमें राज्य के विभिन्न भागों में लौह अयस्क, बौक्साइट, ग्रेफाइट, चीनी मिट्टी तथा कांच रेत निक्षेपों के प्रारंभिक खनन और व्यापक नमूने लेना शामिल है।

(2) पालघाट जिले में बालयार के निकट पाडारेथ में ज्ञात चूना पत्थर निक्षेपों का व्यापक अध्ययन।

(3) व्यापक रासायनिक जांच और अयस्क परिष्करण परीक्षा के लिय रासायनिक प्रयोगशाला की क्षमता में वृद्धि करना।

(4) राज्य के बन क्षेत्रों में लाभकारी खनिजों की व्यापक खोज।

(5) खनिज निक्षेपों के अन्वेषण, पूर्वेक्षण, खनन तथा परिष्करण के क्षेत्र में तकनीकी कर्मचारियों को उच्च प्रशिक्षण देना।

(6) एक समन्वित कार्यक्रम के अधीन राज्य के खनन और भूतत्व विभाग तथा विश्वविद्यालय के भूतत्व विभाग द्वारा आजकल किये जा रहे खोज और विकास कार्यों का विस्तार।

परिवार नियोजन के लिए केरल राज्य को केन्द्रीय सहायता

5035. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1973-74 में परिवार नियोजन के लिय केन्द्रीय सहायता के रूप में केरल राज्य को कुल कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री कोंडाजी बासप्पा) : 222.20 लाख रुपये।

केरल के आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य केन्द्र तथा औषधालय

5036. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल के आदिवासी क्षेत्रों के किन किन स्थानों पर आगामी एक अथवा दो वर्षों में स्वास्थ्य केन्द्र तथा औषधालय स्थापित किये जायेंगे और क्या केन्द्रीय सरकार को इन केन्द्रों तथा औषधालयों की आवश्यकता के सम्बन्ध में कोई प्रतिवेदन मिला है और क्या इस सम्बन्ध में राज्य सरकार से विवरण मांगा गया है;

(ख) क्या सरकार को केरल राज्य सरकार से स्वस्थ्य केन्द्र तथा औषधालय स्थापित करने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो कितने तथा कहां कहां पर और उनकी स्थापना के लिये कितनी सहायता की मांग की गई है; और

(ग) प्रश्न के भाग (ख) के संदर्भ में इस बारे में क्या निर्णय किया गया है?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) जहां तक इस प्रश्न के पहले भाग का सम्बन्ध है इस बारे में सूचना एकत्र की जा रही है और यथाशीघ्र सभा पटल पर रख दी जायगी। प्रश्न के दूसरे भाग के बारे में केन्द्रीय सरकार को ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है।

(ख) और (ग) जी नहीं। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार से हाल ही में एक प्रस्ताव मिला है। वैसे, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अधीन, राज्य सरकार 1974-75 में संभवतः आठ उप-केन्द्र खोलेगी और छः प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें 30 पलंगों वाले देहाती अस्पताल बनायेगी।

केरल राज्य में आवश्यक औषधियों की कमी

5037. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य में आवश्यक वस्तुओं के कमी के बारे में कोई अनुमान लगाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) और (ख) "राज्यों में औषधियों की सप्लाई की स्थिति को राज्य के औषधि नियंत्रक देखते हैं। औषधियों की कमी के मामलों की सूचना राज्य के औषधि नियंत्रक भारत के औषधि नियंत्रक को देते हैं जो सम्बन्धित अधिकारियों के साथ इस मामले को उठाते हैं। केरल के औषधि नियंत्रक ने सूचित किया है कि अनिवार्य औषधियों की कमी का अनुमान लगाने के लिये एक सर्वेक्षण शुरु किया जा रहा है।

केरल में परिवार नियोजन केन्द्र

5038. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केरल राज्य में कितने परिवार नियोजन केन्द्र खोले गये हैं;

(ख) वर्ष 1973-74 के लिये प्रत्येक केन्द्र को परिवार नियोजन अभियान के लिये कुल कितनी राशि निर्धारित की गई हैं;

(ग) इस में से कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(घ) अब तक इस बारे में कितनी सफलता मिली है?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री कोंडाजी वासप्पा) : (क) 30 सितम्बर, 1973 की स्थिति के अनुसार केरल में परिवार नियोजन केन्द्रों की संख्या इस प्रकार थी:—

1. मुख्य ग्रामीण परिवार कल्याण नियोजन केन्द्र . 158

2. उप केन्द्र . . .	1761
3. नगरीय परिवार कल्याण नियोजन केन्द्र	33
4. प्रसवोत्तर केन्द्र	8

(ख) और (ग) राज्य को परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिये केन्द्रीय सहायता पूरे राज्य की विभिन्न योजनाओं और केन्द्रों के लिये प्रदान की जाती है। केन्द्रवार धनराशि के आबंटन और व्यय का ब्यौरा राज्य द्वारा स्वयं ही रखा जाता है।

वर्ष 1973-74 में परिवार कल्याण नियोजन कार्यक्रम के लिये केरल राज्य को कुल 222.20 लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता दी गई है। राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार अप्रैल से दिसम्बर, 1973 तक की अवधि में 118.26 लाख रुपये खर्च हुये हैं।

(घ) इस कार्यक्रम के आरम्भ से जनवरी 1974 तक का कार्यनिष्पादन इस प्रकार है :—

	संख्या	प्रति हजार दर
1. नसबन्दियां .	701,148	30.9
2. गर्भाशियी गर्भरोधक (लूप)	270,342	11.9
3. प्रचलित गर्भनिरोधक के उपयोगकर्ता	94.111	4.1

उपर्युक्त कार्यनिष्पादन के फलस्वरूप हाल ही में विवाहित प्रजननशील आयु वर्ग के 7.29 लाख दम्पत्ति संतति निग्रह के प्रति सुरक्षित किये गये हैं।

चम्पारन में भूतपूर्व पाकिस्तान के शरणार्थियों को काश्तकारी अधिकार

5039. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चम्पारन जिले में बसाये गये पूर्व पाकिस्तान के शरणार्थियों को अभी तक उन को आबंटित की गई भूमि के लिये काश्तकारी अधिकार नहीं दिया गया है; और

(ख) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) और (ख) जानकारी राज्य सरकार से एकत्रित की जा रही है और सभा की मेज पर रख दी जायेगी।

उत्तर बिहार में भारी उद्योगों की स्थापना

5040. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर बिहार में विशेषकर पूर्वी चम्पारन में भारी उद्योगों को स्थापित करने का कोई निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां तो वहां किस प्रकार का उद्योग स्थापित किया जायेगा?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) आगामी कुछ वर्षों में उत्तर बिहार में सरकारी क्षेत्र में कोई भारी उद्योग स्थापित करने का इस समय कोई विचार नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली में राशन कार्डों पर कोयला मिलना

5041. **श्री नवल किशोर सिंह :**

डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के निवासियों को मासिक आधार पर नियंत्रित मूल्य पर राशन कार्डों पर 'सोफ्ट कोक' मिल रहा है;

(ख) यदि हां तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या राशन कार्डधारी को उस दिन से पूरे 30 दिन पूरे हो जाने के बाद 'सोफ्ट कोक' दिया जाता है जिस दिन पिछली बार कोयला खरीदा गया था न कि महीने के किसी भी दिन जैसा कि राशन तथा बनस्पति घी जैसी वस्तुओं के मामले में होता है; और

(घ) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं तथा क्या इन आदेशों को बदलने का विचार ह और यदि हां तो कब तक?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) जी हां।

(ख) दिल्ली प्रशासन द्वारा बनाई गई योजना के अनुसार राशन कार्ड धारी व्यक्तियों को केवल उन्हीं खुदरा कोयला लाइसेंसधारी से सोफ्ट कोक मिलेगा जिनके यहां उनके राशनकार्ड दर्ज हैं। चार यूनिट चीनी वाले राशन कार्डधारी को 30 दिन में 20 किलो सोफ्ट कोक और चार से अधिक चीनी यूनिट वाले राशन कार्ड वालों को 30 दिन में 40 किलो तक सोफ्ट कोक पाने का हक है।

(ग) राशन कार्डधारी व्यक्ति 30 दिन की अवधि में एक बार कोयला लेने के हकदार हैं। यह 30 दिन की अवधि कार्डधारी द्वारा पहले पहल, ली गई खेप की तारीख से गिनी जाती है। यदि किसी राशन कार्डधारी ने अपनी पहली खेप 20-1-74 को ली है तो वह अपनी अगली खेपें नीचे बताई गई 30 दिन की अवधि के क्रम से किसी भी दिन ले सकता है:—

21-2-74 से 20-3-74

21-3-74 से 20-4-74 और इसी क्रम से आगे।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना के क्षेत्राधिकार से बाहर रहने वाले सरकारी कर्मचारियों के चिकित्सा बिलों की प्रतिपूर्ति पर होने वाला व्यय

5042. श्री नवल किशोर सिंह : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गाजियाबाद, मेरठ, गुड़गांव, फरीदाबाद, और अन्य समीपवर्ती क्षेत्रों में, जो केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत नही आते हैं, रहने वाले सरकारी कर्मचारियों के चिकित्सा बिलों की प्रतिपूर्ति पर सरकार का वार्षिक व्यय कितना होता है;

(ख) क्या इन क्षेत्रों में केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना लागू करने सम्बन्धी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में अन्तिम निर्णय कब किया जायेगा?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) मेरठ में यह योजना पहले ही 17 जुलाई, 1971 से चल रही है। मेरठ में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के चिकित्सा खर्चे की प्रतिपूर्ति पर 1966-67 में कुल 21,74,860 रुपये का खर्च आया था। जहां तक उन सरकारी कर्मचारियों के जो केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के बाहर के क्षेत्रों में रहते हैं, चिकित्सा बिलों की प्रतिपूर्ति पर हुये वार्षिक खर्च का सम्बन्ध है, उस की सूचना केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के सम्बन्धित कार्यालयों के पास रहती है।

(ख) और (ग) : दिल्ली के इर्द-गिर्द स्थित शहरों में इस योजना को आरम्भ करने पर विचार किया गया किन्तु इसे क्रियान्वित नहीं किया जा सका क्योंकि कोई भी शहर निर्धारित मानदण्डों पर पूरा नहीं उतर सका अर्थात् वहां केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की संख्या 7500 न थी।

दक्षिण तथा दक्षिण-पूर्व एशिया में भारत के सांस्कृतिक केन्द्र

5043. **श्री हरि किशोर सिंह :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व एशिया के किन-किन एंव कितने स्थानों पर भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र स्थापित किये गये हैं; और

(ख) क्या बाली द्वीप में सांस्कृतिक केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) फिजी।

(ख) जी नहीं।

छोटी यात्री गाड़ी के निर्माण का प्रस्ताव

5044. **श्री हरि किशोर सिंह :** क्या भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र में छोटी यात्री गाड़ी के निर्माण का प्रश्न अन्तिम रूप से स्थगित कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) लगभग 75,000 यात्री कारों की अनुमानित आवश्यकता को पूरा करने के लिये सरकार का विचार क्या उपाय करने का है?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) जी हां, क्योंकि सरकार यह अनुभव करती हैं कि उपलब्ध ससाधनों पर मांग अत्यधिक है।

(ग) पांचवीं योजना के अन्त तक प्रतिवर्ष 60,000 यात्री कारों का उत्पादन लक्ष्य रखा गया है। इस लक्ष्य को विद्यमान तीन निर्माताओं द्वारा स्थापित उत्पादन सुविधाओं का दृष्टतम उपयोग करके और मामूली विस्तार करके पूरा करने का विचार है। जिसकी अनुपूर्ति नई पार्टियों को दिये गये अनेक आशय पत्रों के कार्यान्वियन से होने वाले उत्पादन से की जायेगी।

सरकारी क्षेत्र में भारी गाड़ियों का निर्माण करना

5045. **श्री हरि किशोर सिंह :** क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र में भारी गाड़ियों का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी रूपरेखा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार का विचार पांचवीं योजना में बढ़ती हुई परिवहन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये किन साधनों को अपनाने का है?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह :) (क) और (ख) सरकार, पांचवीं योजनावधि में अधिक भारवाली गाड़ियों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिये गाड़ी कारखाना, जबलपुर की क्षमता का विस्तार करने की एक योजना पर विचार कर रही है। इस प्रयोजन के लिये एक संभाव्यता अध्ययन किया गया है। परियोजना निर्माण करने सम्बन्धी निर्णय परामर्शदाताओं से क्षेत्राधिकार के अन्दर प्राप्त विकल्पों पर मूल्यांकन कर लेने के पश्चात् ही किया जायेगा।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

Unemployed Scheduled Castes and Scheduled Tribes

5046. **Shri Phool Chand Verma :** Will the Minister of **Labour** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 245 on the 21st February, 1974 regarding Registered Educated unemployed Scheduled Castes and Scheduled Tribes and state the number of unemployed persons belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes separately in 1970 ?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour (Shri Balgovind Verma).

The available information is given in the statement attached.

STATEMENT

Number of Schedule Caste/Scheduled Tribe job-seekers on the live register of Employment Exchanges as on 31-12-1970

(In thousands)

Category	Number*		
	Educated (Matric and above.)	Others	Total
1	2	3	4
Scheduled Castes	128.5	320.8	449.3
Scheduled Tribes	19.2	74.3	93.5

*Excludes figures for University Employment Information and Guidance Bureaux except for two in Delhi (Delhi and Jamia Millia Islamia Universities).

NOTE.—(1) All the job-seekers on the live register of Employment Exchanges are not necessarily unemployed.

(2) The information on the Scheduled Caste and Scheduled Tribe registrants with the Employment Exchanges is collected at half-yearly intervals i.e. at the end of June and December each year.

आई० आई० एस० सी० ओ० की निर्धारित क्षमता का उपयोग

5047. **श्री राम भगत पासवान** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आई० आई० एस० सी० ओ० संयंत्र की निर्धारित क्षमता का उपयोग कर पाना अभी लगभग असम्भव कार्य है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) सम्भवतः अभिप्राय कम्पनी के बर्नपुर स्थित इस्पात कारखाने से है। भूत में प्रतिस्थापन कार्यक्रम तथा पुर्जों को बदलने, मशीनरी तथा उपस्करों की मरम्मत तथा रख-रखाव की ओर पूर्णतः ध्यान न दिये जाने के कारण, इस कारखाने की क्षमता का उपयोग निरन्तर कम होता गया। सरकार ने स्थिति को और बिगड़ने से रोकने के लिये जुलाई, 1972 में कम्पनी का प्रबन्ध अपने हाथ में ले लिया। कारखाने की तकनीकी हालत सुधारने तथा इसकी क्षमता को निर्धारित स्तर पर लाने के लिये एक व्यापक संयंत्र प्रतिस्थापन योजना बनाई गई है और उसे कार्यान्वित किया जा रहा है। आशा है कि संयंत्र प्रतिस्थापन योजना, जो लगभग तीन वर्षों में पूरी हो जायेगी, के पश्चात् कारखाना निर्धारित क्षमता तक उत्पादन करने लग पड़ेगा।

Officers and Labourers in H.E.C. Ranchi

5048. **Shri Shankar Dayal Singh** : Will the Minister of **Heavy Industry** be pleased to state :

(a) whether the number of officers and labourers working in the Heavy Engineering Corporation, Ranchi is more than what is actually needed ; and

(b) if so, the steps proposed to be taken in the matter ?

The Deputy Minister in the Ministry of Heavy Industry (Shri Dalbir Singh) (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Payment of Overtime Allowance to Bharat Coking Coal Limited Employees in 1973

5049. **Shri Shankar Dayal Singh** : Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) the amount of overtime allowance paid to employees of Bharat Coking Coal Limited in 1973; and

(b) wheher any limit for payment of over time allowance has been prescribed and if so, the broad outlines thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Subodh Hansda) : (a) Rs. 78,23,000/-.

(b) Under the Mines Act, restrictions are placed on the number of hours a worker can be asked to work on overtime during a year. The Bharat Coking Coal Limited has also placed limitations on the powers to different managerial levels for the grant of overtime. These limits are as under :—

(i) Colliery Manager . .	Nil
(ii) Sub Area Manager . .	Rs. 50/- per month in each individual case.

(iii) General Manager	Rs. 100/- per month in each individual case.

Completion of Enquiry regarding missing of top secret scheme of 1965 war.

5050. **Shri Atal Bihari Vajpayee :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether the enquiry into the top secret scheme of 1965 War having come to light and a journalist coming into the possession of the secret information has since been completed;

(b) the manner in which and the extent to which it concerns the recent arrest and the activities of a senior officer or the Press Information Bureau ; and

(c) the findings of the enquiry conducted in this regard, the names of the guilty persons and the action taken in the matter ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram): (a) and (c) Yes, Sir. The matter was enquired into by Government and it has been found that the allegation cannot be substantiated.

(b) There is no connection between this case and the activities of a Senior Officer of the Press Information Bureau who was arrested recently for allegdly leaking out classified information.

Pending Cases of Payment of Compensation to displaced persons

5051. **Shri Atal Bihari Vajpayee :** Will the Minister of **Supply and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether about 10,000 cases of payment of compensation to the displaced persons are still pending with the Chief Settlement Commissioner ;

(b) if so, the facts thereof and the steps being taken by Government for their expeditious disposal ; and

(c) the number of such cases proposed to be disposed of during the next one year ?

The Deputy Minister in the Ministry of Supply and Rehabilitation (Shri G. Venkatswamy) : (a) The number of Such cases outstanding in the Office of the Regional Settlement Commissioner (Central) as on 1st March, 1974, is as under :—

(i) Fresh cases	36
(ii) Cases under reprocessing/reopening	5,489
(iii) Unutilised Statements of Account	4,423

(b) Most of these cases which are pending pertain to finalised cases which have been reopened as a result of judicial or administrative action or cases which pertain to liquidation of Statements of Account. Some cases are also pending the completion of formalities e.g. substitution proceedings etc.

(c) It is difficult to indicate precisely the number of cases which would be disposed of during the next one year. However, every effort to settle these cases expeditiously, is being made.

17 LSS/74—8

गर्भ निरोधकों की असफलता के कारण पैदा हुए बच्चों के बारे में विशेष अध्ययन

5052. **श्री राजदेव सिंह :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार गर्भ निरोधकों की असफलता के परिणामस्वरूप पैदा हुये बच्चों का, इंग्लैण्ड की भांति, कोई विशेष अध्ययन करने का है?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री कोंडाजी बासप्पा) : जी नहीं।

पन्ना से मिले हीरे

5053. **श्री राजदेव सिंह :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में पन्ना के कम गहराई वाले क्षेत्र की खान से निकाला गया 5 कैरेट और 13 सेंट के भार का एक ही हीरा अक्तूबर में 116,000/– रुपये में नीलाम किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष औसतन कितने हीरे मिले और उनसे प्रत्येक वर्ष कितनी-कितनी धनराशि उपलब्ध हुई?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) पन्ना में कम गहराई के क्षेत्रों से हीरे निकालने का काम मध्यप्रदेश सरकार द्वारा किया जाता है। अक्तूबर, 1973 में 5 केरट और 13 सेन्ट भार का न कोई हीरा मिला था और न ही नीलाम किया गया था।

(ख) गत तीन वर्षों में राज्य सरकार द्वारा निकाले गये तथा नीलाम किये गये हीरों के बारे में जानकारी नीचे दी गई है :—

	(केरट)
1971	1073.87
1972	700.71
1973	603.57

हीरों की नीलामी से वसूल हुई राशि के बारे में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त नहीं हुई है।

भारत और कनाडा के बीच समझौता

5054. **श्री वनमाली पटनायक :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और कनाडा रक्षा अनुसन्धान तथा साज समान के उत्पादन के क्षेत्रों में सहयोग करने के लिये सहमत हो गये हैं;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार का समझौता हुआ है ;

(ग) इस बारे में प्रत्येक देश को दूसरे देश से कितना लाभ होगा और किये गये इस समझौते की मुख्य बातें क्या हैं?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) रक्षा अनुसन्धान और उपस्करों के उत्पादन के क्षेत्र में सहयोग के लिये भारत और कनाडा के बीच हाल ही में बात चीत हुई है। तथापि यह बातचीत केवल अन्वेषणात्मक ही थी।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते।

फ्रांस द्वारा अणु परीक्षण

5055. **श्री बनमाली पटनायक** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फ्रांस ने हाल ही में पीछे बहुत से अणु परीक्षण किये हैं;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इन परीक्षणों को रोकने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) : भारत सरकार किसी देश द्वारा कहीं भी और किसी पर्यावरण में सभी प्रकार के परमाणु अस्त्र परीक्षणों का लगातार विरोध करती आई है। भारत सरकार द्वारा स्वीकृत सिद्धान्त की यह स्थिति सर्वविदित है और इसे कई बार दोहराया गया है। भारत के विचार में, परमाणु अस्त्र परीक्षणों की समस्या का मात्र प्रभावकारी समाधान यह है कि आंशिक परीक्षण प्रतिबन्ध संधि की व्यवस्थाओं का पूर्ण रूप से पालन किया जाना चाहिये जिसमें वातावरण, अन्तरिक्ष और जलतल में परमाणु अस्त्र परीक्षण निषिद्ध कर दिये गये हैं और जिन परमाणु अस्त्रधारी देशों ने उस संधि को नहीं माना है, उन्हें देरी किये बगैर उसे मान्यता देनी चाहिये। जब तक सभी प्रकार के परमाणु अस्त्र परीक्षणों की पूर्ण समाप्ति पर सहमति नहीं हो जाती, तब तक सब परमाणु अस्त्रधारी देशों को चाहिये कि वे इस प्रकार के सभी परीक्षणों को तत्काल रोक दें।

अधिक मुटापे के प्रभावकारी इलाज के लिये स्वदेशी औषधि के बारे में अनुसंधान

5056. **श्री बनमाली पटनायक** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के चिकित्सा विज्ञान संस्थान के अनुसन्धान कार्यकर्ताओं ने अधिक मुटापे के प्रभावकारी इलाज के लिये तथा पित्त और रक्त में चर्बी की मात्रा, जिसे सेरेब्रल थोम्बोसिस के परिणामस्वरूप कारोनरी थोम्बोसिस और अधरंग के कारण दिल के दौरे का तात्कालिक कारण माना जाता है को कम करने के लिये एक स्वदेशी औषधि का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) परीक्षण कहां तक सिफल सिद्ध हुये हैं तथा डाक्टरों द्वारा उपयोग किये जाने के लिये यह औषधि कब तक सरलता से उपलब्ध हो सकेगी?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) जी हां। इस संस्थान के अतिरिक्त भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथिक की केन्द्रीय अनुसन्धान परिषद के अन्तर्गत देश में उसके विभिन्न एककों में एक ऐसी देशी दवा को मालूम करने के लिये अनुसन्धान किया जा रहा है जो वसा विकारों के लिये प्रभावकारी हो तथा रक्त के वसा स्तरों और कोलेस्ट्राल को कम करने में सहायक हो।

(ख) इस औषधि के सक्रिय तत्व को अलग करने के लिये गहन प्रयोगतात्मक अध्ययन किया गया है। गुग्गुलु का निर्यात बाजार में बिकता है जिस पेड़ से यह निकाला जाता है उसका वनस्पतिक नाम कम्मीफोरा मुकुल है। यह पेड़ गुजरात और राजस्थान में बहुतायत से पैदा होता है। इसमें सक्रिय तत्व की पैदावार बहुत संतोषजनक है। आशा है कि आम लोगों के इस्तेमाल के लिये यह सस्ता रहेगा।

(ग) इस दवा का प्रयोग भिन्न-भिन्न प्रजातियों के करीब एक हजार जानवरों पर किया गया है इसके परिणाम भी अच्छे निकले हैं। यह इन जानवरों में प्रयोगात्मक अतिकोलस्टेरा लरक्तता को रोकती है। यह एलिरोजेनेसिस और कारोनरी को सफलता पूर्वक कम कर देती है। कच्चे और तत्व रूप में इसका प्रयोग मनुष्यों पर भी किया जा रहा है। किन्तु सत्रिय तत्व के ट्रायल की प्रतीक्षा की जा रही है। विषाक्तता अध्ययन अभी चल रहे हैं। आशा है कि दो या तीन वर्षों के अन्दर-अन्दर इस दवा को आम लोगों ने इस्तेमाल के लिये दे दिया जायेगा। कच्चा गुग्गुलु बाजार में आम मिल जाता है।

पंजाब, हरियाणा और चण्डीगढ़ में उत्पादित अपमिश्रित वनस्पति की बिक्री

5057. **श्री सतपाल कपूर :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री 26 नवम्बर, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2139 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब, हरियाणा और चण्ड़ीगढ़ में अपमिश्रित वनस्पति के उत्पादन और बिक्री की रोकथाम के लिये कतिपय कदम उठाये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो वे कदम किस सीमा तक फलीभूत हुए हैं ; और

(ग) इस संबंध में 15 मार्च, 1974 तक कितने और किन किन व्यक्तियों पर मुकदमे चलाये गये ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) से (ग) : अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

खाद्य तथा औषध अपमिश्रण को रोकने के लिये विशेष सैल

5058. **श्री सतपाल कपूर :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री खाद्य तथा औषध अपमिश्रण को रोकने के लिये विशेष सैल से संबंधित 19 नवम्बर, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1026 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो में खाद्य अपराध विंग की बहाली के प्रस्ताव पर इस बीच विचार कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय किया गया है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) केन्द्रीय जांच ब्यूरो में खाद्य अपराध विंग को फिर से चालू करने के प्रस्ताव पर विस्तृत रूप से विचार किया गया । केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने यह तय किया कि फिलहाल इस प्रस्ताव को आगे न चलाया जाये । इस मामले को ब्यूरो के साथ फिर उठाया जा रहा है ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

कोकिंग कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत श्रमिकों के दावे

5059. **श्री शशि भूषण:** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोकिंग कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 की धारा 23 और कोल कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 की धारा 20 के अन्तर्गत भूतपूर्व मालिकों के पास जमा राशि को लेने के लिये श्रमिकों ने भुगतान आयुक्त के पास कुछ दावे किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ; और

(ग) कोकिंग कोयला खानों के भूतपूर्व मालिकों से इस राशि को वसूल करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) । (क) और (ख) : कोककर कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 के अधीन नियुक्त किए गए भुगतान आयुक्त के पास लगभग 46,000 दावे दायर किए गए हैं जिनमें श्रमिकों के दावे भी शामिल हैं । इन दावों का निर्णय में अधिनियम में की गई व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा । कुछ मामलों में न्यायालयों के आदेशों के द्वारा भुगतान आयुक्त को आगे कार्यवाही करने से रोक दिया गया है ।

कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 के अधीन अभी तक भुगतान आयुक्त की नियुक्ति नहीं की गई है ।

(ग) अधिनियम में की गई व्यवस्था के अनुसार अन्तिम रूप से स्वीकार किये गये दावों का भुगतान अधिनियम के अधीन भूतपूर्व खान मालिकों को देय राशि में से किया जाएगा, जो इस उद्देश्य के लिए भुगतान आयुक्त के पास रखी गई हैं ।

सरकारी कोटे के सूची संख्या 2 (कार्यकारी) से स्कूटरों का आवंटन

5060. **श्री शशि भूषण** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सूची संख्या 2 (कार्यकारी) से सरकारी कर्मचारियों को दिसंबर, 1973 को समाप्त होने वाली तिमाही तथा चालू तिमाही में कुल कितने लैम्ब्रेटा तथा वैस्पा स्कूटर आवंटित किये गये थे ; और

(ख) यदि कोई लैम्ब्रेटा स्कूटर आवंटित नहीं किये गये हैं तो उसके क्या कारण हैं तथा क्या इन श्रेणियों के लिए आवंटित कोटे को आगामी तिमाही में दिया जायेगा ; और यदि नहीं, को इसके क्या कारण हैं ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलवीर सिंह) : (क) सूची संख्या 2 से केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को दिसम्बर, 1973 को समाप्त होने वाली तिमाही में 200 बजाज और 35 लैम्ब्रेटा स्कूटर आवंटित किए गए हैं । जनवरी-मार्च, 1974 की तिमाही चालू तिमाही होने के कारण इसके आंकडे पूरे नहीं हैं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

दिल्ली/नई दिल्ली में दिल्ली विकास प्राधिकरण की बस्तियों में केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना के नये औषधालयों की स्थापना

5061. **श्री शशि भूषण** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली तथा नई दिल्ली में केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना के कुल कितने औषधालय हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि लारेंस रोड आदि जैसी दिल्ली विकास प्राधिकरण की सभी कालोनियों में सरकारी कर्मचारियों के लाभार्थ अभी तक केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के औषधालय नहीं खोले गये हैं ; और

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण की कालोनियों में केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना के औषधालय खोलने के लिये सरकार के विचाराधीन क्या क्या प्रस्ताव हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) 72 (इनमें 3 फर्स्ट एंड पोस्ट और 2 अस्पताल शामिल हैं)।

(ख) और (ग) धनराशि के उपलब्ध होने तथा इस कार्य के लिये जो मानदण्ड निर्धारित है उनके पूरा होने पर नये औषधालय खोले जाते हैं।

भारत, बंगलादेश और पाकिस्तान के बीच सम्बन्धों को सुदृढ़ बनाना

5062. **श्री प्रियरंजन दास मुंशी** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य का पता है कि कुछ विदेशी एजेंसियां भारत-बंगलादेश मैत्री तथा भारतीय उपमहाद्वीप में शान्ति बनाये रखने संबंधी पारस्परिक समझौते की भावना को कमजोर बनाने के प्रयास कर रही है ;

(ख) क्या सरकार का विचार बंगलादेश तथा पाकिस्तान के साथ संबंधों को सुदृढ़ बनाने के लिये और कदम उठाने का है ; और

(ग) यदि हां, तो किस प्रकार के ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) इस प्रकार के समाचार सरकार की नजर में आए हैं।

(ख) और (ग) बंगलादेश के साथ अपने मित्रता-पूर्ण संबंध सुदृढ़ करने के लिए सभी संभव प्रयत्न किए जा रहे हैं। हम बंगलादेश की सरकार के साथ विभिन्न स्तरों पर निरन्तर सम्पर्क बनाए हुए हैं। बंगलादेश के साथ विभिन्न प्रकार की यात्राओं के आदान-प्रदान किए गए हैं और भारत-बंगलादेश संबंधों में प्रगति के लिए विभिन्न उपाय किए जा रहे हैं।

जहां तक पाकिस्तान का संबंध है, सम्माननीय सदस्य शिमला समझौते के अंतर्गत पाकिस्तान के साथ संबंध बनाने के हमारे प्रयत्नों से अवगत हैं। इस दिशा में हमारे प्रयत्न जारी रहेगें।

भारत-पाकिस्तान सम्बन्ध

5063. **श्री प्रियरंजनदास मुंशी** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत तथा पाकिस्तान के संबंधों में सुधार करने हेतु बंगलादेश के प्रधान मंत्री ने अपना सहयोग देने की पेशकश की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

राजकोट जिले में परिवार नियोजन केन्द्र

5064. **श्री अरविंद एम० पटेल** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजकोट जिले में कितने परिवार नियोजन केन्द्र कार्य कर रहे हैं ;

(ख) वर्ष 1973-74 के दौरान प्रत्येक केन्द्र के लिये कुल कितनी राशि स्वीकृत की गई है और

(ग) इसी अवधि के दौरान कुल कितनी राशि व्यय की गई ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री कोंडाजी वासप्पा) : (क) 31 मार्च, 1973 को जिला राजकोट में 14 ग्रामीण परिवार कल्याण नियोजन केन्द्र, 88 उप-केन्द्र तथा 11 नगरीय केन्द्र कार्य कर रहे थे ।

(ख) और (ग) राज्य सरकार को परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिए केन्द्रीय सहायता पूरे राज्य की विभिन्न योजनाओं और केन्द्रों के लिए दी जाती है । धन राशि का केन्द्र -वार आंबटन और खर्च का ब्यौरा राज्य सरकार द्वारा स्वयं ही रखा जाता है ।

1973-74 में ग्रामीण परिवार कल्याण नियोजन केन्द्रों, उप-केन्द्रों तथा नगरीय केन्द्रों पर आने वाले खर्च को पूरा करने के लिए गुजरात को कुल 92.17 लाख रुपये आबंटित किये गए हैं । अप्रैल से दिसम्बर, 1973 की अवधि में 119.58 लाख रुपये खर्च किये गए हैं ।

Bauxite Deposits in Madhya Pradesh

5065. **Dr. Laxminarayan Pandeya :** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) the names of the places in Madhya Pradesh which have bauxite deposits and the likely quantity available therein; and

(b) the number of Aluminium plants based on these deposits, which are functioning in Madhya Pradesh and those that ar. proposed to be set up by the Central Government there ?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Sukhdeo Prasad) : (a) As a result of surveys carried out in Madhya Pradesh, reserves of Bauxite estimated are of the order of 12.25 million tonnes in Bilaspur District, 27.51 million tonnes in Mandla District, 7.68 million tonnes in Shahdal District , 22.13 million tonnes in Surguja District, 1.24 million tonnes in Raigarh District, 3.08 million tonnes in Balaghat District and 2.47 million tonnes in Jabalpur District.

(b) Bharat Aluminium Company, a public sector undertaking under the Central Government is setting up an aluminium Plant at Korba (M. P.) based on the bauxite deposits of Phutkapahar and Amarkantak areas in Madhya Pradesh. BALCO have also entered into a contract with M/s. Tsvetmetromexpat of Moscow for the preparation of a feasibility report for the establishment of an Aluminium Plant based on the bauxite deposits of Balaghat, Surguja and Mandla districts of Madhya Pradesh.

Export Production and Sale of Machinery by Heavy Electricals Ltd., Bhopal

5066. **Dr. Laxminarayan Pandeya :** Will the Minister of **Heavy Industry** be pleased to state :

(a) the value of machinery exported by the Heavy Electricals Ltd., Bhopal, during 1973-74 together with the value of machinery sold in the country as also the total value of the machinery manufactured by it during this period ;

(b) whether there is a proposal to expand the Heavy Electricals Ltd., Bhopal to augment the production ; and

(c) if so, when this work will commence or when the prosposal will be finalised ?

The Deputy Minister in the Ministry of Heavy Industry (Shri Dalbir Singh) :

(a) (i) Value of equipment exported during 1973-74 (as on 15-3-74) by Bhopal Unit. . . Rs. 33.87 lakhs

(ii) Value of equipment sold within the country. . . . . Rs. 7187.13 lakhs (approx.)

(iii) Value of equipment manufactured. . Rs. 7620.00 lakhs (approx.)

(b) There is no proposal under consideration to expand Bhopal Plant to augment the production.

(c) Does not arise.

Misuse of Drug Licences by Firms in Indore City

5067. **Dr. Laxminarayan Pandeya** : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether some of the firms in Indore city of Madhya Pradesh manufacturing spurious drugs and misusing drug licences were raided towards the end of December, 1973 and in the first week of January, 1974 ; and

(b) if so, the number of persons arrested in this regard and the number of bogus firms the owners of which have been prosecuted by Government ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri A. K. Kisku) : (a) and (b) The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha when received.

Rehabilitation of Refugees in Mana Camp

5068. **Dr. Laxminarayan Pandeya** : Will the Minister of **Supply and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the number of refugees in Mana Camp in Madhya Pradesh at present ; and

(b) the date since when they have been staying there and the action being taken to rehabilitate them at some other place ?

The Deputy Minister in the Ministry of Supply and Rehabilitation (Shri G. Venkatswamy) : (a) As on 21-3-1974, 20672 families consisting of 86,899 new migrants (including returnees) were accommodated in Mana under following categories :—

	Families	Persons
Agriculturist	15,498	67,083
Non-agriculturist	1,663	6,851
P. L. in camp	2,455	9,714
P. L. Home (Mana)	1,056	3,251
Total . .	20,672	86,899

(b) An overwhelming majority of the families are from amongst those who migrated in 1970. Plans for resettlement of 21,300 migrant families during the Fifth Five Year Plan period have been formulated. This programme is not only for Mana Camp families but also for migrant families living in camps in various States and in Dandakaranya. Of these 15,600 families are planned to be settled on agricultural and 5,700 families on non-agricultural occupations and efforts will be continued for the rehabilitation of the remaining families. This is, however, subject to availability of suitable lands and adequate funds.

Production of Coal Mines in Madhya Pradesh

5069. **Dr. Laxminarayan Pandeya** : Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether the production of various coal mines in Madhya Pradesh has declined during 1973-74;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the quantity of coal produced in the nationalised coal mines in Madhya Pradesh during the year 1973-74 as against the year 1972-73 ?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Subodh Hansda) (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) The quantity of coal produced in 1973-74 in the mines in Madhya Pradesh, including the mines, which were previously with the National Coal Development Corporation Ltd., but are now under the Coal Mines Authority Ltd., is expected to be about 15.7 million tonnes, as against the production of 14.92 million tonnes in such mines during 1972-73.

डाक्टरों की संख्या तथा नियुक्ति में अन्तर

5070. **श्री वसंत साठे** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 27 फरवरी, 1974 के एक स्थानीय दैनिक में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है कि इंडियन मेडिकल रजिस्टर में दिखाये गये आंकड़ों के अनुसार देश के डाक्टरों की संख्या 1,38,000 तथा डाक्टर का काम करने वाले डाक्टरों की संख्या में बहुत अधिक अंतर है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) यह सही है कि इस समय बड़े-बड़े कस्बों और शहरों में डाक्टर बड़ी संख्या में जमा हो गए हैं और थोड़े से ही डाक्टर ग्रामीण क्षेत्रों में काम करते हैं । ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में काम करने के लिये डाक्टरों को आकृष्ट करने की दृष्टि से भारत सरकार और राज्य/संघ शासित सरकारों ने जो कदम उठाए हैं, वे इस प्रकार हैं:—

भारत सरकार :

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में काम करने वाले उन डाक्टरों को 150 रु० प्रतिमास का विशेष भत्ता दिया जाता है जिन्हें दूरवर्ती और दुर्गम क्षेत्रों में काम करना पड़ता है।

राज्य/संघ शासित सरकारें :

(1) ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में काम करने वाले डाक्टरों के लिये एकीकृत संवर्गों की रचना।

(2) ग्रामीण भत्ता, परिवहन सुविधाएं, फर्नीचर आदि सहित, मुफ्त क्वार्टर, सुरक्षित पानी की सप्लाई, बिजली आदि जैसे एक मुश्त प्रोत्साहनों का दिया जाना।

(3) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में खास कर इमारतों और रिहायशी क्वार्टरों से संबंधित भौतिक सुविधाओं में सुधार करना।

(4) गांवों में काम करने के इच्छुक सेवा निवृत्त डाक्टरों को दोबारा रोजगार देना।

(5) अग्रिम वेतन वृद्धियां देना (गुजरात राज्य में)।

(6) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में काफी मात्रा में दवाइयों की व्यवस्था करना।

(7) कुछ राज्य सरकारों ने चिकित्सा छात्रों को छात्रवृत्ति वजीफे देने का प्रस्ताव किया है ताकि वे किसी विशिष्ट अवधि के लिये गांवों में काम करने के लिये उन्हें अनुबन्धित कर सकें।

चिकित्सा शिक्षा की वर्तमान प्रणाली में व्याप्त असंतुलनों की भारत सरकार को भी जानकारी है। राज्य सरकारों/संघ शासित सरकारों/विश्वविद्यालयों के उपकुलपतियों, मेडिकल काउंसिल आफ इंडिया आदि को सलाह दी गई है कि वे चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य देख-रेख के लिये देश में उपलब्ध अन्य संसाधनों और वित्तीय सीमाओं के अंदर अंदर बुनियादी डाक्टरों और विशेषज्ञों के बीच संतुलन को बनाए रखें।

इस समस्या की जांच करने और प्रि-मेडिकल से लेकर स्नातकोत्तर स्तर तक की चिकित्सा शिक्षा का नवीकरण करने के सभी पहलुओं का गहराई से अध्ययन करने के लिये सरकार एक उच्च अधिकार प्राप्त चिकित्सा शिक्षा आयोग का गठन करने के बारे में सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

राज्यों को कारों तथा स्कूटरों का आवंटन

5071. **श्री एस० एन० सिंह देव** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में विभिन्न राज्यों को कितनी कारें और तथा स्कूटर आवंटित किये गये ;

(ख) पांचवीं पंचवर्षीय योजनावधि में, वर्ष-वार और राज्य वार, कितनी कारों और स्कूटरों की मांग की गई है; और

(ग) पांचवीं पंचवर्षीय योजनावधि में, वर्षवार प्रत्येक एकक में कारों तथा स्कूटरों का अपेक्षित उत्पादन क्या है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह)

(क) कारें	1971	1972	1973
प्रीमियर प्रेसिडेंट	2774	2575	4082
अम्बेसेडर	4664	4774	12566
स्टैंडर्ड गज़ल	90	136	84
स्कूटर			
बजाज	3,030 (दिस० 70 से नव० 71 तक)	3,412 (दिस० 71 से दिस० 72 तक)	4,453

(ख) पांचवी योजना की संपूर्ण अवधि के लिए कोई मांग नहीं की गई है। किन्तु कुछ राज्यों ने आवंटन में वृद्धि करने की मांग की है, जिस पर ध्यान दिया जा रहा है।

(ग) इस अवस्था में यह बताना संभव नहीं है कि पांचवी योजना में कारों और स्कूटरों का एकक वार तथा वर्षवार प्रत्याशित उत्पादन कितना होगा, किन्तु अनुमान है कि पांचवी योजनावधि के अंतिम वर्ष में कुल 60,000 कारों और 4,00,000 स्कूटरों का उत्पादन होगा। -

Nature of work to be done by Indian Nurses in Oman

5072. **Shri Chandulal Chandrakar :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government of India ensured that the services of 100 Indian nurses being sent to Oman will not be utilised in any work other than nursing ;

(b) the names of the States to which these nurses belong ; and

(c) the tenure fixed for their services ?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) to (c) The request of the Government of Oman for recruiting Indian nurses to work in the hospitals in Oman is under consideration of the Government.

Hunger Strike by Doctors in various States

5073. **Shri Chandulal Chandrakar :** Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that 21 thousand doctors in 14 States went on hunger strike on the 26th February, 1974 ;

(b) if so, for how long this unfortunate situation will continue ; and

(c) the reaction of Government to this increasing discontentment among the doctors ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri A. K. Kisku) : (a) and (b) Information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

(c) Health administration and Medical Education are essentially State subjects and it is not the intention on the part of the Government of India to interfere with the autonomy of the States in this regard.

प्राइवेट मेडिकल प्रैक्टिशनर्ज एसोसियेशन द्वारा वरिष्ठ डाक्टरों की अपनी सेवाओं की पेशकश

5074. **श्री एम० कतामुतु :**

श्री रानेन सेन :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्राइवेट मेडिकल प्रैक्टिशनर्स एसोसियेशन आफ इंडिया ने वरिष्ठ डाक्टरों को सहायता करने हेतु अपनी सेवाएं प्रदान करने की पेशकश की है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या पेशकश की गई है तथा उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) जी हां ।

(ख) भारत की प्राइवेट मेडिकल प्रैक्टीशनर्स एसोसिएशन ने अपने सदस्यों की सेवाएं किसी भी रूप में काम में लाये जाने के लिए पेश की हैं । इसके सदस्य अर्हता प्राप्त चिकित्सक नहीं हैं, किन्तु उनमें से बहुत से लोग विभिन्न अस्पतालों के सेवा-निवृत्त पैरा-मेडिकल कर्मचारी हैं । इस पेशकश को नोट कर लिया गया है और जब कभी उनकी जरूरत पडेगी, इस पर विचार किया जायेगा ।

उपभोक्ताओं द्वारा स्वयं ही कोयले का परिवहन

5075. **श्री इसहाक सम्भली :**

श्री एस० ए० मुरगनन्तम :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के सामने ऐसा कोई प्रस्ताव है कि विद्युत बोर्डों आदि जैसे कोयले के बड़े उपभोक्ताओं के पास कोयले को अधिक प्रभावी तथा शीघ्रता से लाने के लिये अपने माल डिब्बे होने चाहियें ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की रूपरेखा क्या है ; और

(ग) इसको कब से लागू किया जायेगा ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) जी नहीं :

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

इन्दौर राज्य कर्मचारी बीमा कार्यालय में कथित धांधली

5076. **श्री इसहाक सम्भली :**

श्री भानसिंह भौरा :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि इन्दौर राज्य कर्मचारी बीमा कार्यालय में धांधली हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविंद वर्मा) : कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने निम्नलिखित सूचना भेजी है ।

(क) और (ख) कर्मचारी राज्य बीमा निगम कर्मचारी यूनियन, इन्दौर कुछ समय से कतिपय ऐसी शिकायतों के बारे में आंदोलन करती आ रही है, जिनमें कार्यालय समय के बाद कार्यालय के परिसर में यूनियन की कार्यकारिणी समिति की बैठक आयोजित करने के लिए अनुमति देने से इनकारी, कर्मचारि वर्ग के स्थानान्तरण आदि शामिल हैं । इसलिए, मुख्यालय से एक वरिष्ठ अधिकारी मामले की जांच करने के लिए इन्दौर भेजा गया था । अधिकारी ने रिपोर्ट दी है कि यूनियन ने कुछ अवांछनीय कार्य किए हैं । वताया जाता है कि उसके कुछ सदस्यों ने प्रादेशिक निदेशक और कर्मचारी-वर्ग के कुछ अन्य सदस्यों पर आक्रमण किया । मामले की पुलिस को रिपोर्ट की गई जिसने कुछ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया और बाद में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया । प्रादेशिक निदेशक को सलाह दी गई है कि वे कर्मचारियों की शिकायतों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें ।

दिल्ली में कपड़ा दुकान श्रमिकों द्वारा मजूरी में वृद्धि करने की मांग

5077. **श्री एम० कतामुतु :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में कपड़ा दुकान श्रमिकों ने अधिक मजूरी की मांग की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या कर्मचारियों के इस वर्ग की मजूरी में संशोधन करने की सरकार की कोई नीति है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविंद वर्मा) : (क) से (ग) दिल्ली प्रशासन द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, दिल्ली दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम, 1954 के अंतर्गत आने वाली कपड़े की दुकानों में काम करने वाले श्रमिक मजूरियों में वृद्धि की मांग करते रहे हैं । दुकानों में रोजगार न्यूनतम मजूरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत आता है । आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, हाल ही में न्यूनतम मजदूरी दरों में 1-2-1974 से संशोधन किया है ।

ऊपर उल्लिखित बातों के अतिरिक्त, कपड़ा कर्मचारी संघ, दिल्ली ने कर्मचारियों की ओर से दिल्ली हिन्दुस्तान मर्कैंटाइल ऐसोसिएशन, दिल्ली के सदस्यों के साथ, मंहगाई भत्ते के रूप में 50 प्रतिशत मजदूरी के भुगतान और सेवा-शर्तों को और अच्छा बनाने के लिए एक औद्योगिक विवाद उठाया है । पक्षकार इस मामले पर पारस्परिक विचार-विमर्श कर रहे हैं।

इंडियन आक्सीजन लिमिटेड द्वारा त्रिपक्षीय समझौतों का क्रियान्वयन न किया जाना

5078. **श्री झारखंडे राय :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को निरन्तर चल रही अनुचित श्रम प्रथम तथा इंडियन आक्सीजन लिमिटेड द्वारा किये गये त्रिपक्षीय समझौतों के क्रियान्वयन न किये जाने तथा आल इंडिया इंडियन आक्सीजन एंड एसिटलीन एम्पलाइज फेडरेशन सहित कार्मिक संघों द्वारा की गई अनेक शिकायतों की जानकारी है ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि कंपनी की इस अवैध तथा अनुचित प्रथा के परिणामस्वरूप हजारों श्रमिकों को वित्तीय हानि उठानी पड़ रही है ; और

(ग) यदि हां, तो अब तक इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) से (ग) इस विषय पर शिकायतें पश्चिम बंगाल की सरकार के ध्यान में लायी गई हैं जो कि मुख्यतया इस मामले से संबंधित हैं ।

अल्जीयर्स में गुट निरपेक्ष ब्यूरो की बैठक

5079. **श्री एस० एम० बनर्जी:** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऊर्जा के बढ़ते हुए संकट और गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन के बाद उत्पन्न स्थिति की समीक्षा करने के लिए अल्जीयर्स में मार्च, 1974 में गुट निरपेक्ष देशों के ब्यूरो की हुई बैठक में भारत ने भाग लिया था ; और

(ख) यदि हां, तो उसमें किन विषयों पर चर्चा की गई ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) मार्च, 19 से 21, 1974 तक अल्जीयर्स में हुई गुट निरपेक्ष देशों की समन्वय समिति की बैठक में भारत ने भाग लिया ।

(ख) बैठक में जिन महत्वपूर्ण विषयों पर विचार-विमर्श किया गया वे थे, फिलस्तीन की समस्या और पश्चिम एशिया की स्थिति, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक स्थिति ; गुट-निरपेक्ष देशों के पिछले शिखर सम्मेलन में पारित आर्थिक सहयोग के लिए कारवाई कार्यक्रम को लागू करना ; संयुक्त राष्ट्र महासभा का आगामी सत्र और तेल के मूल्यों में वृद्धि के कारण विकासशील देशों पर पड़ने वाला अनअभीप्सित विपरीत प्रभाव। डियागो गार्सिया द्वीप पर ब्रिटिश-अमरीकी अड्डा विकसित करने के निर्णय पर भी विचार किया गया ।

फेडरेशन आफ प्रेस ट्रस्ट इण्डिया एम्पालाईज यूनियन के साथ बात-चीत द्वारा समझौता करने में प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया की असमर्थता

5080. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें इस बात का पता है कि प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया के प्रबंधकों ने फैडरेशन आफ प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया एम्पलाइज यूनियन के साथ बातचीत द्वारा समझौता करने में अपनी असमर्थता प्रकट की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या अखिल भारतीय आन्दोलन न हो इसलिये नई वार्ता आरंभ करने के लिए प्रबन्धकों को सहमत करने की दिशा में कोई कदम उठाये गये हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) से (ग) उपलब्ध सूचनानुसार पी० टी० आई० कर्मचारी यूनियनों की फैडरेशन ने पी० टी० आई० लि०, बम्बई के प्रबन्धकों को 9 अगस्त, 1973 को अंतरिम सहायता की मांग करते हुए एक मांग-पत्र दिया । पता चला है कि संबंधित पक्षों के बीच 7 मार्च, 1974 को एक समझौता हो गया है ।

अभ्रक खनिकों तथा व्यापारियों का सम्मेलन

5082. **श्री के० कोर्डडा रामी रेड्डी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में आन्ध्र प्रदेश के गुडूर में अभ्रक खनिकों तथा व्यापारियों का कोई सम्मेलन हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्मेलन में उनकी शिकायतों तथा कठिनाइयों के बारे में पारित किये गये संकल्प कौन-कौन से हैं ; और

(ग) उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ।

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) जी हां, गुडूर में 12 और 13 फरवरी, 1974 को अभ्रक खनन उद्योग पर एक सेमिनार और अखिल भारतीय अभ्रक सम्मेलन हुआ था ।

(ख) सेमिनार में पारित संकल्पों का सारांश इस प्रकार है :—

(1) अभ्रक खनन कार्य को अधिक उपयोगी बनाने के लिए अभ्रक के न्यूनतम मूल्य में वृद्धि कर दी जाए ।

(2) अभ्रक के मामले में सरणीकरण की योजना को रद्द किया जाए ।

(3) खनिज व धातु व्यापार निगम की क्रय-नीति को गतिशील बनाया जाए ।

(4) अभ्रक उद्योग को वित्तीय सहायता हेतु लघु उद्योग माना जाए ।

(5) उद्योग में सुधार संबंधी उपायों की समीक्षा करने और सुझाव देने के लिए एक अभ्रक सलाहकार समिति बनाई जाए जिसमें वाणिज्य मंत्रालय व खान मंत्रालय तथा व्यवसायी वर्ग के प्रतिनिधि हों ।

(6) अभ्रक के नए उपयोगों की तलाश तथा अभ्रक पर आधारित उद्योगों के विकास के लिए एक अभ्रक अनुसंधान व बाजार-सर्वेक्षण केन्द्र स्थापित किया जाए ।

(7) अभ्रक निर्माण उद्योग को मजबूत बनाने के लिए सहायता दी जाए ।

(8) खान-पूर्वेक्षण तथा नई खानें चालू करने का काम पांच वर्ष के लिए स्थगित कर दिया जाए ।

(9) उच्च कोटि के विस्फोटकों के उत्पादन और वितरण के लिए दो या अधिक कारखाने लगाए जाएं ।

(ग) इन संकल्पों पर सरकार की क्रमशः प्रतिक्रिया इस प्रकार है :—

(1) सरकार ने विभिन्न स्तरों पर प्रसाधित अभ्रक के न्यूनतम मूल्यों में 22-2-1974 से वृद्धि कर दी है ।

(2) सरणीकरण की तारीख अर्थात् 24-1-1972 से ही सरकार को ऐसे प्रतिवेदन मिलते रहे हैं । यह सही है कि अभ्रक के उत्पादन को कुछ ठेस पहुंची है और उसके फलस्वरूप उसके निर्यात में भी कमी आई है किन्तु अब खनिज और धातु व्यापार निगम ने और अधिक गिरावट को रोकने के लिए पर्याप्त उपाय किए हैं और निर्यात बढ़ जाने की आशा है । न्यूनतम मूल्यों में वृद्धि होने से निर्यात में भी सुधार होगा । फिलहाल यथास्थिति बनाए रखने का फैसला किया गया है ।

(3) अभ्रक की सरणीकृत किस्मों के निर्यात से संबद्ध प्रक्रिया पर लगातार विचार किया जाता है ताकि उसमें सुधार होता रहे ।

(4) इस प्रकार की सुविधाओं के लिए अभ्रक उद्योग को पहले से ही लघु उद्योग माना जाता है ।

(5) खनिज व धातु व्यापार निगम अभ्रक उद्योग से संबध मामलों पर विचार/समीक्षा के लिए पहले ही एक समिति बना रहा है जिसमें अन्य लोगों के अतिरिक्त व्यवसाइयों का भी एक प्रतिनिधि होगा ।

(6) केन्द्रीय कांच व मृतिकाशिल्प अनुसंधान संस्थान ने यह काम पहले ही हाथ में ले लिया है ।

(7) सरकार द्वारा इस प्रकार की सहायता के लिए सभी अनुरोधों पर यथा-स्थिति सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाता है ।

(8) इस संकल्प में निहित प्रस्ताव अभ्रक खानों के संरक्षण व क्रमवद्ध विकास के सिद्धांत के विपरीत हैं ।

(9) विस्फोटकों की खनिज-वार जरूरत का निर्धारण कर लिया गया है और देश में विस्फोटकों के उत्पादन में अपेक्षित वृद्धि के लिए सरकार कार्यवाही कर रही है ।

त्रिपुरा इम्पोरियम कर्मचारियों को रविवार की छुट्टी

5083. **श्री बीरेन दत्त** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा इम्पोरियम, नई दिल्ली अपने कर्मचारियों को रविवार के दिन छुट्टी नहीं देता है ;

(ख) क्या इसके कर्मचारी बिना वेतन के ही रविवार को काम करते हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस अवैध श्रम तथा प्रथा को समाप्त करने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) त्रिपुरा एम्पोरियम में रविवार छुट्टी का दिन है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

त्रिपुरा में हवाई अड्डे के निर्माण का परित्याग करना

5084. **श्री दशरथ देव** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा में इनी सिंधरै (तेलियामुरा) हवाई अड्डे के निर्माण संबंधी योजना का परित्याग किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रयोजन के लिये अधिगृहीत की गई भूमि वास्तविक भूमि मालिकों को वापस दी जायेगी ; और

(ग) कुल कितने परिवारों को अभी तक पूरा अथवा आंशिक मुआवजा दिया जाना है और इसकी राशि क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां, श्रीमन् ।

(ख) भूमि की बिक्री के लिए राज्य सरकार को पेशकश की गई है ।

(ग) जिन परिवारों को अभी तक पूरा अथवा आंशिक मुआवजा दिया जाना है उनकी कुल संख्या के बारे में तुरन्त सूचना उपलब्ध नहीं है । 12,85,510 रुपये के देय कुल मुआवजे में से 11,78,500 रुपये 31 जनवरी, 1974 से पहले बांटे जा चुके हैं ।

रुरकेला इस्पात संयंत्र से स्क्रैप की बिक्री

5085. **श्री चिन्तामणी पाणिग्रही :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूरकेला इस्पात संयंत्र के प्रबन्धक एम० एस० इस्पात तथा अन्य विविध स्क्रैप बेचते हैं ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1971-72, 1972-73 और 1973-74 में इनकी बिक्री से कितनी आय हुई ; और

(ग) इन कतरनों को किन व्यक्तियों को बेचा गया था ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1971-72, 1972-73 और 1973-74 (अप्रैल-दिसम्बर, 1973) के दौरान रद्दी इस्पात और रद्दी लोहे (जिस में पिण्डों के सांचे भी शामिल हैं) की बिक्री से हुई आय नीचे दी गई है :--

1971-72	1972-73	1973-74 (अप्रैल-दिसम्बर, 1974)
507.8 लाख रुपये	607.7 लाख रुपये	397.3 लाख रुपये के लगभग

(ग) जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

आन्ध्र प्रदेश में वनस्पति-संग्रहालयों की स्थापना

5086. **श्री बी० एस० मूर्ति :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने आन्ध्र प्रदेश में वर्ष 1972-73 और 1973-74 के दौरान वनस्पति संग्रहालयों की स्थापना के लिए कोई धनराशि दी है ; और

(ख) उस राज्य में पहले से कितने वनस्पति संग्रहालय हैं तथा चौथी योजना में उनके लिए कितना केन्द्रीय अनुदान दिया गया है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्क) : (क) और (ख) : जी नहीं। अलबत्ते भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी की केन्द्रीय अनुसंधान परिषद् का विजयवाड़ा, आन्ध्र प्रदेश में एक क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र हैं जिसमें औषधीय पौधों के सर्वेक्षण का एकक भी आ जाता है । इस केन्द्र के वनस्पति संग्रहालय के पास वनस्पतियों की लगभग 1400 शीटें हैं ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT FUBLIC IMFORTANCE

दिल्ली के अस्पतालों के वरिष्ठ डाक्टरों द्वारा बहिरंग रोगी विभागों में कार्य न करने के निर्णय का समाचार

श्री प्रसन्न भाई मेहता (भावनगर) : महोदय ! मैं स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्त्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वे उस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :

"दिल्ली के अस्पतालों के वरिष्ट डाक्टरों द्वारा बहिरंग रोगी विभागों में कार्य न करने के कथित निर्णय से उत्पन्न गम्भीर स्थिति"

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : जैसा कि माननीय सदस्य जानते ही हैं कि दिल्ली के अस्पतालों के वरिष्ठ डाक्टरों ने पिछले तीन महिनों में कनिष्ठ डाक्टरों की हड़ताल के बावजूद भी अस्पताली सेवाओं को चलाए रखा। किन्तु गर्मी का मौसम शुरू हो जाने के कारण रोगियों की संख्या में वृद्धि होने लगी हैं और स्नातकपूर्व चिकित्सा छात्र भी जो हड़ताल पर थे, अपनी-अपनी कक्षाओं में लोट आए हैं जिसके कारण कुछ वरिष्ठ डाक्टरों को अपना अध्यापन कार्य भी फिर से आरम्भ करना पड़ गया है। संकाय के कुछ सदस्यों के अभ्यावेदन पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के चिकित्सा अधीक्षक ने यह महसूस किया कि वरिष्ठ डाक्टरों के कार्यभार को कम करने के लिये बाह्य रोगी विभागों में विशेषज्ञ सेवाओं को धीरे-धीरे कम कर दिया जाए। जब यह बात मेरे ध्यान में लाई गई तो मैंने तत्काल निदेशक से सम्पर्क कर उन्हें बतलाया कि भले ही काम का कितना ही अधिक बोझ क्यों न हो, रोगियों की उचित और पर्याप्त मात्रा में चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध की जाएं। निदेशक ने चिकित्सा सेवाएं बनाए रखने का मुझे आश्वासन दिया। सफदरगंज और इर्विन अस्पतालों के बहुत से डाक्टरों ने हाल ही में यह शिकायत की है कि उन पर काम का काफी बोझ बढ़ गया है।

सोमवार 25 मार्च को कुछ हड़ताली जूनियर डाक्टर और स्नातकपूर्व चिकित्सा छात्र भारी संख्या में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान और सफदरजंग दोनों अस्पतालों के बाह्य रोगी विभागों में आए और रजिस्ट्रेशन पर काम कर रहे कर्मचारियों से रोगियों का रजिस्ट्रेशन न करने के लिये अनुरोध करने लगे। इस से पहले कैम्पस में उन्होंने इस आशय के पोस्टर लगाए कि सोमवार से बाह्य रोगी विभाग बन्द रहेंगे। उन्होंने रोगियों को अन्दर जाने से भी रोका और रोगियों को देख रहे दो डाक्टरों को भी पकड़ कर जबरदस्ती बाहर निकाल दिया जिस पर रोगियों ने रोष प्रकट किया। रजिस्ट्रेशन कार्ड लेने के लिये उन्होंने स्वयं पंक्ति में खड़ा होकर और जरूरतमन्द रोगियों को इधर-उधर हटाकर बाह्य रोगी विभागों का रास्ता रोकना शुरू कर दिया। रजिस्ट्रेशन कार्ड लेने के बाद वे बाह्य रोगी विभाग के डाक्टरों के कमरों में चले गए ओर उन्हें घेर लिया। इस प्रकार की कार्यवाही से बाह्य रोगी विभाग के काम का ठप हो जाना स्वाभाविक था। बाद में इन विघटनकारी तत्वों को वहां से चले जाने के लिये अनुरोध किया गया। उनके चले जाने के बाद बाह्य रोगी विभाग में फिर से काम होने लगा। अन्य तीन अस्पतालों पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ा।

मंगलवार 26 मार्च को मौलाना आज़ाद मेडिकल कालेज तथा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान से पांच बसों में भर कर आए हुए छात्र और जूनियर डाक्टर सफदरजंग अस्पताल के अहाते में घुस आए। उन्होंने विकलांग, शल्य चिकित्सा तथा आयुर्विज्ञान बहिरंग रोगी विभागों के काम में गड़बड़ी

पैदा करने की कोशिश की, किन्तु उन्हें इसमें सफलता नहीं मिली। वे बाद में लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज तथा विलिंगडन अस्पताल गए। इसी बीच, वहां के चिकित्सा अधीक्षकों को यह सूचना देकर समय पर सावधान कर दिया गया कि वे अपने कालेज व अस्पताल के फाटक बन्द कर लें और इन लोगों को अन्दर जाने से रोकें। इस प्रकार जहां सफदरजंग अस्पताल के बहिरंग रोगी विभाग की सेवाओं में कुछ हद तक गड़बड़ी हुई, वहां सभी अन्य अस्पतालों के इन विभागों में काम सामान्य ढंग से होता रहा। बुद्धवार 27 मार्च को सभी पांचों अस्पतालों के बहिरंग रोगी विभागों में काम सामान्य रूप से सम्पन्न हुआ।

आज सुबह की स्थिति के बारे में अभी-अभी सूचना मिली है कि जहां अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, सफदरजंग, विलिंगडन और लेडी हार्डिंग अस्पतालों में बाह्य रोगी विभाग कार्य कर रहे हैं वहां इर्विन और पंत अस्पतालों में इन सेवाओं में विघ्न डालने के लिये फिर प्रयास किये गए हैं। ऐसा लगता है कि भारी संख्या में छात्र और जूनियर डाक्टर इन अस्पतालों के अहातों में घुस आए हैं और वे बाह्य रोगी विभागों के कार्य में बाधा डाल रहे हैं। मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि यह रवैया बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और निन्दनीय है।

हड़ताल के दौरान बहुत कठिन परिस्थितियों में वरिष्ठ डाक्टरों ने जो सेवाएं की हैं उनकी मैंने इस सदन में प्रशंसा की थी। मुझे पूर्ण आशा है कि जिस तरह वे अब तक अपना काम करते आ रहे हैं उसी प्रकार वे निष्ठा के साथ और व्यापक उत्तरदायित्व की भावना से अपने कर्तव्यों का निरन्तर पालन करते रहेंगे।

श्री प्रसन्न भाई मेहता : मुझे यह आशा नहीं थी कि मंत्री महोदय ऐसा वक्तव्य देंगे जिससे समस्या और बढ़ जाए। सम्भवतः उन्हें मंत्रालय ने गुमराह किया है। मूल समस्या यह है कि सरकार ने मार्च, 1973 के समझौते की शर्तों को पूरा नहीं किया है। मंत्रालय के सचिव ने 1973 के पूरे वर्ष के जूनियर डाक्टरों की समस्याओं की ओर कोई ध्यान नहीं दिया।

सरकार की नीतियां इस प्रकार की हैं कि डाक्टरों, इंजीनियरों आदि सभी वर्गों को सीधी कार्यवाही करने को विवश होना पड़ता है। जूनियर डाक्टरों की 85 दिन से अनिश्चित काल के लिये चल रही हड़ताल के कारण सीनियर डाक्टरों को बहुत अधिक काम करना पड़ रहा है जिसके कारण उन्होंने बहिरंग रोगी विभाग के कार्य न करने का निर्णय किया है।

जूनियर डाक्टरों की यह मांग पूर्णतः न्यायसंगत है कि उनको परेशान न किया जाए। उनकी यह भी मांग है कि हड़ताली डाक्टरों के विरुद्ध जो भी दण्डात्मक कार्यवाही की गई है उसे तुरन्त वापिस लिया जाए। उनके रिकार्ड में हड़ताल के बारे में कोई उल्लेख न किया जाए। हड़ताल की अवधि को वेतनरहित असाधारण अवकाश माना जाए : सभी मांगें न्यायसंगत हैं। सचिव तथा मंत्री में मतभेद होने के कारण यह विवाद अभी तक हल नहीं हो पाया। इस भूमिका के बाद अब मैं प्रश्न करना चाहता हूं।

मैं जानना चाहता हूं कि 31 मार्च 1974 के समझौते को क्रियान्वित क्यों नहीं किया गया? हड़ताल की अवधि के बारे में दिये गए आश्वासन को पूरा न किये जाने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार को पता है कि केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा तथा म्यूनिसपल डाक्टरों ने सीनियर डाक्टरों के स्थान पर काम न करने का संकल्प किया है ? चिकित्सा सुविधा उपलब्ध न होने के कारण अस्पतालों में कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई है?

डा० कर्ण सिंह : वरिष्ठ डाक्टरों के कथित निर्णय के बारे में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के उत्तर में मैंने मूल वक्तव्य में वास्तविक स्थिति का उल्लेख कर दिया है। सीनियर डाक्टरों ने वास्तव में अपनी कठिनाइयां व्यक्त की हैं तथा कई अस्पतालों के बहिरंग रोगी विभागों में कार्य हो रहा है।

जूनियर डाक्टरों के बारे में सभा में कई बार विचार-विमर्श किया जा चुका है। मेरा विचार है कि इस बारे में शीघ्र ही अन्तिम निर्णय होने वाला है। जूनियर डाक्टरों के बारे में मैं इस समय वाद-विवाद में नहीं पड़ना चाहता, क्योंकि इस विषय पर ध्यानपूर्वक विचार किया जा रहा है।

श्री अमृत नाहाटा (बाड़मेर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मंत्री महोदय के वक्तव्य में कहा गया है कि बहिरंग रोगी विभागों में कोई हड़ताल नहीं है तथा बहुत से जूनियर डाक्टरों ने अस्पतालों में गड़बड़ी मचाई। किन्तु समाचारपत्रों में कहा गया है कि पुलिस ने वहां गड़बड़ी मचाई।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि माननीय सदस्य मंत्री महोदय के उत्तर से सन्तुष्ट नहीं हैं तो उन्हें कोई नोटिस देना चाहिये।

श्री एस० एम० बनर्जी : चर्चा की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : आप इसके लिये नोटिस दीजिये। उस पर विचार किया जाएगा। **(व्यवधान)**

श्री अमृत नाहाटा : मंत्री महोदय कहते हैं कि वहां हड़ताल नहीं है जब कि वहां हड़ताल है। मंत्री महोदय सभा को धोखा दे रहे हैं **(व्यवधान)**

Shrimati Savitri Shyam (Aonla) : I do not agree with the Hon. Minister on the point that there is no strike. Senior Doctors have adopted a resolution and they have given an ultimatum to the Government. But they have also decided to attend casualty and Emergency Departments and this is an appreciable decision. I do not agree with the Hon. Minister that the only difficulty of the senior doctors is their heavy work-load. They have mainly demanded that the Government should take immediate steps to end the strike. I also feel that doctors' strike is not justified. The Government should firmly deal with the situation. But I do suggest that the Government should accept the reasonable demands of the junior doctors. (*Interruptions*).

The Government issued a G. O. on the 1st March, 1974 to the effect that 'the period of strike would be treated as unauthorised absence on the principle of no work, no pay'. On the same day, the Government changed their stand and issued another G. O. stating that 'the Health Ministry would recommend to the concerned State Government to take similar action'. I would like to know the justification in prescribing different criteria for the doctors coming from the states. (*Interruptions*).

I would also like to know whether the recommendation made by the Medical Council of India and the Kartar Singh Committee would be accepted by the Government ? Thirdly, may I know whether the striking doctors would not be victimised and the period of strike would be adjusted against various kinds of leaves admissible to them ? May I also know whether the Government propose to impose a ban on strike for a certain period ?

Dr. Karan Singh : I have never said that there is no strike. The Junior Doctors are on strike. The question under discussion relates to the senior doctors and the out-pationt departments and I have replied to that.,

The news item relating to the six doctors reported to be dragged by the police is baseless (*Interruptions*). It was also stated in the 'Times of India' that the report could not be confirmed.

श्री अमृत नाहाटा : एक ट्रक भर कर भेजी गई पुलिस के बारे में क्या...

डा० कर्ण सिंह : पुलिस नियुक्त की गई थी। सभी समस्याओं के बारे में सभा में वक्तव्य दे दिया गया है। इस समय मैं केवल यही कह सकता हूं कि जैसे ही कोई निर्णय किया जाएगा, मैं सभा को उसकी सूचना दे दूंगा।

श्री डी०डी० देसाई (कैरा) : मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि वे विभाग की बातों में न आएं तथा स्वयं घटनास्थल पर जाकर जांच करें। मैं जानना चाहता हूं कि क्या उनके मंत्रालय के अधिकारियों को ज्ञात था कि यदि सीनियर डाक्टरों ने वहिरंग रोगी विभागों में कार्य करना बन्द कर दिया तो क्या स्थिति होगी?

क्या उनके मंत्रालय की इस सम्बन्ध में कोई निश्चित राय है कि डाक्टरों को क्या देंगे या क्या नहीं देंगे? क्या यह सच है कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने सीनियर डाक्टरों से यह मांग की थी कि वे इन विभागों में काम करना बन्द न करें तथा मंत्रालय की अपील को दुहराए जाने का अर्थ यह नहीं है कि मंत्रालय के अधिकारियों पर डाक्टरों को विश्वास नहीं है?

यदि अब सरकार का यह विचार है कि दमन सम्बन्धी खपड को निकालने में कोई बुराई नहीं है तो क्या जनता को अब तक परेशान करना आवश्यक था? क्या देशभर के डाक्टरों में असंतोष को देखते हुए मंत्रालय का विचार है कि जन स्वास्थ्य सेवा के लिये राजसहायता तथा डाक्टरी व्यवसाय के योगदान के बारे में पुनः विचार किया जाए यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की जाएगी यदि नहीं तो सरकार का इस स्थिति का मुकाबला करने के लिय क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

डा० कर्ण सिंह : पहले प्रश्न के उत्तर में मेरा कहना है कि इस गम्भीर समस्या को सुलझाने से हमारा कोई पूर्वाग्रह नहीं था। हमने जनता की आकाक्षाओं और इस समस्या को समझने का पूरा प्रयास किया है।

जहां तक दूसरे प्रश्न का सम्बन्ध है यदि सीनियर डाक्टर भी ओ० पी० डी० के कार्य करना बन्द कर देंगे तो स्वाभाविक है कि ये विभाग बन्द हो जाएंगे। जहां तक वेतन का सम्बन्ध है, वेतन आयोग की रिपोर्ट में सभी श्रेणियों के डाक्टरों के बारे में विचार किया गया है। केवल जूनियर रेजीडेंट्स के बारे में विवाद है जिस पर ध्यानपूर्वक विचार किया गया है। सीनियर डाक्टरों को वहिरंग रोगी विभागों में कार्य करते रहने के लिए प्रेरित किये जाने के बारे में मेंरा निवेदन है कि इसी कारण इन विभागों में, एक-दो स्थान को छोड़कर, काम चल रहा है। योजना सम्बन्धी प्रश्नों के उत्तर में मेरा कथन है कि सरकार चिकित्सा शिक्षा आँयोग की स्थापना के बारे में विचार कर रही है।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन (तेल्लीचेरी) : अत्यन्त खेद के साथ कहना पड़ता है कि मंत्री महोदय ने वास्तविक समस्या को हल करने के बारे में कुछ नहीं कहा। वास्तविक समस्या जूनियर डाक्टरों की हड़ताल की है जिससे हजारों व्यक्तियों को कठिनाई हो रही है।

आजकल सरकार सभी कर्मचारियों के प्रति चाहे वे डाक्टर हों या रेल कर्मचारी, अत्यन्त कड़ाई बरत रही है। न्यायोचित मांगों पर भी सरकार संगठित कर्मचारियों का दमन करने पर तुली हुई है तथा वर्तमान विस्फोटक स्थिति के लिये स्वयं सरकार उत्तरदाई है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक डा० श्रीवास्तव बहुत दुष्ट व्यक्ति हैं तथा डा० कर्ण सिंह को न चाहते हुए भी उसके बताए हुए मार्ग पर चलना पड़ रहा है।

मैं मंत्री महोदय की ओर से यह आश्वासन चाहता हूं कि यदि डाक्टर हड़ताल वापस लेते हैं तो उनको पैकेज डील करार के खण्ड 7 के अन्तर्गत कोई हानि नहीं होगी। मंत्री महोदय यह भी आश्वासन दें कि हड़ताल में भाग लेने वाले किसी भी डाक्टर को परेशान नहीं किया जाएगा तथा उनकी सेवा में कोई अन्तराल नहीं लाया जाएगा। यदि मंत्री महोदय यह आश्वासन दें तो कल ही समझौते का प्रस्ताव प्राप्त हो सकता है और यदि सरकार का यही रवैया रहा तो उस के घातक परिणाम होंगे।

डा० कर्ण सिंह : मैं इस आरोप का खण्डन करता हूं कि सरकार का रवैया अन्यायपूर्ण रहा है। मैंने इस समस्या को उदारतापूर्वक तथा मित्रतापूर्ण ढंग से सुलझाने का प्रयत्न किया है।

मैं माननीय सदस्य को यही आश्वासन दे सकता हूं कि हमें समस्या का पता है तथा डाक्टरों का यथा सम्भव हित किया जाएगा। इस स्थिति में मैं कोई स्पष्ट आश्वासन नहीं दे सकता।

Shri Bibhuti Mishra (Motihari) : The demands of the doctors should the considered sympathetically I condemn violence. You should held talks with the junior doctors independently without associating the officials.

All are suffering due to strike. The Government should not become the victim of bureaucracy I want to know whether you are ready to stop victimisation, if so, are you ready to give a statement in the House within a couple of days so that doctors could resume their duties ?

Dr. Karan Singh : I had had talks with the doctors for 6 to 8 hours daily for 4-5 days at my residence. My attitude towards them has been polite and sympathetic. There is no question of bureaucracy. Broad policies of the Government and financial and other aspects are to be taken into consideration while arriving at some agreement. It is not so easy.

I am busy with these negotiations for the last three months . I am aware of the sufferings of the people on account of this strike. I had been persuading the doctors to end the strike early assuring them that we would consider their demands but unfortunately they did not need to my advice . I personally feel that the strike should not continue further.

I will give a statement as early as possible. I assure the House that I will try to help them as far as possible.

यू. एन. आई. के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न

QUESTION OF PRIVILEGE AGAINST U. N. I.

श्री अमृत नाहाटा (बाड़मेर) : यह विशेषाधिकार का प्रश्न एक समाचार अभिकरण यूनाइटेड न्यूज आफ इंडिया के विरुद्ध है। 25 मार्च, 1974 के "इंडियन एक्सप्रेस" में यूनाइटेड न्यूज़ आफ इंडिया से एक समाचार प्रकाशित हुआ है "कि सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति मार्डन बेकरीज़ (इंडिया) लिमिटेड द्वारा, जो एक केन्द्रीय सरकारी उपक्रम है, बाज़ार में बासी तथा खराब डबलरोटी की सप्लाई किये जाने से बहुत चिन्तित है"।

आज के "टाइम्स आफ इंडिया" ने अपनी सम्पादकीय टिप्पणी "करेंट टापिक्स" में भी इसका उल्लेख किया है। वास्तविकता यह है कि सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति ने अपने प्रतिवेदन में कहीं भी इस बात का उल्लेख नहीं किया है कि मार्डन बेकरीज़ ने बासी तथा खराब डबल रोटी बाज़ार में सप्लाई की है। वास्तव में प्रतिवेदन में माडर्न बेकरीज़ द्वारा बासी और खराब डबल रोटी विक्रेताओं से वापिस लिये जाने पर आपत्ति की गई है।

इस समाचार पत्र ने इस सभा की समिति के प्रतिवेदन की जानबूझ कर गलत व्याख्या की है। यह विशेषाधिकार के उल्लंघन का गम्भीर मामला है। यह सभा की समिति का अवम्यन है। यह मामला विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाना चाहिये... (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस अभिकरण से वास्तविक स्थिति का पता लगाऊंगा। हम इन समाचार पत्रों को लिखेंगे कि उन्होंने ऐसा समाचार प्रकाशित क्यों किया है।

श्री अमृत नाहाटा : यह काम तो विशेषाधिकार समिति द्वारा भी हो सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : पहले हम यह देख लें कि वे क्या कहते हैं।

श्री वयालार रवि (चिरयिंकलि) : वे संसद अथवा समिति का उपयोग अथवा दुरुपयोग क्यों कर रहे हैं; वे ब्रिटेनिया कम्पनी का स्वंतत्र रुप से प्रचार कर सकते हैं (**व्यवधान**)

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है?

श्री पीलू मोदी : श्री नाहाटा ने विशेषाधिकार का प्रश्न उठाते हुए यह आरोप लगाया है कि समाचारपत्रों में इस समाचार के प्रकाशन के लिये कोई अन्य कम्पनी उत्तरदाई है यदि श्री नाहाटा इसको सिद्ध नहीं कर सकते तो क्या विशेषाधिकार का प्रश्न उनके विरुद्ध होगा (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें अनियमित बातें नहीं करनी चाहियें। अब मद संख्या 4 पर चर्चा शुरू की जाय। श्री बसु।

लोक लेखा समिति

PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

102वां और 105वां प्रतिवेदन

श्री ज्योतिर्मय बसु : (डायमंड हार्बर) : मैं लोक लेखा समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं:--

(1) डाक और तार के सम्बन्ध में समिति के 85वें प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 102वां प्रतिवेदन।

(2) भारत प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1966-67 से 1970-71 के लेखे सम्बन्धी लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के सम्बन्ध में समिति के 95वें प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 105वां प्रतिवेदन।

नियम 377 के अन्तर्गत मामला

MATTER UNDER RULE 377

बिहार में हाल की घटनाओं के दौरान रेलवे सुरक्षा बल के कर्मचारियों द्वारा किये गये अत्याचारों का समाचार

Shri Madhu Limaye (Banka): At Lakheesarai in Bihar, the RPF resorted to firing on unarmed people as a result of which one person died. RPF Personnel Brutally charged the boys 12, 14 and 16 years with bayonets. A number of other persons were injured. There was no order from Magistrate for firing.

The Railway Protection Force also set on fire the railway station and godown at Lakheesarai. Some Government employees were also involved in this incident.

A statement should be made regarding the whole matter by the Hon. Minister. Compensation should be given to those who were injured in the firing and also to the dependents of the person who was killed a committee of the House should be constituted which should visit Lakheesarai and other places where RPF personnel had committed atrocities. The committee should inquire into the whole matter.

उपाध्यक्ष महोदय : यदि श्री मधु लिमये का कहना सही है तो यह बड़े दुख की बात है और यह एक गम्भीर मामला है। मंत्री महोदय को इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य देना चाहिये।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : यह बहुत भीषण घटना हुई है। आपको गृह मंत्री और रेल मंत्री को वक्तव्य देने के लिये निदेश देना चाहिये।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : बिहार सम्बन्धी चर्चा के दौरान अनेक माननीय सदस्यों ने रेल सुरक्षा बल द्वारा किये गए अत्याचारों की चर्चा की थी। 13 साल के बच्चों को गोली से उड़ाया गया। अत्याचारों की कोई सीमा तो होनी चाहिये...

प्रो० मधु दण्डवते : माननीय मंत्री स्पष्ट रूप से बताएं कि वह इस बारे में वक्तव्य देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : जब मैंने कह दिया है कि उन्हें वक्तव्य देना चाहिये तो यह काफी है।

श्री समर गुह (कन्टाई) : आशय है कि रेल मंत्री वक्तव्य देंगे। इसके दो भाग होंगे। एक रेल सुरक्षा बल के अत्याचारों के बारे में तथा दूसरा बिहार में पुलिस और सी० आर० पी० के दुर्व्यव्हार के बारे में...

उपाध्यक्ष महोदय : यह एक भिन्न मामला है।

श्री समर गुह : मैं आपका ध्यान श्री मधु लिमये के भाषण के उस भाग की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें उन्होंने पुलिस और सी० आर० पी० द्वारा किये गए अत्याचार की चर्चा की है **(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी (बर्दवान) : केन्द्रीय सरकार ने कलकत्ता में हुगली नदी पर दूसरे पुल के निर्माण के प्रश्न पर विचार करके इसके लिये धन की व्यवस्था भी कर दी थी, किन्तु यह सब कागज़ी कार्यवाही थी। प्रधान मंत्री ने 1972 में इसका शिलान्यास भी कर दिया था।

राज्य लोक निर्माण विभाग मंत्री ने कलकत्ता में एक वक्तव्य दिया है कि विदेशी निवेश बोर्ड ने इसकी स्वीकृति दे दी है और अब केन्द्रीय वित्त मंत्रालय से औपचारिक रूप से स्वीकृति मिलने की प्रतीक्षा है और यदि यह स्वीकृति 31 मार्च, 1974 से पहले न दी गई तो विदेशी परामर्शदात्री फर्म इस परियोजना के निर्माण कार्य से अलग हो जाएगी। इससे यह परियोजना यों ही रह जाएगी जो कि पश्चिम बंगाल के लिये बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। केन्द्रीय वित्त मंत्री को शीघ्र ही इस परियोजना को स्वीकृति प्रदान कर देनी चाहिये।

अनुदानों की मांगें, 1974-75

DEMANDS FOR GRANTS, 1974-75

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अन्नुदानों की मांगों पर आगे चर्चा करेंगे।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं आपको एक गम्भीर मामले के बारे में सूचना दी जो कि केन्द्रीय मंत्री श्री कमलापति त्रिपाठी द्वारा उत्तर प्रदेश में अपने मुख्य मंत्री पद पर रहते हुये एक जाली फर्म को रेल द्वारा 1000 टन बाजरा गुजरात भेजने से सम्बन्धित है? मंत्री महोदय इसके स्पष्टीकरण में एक वक्तव्य दें। यह भ्रष्टाचार का एक गम्भीर आरोप है और टाइम्स आफ इंडिया को प्रथम पृष्ठ पर इसका समाचार छपा हुआ है। उत्तर प्रदेश विधान सभा में भी इस पर चर्चा हो चुकी है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह मामला राज्य सरकार का है। हम तो यहां अनुदानों की मांगों पर चर्चा कर रहे हैं। श्री पीलू मोदी।

Shri Madhu Limaye : I am moving an adjournment motion under Rule 340 and relates to a Bhavnagar firm in Gujatat which is now under President's Rule.

उपाध्यक्ष महोदय : पहले तो नियम 340 के मामला उठाने के लिये मेरी अनुमति की आवश्यकता होती है जोकि आपके पास नहीं है। दूसरे, इस नियम के अधीन चर्चा सभा समक्ष रखे जाने के प्रस्ताव पर ही हो सकती है। ऐसा कोई प्रस्ताव इस समय सभा के सामने नहीं है। अब तो एक मंत्रालय के अनुदानों की मांगों पर चर्चा हो रही है।

श्री पीलू मोदी : यह एक प्रस्ताव है।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं।

Shri Madhu Limaye : First the demands are discussed and later we put them for a note. Thus it should also be considered as a motion. You please refer to Rule 340 and rules concerning demands. Now it is a serious matter concerning Bajra deal in Bhavnagar and Ozha Ministry is involved in it. From Ozha Chimanbhai till Shrimati Gandhi all are overhead and ears in corruption.

उपाध्यक्ष महोदय · व्यवस्था रखिये। श्री पीलू मोदी।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आप व्यवस्था दीजिय न? हमने मामला उठाया है आप निश्पक्ष होकर निर्णय दें।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने मेरी अनुमति के बिना मामला उठाया है। यह नियम का दुरुपयोग है। श्री मोदी ! यदि आप नहीं बोलना चाहते तो मैं अन्य किसी सदस्य को बोलने के लिय कहता हूं।

श्री पीलू मोदी : मैं तो शोर के बीच नहीं बोल सकता। मैं चाहता हूं कि मेरी बात पूरे ध्यान से सुनी जाए।... (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : किसी प्रकार के व्यवधान और या रोक-टोक की कार्यवाही में शामिल नहीं किया जाएगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : व्यवस्था के प्रश्न पर। मैं आपके निर्णय की प्रतीक्षा में हूं। आप श्री मधु लिमये द्वारा उठाए गए मामले के बारे में क्या व्यवस्था दे रहे हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : व्यवस्था की आवश्यकता ही नहीं है। मैं कह चुका हूं कि यह नियमों का दुरुपयोग है।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : वह प्रक्रिया के बारे में आपकी व्यवस्था चाहते हैं। भारतीय साम्यवादी दल की ओर से एक सदस्य को बुलाया जाना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाएं। आप यही कहना चाहते हैं कि एक सदस्य आपके दल का बुलाया जाना चाहिये। यह सही है। परन्तु श्री मोदी ने मुझसे निवेदन किया था कि उन्होंने हवाई बहाना पकड़ना है और इसी लिय मैंने उन्हें अवसर दिया है... (**व्यवधान**)। श्री मोदी !

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : यह मंत्रालय एक अत्यन्त महत्वपूर्ण मंत्रालय है और मंत्री महोदय ने गत वर्षों में प्रत्येक चुनाव के समय इस मंत्रालय का अपने दल के हितों के लिए पूरा पूरा

लाभ उठाया है। हालांकि इस बारे में मैं उनसे ईर्ष्या नहीं करता हूं परन्तु मेरी सबसे बड़ी आपत्ति यह है कि अब उन्होंने समाचार पत्रों का सन्तुलन भी बिगाड़ना आरंभ कर दिया है जिनको वह अखबारी कागज की नकली कमी दिखाकर भी अपने पंजों में नहीं ला पाये थे।

[**श्री नवल किशोर सिन्हा पीठासीन हुए ।**]

[Shri Naval Kishore Sinha in the Chair]

समाचार पत्रों को समय पर पर्याप्त अखबारी कागज न पहुंचा सकने के संदर्भ में सरकार के विभिन्न विभागों की अकुशलता के बारे में स्पष्टीकरण देने का उन्होंने भरपूर प्रयत्न किया है। परन्तु मैं आरोप लगाता हूं कि अखबारी कागज का यह अभाव किसी खास निजी उद्देश्य को लेकर पैदा किया गया है। भारत विश्व की कुल कागज सप्लाई का 0.6 प्रतिशत भाग उपयोग में लाता है और इसका एक तिहाई भाग अखबारी कागज उद्योग को मिलता है जोकि 0.2 प्रतिशत के बराबर है। इस पर भी मंत्री महोदय ने 30 प्रतिशत की कटौती लागू करदी है। अखबारी कागज के निर्माता देशों में बंगला देश, सोवियत संघ, चैकोस्लोवाकिया तथा बहुत से साम्यवादी देश हैं जोकि मंत्री महोदय के मित्र हैं फिर भी अखबारी कागज के अभाव का मतलब स्पष्ट रूप से यही है कि मंत्री महोदय इस कृत्रिम कमी द्वारा देश के प्रचार माध्यम समाचार-पत्रों पर अपने अंकुश रखना चाहते हैं। अतः मुझे मंत्री महोदय यह आश्वासन दे कि वे ऐसे बहाने न बनाकर कि विश्वभर में कमी है, ठेकेदार ठीक से काम नहीं करते, कर्मचारी या विभाग ठीक से काम नहीं करते आदि आदि, किसी भी प्रकार अखबारी कागज के अभाव को यथा शीघ्र दूर करेंगे। मैं बहाने नहीं, काम चाहता हूं। मैं उन्हें तीन मास का समय दे सकता हूं। क्या मंत्री महोदय को यह स्वीकार है?

यह तो अब सिद्ध ही हो चुका है कि आल इंडिया रेडियो कांग्रेस पार्टी का प्रचार स्कंध बन गया है। परन्तु अब तो यह प्रचार माध्यम भी सरकार के काम का नहीं रहा। परन्तु, मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार अन्य राजनैतिक दलों को भी अपने रेडियो स्टेशन स्थापित करने की अनुमति देगी? मैं चाहता हूं कि वह आकाशवाणी का पूरी तरह अराष्ट्रीयकरण करदें अर्थात रेडियो प्रसारण पर से लायसेंस हटा दें केवल 'वेव लैंथ' पर ही नियंत्रण रखें या फिर आल इंडिया रेडियो को ही सरकारी नियंत्रण से मुक्त कर दें। चन्दा समिति ने अनेक सिफारिशें की हैं उसने चुनावों के दौरान रेडियो पर सभी राजनैतिक दलों को अपने अपने विचार रखने का अवसर देने की सिफारिश की थी जिसे कांग्रेस पार्टी ने अस्वीकार कर दिया। मैं इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहता कि क्यों मना किया। स्पष्ट है कि कांग्रेस दल की नीतियां सरकारी नीतियों के रूप में प्रसारित हो सकती हैं परन्तु विपक्ष की नीतिया भी तो जनता के सामने आनी चाहिए। इसी लिये गुजराल साहब ने सभी प्रचार साधनों पर नियंत्रण कर लिया है।

खैर मैं तो उनके रेडियो प्रसारण पर से रोक हटाने को कह रहा हूं। मुझे आशा है कि श्री अटल बहारी वाजपेयी द्वारा एक प्रसारण स्टेशन के जल्दी ही चालू किये जाने की बात भी शीघ्र ही पूरी होगी और फिर हम सब अपने अपने प्रसारण केन्द्र स्थापित कर सकेंगे।

श्री अन्नतराव पाटिल (खेड़): सूचना और प्रसारण मंत्रालय एक बहुत बड़ा मंत्रालय है और इसके अधीन आकाशवाणी, प्रेस सूचना ब्यूरो, श्रव्य और दृश्य प्रचार विभाग, फिल्म डिवीजन, फ़िल्म सेंसर बोर्ड आदि अनेक विभाग आते हैं जिनका संचालन सचिव, संयुक्त सचिव, उपसचिव

तथा अनेक राजपत्रित एवं अराजपत्रित अधिकारी करते हैं। यह मंत्रालय श्री गुजराल तथा उनके सहायक श्री सिन्हा के कुशल नेतृत्व तथा नियंत्रण में कार्य कर रहा है तथा सरकार की नीतियां जनता तक और जनता तथा प्रेस की प्रतिक्रिया सरकार तक पहुंचाने में यह मंत्रालय अपना भरसक योगदान दे रहा है। विनम्र तथा सुयोग्य और प्रतिभाशाली व्यक्ति श्री गुजराल मंत्रालय के कुशल संचालन में गहरी साध के साथ काम करते हैं।

विपक्ष का कहना है कि आकाशवाणी सरकार के नियंत्रण में न रहे तथा इसे एक निगम में परिवर्तित कर दिया जाये जैसी कि चन्दा समिति ने सिफारिश की है। फिर निगम बना देना भी तो अन्तिम सीमा नहीं होगी। 1973 के प्रतिवेदन में स्पष्ट होता है कि आकाशवाणी तथा टेलीविजन के क्षेत्र में बड़ी प्रगति हुई है। अनेक नये आकाशवाणी केन्द्र तथा कई टेलीविज़न केन्द्र स्थापित किये गये हैं। रेडियो के कार्यक्रमों में अभी भी सुधार और विस्तार की गुंजाईश है तथा स्कूलों, विश्वविद्यालयों, आदिवासियों एवं ग्रामीण निवासियों सम्बन्धी कार्यक्रमों को अधिक उपयोगी एवं मनोरंजक बनाया जाना चाहिये।

विश्व भर में लगभग 90 करोड़ टेलीविज़न-दर्शक हैं जिनके लिये कार्यक्रम मुख्यतः पश्चिम से तैयार होते हैं। अतः टेलीविज़न कार्यक्रमों को तैयार करने की ओर बहुत ध्यान दिया जाना चाहिये तथा पूना स्थित फ़िल्म एण्ड टेलीविज़न इन्सटीट्यूट को कार्यक्रम तैयार करने के लिये काफ़ी धनराशि उपलब्ध कराई जानी चाहिये।

जब आप रेडियो स्टेशनों तथा टेलीविज़न केन्द्रों की संख्या बढ़ाते जा रहे हैं तो साथ ही देश में टेलीविजन सेट भी इतने मूल्य में उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाये ताकि मध्यम श्रेणी के लोग भी उन्हें खरीद सकें अन्यथा कार्यक्रमों को बढ़ाने का क्या लाभ होगा जबकि सुनने या देखने वाले ही कम होंगे। उस संदर्भ में औद्योगिक विकास मंत्रालय से सहयोग लिया जाये।

प्रेस सूचना व्यूरो बहुत अच्छा कार्य कर रहा है तथा जन सम्पर्क का काम बहुत अच्छी तरह किया जा रहा है। उसके कर्मचारी प्रसंसा के पात्र हैं। परन्तु श्रव्य तथा दृश्य विभाग विज्ञापन के मामले में मध्यम तथा छोटे एवं भाषायी समाचार पत्रों को कम विज्ञापन देता है तथा बड़े पत्रों को अधिक मूल्य के विज्ञापन देता है; जबकि ये छोटे मध्म तथा भाषायी पत्र जनता के अधिक निकट हैं तथा उसके लिए अधिक उपयोगी सामग्री जुटाते हैं।

समाचार पत्रों संबंधी स्थिति गत तीन वर्षों से अच्छी नहीं चली आ रही है। केवल अख़बारी काग़ज की किल्लत ही नहीं है बल्कि अन्य कठिनाईयां भी हैं। विदेशों में हड़तालों आदि जैसे विभिन्न कारणों से अख़बारी काग़ज नहीं मिल रहा है और इसी लिये सरकार को यहां तीस प्रतिशत की कटौती लागू करनी पड़ी है। वास्तव में हमने कभी सोचा भी नहीं था कि देश में अख़बारी काग़ज की मांग इतनी बढ़ जायेगी। स्वाधीनता के 26 वर्ष बाद भी हमें 60 से 65 प्रतिशत अख़बारी कागज विदेशों से आयात करना पड़ता है। यही बात मशीनरी तथा अन्य उपकरणों के बारे में भी है। देश में केवल एक अख़बारी क़ागज मिल नेपा मिल है जो हमारी 35 से 40 प्रतिशत आवश्यकता पूरी करता है। हां, अब हम अगले कुछ मास में उसकी क्षमता बढ़ा रहे हैं। यह दुर्भाग्य की ही बात है कि अख़बारी काग़ज की कमी के कारण कई समाचार पत्रों को सप्ताह में एक दिन समाचार पत्र का प्रकाशन बन्द करना पड़ा था। अब सरकार ने अन्य मिलों को भी अख़बारी कागज बनाने का लायसेंस देने के बारे में गंभीरता से सोचना शुरु किया है।

देश में केवल बड़े बड़े समाचार पत्र ही पनप रहे हैं । इन समाचार पत्रों के स्वामी बडे बड़े व्यापार गृह या एकाधिकार गृह हैं । ये लोग अपने पैसे के बल पर समाचार पत्र जगत को नियंत्रण में लिये हुए हैं तथा अपना प्रभुत्व बढ़ाते जा रहे हैं । आज केवल कोई बहुत धनिक व्यक्ति ही समाचार पत्र चला सकता है । दूसरी ओर मध्यम तथा छोटे समाचार पत्रों का संवर्द्धन संतोषजनक नहीं है । गत चार-पांच वर्षों से समाचार पत्रों पर पूंजीपतियों का प्रभाव बहुत ही बढ़ता जा रहा है और वे प्रतिबंधात्मक प्रक्रियायें अपना रहे हैं । जब आप इस को एक उद्योग कहते हैं तो इस एकाधिकार तथा प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रक्रिया सन्धि नियम के अन्तर्गत लाना चाहिये ।

प्रेस आयोग ने सुझाव दिया था कि यदि समाचार पत्रों को लोकतांत्रिक ढंग से कार्य करना है तो स्वामित्व का एकाधिकार उनपर से हटना चाहिये । सरकार ने भी इसे क्षमत मान कर वर्ष 1970 में एक विधेयक संसद् में पेश किया था । परन्तु वह विधेयक अभी तक भी चर्चा के लिये नहीं आया है । प्रेस को व्यापार गृहों से असंबद्ध किया जाना चाहिये। वर्ष 1952 में पंडित ज्वाहर लाल नेहरू ने कहा था कि प्रेस को स्वतंत्रता का अर्थ कुछ व्यापार गृहों या व्यक्तियों को स्वतंत्रता देना नहीं होना चाहिये । वर्ष 1972 में श्रीमती इन्दिरा गांधी ने भी यह कहा था कि समाचार पत्र जनता की धरोहर होने चाहियें । परन्तु इस दिशा में अभी तक कुछ किया नहीं गया है । बस यही कहा गया है कि इस पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है । मंत्री महोदय विशिष्ट रूप से बतायें कि उपरोक्त विधेयक कब तक संसद् के विचाराधीन रखा जायेगा । क्या बजट सत्र में ही आ जायेगा । छोटे तथा मध्यम समाचार पत्रों को बचाने के लिए समाचार पत्र वित्त निगम बनाया जाना चाहिए। तत्संबंधी विधेयक लोक सभा भंग होने के कारण दिसंबर 1970 में रद्द हो गया था । मंत्री महोदय ने वायदा किया है कि उसे पुनः पेश किया जायेगा। देश में यदि लोकतंत्र की रक्षा करनी है समृद्ध करना है तो हमें छोटे तथा मध्यम समाचार पत्रों को तथा भाषायी पत्रों को समृद्ध करना होगा। यही पत्र पत्रिकायें लोगों को शिक्षित करते हैं, जनमत तैयार करते हैं। बड़े बड़े समाचार पत्र तो अपने स्वामियों की हितों एवम् स्वार्थों की भाषा में बात करते हैं। अतः हमें प्रेस का एकाधिकार गृहों से अलग रखना होगा।

आज हमारे देश में अखबारी कागज की कमी है उसके मूल्य भी बहुत बढ़ गये हैं उनमें लगभग तिगुनी वृद्धि हुई है। मंत्री महोदय ने कहा है कि अब उन्होंने नीति बदल दी है। इस वर्ष छोटे तथा मध्यम पत्रों को नेपा मिल्स से अखबारी कागज मिलेगा और बड़े पत्रों को आयातित मंहगा माल खरीदना पड़ेगा। अब तो नेपा मिल्स ने भी अपने अख़बारी काग़ज़ के मूल्य बढ़ा दिये हैं। अब यदि छोटे तथा मध्यम पत्रों को नेपा मिल्स का 60-70 प्रशिशत अखबारी काग़ज़ नहीं मिला तो वे समाप्त ही हो जायेंगे। मंत्री महोदय इस दिशा में कुछ न कुछ अवश्य करें।

यह देश विश्व का सबसे बड़ा फिल्म निर्माता है और इसका कार्यकरण भी बुरा नहीं है। देश में छविग्रहों की कमी है और अच्छी फिल्मों की भी कई कई महीने प्रतीक्षा में रहना पड़ता है। सरकार छविग्रहों का निर्माण करे।

हमारी फिल्मों की तस्करी हो रही है इम्पेक के अध्यक्ष ने मंत्रालय पर आरोप लगाया है कि उन्हें पूरा सहयोग नहीं मिलता क्या अधिकारी गण परेशान करते हैं ?

फिल्म डिवीज़न ने बड़े अच्छे वृत्त चित्र बनाये हैं। अन्य भाषाओं के अच्छे वृत्त चित्रों को हिन्दी भाषा में देश में सर्वत्र दिखाया जाना चाहिए।

अन्त में अनुदानों की मांगों का समर्थन करते हुए मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वह मेरे प्रश्नों का उत्तर विशिष्ट रूप से दें उसमें दार्शनिकता न दिखायें।

Shri Bhan Singh Bhaura (Bhatinda): We had expected a lot of improvement in the services of All India Radio after Mr. Gujral took over the charge of this Ministry, but we have been disappointed. Everything is still going on in the same old fashion there.

Radio is the best possible media to reach the common masses. It is a mean for publicising Government's policies but there some persons in the AIR who, are not only against the Government policies but also talk the other way round. The programmes are being carried out by the same old set of the producers.

Hindi language used in various AIR programmes in very difficult and very much Sanskritised. Broadcasts on AIR Stations in Punjab also do not speak real punjabi language. That is much Sanskritised and therefore not intelligible. The writers called on AIR stations in Punjabi are almost unknown persons and have no standings. There is a set of poet's and authors of Punjab who are given opportunities by AIR. I think that the procedure should be streamlined.

The moment we switch on our radio in the morning we have to listen to songs of different religions. The Government connot encourage secularism in this manner. In fact scientific aspect of religion should be broadcast over AIR but that is not being done what is the use of superstitions ?

I would like to suggest that one station of A.I.R. should be reserved for broadcasting programmes in the respective regional language of the state and another station should broadcast other programmes. I would also suggest that some improvement should be made in the 'Spotlight' and 'Yuva Vani' programmes.

I have been informed by some Indians living abroad that they do not get news about from A.I.R. and we have to listen to B.B.C. It is one of the duties of External Service of A.I.R. to project the image of India and give necessary information about India to Indians living abroad. I should therefore request the hon'ble Minister to tone up the External Services Division.

The programmes relayed at Amritsar Television shouldnot originative in Delhi. They should be relayed and prepared in Punjabi atmosphere. The hon'ble Minister should look into it. Before concluding I would request him to provide relay station of All India Radio at Bhatinda. I am in favour of delinking of press from Industrial Houses. A Committee was appointed to go into this matter and I want to know outcome thereof. The Government should control the advertisements to be published in the newspapers so that small newspapers may also get their due. The big newspapers have monopolised the whole trade and they are publishing maximum advertisements and earning huge amount. Will the hon'ble Minister be pleased to tell us something about Newspapers Finance Corporation ? Similarly an International News Agency was proposed to be set up in India but the same has not come up so far. There was a proposal to convert P.T.I. into a public Corporation. May I know the progress made in this direction ?

The standard of the films exhibited on T.V. is not upto the mark. The documentary films should cover villages and natural scenery. Government should ban sub-standard films.

The pay scales of Artists should be improved and contract rate should be increased. It is understood that some top officials including Col. Gupte have been granted extension of service dispute serious allegations against them.

The song and Drama Division has claimed that they have conducted 14377 programmes in 1973. An investigation should be made to verify whether their claim is true or false. At last they do not go to the villages. There should different sets for different languages and they should organise their programmes in regional languages in respective villages.

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : मैं कर्नल गुप्ते के बारे में स्थिति स्पष्ट कर देना चाहता हूं। कर्नल गुप्ते के बारे में जो आरोप प्राप्त हुए थे उन्हें मंत्रालय को भेज दिया गया था। संगीत और नाटक विभाग में काम करने वाले स्टाफ आर्टिस्टों के द्वारा जो आरोप लगाये गये थे उन्हें भी मंत्रालय को भेज दिया गया था। फिर इन सब आरोपों को केन्द्रीय जांच ब्यूरो को भेजा गया था। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने लगभग दो वर्षों तक जांच करने के बाद कर्नल गुप्त को निर्दोष पाया है।

Shri Shashi Bhushan (South Delhi): It has been observed that there is no improvement in the working of All India Radio. It seems that the officials of All India Radio are afraid of socialism, because they broadcast the news of those countries which do not believe in socialism. They do not broadcast the news of socialist Countries. I would like to suggest that the time for news bulletin in languages spoken in neighbouring countries e.g. Nepali, Pushto, Baluchi should be increased. Our radio should broadcast news of our countries in the above noted languages to counteract the false propaganda of China.

The press should represent the feelings of masses. At present vested interests are playing dominent role in the newspapers. The Government should take over big newspapers such as Hindustan Times, Times of India, Indian Express, Statesman so that these newspapers may guide the nation. The hon'ble Minister should take some steps to take out these newspapers from the clutches of capitalists.

The plight of the employees of P.T.I. and U.N.I. is miserable. The Press Commission has recommended that they should be converted into a corporation. This recommendation should be implemented to safeguard the interests of the employees and improve their working.

The question of setting up an International News Agency has been discussed but nothing has come out so far. At present we have to depend on reuter agency of Britain for news pertaining to other Countries and they are influenced by British diplomacy. The result is that we do not get true picture of state of affairs in other countries. We can set up our own International News Agency with the cooperative of news agencies of developed countries of the world.

There is no need of Censor Board in so far as films are concerned. Murder and sex are the main themes of the films which misguide our youngmen. Either Censor Board should be abolished or give some direction to the motion through films. The government should own some cimena Houses where good picture could be exhibited. Something has to be done in this direction.

श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी (कलकत्ता-दक्षिण) : इस मंत्रालय को देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। समाचार-पत्रों और उनके स्वामित्व के बारे में अनेक माननीय सदस्यों ने विचार व्यक्त किये हैं। मैं उनसे काफी हद तक सहमत हूं। परन्तु मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार वास्तव में महसूस करती है कि बड़े व्यापार गृह आर्थिक और औद्योगिक क्षेत्रों में लोगों का केवल शोषण ही नहीं कर रहे बल्कि राष्ट्र को भ्रष्ट बनाने और समाचार-पत्रों के माध्यम से लोगों का ध्यान बदलने का प्रयत्न कर रहे हैं और इस प्रकार राष्ट्र निर्माण की समस्त प्रक्रिया को अस्तव्यस्त कर रहे हैं। जिसका सरकार समर्थन करती है और अनेक विरोधी दल संघर्ष कर रहे हैं। यदि यह बात ठीक है तो सरकार ने इस स्थिति का मुकाबला करने के लिए जनमत तैयार क्यों नहीं किया ? यदि सरकार अपने कर्तव्य में असफल रहती है तो जनता और राजनीतिज्ञों के मन में भ्रांति ही पैदा नहीं होगी बल्कि समस्त राष्ट्र भ्रष्ट हो जायेगा और सरकार का विश्वास समाप्त हो जायेगा ।

हमारे देश में पत्रकार अच्छे है परन्तु पत्र नहीं। कुछ पत्रकार इन एकाधिकार गृहों में काम करते हुए महसूस करते हैं कि उनकी प्रतिभा बेकार जा रही है। समाचार-पत्रों के मालिक राजनीति में आ सकते हैं और सभा के अन्दर और बाहर अपने विचार भी व्यक्त कर सकते हैं परन्तु उन्हें लोकतंत्र नष्ट करने का कोई अधिकार नहीं है । सरकार को ऐसे लोगों को इस बात के लिए मजबूर कर देना चाहिए कि वे लोकतंत्र में उसी प्रकार के काम करें जो लोकतंत्र में होने चाहिएं अन्यथा वे अलग हो जायें।

मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि यह मंत्रालय पत्रकारों और कर्मचारियों को समाचार-पत्र उद्योग के प्रबन्ध में लाने के लिए प्रस्ताव तैयार करने का प्रयत्न कर रहा है। मुझे आशा है कि सरकार संसद के आगामी चुनाव तक इस आशय की घोषणा कर सकेगी कि अब इन व्यापार गृहों का जनमत बनाने के क्षेत्र में समाचार-पत्रों पर नियंत्रण नहीं रहा।

अखबारी काग़ज़ के व्यापार में बड़े-बड़े व्यापारी अत्यधिक काला धन अर्जित कर रहे हैं। मैं सिद्ध कर सकता हूं कि इस प्रकार अर्जित किये गये धन का उपयोग संस्कृति को दूषित करने, राजनीतिक क्षेत्र में दल बदलने और सामाजिक जीवन में राजनीति लाने के लिए उपयोग किया जाता है। यदि सरकार इस प्रकार की गतिविधियों को रोकने के लिए कोई कार्यवाही करे तो अच्छा होगा नहीं तो जनता जानती है कि इस प्रकार की गतिविधियों के साथ कैसे निपटा जा सकता है।

मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि स्टेट्समैन का चेयरमैन पी०टी०आई० का चेयरमैन कैसे हो सकता है। यह बड़ी हैरानगी की बात है। उनका कार्य संदेहजनक है। मुझे आशा है कि यह मंत्रालय इस बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त करके समुचित कार्यवाही करेगा।

हिन्दी फिल्मों में प्रयुक्त भाषा बहुत ही अश्लील होती है और यह निन्दनीय है। यदि यही स्थिति रही तो गैर-हिन्दी भाषी लोगों को हिन्दी से नफरत होने लगेगी। फिर देश की संस्कृति पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। फिल्म सेंसर बोर्ड को इस प्रकार की अश्लील फिल्मों की अनुमति नहीं देनी चाहिए भले ही वे किसी भी भाषा में हों। फिल्म निर्माता और काला धन खर्च करके सब को अपने हाथ में कर लेते हैं। 'बॉबी' जैसी फिल्मों की अनुमति देना देश की संस्कृति पर आघात है। फिल्म उद्योग के कर अपवंचकों को राष्ट्रीय पुरस्कार दिये जाते हैं। समाजवादी देश में इस प्रकार की गतिविधियों की अनुमति नहीं दी जा सकती।

कलकत्ता में टेलीविजन केन्द्र स्थापित किया जाना चाहिए ? इस प्रयोजन के लिए भूमि अर्जित कर ली गई है। अतः अब उसे आरम्भ कर देना चाहिए।

यह शरतचन्द्र चट्टोपाध्याय का शताब्दी वर्ष है। उनके जीवन पर एक वृत्त चित्र बनाया जाना चाहिए। फिल्म डिवीजन के माध्यम से उनकी कथा उपन्यास का आयोजन किया जा सकता है। अन्त में मैं पुनः इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि इस मंत्रालय को फिल्म सेंसर बोर्ड पर अंकुश रखना चाहिए।

***श्री ई० आर० कृष्णन** (सलेम) : हमारे देश में लोकतंत्रीय परम्पराएं स्थापित करने में इस मंत्रालय को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। जनता के साथ सम्पर्क स्थापित करने के साधन इस मंत्रालय के अधीन हैं। अतः वह 56 करोड़ लोगों को देश की आर्थिक और सामाजिक प्रगति के बारे में जानकारी दे सकती है। रेडियो निश्चय ही प्रभावशाली माध्यम है जिसे जनता के सभी वर्ग सुनते हैं। अतः रेडियो को बड़ी जिम्मेदारी के साथ अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। रेडियो पर केवल सरकार की नीतियों और क्रियाकलापों का ही प्रसारण नहीं किया जाना चाहिए बल्कि उनके प्रति अनेक जन नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी प्रसारित की जानी चाहिऐं। इस समय आल इंडिया रेडियो शासक दल के निदेशों पर चलता है। हाल ही में उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और पांडीचेरी चुनावों में आल इंडिया रेडियो द्वारा निभाई गई भूमिका से यह बात स्पष्ट हो जाती है।

अन्न मांगने वाले गुजरात के लोगों पर जब गोलियां बरसायी जा रही थीं तो आल इंडिया रेडियो चुप था। बिहार के हिंसात्मक आंदोलन के दौरान भी आल इंडिया रेडियो चुप था। लेकिन आल इंडिया रेडियो प्रधान मंत्री के चुनाव दौरों और भाषणों को प्रसारित करने में विलम्ब नहीं डालता।

आल इंडिया रेडियो सत्तारूढ़ दल के प्रवक्ता के रूप में कार्य कर रहा है। 9 बजे के अंग्रेजी के समाचारों को सुनने से पता चलेगा कि इन समाचारों में मंत्रियों तथा सत्तारूढ़ दल के सदस्यों के विचारों को अधिक स्थान दिया जाता है। किन्तु विपक्षी दलों के विचारों के बारे में केवल इतना ही कहा जाता है कि कई विरोधी दलों के सदस्यों ने भी चर्चा में भाग लिया। लोकतंत्र की प्रगति में आल इंडिया रेडियो का यही योगदान है।

---

*तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

*Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Tamil.

17LSS/74—10

आल इंडिया रेडियो के दिल्ली तथा मद्रास स्टेशनों से तमिल भाषा के समाचारों में तमिल शब्दों में संस्कृत की प्रधानता रहती है। तमिल एक अन्तर्राष्ट्रीय भाषा है और तमिल भाषी लोग, जो सिंगापुर, मलेशिया तथा श्रीलंका आदि में रहते हैं, हमेशा आल इंडिया रेडियो से तमिल भाषा में समाचार सुनने के लिए उत्सुक रहते हैं। अतः मंत्री महोदय को इस ओर ध्यान देना चाहिए। आल इंडिया रेडियो बड़े-बड़े एकाधिकार गृहों के विज्ञापनों का एजेन्ट भी है जिनके उत्पादों के विषय में रात दिन प्रसारण किया जाता है। मार्च, 1973 के अंत तक आल इंडिया रेडियो ने विज्ञापन राजस्व के रूप में 15.19 करोड़ रुपये प्राप्त किए। यह खेद की बात है कि इसके बावजूद भी संगीत और नाटक प्रभाग के कर्मचारियों की वेतन बढ़ाने की मांग को स्वीकार नहीं किया जा रहा है।

चंदा समिति ने सिफारिश की है कि आकाशवाणी को निगम के रूप में स्थापित किया जाये। सरकार ने यह कार्यवाही अब तक नहीं की है। मंत्री महोदय को इस ओर ध्यान देना चाहिए।

भारतीव फिल्म वित्त निगम से यह आशा की जाती है कि वह यथार्थवादी और आदर्श फिल्मों के निर्माण में निर्माताओं की सहायता करे। किन्तु फिल्म वित्त निगम द्वारा आन्ध्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल जैसे दक्षिण के राज्यों में फिल्म निर्माताओं को सहायता नहीं की जाती है। फिल्म वित्त निगम ने अभी तक किसी तमिल फिल्म की वित्तीय सहायता नहीं दी है। अतः दक्षिण के राज्यों में फिल्म निर्माताओं की सहायता करने हेतु मद्रास में एक अन्य फिल्म वित्त निगम स्थापित किया जाना चाहिए।

कन्याकुमारी और महाबलीपुरम अत्यंत प्राचीन काल के स्थान हैं। इन स्थानों में विदेशी पर्यटकों की रुची बढ़ाने के लिए वहां ध्वनि और प्रकाश से प्रदर्शन किए जाने चाहिएं।

लघु और मध्यम श्रेणी के समाचारपत्रों की सहायता करने के उद्देश्य सें समाचारपत्र वित्त निगम की अभी तक स्थापना नहीं की गई है। इसकी शीघ्रातिशीघ्र स्थापना की जानी चाहिए।

दिवाकर समिति ने सिफारिश की है कि श्रव्य, दृश्य, प्रचार निदेशालय को अपने 75 प्रतिशत विज्ञापन लघु और मध्यम श्रेणी के समाचारपत्रों को देने चाहिएं। इस समय अखबारी कागज की बहुत कमी है। यह खेदजनक बात है कि इस गंभीर अभावग्रस्त समय में भी देश में अखबारी कागज की स्थापित क्षमता का केवल 60 प्रतिशत ही उत्पादन होता है। स्थापित क्षमता का शत प्रतिशत उपयोग करने के लिए मंत्री महोदय का क्या कदम उठाने का विचार है? हम अनेक वर्षों से इस सदन में सुनते आ रहे हैं कि अब सरकार देश में प्रेस के एकाधिकार को समाप्त करने के लिए कटिबद्ध है। किन्तु इस दिशा में अभी तक कोई उपाय नहीं किए गए हैं।

Shri Hari Singh (Khurja): Films have acquired an important place in today's life. Films being shown these days leaves an impression that film producers have nothing good to offer except violence and sex. It is tragedy that our film story writers have no other theme except portraying a nude woman. Perhaps such films are being made with a view to earn money. But in this process our culture and character is being ruined. It is high time the Ministry put pressure on the producers to make films on the subject of natural integration and removal of untouchability.

If the regional films are not popular and are languishing it is because they lack glamour. Government should devise some means whereby those films could be encouraged.

It is regrettable that our films mostly displayed European culture and way of life. It is high time to inculcate Indian culture values in our films so that we could build the character of our countrymen.

The work of journalists is very stranuous and even risky. At times some of them are killed while reporting on battle fronts. In such case suitable pensions should be given to their families.

At present only 2½ crore people of our country will enjoy television programme. There is great need to extend it and also to improve its quality.

Printing and binding of the books produced by the Publications Division is not good and should be improved.

श्री नरेन्द्र कुमार सांघी (जालौर) : आज फिल्में हमारे देश में जन-प्रचार का बहुत महत्वपूर्ण साधन बन गई हैं। फिर भी फिल्म उद्योग का परिव्यय बहुत कम है। फिल्म उद्योग की इन मांगों में केवल 3.75 करोड़ रुपये की राशि की व्यवस्था की गई है।

भारतीय चलचित्र निर्यात निगम की अच्छे मूल्य पर भारतीय फिल्मों का निर्यात करने और प्राइवेट निर्माताओं द्वारा फिल्मों को कम मूल्य पर बेचने पर रोक लगाने की दृष्टि से स्थापना की गई है किन्तु इसका कार्य सम्पादन क्या है? इस निगम ने बहुत निकृष्ट कार्य किया है। वह दिए गए धन की वसूली नहीं कर सका है। वह अत्यधिक मूल्य देता है किन्तु निर्यात नहीं कर पाता।

इसके अलावा प्रबन्धक श्रमिक संबंध बहुत खराब है। गत कुछ वर्षों में 40 कर्मचारियों और 17 निदेशकों से अधिक व्यक्तियों ने इस संगठन को छोड़ दिया है। हम यह जानना चाहते हैं कि केवल कर्मचारियों ने क्रमिक रूप से भारतीय चलचित्र निर्यात निगम को क्यों छोड़ा है?

आय तो प्रति वर्ष बढ़ रही है किंतु बोनस में क्रमिक कमी की जा रही है। सरकार ने बोनस 20 प्रतिशत से घटाकर 8 प्रतिशत कर दी है। इसमें से केवल 4 प्रतिशत सांविधिक बोनस है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय को भारतीय चलचित्र निर्यात निगम की सम्पूर्ण आस्तियां और दायित्व अधिकार में कर लेने चाहिएं। इसे बंद कर फिर नए सिरे से चलाना चाहिये।

राष्ट्रीय पुरस्कार आरंभ करने के लिए मंत्रालय बधाई का पात्र है। इससे फिल्म उद्योग और सरकार में तादात्म्य हुआ है। अतः हम चाहते हैं कि पुरस्कारों का चयन करने में मंत्रालय को कुछ और अधिक ध्यान देना चाहिए। पुरस्कार समिति का कार्य निष्पादन बहुत अच्छा नहीं है।

मेरा सुझाव है कि राष्ट्रीय पुरस्कार के लिये फिल्मों का चयन करने वाली समितियों के लिये उपर्युक्त नियम बनाये जाने चाहियें जिससे वे निष्पक्ष रूप से अपना कार्य कर सकें। यह प्रसन्नता की बात है कि मंत्रालय ने इस ओर ध्यान दिया है। मंत्रालय अब राष्ट्रीय फिल्म निगम की स्थापना के प्रश्न पर भी विचार कर रहा है।

अमेरिका की मोशन पिक्चर्स समिति एसोसियेशन को नियत कुल परिव्यय में से आयातित फिल्मों के लिये प्रतिवर्ष विदेशी मुद्रा में 25 लाख रुपया विदेश भेजे जाने की अनुमति थी और शेष धन भारत में रखा जाता था। किन्तु 30 जून, 1971 को यह व्यवस्था समाप्त कर दी गई। मेरा सुझाव है कि फिल्म उद्योग के लिये कोई ऐसी युक्तिसंगत व्यवस्था की जाए जिससे हमारे फिल्मों के निर्यात में वृद्धि हो सके। विदेशों को उत्तम फिल्मों का निर्यात किया जाए तथा वहां से उत्तम फिल्मों का ही आयात किया जाए। फिल्मों के आयात के संबंध में अल्पसंख्यकों के हितों की भी उपेक्षा नहीं होनी चाहिये।

विदेशी फिल्मों के आयात के संबंध में चलचित्र वित्त निगम के कार्यकरण की जांच की जानी चाहिये। मंत्रालय के प्रतिवेदन में बताया गया है कि चलचित्र वित्त निगम को 17 फिल्मों में से केवल 5 फिल्मों ने ऋण वापिस किया है। निगम से ऋण लेने वाली फिल्मों के नाम देना भी बन्द कर दिया गया है।

मेरा यह भी सुझाव है कि यदि सरकार वास्तव में चल-चित्र वित्त निगम का विकास करना चाहती है तो उसके लिये कम से कम 50 लाख रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की जानी चाहिये। 1952 में स्थापित किये गये प्रैस कमीशन ने 1954 में प्रतिवेदन दिया। आज की प्रैस संबंधी समस्याएं नितांत भिन्न और व्यापक है, अतः वह प्रतिवेदन व्यर्थ है।

मीडियम वेव में व्यवधान होने के कारण सरकार का 'फ्रीक्वेंसी मोडूलेशन' का प्रस्ताव था। मैं जानना चाहता हूं कि उस बिचार को त्याग दिया गया अथवा उस संबंध में कोई कार्यवाही की जाएगी। ज्ञात हुआ है कि प्रेस इंफोरमेशन ब्यूरो के एक सीनियर अधिकारी को विदेशों में गुप्त सूचनाएं भेजने के आरोप में पकड़ा गया है। इस संबंध में मेरा सुझाव है कि सरकार सुरक्षा के पहलू पर गंभीरता से विचार करे। इन शब्दों के साथ मैं सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं।

Shri S. A. Shamim (Srinagar): Mr. Chairman, Sir, the role of Information and Broadcasting department is assuming vital importance in the political and social life of our country. It is also a fact that films have great impact on the young as well as the old. In these circumstances, we can not afford to leave the film industry entirely in the hands of the private concerns.

It is quite strange that inspite of the presence of Central Censor Board, obscenity could not be removed from the films. **(Interruptions)** I, therefore, suggest that the Government must have some check on the members of the film Censor Board.

Secondly, we have not earned that much foreign exchange from the films as was expected to be earned. The Chairman of Indian Motion Picture Export Corporation, Shri Ali Mohammad Tariqe, against whose serious complaints of promotion of his personal interests were made during the last seven years by the Fliim Producers, has levelled charges against the high officers of the Ministries of Commerce and Information and Broadcasting stating that they had not given him any opportunity to work. In their memorandum to Prime Minister, Film Producers demanded an enquiry regarding the amount spent on the foreign tours of Mr. Tariqe. But no action has been taken against him as yet. I

am sorry to observe that Mr. Tarique, who could not complete even primary education, was appointed Chairman of this Corporation only on account of his political background. He has, now, levelled serious charges against the Ministries of Commerce and Information and Broadcasting stating that these Ministries are also involved in the smuggling of films. In these circumstances, it has become necessary for the Government to inquire into the affairs of the I.M.P.E.C.

Thirdly, T.V. is the second most effective mass medium. In this context, I would like to draw the attention of the hon. Minister to the fact that the programmes relayed from Pakistan T.V. Centre are very effective. The propaganda being done by Pakistan through these programmes must be made ineffective for which Srinagar T.V. Centre should urgently be made very powerful.

I would also like to draw the attention of the hon. Minister to the fact that Srinagar T.V. Centre has become a centre of corruption. Srinagar is a small city and all the girls of illfame have been brought in this T.V. Centre. According to the newspapers, big Officers have illegal relation with them, as a result of which young ladies from respective families are reluctant to joint T.V. Centre. It has seriously affected the production of cultural programmes from this Centre. I request that the hon. Minister should take effective steps to improve the quality of the programmes and to remove the prevailing corruption in this Centre.

Being a journalist, I personally feel that as compared to big newspapers, small newspapers are more important. The impact of local papers is rather intensive. Distribution of newsprint should, therefore, be done in such a way that the small newspapers are made viable.

Shri R. R. Sharma (Banda): Radio, Television, Press and films are the main mass media to be discussed while dealing with he demands relating to the Ministry of Information and Broadcasting. Films can certainly build national character. But I am sorry to observe that the percentage of such good films is not more than one. Most of the Indian films are full of unhealthy scenes of obscenity, rape and decoity which inspire people especially youths, to indulge in anti-social activities. Film Censor Board has failed to remove this vulgarity from the Indian films.

I have seen foreign films also and I feel the standard of foreign films is higher than that of Indian films. Foreign films are educative. It is a fact that even knowing the fact that films are not of good standard people go to see them only to have some recreation. It is, therefore, the duty of the Government to see that Indian films are made educative and cultural. Bad films should not be allowed to be exhibited to the people. Besides the recommendations of the Khosla Committee have not been implemented so far.

It is also necessary to have a check on the working of the Film Finance Corporation. Proper utilisation of funds given to the said Corporation should be ensured. It has also been observed that cultural and educative films are not provided with Cinema houses for exhibition. I suggest that Cinema Houses should be nationalised, if necessary by the Government.

It is a long standing demand of the people that Radio should be made an autonomous body. Government has no right to have their monopoly on Radio. During the recent election, held in U.P., entire election campaign of the Congress Party was covered by the Radio while the speeches made by the Opposition parties were totally ignored. In this context, I demand that all the political parties should be given their due share of time to express their views over the Radio and Television.

It has been observed that the speeches of the members of the party in Power are covered by the Radio almost in full , while the speeches of the opposition parties are ignored. This kind of discrimination against the opposition must be stopped. I also demand that the Government must give up their discriminatory attitude toward the small newspapers in regard to distribution of newsprint and Government advertisements. Hindi newspapers are given their quota of newsprint with abnormal delay. If present situation continues, small newspapers would not remain in existence.

I have received a telegram, the contents of which are as follows:

"G. D. Birla at Delhi, contact purchase news agencies. Talks with Labour Minister progressing."

It clearly shows that the talks of diffusion and delinking are baseless. The fact is that the Capitalists and the Government are in hands and glove with each other and they want to take the entire press in their control. I request the hon. Minister to kindly reply to all the points raised by me.

श्री पट्टाभिराम राव (राजामुंद्री) : यह प्रसन्नता की बात है कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय रेडियो और टेलीविज़न के माध्यम से देश में सांस्कृतिक एकता उत्पन्न कर रहा हैं तथा साहित्य और संगीत के क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। विभाजन के समय देश में केवल 6 रेडियो स्टेशन थे किन्तु अब 40 प्रमुख स्टेशन हैं तथा 22 सहायक केन्द्र हैं। ट्रांसमीटरों की संख्या 139 है। इस प्रगति के लिये मैं मंत्रालय को बधाई देता हूं।

टेलीविज़न अत्यन्त प्रभावकारी माध्यम है किन्तु चौथी योजना में इसके केन्द्र केवल दिल्ली, बम्बई, श्रीनगर, अमृतसर और पूना में स्थापित किये गये। मेरा सुझाव है कि हैदराबाद, मद्रास जैसे स्थानों पर दक्षिण भारत में भी टेलीविजन केन्द्र स्थापित किये जाएं।

मेरा यह भी सुझाव है कि पांचवीं योजना में हैदराबाद में टेलीविज़न के बेस प्रोडक्शन सेंटर के साथ-साथ विशाखापत्तनम, विजयवाड़ा आदि स्थानों पर रिले केन्द्र भी स्थापित किये जायें जिससे पूरे आन्ध्र प्रदेश में कार्यक्रमों को देखा जा सके। आंध्र प्रदेश ने संभवतः पांचवीं योजना में ग्रामीण क्षेत्रों के लिये 3,000 टेलीविज़न सैटों की व्यवस्था करने की योजना बनाई है। मेरा सुझाव है कि केन्द्रीय सरकार सभी राज्यों को ग्रामीण क्षेत्रों के लिये पूर्णतः राज सहायता से टेलीविजन सैट उपलब्ध कराये क्योंकि पिछड़े क्षेत्रों की जनता की आर्थिक स्थिति खराब है।

टेलीविज़न कार्यक्रमों को अधिक आकस्मिक तथा शिक्षाप्रद बनाया जाये तथा राष्ट्रीय और सांस्कृतिक एकता लाने के लिये दक्षिण भारत से उत्तर भारत के लिये अधिक कार्यक्रम तैयार किये जाएं। टेलीविजन पर तेलगु की अधिक फिल्में दिखाई जानी चाहियें क्योंकि हिन्दी के बाद सबसे अधिक बोली जाने वाली यही भाषा है।

हैदराबाद, विशाखापत्तनम, विजयवाड़ा और कुडडप्पा स्थित रेडियो स्टेशनों की ट्रांसमिशन क्षमता कम होने के कारण राज्य के कई भागों में वहां से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम सुनाई नहीं देते। अतः मेरा अनुरोध है कि इन स्टेशनों की क्षमता में वृद्धि की जाये।

[श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी पीठासीन हुए।]

[Shri Dinesh Chandra Goswami in the Chair.]

आंध्र प्रदेश में सामुदायिक रेडियो सैट रखने की योजना बहुत सफल रही है। किन्तु ड्राई बैटरियों की कमी के कारण रेडियो सैट बेकार पड़े हैं। अतः यूनियन कार्बाइड इण्डिया लिमिटेड को यह आदेश दिये जायें कि वे राज्य सरकार को प्राथमिकता के आधार पर बैटरियां सप्लाई करें।

मेरा यह भी सुझाव है कि जनता को रेडियो के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं के मूल्य बताये जाएं तथा जमाखोरों और मुनाफाखोरों को दण्डित किये जाने के समाचारों को विशेष रूप से प्रसारित किया जाए।

मंत्रालय का फिल्म डिवीजन महान व्यक्तियों तथा राष्ट्रीय महत्व के मामलों पर वृत्त चित्र तैयार करता है। ऐसी फिल्में विशेषकर युवकों को बहुत प्रेरणा देती हैं। इस संबंध में मेरा अनुरोध है कि आंध्र केसरी स्वर्गीय श्री टी० प्रकाशम जैसे अनेक देशभक्तों और महान व्यक्तियों के बारे में वृत्त चित्र तैयार नहीं किये गये हैं। राज्य सरकार ने मंत्रालय से बार-बार अनुरोध किया है कि श्री टी० प्रकाशम पर वृत्त चित्र बनाया जाये किन्तु उस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। मेरा अनुरोध है कि मंत्री महोदय इस संबंध में अवश्य कार्यवाही करें। "बिल्डर्स आफ माडर्न इण्डिया" क्रम के अन्तर्गत श्री प्रकाशम पर पुस्तक भी शीघ्र प्रकाशित होनी चाहिये।

मेरा यह भी सुझाव है कि राज्य सूचना और प्रचार विभागों के कर्मचारियों को सूचना और प्रसारण मंत्रालय के विभिन्न प्रचार माध्यमों में प्रतिनियुक्ति पर भेजा जाना चाहिये जिससे वे आधुनिक तकनीकों से अवगत हो सकें। उसी प्रकार केन्द्र सरकार के अधिकारियों को राज्यों में भेजा जाये। स्टाफ आर्टिस्टों की समस्याओं पर ध्यानपूर्वक विचार किया जाये तथा उनको उनके रोजगार की सुरक्षा प्रदान की जाए। इन शब्दों के साथ मैं इस मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री बनमाली पटनायक (पुरी) : सूचना और प्रसारण मंत्रालय की मांगों का समर्थन करते मैं कहना चाहता हूं कि इस मंत्रालय ने राष्ट्रीय एकता के लिये सराहनीय कार्य किया है।

देश के बहुत से क्षेत्रों में रेडियो सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं। उड़ीसा में केवल कटक, सम्भलपुर और जयपुर में ही रेडियो स्टेशन हैं। कटक में 1947 में रेडियो स्टेशन बनाया गया था किन्तु अभी तक उसमें कोई सुधार नहीं किया गया। उसके लिये कोई अपना भवन भी नहीं है। इस संबंध में आवश्यक कदम उठाये जाने चाहिये।

जयपुर रेडियो स्टेशन का कार्य भी संतोषजनक नहीं है। मेरा सुझाव है कि वहां से आदिवासी जनता के लिये कोया, गदवा और सौया जैसी स्थानीय भाषाओं में कार्यक्रम प्रसारित किये जायें। इसकी ट्रांसमिशन शक्ति भी बढ़ाई जानी चाहिये।

सम्भलपुर रेडियो स्टेशन के लिये स्थानीय प्रतिभावान कलाकारों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये। बारीपाडा में एक अन्य रेडियो स्टेशन खोले जाने की आवश्यकता है। यह क्षेत्र अपनी सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध है। वहां का छायो नृत्य अत्यन्त रोचक नृत्य है तथा उसका विकास किया जाना चाहिये।

मैं इस कथन से सहमत नहीं हूं कि प्रगति और नाटक विभाग ऐसे नाटक प्रदर्शित करता है जिनका कोई महत्व नहीं है। मेरे विचार में इस विभाग द्वारा प्रदर्शित किये जाने वाले नाटकों का देश के विभिन्न भागों की जनता के साथ सीधा संबंध है। संगीत तथा नाटक प्रभाग अच्छी फिल्में, नाटक आदि का प्रदर्शन कर रहा है। वे स्थानीय कलाकारों को भी प्रोत्साहित करते हैं और एक प्रान्त के कलाकार दूसरे प्रान्त में भेजे जाते हैं जिससे राष्ट्रीय एकता को बल मिलता है।

मैं बड़े समाचार पत्रों की बात नहीं करूंगा। आप छोटे समाचारपत्रों के बारे में क्या कर रहे है? प्रत्येक प्रादेशिक मुख्यालयों को छोटा समाचारपत्र छापना चाहिए। छोटे समाचारपत्रों को प्रोत्साहन दिए बिना आप जनता की बेहतर सेवा किस प्रकार कर सकेगें? जिला मुख्यालयों में तक समाचार एजेंसी नहीं है आकाशवाणी के पास भी सभी जिला मुख्यालयों में संवाददाता नहीं हैं। इसलिए भाषायी समाचारपत्रों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए अंग्रेजी भाषा जानने वाले बहुत कम संख्या में हैं इसलिए भाषायी समाचारपत्रों से अंग्रेजी समाचारपत्रों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

पिछला प्रेस आयोग 20 वर्ष पूर्व स्थापित किया गया था इसलिए अब उसकी सिफारिशें भी पुरानी पड़ चुकी हैं। अब समय आ गया है कि दूसरा प्रेस आयोग बिठाया जाये जो अपनी सिफारिशें नए परिप्रेक्ष में प्रस्तुत करे।

कुछ समय पूर्व मैंने राट्रीय पुस्तक न्यास के लिए एक पुस्तक लिखने हेतु एक व्यक्ति की सिफारिश की थी। सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय ने इसी व्यक्ति को वही पुस्तक लिखने को कहा है। उसने इस कार्य में छः वर्ष लिए हैं परन्तु अभी तक यह पुस्तक तैयार नहीं हुई है। क्या यह काम किसी अन्य व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता था? न राष्ट्रीय पुस्तक न्यास और न सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय उस पुस्तक को प्रकाशित कर सका है। इन दो विभागों में समन्वयता होनी चाहिए। पुस्तकों के प्रकाशन का काम दोनों में से एक विभाग के पास होना चाहिए।

शरत चटर्जी की दो पुस्तकें "पथेर दाबी" और "शेष प्रश्न" बहुत प्रसिद्ध हैं, इन दो पुस्तकों का सभी प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद किया जाना चाहिए। शरत चटर्जी राष्ट्रीय लेखक रहे हैं और उन्होंने अपने राष्ट्रवादी तथा क्रांतिकारी लेखों से विभिन्न प्रदेशों के लोगों को प्रभावित किया है।

यह मंत्रालय अखबारी कागज की कमी को दूर करने के लिए क्या कर रहा है? उड़ीसा, मध्य प्रदेश तथा अनेक अन्य राज्यों में वन संपदा है तो क्यों नहीं वहां सरकारी क्षेत्र में कागज उद्योग स्थापित किया जा रहा है? हमें आयात पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। अधिक संख्या में समाचारपत्रों के प्रकाशन तथा अधिक मात्रा में अखबारी कागज के उत्पादन को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

श्री सुरेन्द्र महन्ती (केन्द्रपाड़ा): मेरे विचार में अब समय आ गया है कि इस मंत्रालय का नाम बदलकर प्रचार तथा शोर-शराबा मंत्रालय रख दिया जाये। जनता के विचारों का परिष्कार करने के बजाए वह विज्ञापन कार्यक्रमों तथा अन्य कार्यक्रमों द्वारा बेहूदगीपन का प्रचार कर रहा है। निष्पक्ष

समाचार देने के बजाए वह मंत्रियों के नीरस वक्तव्य तथा ऐसे समाचारों का प्रसारण करता है जिनका कोई महत्व नहीं है। आकाशवाणी हमारे लोकतंत्र के लिए परेशानी का कारण बन गया है। अतः आकाशवाणी पर सत्तारूढ़ दल का एकाधिकार है। 15 मार्च, 1974 के "हिन्दुस्तान स्टैंडर्ड" में यह समाचार छपा है कि किस प्रकार आकाशवाणी ने उड़ीसा में गत मध्यावधि चुनावों के दौरान राज्य सरकार तथा केन्द्रीय सरकार का पक्ष लेकर प्रचार किया था। मैं आकाशवाणी का उपयोग निहित स्वार्थ वाले दलों के लिए करने का विरोध करता हूं।

समाचारपत्रों के रजिस्ट्रार द्वारा दिए गए प्रतिवेदन में कहा गया है कि एकाधिकारी प्रेस का 23.3 प्रतिशत से 26.6 प्रतिशत तक समाचार पत्रों पर एकाधिकार है। क्या आप इसको एकाधिकार पर नियंत्रण की संज्ञा देंगे? यदि आप जनमत पर से एकाधिकारी नियंत्रण हटाने को उत्सुक हैं तो क्यों नहीं सबसे पहले आकाशवाणी पर से सरकार का नियंत्रण हटाया जाता है।

मैंने आकाशवाणी को निगम में बदलने के बारे में अनेक बार प्रश्न उठाया था। 24 अप्रैल, 1972 को इस विषय पर वाद-विवाद के दौरान तत्कालीन सूचना तथा प्रसारण मंत्री ने इसको अस्वीकार कर दिया था। मैं जानना चाहता हूं कि सदन में जो आश्वासन दिये गये कि विभिन्न कार्यों में व्यावसायिकता को प्रोत्साहन दिया जायेगा तथा विकेन्द्रीकरण किया जायेगा, इस बारे में क्या कदम उठायें जा रहें हैं।

कटक में एक आकाशवाणी केन्द्र स्थापित किया जाना चाहिए। उड़ीसा के लोग बहुत समय कटक में एक स्टूडियो स्थापित करने की मांग कर रहे हैं। राज्य सरकार ने भूमि उपलब्ध करा दी है परन्तु सूचना और प्रसारण मंत्रालय कोई न कोई कारण बता कर उस पर कब्जा नहीं ले रही है।

आकाशवाणी के कटक केन्द्र के नये भवन की भूमि सौदे के मामले में 4 लाख की राशि का गोल-माल किया गया है। भूतपूर्व सूचना और प्रसारण मंत्री तथा उड़ीसा की वर्तमान मुख्य मंत्री की इसमें कुछ 'रोल' है। इस मामले में केन्द्रीय जांच ब्यूरो के प्रतिवेदन को सदन के पटल पर रखा जाना चाहिये ताकि वास्तविक तथ्यों का पता चल सके।

सरकार विशेष ढंग से समाचारपत्रों पर अपना प्रभाव बना रही है। सरकार तथ्यों का पता लगाने वाली समिति की गतिविधियों के प्रतिकूल समाचारपत्रों का बड़े एकाधिकारवादी गृहों से संबंध विच्छेद करना चाहती है। अतः मैं यह बात जानना चाहता हूं कि समिति नियुक्त करने की क्या आवश्यकता थी। पश्चिम बंगाल के कम्पनी रजिस्ट्रार ने 'स्टेट्समैन' के महाप्रबन्धक को वर्ष 1970 में एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने पूछा कि क्या उनकी कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक दिसम्बर, 1969 में दिल्ली गये थे और यदि गये थे तो किस तारीख को तथा किस उद्देश्य से और वहां कितना व्यय किया। इसका विवरण पत्र प्राप्ति के 7 दिन के अन्दर मांगा गया। मैं यह बात जानना चाहता हूं कि कम्पनियों के रजिस्ट्रार किस कानून के अन्तर्गत ऐसा पत्र लिख सकते हैं। अतः तथ्यों का पता लगाने वाली समिति कुछ नहीं है केवल ऐसा यंत्र है जिसे सरकार ने समाचारपत्रों को एक विशेष ढंग से प्रभावित करने के लिये प्रयोग किया है।

एक ओर तो यह कहा जाता है कि छोटे समाचारपत्र ही लोगों की आवश्यकता को पूरा करते हैं परन्तु दूसरी ओर सरकार कहती है कि बड़े समाचारपत्रों का एकाधिकार है। यदि सरकार

वास्तव में ऐसा करना चाहती है तो उसे अपने नीति निर्माताओं को एकाधिकारवादियों के चंगुल से निकालना होगा ।

इन शब्दों के साथ ही मैं सूचना और प्रसारण मंत्रालय की मांगों का विरोध करता हूं।

Shri Paripoornanand Painuli: It is not correct to say that the AIR is a instrument of Propaganda of the ruling party. It is also not true that the opposition get less coverage in news bulletins of All India Radio as compared to ruling party. In fact, the opposition in this Country get the highest coverage in the news bulletins as compared to opposition in other democratic Countries.

In our Country there is no qualification prescribed for a journalist and for a politician. Even the persons who do not know reading and writing become journalists. I know two of such Journalists in Dehra Dun.

Opposition demands that AIR should be converted into a Corporation. But will it solve the difficulties ? AIR broadcasts create impression out side the country also. It is, therefore, necessary for the Government to have proper control over it.

The decision to separate Television from AIR is welcome. But care should be taken that these two media do not drift in opposite directions. These should be supplementary to each other. I would request that such programmes should be shown on Television which further expand the interest of better mass education.

The standard of news broadcasts by AIR is not such as is expected of it. It should be improved. Our reason for this deficiency is that AIR has to depend more or less on News Agencies. AIR should instead recruit more correspondents to collect news.

There is no doubt that present shortage of Newsprint has adversly affected Newspapers of the Country. News coverage had, therefore, been drastically curtailed in the newspaper. AIR should meet this challenge and increase the number of news bulletins.

It is good that Ministry of Information and Broadcasting is giving encouragement to the propagation of Hindi as per its limitations. But the condition of Hindi journalists of AIR is not satisfactory. Their pay-scales should be revised. I request that a post of Deputy Director (Hindi) should be created to exclusively look after Hindi work.

Hindi Correspondents should also be sent to foreign countries to accompany the Prime Minister and the President on Foreign visits.

There is a need to open a Relay Station near Marendra Nagar, Dehra dun or Mussorrie. A number of Relay Stations have been opened at Rampur, Kanpur, Allahabad, Varanasi, etc. Therefore a Relay Station should also be opened for hilly areas.

The lot of small newspapers is very bad. The Government should try to improve the lot of Journalists, Editors etc. of these Newspapers.

Shri Nageshwar Dwivedi (Machlisahar): AIR has played a very important role in disseminating news in the Country, particularly in rural areas, where people do not get Newspapers and they depend on Radio broadcasts for getting information in regard to internal as well as external happenings. It has also encouraged cultural and regional unity.

So far as films Division is concerned it has also contributed promoting cultural upliftment and unity in the Country. No doubt a number of such films were also produced which adverse affects on the minds of people. Such films were made with the main objective of earning money. Such films are responsible for spread of violence and immorality in the society. The Government should keep a check on people who produced such films. Films should aim at social and moral uplift of the people.

Programmes of the Song and Drama Division are very useful. Such programmes should be shown in every nook and corner of the Country. Programmes for the youth are relayed in AIR and Television. But generally students of Public Schools and Colleges are selected for these programmes. Students who were influenced by our own culture and civilization should be selected for these programmes so that our culture is propagated.

Prices of foodgrains are announced in Vividh Bharti Programme and name of the programmes. Such announcements hinder procurement operations and hence should not be made.

At present serious shortage of newsprint is being felt. In fact it has been felt that there are newspapers which devoted more space to advertisements than to news. The Government should pay attention towards this. The Government should allocate more newsprint to those newspapers which denoted to more space to news than to advertisements.

Films depicting lives of great men should be produced. They should also encourage morality and communal harmony. They should be realistic instead of being imaginative only.

श्री एच० एन० मुखर्जी (कलकत्ता–उत्तर-पूर्व) : दो वर्ष से इस सदन में आश्वासन दिया जा रहा है कि फिल्म उद्योग के श्रमिकों के कार्य की शर्तों के बारे में बताया जायेगा। दो वर्ष पूर्व इस सदन में एक विधेयक पेश भी किया गया था परन्तु बाद में उसे यह कह कर वापस लिया गया था कि उसमें संशोधन अपेक्षित हैं। इस प्रकार का विधेयक प्रस्तुत करने में शीघ्रता की जाये।

मेटरो सिनेमा के विदेशी स्वामियों ने गलत ढंग से उसे एक अन्य विदेशी कम्पनी के नाम अन्तरित कर दिया और उक्त कम्पनी ने एक भारतीय को कार्य की देखरेख के लिये अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया। यह मामला अनेक बार उठाया गया और वित्त मंत्री ने भी कहा कि उक्त भारतीय सन्देहास्पद चरित्र का व्यक्ति है। कर्मचारियों को नए प्रबन्धकों के व्यवहार के कारण अनेक कठिनाइयां हो रही हैं। इस सब स्थिति को देखते हुए आश्वासन दिया गया था कि सरकार इस के सरकारीकरण के प्रश्न पर विचार करेगी। मैं जानना चाहता हूं कि इस प्रश्न पर विचार क पश्चात सरकार ने सरकारीकरण के बारे में क्या निर्णय किया है।

Smt. Sahodrabai Rai (Sagar): This Ministry has helped in the spread of education and taking the country to the path of development. It has also contributed to the propagation of the concept of Socialism.

But the Films being produced in the Country are spoiling our young boys and girls. These films are spoiling the atmosphere of the Society. I would urge that production of such films should be banned which created an adverse affect on the minds of our young people. Films which propagated high ideals of religion should be produced.

There are many jungles of bamboo in Madhya Pradesh. New Paper Mills should be set up there and capacity of the existing Mills should be expanded.

Small newspapers should be encouraged. Hindi newspapers should be given encouragement so that the people in small towns and villages could read these papers.

A Radio Station should be set up at Sagar. Damoh and it should be linked to Bhopal Station of AIR.

श्री बी० बी० नायक (कनारा): समाचारपत्रों की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1) (क) पर आधारित जो वाक् तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में है, हमें इस स्वतंत्रता की रक्षा करनी चाहिए जिसको हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान में प्रतिष्ठापित किया है, समाचारपत्रों की स्वतंत्रता पर आघात का तात्पर्य वाक् तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अतिक्रमण है, यदि हम इस स्वतंत्रता की तुलना शेष मामलों में दी गई स्वतंत्रताओं से करें तो हमारे दावों के खोखलेपन का पता चल जाता है, अनुच्छेद 19(1) (3) "संस्था या संघ बनाने" के बारे में है परन्तु अन्तर्संघ झगड़े होते रहते हैं, अनुच्छेद 19 (1) 4 "भारत राज्य-क्षेत्र में व सर्वत्र अबाध संचरण" के बारे में है। क्या संसदीय विभाग में उप-मंत्री श्री शंकरानन्द निडर होकर मीराज और कोलहापुर होते हुए बम्बई जा सकते हैं? अनुच्छेद 19(1) (5) "भारत राज्य-क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने के" बारे में हैं पर, श्री शमीम यदि माफ करें, हमें उनके राज्य में ठहरने की अनुमति नहीं मिल सकती है।

हम समाचारपत्रों के विकेन्द्रीकरण करने की बात काफी समय से करते आ रहे हैं परन्तु अब विधेयक का प्रारूप बनाकर उसे लागू करने के मार्ग में क्या कठिनाइयां हैं। इस देश में सुव्यवस्थित तथा बड़ी संख्या में प्रकाशित होने वाले समाचारपत्रों का समाचार जगत में एकाधिकार तथा नियंत्रण है और अनुसंगिक तथा स्थानीय समाचारपत्र एकाधिकारी प्रेस पर अपने विचारों को आधारित रखते हैं, यह प्रश्न केवल वित्तीय एकाधिकार का नहीं है। इस संबंध में मैं 'पेट्रिअट' समाचारपत्र की प्रशंसा करूंगा जिसने इन सबसे तथा सरकारी नियंत्रण से अपने आपको मुक्त रखा है।

समाचारपत्रों का विकेन्द्रीकरण करने का कार्य कोई कठिन नहीं है, सरकार सबसे पहले बड़े समाचारपत्रों के नियंत्रण से अपने आपको मुक्त करे तब हमें विकेन्द्रीकरण करने में कोई कठिनाई नहीं होगी, इस कार्य में शीघ्रता की जानी चाहिए।

हम किस प्रकार का समाज चाहते हैं? हम एक स्वतंत्र समाज चाहते हैं जिसकी स्वतंत्रता के मूल्यों के प्रति आस्था हो। खजुराहो और अन्य स्थानों पर बहुत सुन्दर प्रतिभाएं हैं फिर हम अपने ही मन में नग्न चित्रों के प्रतिबिम्ब मात्र से क्यों डरते हैं, बड़ी आयु वालों को इस सत्यता को आत्मसात करना चाहिए। आज देश में जो पाखंड फैला हुआ है उसके लिए प्रौढ़ व वृद्ध जिम्मेदार हैं, अपने को स्वतंत्र कराने के लिए यह आवश्यक है कि हम संचार के माध्यमों को भी स्वतंत्र करें।

समाचारपत्रों का विकेन्द्रीकरण करने से पूर्व सरकारी क्षेत्र में एक ग्रादर्श समाचारपत्र ग्रारम्भ किया जाना चाहिए। हमारे देश में प्रतिभावान युवकों की कमी नहीं है। ग्रब समय ग्रा गया है कि सरकारी क्षेत्र में निगम स्थापित करके समाचारपत्र चलाया जाये।

सूचना ग्रौर प्रसारण मंत्री (श्री ग्राई० के० गुजराल) : श्री सुरेन्द्र महन्ती ने श्रीमती नन्दिनी सत्पथी पर कटक में भूमि खरीद के बारे में बड़े ही ग्रौर जिम्मेदाराना ढ़ंग से ग्रारोप लगाया है। मैं इस ग्रारोप का खंडन करता हूं। श्रीमती नन्दिनी सत्पथी का कटक में भूमि खरीद से प्रत्यक्ष या परोक्ष कोई सम्बन्ध नहीं है। तथ्य यह है कि सूचना ग्रौर प्रसारण मंत्रालय ने उड़ीसा सरकार से भूमि खरीदी थी ग्रौर वह सरकारी ग्रधिकारी द्वारा बेची गई थी। उड़ीसा सरकार के श्री संवाल ग्रौर ग्रन्य कर्मचारियों के विरुद्ध केन्द्रीय जांच व्यूरो द्वारा जांच की जा रही है।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : क्या वे कर्मचारी निलम्बित कर दिये गय हैं जिनके विरुद्ध जांच जारी है ?

श्री एस० ए० शमीम (श्रीनगर) : यदि जांच जारी है तो माननीय मंत्री कैसे कह सकते हैं कि श्रीमती नन्दिनी सत्पथी का इससे सम्बन्ध नहीं है।

श्री सुरेन्द्र महन्ती : जबकि केन्द्रीय जांच व्यूरो द्वारा जांच की जा रही है तो क्या मंत्री महोदय द्वारा इस समय हस्तक्षेप किया जाना उचित है। ग्रभी वह यह कैसे कह सकते हैं कि श्रीमती नन्दिनी सत्पथी का इस सौदे से कोई सम्बन्ध नहीं है। क्या वह केन्द्रीय जांच व्यूरों की रिपोर्ट सभा-पटल पर रखेंगे।

श्री ग्राई० के० गुजराल : उड़ीसा सरकार के संवाल ग्रादि कर्मचारियों के विरुद्ध केन्द्रीय जांच व्यूरो द्वारा जांच जारी है। यह मुझे मालूम नहीं है कि वे कर्मचारी ग्रब किस स्थिति में हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : श्री राम निवास मिर्धा यह बतायें कि श्री संवाल ग्रादि कर्मचारी निलम्बित किये गये हैं ग्रथवा नहीं, क्योंकि वह केन्द्रीय जांच ब्यूरो के इंचार्ज हैं।

सभापति महोदय : ग्रब ग्राप ग्रपनी बात कह चुके हैं।

पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा को भंग किये जाने के बारे में वक्तव्य

STATEMENT *Re* DISSOLUTION OF LEGISLATIVE ASSEMBLY OF UNION TERRITORY OF PONDICHERRY

सभापति महोदय : ग्रब श्री राम निवास मिर्धा एक महत्वपूर्ण वक्तव्य देंगे।

गृह मंत्रालय ग्रौर कार्मिक विभाग में राज्य-मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : पांडिचेरी विधान सभा के लिए हुए गत सामान्य निर्वाचनों में किसी भी दल को बहुमत प्राप्त नहीं हुग्रा था ग्रौर ग्रन्ना द्रविड़ मुनेत्र कणगम दल ने भारतीय साम्यवादी दल के सदस्यों के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। पांडिचेरी विधान सभा में वर्ष 1974-75 के लेखानुदानों पर मतदान के समय सरकारी प्रस्ताव के पक्ष

में 14 मत आये और विपक्ष में 15 आये और वह अस्वीकृत हो गया। मुख्य मंत्री ने अपने मंत्रि परिषद् का त्यागपत्र उपराज्यपाल को दे दिया। त्यागपत्र स्वीकार करते हुए उपराज्यपाल ने विधान सभा और मंत्रिपरिषद् से संबंधित उपबन्धों को निलम्बित करने और विधान सभा को विघटित करने का सुझाव दिया। साथ ही राज्यपाल ने संघ राज्य क्षेत्र सरकार अधिनियम 1963 की धारा 61 के अन्तर्गत एक आदेश जारी किया है जिसके अनुसार उस अधिनियम के कुछ उपबन्ध 6 महीने के लिए निलम्बित कर दिये गये हैं और कुछ अनुषंगी उपबन्ध बनाये गये हैं। इस संबंध में जारी की गई अधिसूचना की प्रति मैं सभा-पटल पर रखता हूं।

सभापति महोदय : मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि आज शाम को 6 बजे खाद्य मंत्री गेहूं की वसूली और मूल्य नीति के बारे में वक्तव्य देंगे।

अनुदानों की मांगें 1974-75

Demands for Grants, 1974-75 (Contd.)

सूचना और प्रसारण मंत्रालय (जारी)

Shri Madhu Limaye (Banka): There is some interesting information about the Film Censor Board. It says that twelve appeals were received by the Government against the decision of the Board. In nine cases the Government found justification for revising the decision of the Board. It further says that the Government had asked the Board to be more strict in censorship in view of growing tendency to depict sex, violence and vulgarity in films. This appears to be very fantastic. The Ministry seems to have no policy in regard to Censorship. It appears that the Ministry is out to ban all kinds of fun, humour and enjoyment ?

The Finance Minister had announced that radio sets upto the price of Rs. 225 or less would be exempt from excise duty. It is being done to benefit the common people in our Country. If the Government is really serious in this regard it should abolish the licence fee on Radios. It is also necessary to bring certain basic changes in the music programmes of the AIR. If in the early morning one wants to listen good music he does not get it. He, instead, gets bhajans and bhajans, whether he likes them or not. I would suggest that such programmes be broadcast on one channel and good music such as Hindustani and Karnatak be given on the other channels.

Press Information Bureau should be wound up. The Report of the Ministry says that PIB is the agency through which the Government maintains a continuous dialogue with the Press. But in fact it only sought to brain wash journalists and the press and indirectly the people. Press Information Bureau has been working to supress the Freedom of the Press.

The policy of allocating Newsprint is very discriminative. Such small newspapers which are crities of the Government policies are not given any newsprint. On the other hand there are some such small newspapers which sell their newsprint in black market.

Naubharat group of papers have not implemented the recommendations of the wage board. The journalists are crying but the State Governments are not taking action against the management. Employees of 'Samachar Bharati' have not been given Dearness Allowance for the last 18 months. I would like to know the steps being taken to help these journalists ?

The burning of 'Search light' has rendered 300 families jobless. All the machinery and newsprint has been burnt but the Government failed to come to their help. I would like to know the steps being taken to help the 'Search light' workers ?

Foreign companies give big advertisements to Newspapers with the objective of influencing their policy. The Government is not giving any attention to this matter. The Government has fixed Wage-Price schedule but it should instead bring forward a bill for fixing a ratio between reading material and advertisements.

The critics of the Government should also be given an opportunity to appear on T.V. and the radio, so that they could place their view points on important matters of interest.

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिन्हा) : मैं माननीय सदस्यों के प्रति आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने वाद-विवाद में भाग लेते समय विभिन्न संचार समस्याओं और मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले विभिन्न साधनों का उल्लेख किया है। किन्तु गत कुछ महीनों में जैसी घटनाएं हुई हैं, उन पर मुझे भारी दुख है। 'सर्चलाइट' के भवन में आग लगाई गई, पटना के 'इंडियन नेशन' पर हमला किया गया और इलाहाबाद में एक सम्पादक के घर पर हमला किया गया। इससे जन सम्पत्ति तो नष्ट होती ही है, साथ ही लोकतंत्र की परम्पराओं का भी हनन होता है। यह तोड़-फोड़ की प्रवृत्ति निन्दीय है, चाहे इसके समर्थक कोई भी हों। पटना में मैं 'सर्चलाइट' समाचारपत्र के भवन में गया और वहां के कर्मचारियों, पत्रकारों और प्रबन्धकों से मिला। मैंने उन्हें सभी अपेक्षित सहायता देने का आश्वासन दिया है। 'इंडियन नेशन' भी उसके साथ सहयोग कर रहा है।

आकाशवाणी के बारे में यह कहा गया है कि आकाशवाणी से प्रसारित समाचारों में शासक दल का पक्षपात किया जाता है। 1 जनवरी से 15 जनवरी 1974 तक की अवधि में शाम के बजे प्रसारित किये गये समाचारों का हाल ही में सांख्यिकीय सर्वेक्षण किया गया और उससे पता चलता है कि कुल समाचारों में 5.4 प्रतिशत सरकारी गतिविधियों से सम्बन्धित समाचार थे और इसमें से स्वयं मंत्रियों को 3.7 प्रतिशत समय मिला। राज्यों से प्रसारित समाचारों में सरकार को 8 प्रतिशत स्थान मिला, सामाजिक-आर्थिक विकास सम्बन्धी समाचारों को 17 प्रतिशत और हड़ताल, बंद और आन्दोलनों सम्बन्धी समाचरों को 22.4 प्रतिशत स्थान मिला। 'टू डे इन पार्लियामेंट' (आज संसद में) शीर्षक के अंतर्गत 15 से 18 मार्च और 22 से 25 मार्च 1974 तक जो 7 समाचार-लिपियां तैयार की गईं उनमें विपक्ष के 72 सदस्यों का सनाम उल्लेख किया गया जबकि कांग्रेस दल के केवल 39 सदस्यों का उल्लेख किया गया। इस स्थिति पर तो हमारे दल के सदस्यों को शिकायत होनी चाहिए।

श्री ज्योतिर्मय बसु : प्रातःकालीन, सायंकालीन, रात्रिकालीन और दोपहर के समाचारों में प्रधान मंत्री के नाम का उल्लेख कितने बार किया गया। यह 'आल इंदिरा रेडियो' है। क्या आप में इस बारे में कुछ भी कहने की हिम्मत है ?

श्री धर्मवीर सिन्हा : माननीय सदस्य ने जो आरोप लगाया है, वह गलत है। श्री पीलू मोदी, श्री महन्ती और श्री कृष्णन ने यह कहा है कि आकाशवाणी को एक सरकारी निगम के रूप में बदला जाये या उसे गैर सरकारी संस्था बना दी जाये। मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे जानकारी और प्रमारण के इस माध्यम पर विचार करें कि वह किस प्रकार का है। वे ब्रिटिश ब्रोडकास्टिग एक्ट का अध्ययन करें।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या आपको पता है कि इसी देश में रेडियो स्टेशन चलाने के लाइसेंस गैर सरकारी कम्पनियों को दिये जाते थे ?

श्री धर्मवीर सिन्हा : आज का समय उस समय से एक दम भिन्न है ?

श्री ज्योतिर्मय बसु : अन्तर सिर्फ यह है कि उस समय विदेशी सरकार थी और आज हम स्वतंत्र हैं। उस समय ऐसा किया जा सकता था, आज नहीं।

श्री धर्मवीर सिन्हा : आकाशवाणी पर प्रतिवर्ष और चुनावों में यह आरोप लगाये जाते हैं कि वह राजनीतिक पक्षपात करती है। किन्तु वस्तुतः ऐसा नहीं होता। आकाशवाणी के कुछ मापदंड हैं, जैसे समाचारों की सामान्य महत्ता, विश्वसनीयता, संतुलन और उनकी प्रसारण-गति इनके आधार पर समाचारों का चयन किया जाता है और संतुलित समाचार दिये जाते हैं। इसमें किसी भी राजनीतिक दल का पक्षपात नहीं किया जाता। साथ ही, मैं इस बात का उल्लेख करना चाहूंगा कि प्रत्येक गैर-सरकारी समाचार पत्र या सरकारी रेडियो निगम समाचारों की महत्ता और उन्हे पेश करने का तरीका स्वयं निर्धारित करता है। रेडियो के समाचार प्रसारण के बारे में मुझे इतना ही कहना है। यदि प्रसारण द्वारा राष्ट्रीय हितों की रक्षा करनी है तो राष्ट्रीय महत्व के केवल कुछ मामलों को ही इसके लिए चुनना होगा और उन्हें उपस्थित समाज के लिए उपयुक्त ढंग से पेश करना होगा। साथ उसे सामाजिक नीति के लिए सद्भावना भी पैदा करनी है। आकाशवाणी ने यही राष्ट्रीय प्रसारण नीति अपनाई है।

जहां तक प्रसारण कार्य के लिए विशिष्टिता प्राप्त कर्मचारियों की आवश्यकता है, हम इस ओर ध्यान दे रहे हैं। लगभग 200 कार्यक्रम कर्मचारी भर्ती करने का निर्णय कर लिया गया है। प्रशिक्षण सुविधाओं के लिए बड़े पैमाने पर क्षेत्रीय केन्द्र खोले जा रहे हैं। सुनियोजित कार्यक्रम के विकास के लिए एक निदेशालय खोला जा रहा है। इसमें प्रसारण करने वालों को ऐसा प्रशिक्षण दिया जायेगा जिमसे वे आगामी दस वर्षों तक अपने आप को समयानुसार ढाल सकेंगे। 'युव वाणी' कार्यक्रम को व्यापक बनाया जा रहा है। इस समय 30 यूनिट हैं और इस वर्ष आठ यूनिट और जोड़ी जा रही हैं। अगली योजना में 22 यूनिटें और जोड़ दी जाएंगी। एक विज्ञान विभाग खोला जा रहा है। सुगम संगीत और समूह गान के कार्यक्रम तैयार करने के लिए चार बड़े केन्द्र खोले जा रहे हैं। आकाशवाणी ने एक ऐसा प्रयास भी आरम्भ किया है कि कार्यक्रमों के विषयों और उन्हें प्रस्तुत किये जाने का मूल्यांकन किया जाये। मैं यह मानता हूं कि आकाशवाणी के कुछ केन्द्रों से प्रसारित किए जाने वाले कुछ कार्यक्रमों पर पुर्नविचार की आवश्यकता है। आकाशवाणी के सामने प्रसारण-समय के उचित विभाजन की भी एक समस्या है जिसे हल करना होगा।

जहां तक अखबारी कागज के उत्पादन और कागज मिलों की उत्पादन-क्षमता का सम्बन्ध है, अगली योजना में नेपा मिल की क्षमता दुगनी करने का प्रस्ताव है। केरल और आसाम में सरकारी क्षेत्र में अखबारी कागज के कारखाने लगाये जा रहे हैं। एक कारखाना गैर सरकारी क्षेत्र में भी स्थापित किया जा रहा है। अखबारी कागज वित्त निगम के बारे में ब्योरा तैयार किया जा रहा है और इस विषय पर संसद में शीघ्र ही विधेयक लाया जायेगा। साथ ही मैं पत्रकारों से अनुरोध करूंगा कि वे अखबारी कागज के मामले में मितव्ययिता बरतें।

आकाशवाणी द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली भाषा का भी उल्लेख किया गया है। हमारा प्रयास इसे जन भाषा बनाने का है। निस्संदेह भाषा की समस्या है और इस पर हम ध्यान दे रहे हैं। रेडियो की भाषा को सामान्य व्यक्ति की भाषा के स्तर पर लाने के लिए सतत प्रयास करना होगा और इसमें कुछ समय भी लगेगा। वैसे यह पहले भी स्पष्ट किया चुका है कि आकाशवाणी की अपनी कोई भाषा नीति नहीं है, उसकी अपनी संचार नीति है, प्रासारण नीति है।

जहां तक आकाशवाणी की विदेश सेवा का सम्बन्ध है, ट्रांसमीटरों की शक्ति बढ़ाई जा रही है। आकाशवाणी की विदेश सेवा न केवल विदेशों में रह रहे भारतीयों के लिए होती है, बल्कि उसके माध्यम से भारत की विचारधारा को भी विदेशों में पेश किया जाता है। आज समाचार पत्र लोगों के सामने देश की एक धुंधली तस्वीर पेश कर रहे हैं। समाचार पत्रों का स्वामित्व तथा नियंत्रण निहित स्वार्थों के हाथ में है।

स्टेट्समैन की भी चर्चा हुई है। इस समाचार पत्र की नीति निर्धारण कार्य सम्पादक के पास नहीं बल्कि प्रबन्धकों के पास है। आज प्रेस की स्वतंत्रता लगभग समाप्त हो चुकी है।

यह बात ठीक ही है कि फिल्मों में अश्लीलता बढ़ती जा रही है। जिसे रोकने के लिए सैंसर की नीति को सक्रिय बनाया जाना चाहिए।

श्री सांघी ने फिल्मों को राष्ट्रीय पुरस्कार दिये जाने की चर्चा की है। मुझे खुशी है कि इन्होंने राष्ट्रीय पुरस्कार की नई योजना का स्वागत किया है। इनके अन्य सुझावों पर भी हम विचार करेंगे। फिल्मों के आयात के बारे में भेदभाव वाली कोई बात नहीं है।

आल इंडिया रेडियो आगामी वर्ष से संवाददाताओं की संख्या में वृद्धि करने जा रहा है। कटक में स्टूडियो लगाने का काम शुरू कर दिया गया है। मेरे विचार में ट्रांसमीटर बहुत शीघ्र चालू कर दिया जायेगा।

सरकार ने मैट्रो सिनेमा को खरीदने के लिये एक वार्ता समिति गठित करने का निर्णय लेना जरूरी समझा है। हमारा विचार है कि फिल्म कर्मचारी विधेयक हम आगामी सत्र तक इस सदन में लायेंगे।

गेहूं की वसूली और मूल्य निर्धारण संबंधी नीति के बारे में वक्तव्य

STATEMENT *RE.* PROCUREMENT AND PRICING POLICY OF WHEAT

कृषि मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : मौजूदा खाद्य स्थिति के संदर्भ में गेहूं की अधिप्राप्ति और मूल्य निर्धारण के सम्बन्ध में जो नीति अपनाई जानी चाहिए उसका काफी अधिक महत्व हो गया है। खरीफ की अच्छी फसल होने के बावजूद, दुर्भाग्यवश देश में चल रही कमी की मनोभावना ने सभी स्तरों पर जमाखोरी को बढ़ावा दिया है। 1974 की नीति के सभी पहलुओं पर राष्ट्रीय खाद्य सलाहकार परिषद्, संसद की सलाहकार समिति और मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में विचार किया गया था।

2. बारीकी से विचार करने के बाद, यह निर्णय किया गया है कि सभी राज्यों में गेहूं की अधिप्राप्ति सरकारी एजेन्सियों द्वारा की जाती रहेगी और इसके अलावा, लाइसैंसिंग तथा नियंत्रण प्रणाली के अधीन थोक व्यापारियों, निजी तथा सहकारी समितियों दोनों को गेहूं की अधिप्राप्ति करने की इज़ाज़त होगी। मौजूदा एकल राज्य जोन बने रहेंगे। व्यापारिक खाते में राज्य के अन्दर गेहूं के लाने-ले-जाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा।

3. पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के अधिशेष राज्यों के खाद्यान्न व्यापारी जिन में ऐसी सहकारी समितियां भी शामिल हैं, मंडियों/क्रम केन्द्रों पर प्रतिदिन जितनी खरीददारी करेंगे, उस पर 50 प्रतिशत लेवी लागू की जाएगी। यह मात्रा उन्हें सरकार को 105 रुपये प्रति क्विंटल के निर्धारित मूल्य पर देनी होगी। लेवी की मात्रा देने के बाद, व्यापारियों को जिनमें ऐसी सहकारी समितियां शामिल हैं, परमिट पर राज्य के अन्दर अथवा राज्य के बाहर लेवी मुक्त गेहूं को बेचने की इज़ाज़त होगी। अन्य गेहूं उत्पादक राज्यों में राज्य सरकार उत्पादकों पर क्रमिक लेवी लगाकर अधिप्राप्ति कर सकती है।

4. गेहूं की मंडियों में आमद बढ़ाने और अधिक से अधिक अधिप्राप्ति करने और उत्पादकों को पर्याप्त लाभकारी मूल्य प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन देने जिससे उन्हें न केवल अपना उत्पादन बढ़ाने में प्रेरणा मिलेगी बल्कि वे अपना स्टाक भी बाहर लाएंगे, की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए यह निश्चय किया गया है कि 1974-75 के विपणन मौसम के लिए गेहूं की सभी किस्मों का सरकारी खरीद मूल्य 105 रु० प्रति क्विंटल निर्धारित किया जाए। खरीद मूल्य में वृद्धि करने के परिणामस्वरूप, गेहूं का केन्द्रीय निर्गम मूल्य बढ़ाकर सभी किस्मों की गेहूं के लिए 125 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया जाएगा।

5. इस नीति का उद्देश्य उत्पादकों को अच्छा बाजार मूल्य देना, विशेषतया कमी वाले राज्यों में गेहूं की उपलब्धता बढ़ाना, इसके साथ-साथ सभी स्तरों पर जमाखोरी को हतोत्साहित करना, और देश के विभिन्न भागों में खाद्यान्नों के मूल्यों में भारी उतार-चढ़ाव में कमी लानी है यह भी आशा की जाती है कि इससे देश में उत्पादित खाद्यान्नों के सामान वितरण के लिए अनुकूल परिस्थितियां पैदा होंगी और सरकारीकरण वितरण प्रणाली की उपयुक्त आवश्यकताएं पूरी की जा सकेंगी ।

6. व्यापारियों पर सख्त नियंत्रण और विनियम लागू होंगे जिनमें मूल्य **सीमा** और उल्लंघन करने पर उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही करना भी शामिल है। इस नीति के सफल कार्यन्वयन के लिए, यद्यपि सहकारी समितियों को अवसर दिया गया है, फिर भी विभिन्न स्तरों पर गैर सरकारी समितियां भी स्थापित की जाएंगी।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। प्रत्येक व्यापारी 150 रुपये प्रति क्विंटल प्रति मांगते हैं। मंत्री महोदय ने कहा है कि दर 105 रुपये प्रति क्विंटल है। इन्होंने यह भी कहा है कि केन्द्रीय स्तर पर जारी मूल्य 125 रुपये प्रति क्विंटल होगा। राशन की दुकानों पर क्या दाम होंगे। इस पर एक पूरी चर्चा होनी चाहिए।

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता-उत्तर-पूर्व) : इस मामले पर यथाशीघ्र चर्चा होनी चाहिए। इस बारे में लिया गया निर्णय तानाशाही वाला है जो संसदीय मर्यादाओं के विपरीत है। मेरे विचार में विरोधी दल के सदस्य भी इस बात से सहमत होंगे कि इसका निर्णय संसद को लेना चाहिए।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : हमें इस पर चर्चा करनी चाहिये और जब तक सदन इसे स्वीकृत अथवा अस्वीकृत न कर दे उस समय तक इसे कार्यान्वित न किया जाये।

Shri Madhu Limaye (Banka): The house should have fulfledged discussion over this issue. The Minister should state the various steps taken through the public distribution system for supplying foodgrains to Bihar and such other states which are facing serious food crises.

श्री दशरथ देव (त्रिपुरा पूर्व) : जमाखोरों को खाद्यान्न जमा करने का अवसर दिया गया है। अब सरकार ऐसा बयान दे रही है जिसके द्वारा इन लोगों को खाद्यान्न अधिक दाम पर बेचने का अधिकार प्राप्त हो। यह एक गम्भीर मामला है। इस पर कल ही सदन में चर्चा होनी चाहिये।

सभापति महोदय : चर्चा होनी चाहिए अथवा नहीं, इसके बारे में निर्णय लेना मेरे लिये उचित नहीं है। माननीय सदस्यों की इस बात को मैं अध्यक्ष महोदय तक पहुंचाऊंगा।

इसके पश्चात लोक सभा शुक्रवार, 29 मार्च, 1974/8 चैत्र, 1896 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the Clock on Friday, March 29, 1974/ Chaitra 8, 1896 (Saka).

MGIPRRND—17 LSS/74—III N/S—21-6-74—490.